निदेशक
सहकारी समितियाँ एवं पंचायत
लेखा परीक्षा निदेशालय उ०प्र० लखनऊ।

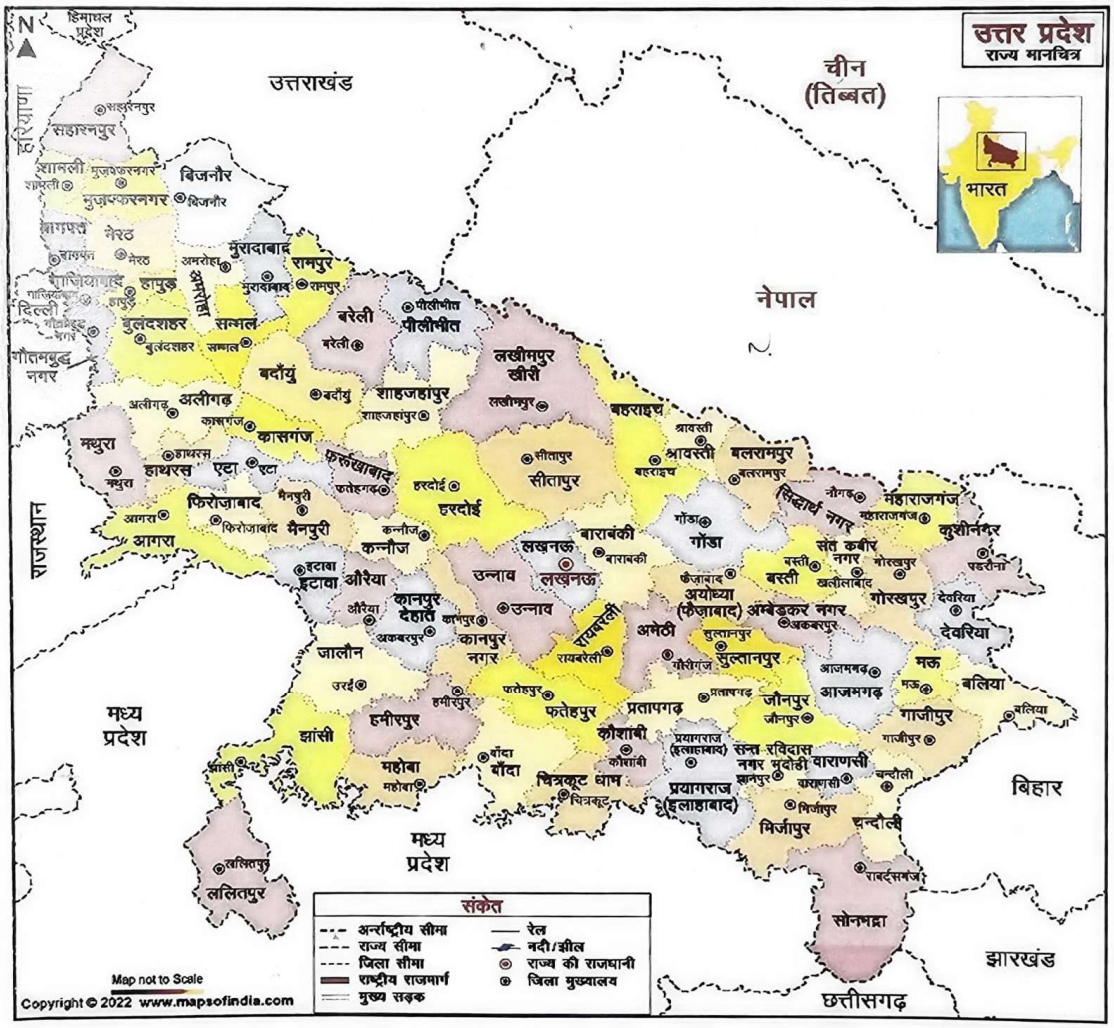

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का
वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2021-2022
भाग-9

अध्याय-4

अधिभार प्रतिवेदन एवं उनमें उद्घाटित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियॉ

क्र0 सं0	ग्राम पंचायत	4.3	पृष्ठसंख्या
11	कानपुर मण्डल		**3596-4096(8)** **4097-4344(9)**

जनपद- कानपुर नगर **मण्डल- कानपुर**

ग्राम पंचायत

1- विकास खंड बिधनू-

1- ग्राम पंचायत -ढरहरा

प्रस्तर सं0-1- ग्राम पंचायत ढरहरा द्वारा आलोच्य वर्ष अवधि 01-04-2021 से 31-07-2021 तक की लेखा परीक्षा में)कैश् बुक व बैक स्टेटमेन्ट (ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त अनुदान मद से रू- 112200-00 का व्यय दिर्शित किया गया हैं उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रतिया जैसे-बिल/मस्टररोल/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/आदि,अतः ग्राम पंचायत ढरहरा द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8के प्रस्तर 7 के अनुसार " ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क (यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू- 112200-00 में से पचास प्रतिशत धनराशि रू 56100-00 ग्राम प्रधान श्री राम सजीवन तथा शेष पचास प्रतिशत धनराशि रू- 56100-00 ग्राम पंचायत सचिव)ग्रा0पं0/विकास अधिकारी (श्री पुनीत मिश्रा से उक्त के आलोक में जाचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में सुसंगत ब्याज सहित नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।**मूल आपत्ति संख्या -1**

प्रस्तर सं0-2 ग्राम पंचायत ढरहरा द्वारा आलोच्य वर्ष अवधि 01-04-2021 से 31-07-2021 तक की लेखा परीक्षा में)कैश् बुक व बैक स्टेटमेन्ट (ग्राम निधि प्रथम के पन्द्रहवा वित्त अनुदान मद से रू- 220665-00 का व्यय दिर्शित किया गया हैं उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रतिया जैसे-बिल/मस्टररोल/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/आदि

अतः ग्राम पंचायत ढरहरा द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8के प्रस्तर 7 के अनुसार " ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क (यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू- 220665-00 में से पचास प्रतिशत धनराशि रू 110332-50 ग्राम प्रधान श्री राम सजीवन तथा शेष पचास प्रतिशत धनराशि रू- 110332-50 ग्राम पंचायत सचिव)ग्रा0पं0/विकास अधिकारी (श्री पुनीत मिश्रा से उक्त के आलोक में जॉचोपरांत संतोष जनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में सुसंगत ब्याज सहित नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।**(मूल आपत्ति संख्या –1**

2- ग्राम पंचायत -देहली उजागर

प्रस्तर सं0-3 ग्राम पंचायत देहली उजागर द्वारा आलोच्य वर्ष अवधि 01-04-2021 से 31-07-2021 तक की लेखा परीक्षा में)कैश् बुक व बैक स्टेटमेन्ट (ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त अनुदान मद से रू-

197775-40 का व्यय दिर्शित किया गया हैं उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रतियॉ जैसे-बिल/मस्टररोल/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/आदि ,अतः ग्राम पंचायत देहली उजागर द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8के प्रस्तर 7 के अनुसार " ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क (यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू- 197775-40 में से पचास प्रतिशत धनराशि रू 98887-70 ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी तथा शेष पचास प्रतिशत धनराशि रू- 98887-70 ग्राम पंचायत सचिव)ग्रा0पं0/विकास अधिकारी (श्री पुनीत मिश्रा से उक्त के आलोक में जाचोपरांत संतोष जनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में सुसंगत ब्याज सहित नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।**(मूल आपत्ति संख्या -1**

प्रस्तर सं0-4 ग्राम पंचायत देहली उजागर द्वारा आलोच्य वर्ष अवधि 01-04-2021 से 31-07-2021 तक की लेखा परीक्षा में)कैश् बुक व बैक स्टेटमेन्ट (ग्राम निधि प्रथम के पन्द्रहवा वित्त अनुदान मद से रू- 149814-00 का व्यय दर्शित किया गया हैं उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रतियॉ जैसे-बिल/मस्टररोल/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/आदि ,अतः ग्राम पंचायत देहली उजागर द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8के प्रस्तर 7 के अनुसार " ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क (यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू- 149814-00 में से पचास प्रतिशत धनराशि रू 74907-00 ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी तथा शेष पचास प्रतिशत धनराशि रू- 74907-00 ग्राम पंचायत सचिव)ग्रा0पं0/विकास अधिकारी (श्री पुनीत मिश्रा से उक्त के आलोक में जॉचोपरांत संतोष जनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में सुसंगत ब्याज सहित नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(मूल आपत्ति संख्या -1

3- ग्राम पंचायत -कणरी चम्पतपुर

प्रस्तर सं0-5 ग्राम पंचायत कणरी चम्पतपुर द्वारा आलोच्य वर्ष अवधि 01-04-2021 से 31-07-2021 तक की लेखा परीक्षा में)कैश् बुक व बैक स्टेटमेन्ट (ग्राम निधि प्रथम के पंचम राज्य वित्त अनुदान मद से रू- 441226-00 का व्यय दिर्शित किया गया हैं उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रतियॉ जैसे-बिल/मस्टररोल/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/आदि ,अतः ग्राम पंचायत कणरी चम्पतपुर द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8के प्रस्तर 7 के अनुसार " ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क (यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस

धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू- 441226-00 में से पचास प्रतिशत धनराशि रू 220613-00 ग्राम प्रधान श्रीमती सपना चतुर्वेदी तथा शेष पचास प्रतिशत धनराशि रू- 220613-00 ग्राम पंचायत सचिव)ग्रा0पं0/विकास अधिकारी (श्री पुनीत मिश्रा से उक्त के आलोक में जॉचोपरांत संतोष जनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में सुसंगत ब्याज सहित नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(मूल आपत्ति संख्या -1

प्रस्तर सं0-6 ग्राम पंचायत कणरी चम्पतपुर द्वारा आलोच्य वर्ष अवधि 01-04-2021 से 31-07-2021 तक की लेखा परीक्षा में)कैश् बुक व बैक स्टेटमेन्ट (ग्राम निधि प्रथम के पन्द्रहवा वित्त अनुदान मद से रू- 66828-00 का व्यय दिर्शित किया गया हैं उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रतियॉ जैसे-बिल/मस्टररोल/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/आदि ,अतः ग्राम पंचायत कणरी चम्पतपुर द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8के प्रस्तर 7 के अनुसार " ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क (यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू- 66828-00 में से पचास प्रतिशत धनराशि रू 33414-00 ग्राम प्रधान श्रीमती सपना चतुर्वेदी तथा शेष पचास प्रतिशत धनराशि रू- 33414-00 ग्राम पंचायत सचिव)ग्रा0पं0/विकास अधिकारी (श्री पुनीत मिश्रा से उक्त के आलोक में जॉचोपरांत संतोष जनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में सुसंगत ब्याज सहित नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(मूल आपत्ति संख्या -1

4- ग्राम पंचायत –कठारा

प्रस्तर सं0-7 ग्राम पंचायत कठारा द्वारा आलोच्य वर्ष अवधि 01-04-2021 से 31-03-2022 तक की लेखा परीक्षा में)कैश् बुक व बैक स्टेटमेन्ट (ग्राम निधि प्रथम के पंचम राज्य वित्त अनुदान मद से रू- 605376-00 का व्यय दिर्शित किया गया हैं उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रतियॉ जैसे-बिल/मस्टररोल/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/आदि,अतः ग्राम पंचायत कठारा द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8के प्रस्तर 7 के अनुसार " ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क (यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू- 605376-00 में से पचास प्रतिशत धनराशि रू 302688-00 ग्राम प्रधान श्री अरविन्द कुमार तथा शेष पचास प्रतिशत धनराशि रू- 302688-00 ग्राम पंचायत सचिव)ग्रा0पं0/विकास अधिकारी (श्री पुनीत मिश्रा से उक्त के आलोक में जॉचोपरांत संतोष जनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में सुसंगत ब्याज सहित नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।**(मूल आपत्ति संख्या -1**

प्रस्तर सं0-8 ग्राम पंचायत कठारा द्वारा आलोच्य वर्ष अवधि 01-04-2021 से 31-03-2022 तक की लेखा परीक्षा में)कैश् बुक व बैक स्टेटमेन्ट (ग्राम निधि प्रथम के पन्द्रहवा वित्त अनुदान मद से रू- 375872-00 का व्यय दिर्शित किया गया हैं उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रतियॉ जैसे-बिल/मस्टररोल/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/आदि ,अतः ग्राम पंचायत कठारा द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8के प्रस्तर 7 के अनुसार " ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क (यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू- 375872-00 में से पचास प्रतिशत धनराशि रू 187936-00 ग्राम प्रधान श्री अरविन्द कुमार तथा शेष पचास प्रतिशत धनराशि रू- 187936-00 ग्राम पंचायत सचिव)ग्रा0पं0/विकास अधिकारी (श्री पुनीत मिश्रा से उक्त के आलोक में जाचोपरांत संतोष जनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में सुसंगत ब्याज सहित नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(मूल आपत्ति संख्या -1

5- ग्राम पंचायत –शम्भुआ

प्रस्तर सं0-9 ग्राम पंचायत शम्भुआ द्वारा आलोच्य वर्ष अवधि 01-04-2021 से 31-07-2021 तक की लेखा परीक्षा)कैश् बुक व बैक स्टेटमेन्ट (ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त अनुदान मद से रू- 18878-00 का व्यय दिर्शित किया गया हैं उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रतिया जैसे-बिल/मस्टररोल/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/आदि ,अतः ग्राम पंचायत शम्भुआ द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8के प्रस्तर 7 के अनुसार " ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क (यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू- 18878-00 में से पचास प्रतिशत धनराशि रू 9439-00 ग्राम प्रधान श्री चन्द्रजीत तथा शेष पचास प्रतिशत धनराशि रू- 9439-00 ग्राम पंचायत सचिव)ग्रा0पं0/विकास अधिकारी (श्री पुनीत मिश्रा से उक्त के आलोक में जाचोपरांत संतोष जनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में सुसंगत ब्याज सहित नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(मूल आपत्ति संख्या -1

प्रस्तर सं0-10 ग्राम पंचायत शम्भुआ द्वारा आलोच्य वर्ष अवधि 01-04-2021 से 31-07-2021 तक की लेखा परीक्षा में)कैश् बुक व बैक स्टेटमेन्ट (ग्राम निधि प्रथम के पन्द्रहवा वित्त अनुदान मद से रू- 411124-00 का व्यय दिर्शित किया गया हैं उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रतिया जैसे-बिल/मस्टररोल/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/आदि ,अतः ग्राम पंचायत शम्भुआ द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8के प्रस्तर 7 के अनुसार

" ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क (यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय
की धनराशि रू- 411124-00 में से पचास प्रतिशत धनराशि रू 205562-00 ग्राम प्रधान श्री चन्द्रजीत तथा शेष पचास प्रतिशत धनराशि रू- 205562-00 ग्राम पंचायत सचिव)ग्रा0पं0/विकास अधिकारी (श्री पुनीत मिश्रा से उक्त के आलोक में जॉचोपरांत संतोष जनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में सुसंगत ब्याज सहित नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(मूल आपत्ति संख्या -1

6- ग्राम पंचायत –कठेरूआ

प्रस्तर सं0-11 ग्राम पंचायत कठेरूआ द्वारा आलोच्य वर्ष अवधि 01-04-2021 से 31-07-2021 तक की लेखा परीक्षा में)कैश् बुक व बैक स्टेटमेन्ट (ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त अनुदान मद से रू- 219878-00 का व्यय दिर्शित किया गया हैं उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रतियाॅ जैसे-बिल/मस्टररोल/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/आदि ,अतः ग्राम पंचायत कठेरूआ द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8के प्रस्तर 7 के अनुसार " ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क (यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू- 219878-00 में से पचास प्रतिशत धनराशि रू 109939-00 ग्राम प्रधान श्री मुनेश तथा शेष पचास प्रतिशत धनराशि रू- 109939-00 ग्राम पंचायत सचिव)ग्रा0पं0/विकास अधिकारी (श्री पुनीत मिश्रा से उक्त के आलोक में जाॅचोपरांत संतोष जनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में सुसंगत ब्याज सहित नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(मूल आपत्ति संख्या -1

प्रस्तर सं0-12 ग्राम पंचायत कठेरूआ द्वारा आलोच्य वर्ष अवधि 01-04-2021 से 31-07-2021 तक की लेखा परीक्षा में)कैश् बुक व बैक स्टेटमेन्ट (ग्राम निधि प्रथम के पन्द्रहवा वित्त अनुदान मद से रू- 193326-00 का व्यय दिर्शित किया गया हैं उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रतिया जैसे-बिल/मस्टररोल/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/आदि ,अतः ग्राम पंचायत कठेरूआ द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8के प्रस्तर 7 के अनुसार " ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क (यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू- 193326-00 में से पचास प्रतिशत धनराशि रू 96663-00 ग्राम प्रधान श्री मुनेश तथा शेष पचास प्रतिशत धनराशि रू- 96663-00 ग्राम पंचायत सचिव)ग्रा0पं0/विकास अधिकारी (श्री पुनीत मिश्रा से उक्त

के आलोक में जॉचोपरांत संतोष जनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में सुसंगत ब्याज सहित नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(मूल आपत्ति संख्या -1

2- विकास खण्ड पतारा

7- ग्राम पंचायत आगापुर

प्रस्तर सं0 13- ग्राम पंचायत आगापुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये जिनपर जांचोंपरान्त कार्यवाही अपेक्षित है- वर्ष 2021-22 मात्र कैशबुक के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी ओम नरायन द्वारा प्रस्तूत नहीं किये गये जो कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 का उल्लंधन है। उक्त व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल में निम्न प्रावधान किया गया है "अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार " ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।" अध्याय 8 के खण्ड 8 क के अनुसार 'यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।" वर्ष 2021-22 के मात्र कैशबुक के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी ओम नरायन द्वारा लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गए परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आय व्यय के आंकडों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पादित करी गयी। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अभाव में वर्ष 2021-22 की बैंक से आहरित धनराशि 334155-00 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है।अतः ग्राम प्रधान बीना देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी ओम नरायन से रू- 334155.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।वर्ष 2021-22 के अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी ओम नरायन लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गयेउक्त व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल में निम्न प्रावधान किया गया है अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार - " ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।' अध्याय8 के खण्ड 8 क के अनुसार -'यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।"परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आय व्यय के आंकडों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पादित करी गयी। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अभाव में वर्ष 2021-22 की बैंक से आहरित धनराशि 488984-00 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है।अतः ग्राम प्रधान बीना देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी ओम नरायन से रू. 488984.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।उक्त के अतिरिक्त मनरेगा से संबंधित भी कोई अभिलेख लेखा परीक्षा मं प्रसतुत नहीं रहे। आलोच्य वर्ष में मनरेगा मद में श्रमांश के रूप में रू. 441404-00 आहरित किया गया है। जिसके सापेक्ष पुष्टि प्रमाणक लेखा परीक्षा मं प्रस्तुत नहीं रहे जिसकी वसूली भी ग्राम प्रधान बीना देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी ओम नरायन से संयुक्त रूप से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता हे।

(मूल आपत्ति संख्या -1

9- ग्राम पंचायतबम्बूराहा

प्रस्तर सं0-14 ग्राम पंचायत बम्बूराहा की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए जिन पर जांचोंपरान्त कार्यवाही अपेक्षित है -वर्ष 2021-22 मात्र कैशबुक के अतिरिक्त कोई भी

अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी उदय प्रताप द्वारा प्रस्तूत नहीं किये गये जो कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 का उल्लंधन है।उक्त व्यय के संबंध में गग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल में निम्न प्रावधान किया गया है- अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार - '' ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।'' अध्याय 8 के खण्ड 8 क के अनुसार -'यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।'' वर्ष 2021-22 के मात्र कैशबुक के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी उदय प्रताप द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आय व्यय के आंकडों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पादित करी गयी। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अभाव में वर्ष 2021-22 की बैंक से आहरित धनराशि 97620.00 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है।अतः ग्राम प्रधान शशि देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी उदय प्रताप से रू. 97620.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।वर्ष 2021-22 के अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी उदय प्रताप द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गयेउक्त व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल में निम्न प्रावधान किया गया है अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार - '' ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।'' अध्याय 8 के खण्ड 8 क के अनुसार - 'यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।'' परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आय व्यय के आंकडों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पादित करी गयी। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अभाव में वर्ष 2021-22 की बैंक से आहरित धनराशि 355808.00 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है।अतः ग्राम प्रधान शशि देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी उदय प्रताप से रू. 355808.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।ग्राम प्रधान शशि देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अमित कुमार द्वारा माह जुलाई 2021 तक एवं उक्त के उपरांत श्री उदय प्रताप द्वारा ग्राम पंचायत के दोनो खातों से आलोच्य वर्ष में ;ग्राम निधि खाता से कुल आहरित धनराशि कुल रू 97620-0 एवं केद्रीय वित्त खाता से आहरित कुल धनराशि रू. 355808.00 की वसूली नियमानुसार ब्याज सहित संयुक्त रूप से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त मनरेगा से संबंधित भी कोई अभिलेख लेखा परीक्षा मं प्रस्तुत नहीं रहे। आलोच्य वर्ष में मनरेगा मद में श्रमांश के रूप में रू. 736253.00 आहरित किया गया है। जिसके सापेक्ष पुष्टि प्रमाणक लेखा परीक्षा मं प्रस्तुत नहीं रहे जिसकी वसूली भी ग्राम प्रधान शशि देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी उदय प्रताप से संयुक्त रूप से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता हे।

(मूल आपत्ति संख्या -1

10-ग्राम पंचायत बनहरी

प्रस्तर सं0-15 ग्राम पंचायत बनहरी की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये जिनपर जांचोंपरान्त कार्यवाही अपेक्षित है -वर्ष 2021-22 कोई भी अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी 1. श्री रमेश कुमार 2. श्री अभिषेक कुमार द्वारा प्रस्तूत नहीं किये गये जो कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 का उल्लंधन है। उक्त व्यय के संबंध में गग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल में निम्न प्रावधान किया गया है अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार - '' ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।'' अध्याय 8 के खण्ड 8 क के अनुसार -'यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।'' वर्ष 2021-22 के अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी 1. श्री रमेश कुमार 2. श्री अभिषेक कुमार द्वारा लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आय व्यय के आंकडों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पादित करी गयी। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अभाव में वर्ष 2021-22 की बैंक से आहरित धनराशि 400165.00 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है।अतः ग्राम प्रधान श्री अंकित सिंहए एवं ग्राम विकास अधिकारी 1. श्री रमेश कुमार 2. श्री अभिषेक कुमारसे रू. 400165.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।वर्ष 2021-22 के अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी 1. श्री रमेश कुमार 2. श्री अभिषेक कुमार लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये- उक्त व्यय के संबंध में गग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल में निम्न प्रावधान किया गया है अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार - '' ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।'' अध्याय 8 के खण्ड 8 क के अनुसार -'यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।'' परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आय व्यय के आंकडों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पादित करी गयी। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अभाव में वर्ष 2021-22 की बैंक से आहरित धनराशि 986870.00 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है।अतः ग्राम प्रधान श्री अंकित सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी 1.श्री रमेश कुमार 2. श्री अभिषेक कुमार से रू.986870-00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। **(**

मूल आपत्ति संख्या -1

11**- ग्राम पंचायत बरौली**

प्रस्तर सं0-16 ग्राम पंचायत बरौली की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आयेए जिनपर जांचोंपरान्त कार्यवाही अपेक्षित है -ग्राम पंचायत बरौली के वर्ष 2021-22 के कोई भी व्यय सम्बन्धी अभिलेख उदय प्रताप ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तूत नहीं किये गये जो कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 का उल्लंधन है। उक्त व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल में निम्न प्रावधान किया गया है अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार - '' ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।'' अध्याय 8 के

खण्ड 8 क के अनुसार -'यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।'' वर्ष 2021-22 के कोई भी अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी उदय प्रताप द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आय व्यय के आंकडों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पादित करी गयी। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अभाव में वर्ष 2021-22 की बैंक से आहरित धनराशि रू 755350.20 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है।अतः ग्राम प्रधान रन्नो देवीए एवं ग्राम विकास अधिकारी उदय प्रताप से रू. 755350.20 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।वर्ष 2021-22 के अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी उदय प्रताप द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये उक्त व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल में निम्न प्रावधान किया गया है अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार - '' ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।'' अध्याय 8 के खण्ड 8 क के अनुसार - 'यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।'' परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आय व्यय के आंकडों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पादित करी गयी। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अभाव में वर्ष 2021-22 की बैंक से आहरित धनराशि रू 990125.00 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है।अतः ग्राम प्रधान रन्नो देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी उदय प्रताप से रू.990125.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

उक्त के अतिरिक्त मनरेगा से संबंधित भी कोई अभिलेख लेखा परीक्षा मं प्रस्तुत नहीं रहे। आलोच्य वर्ष में मनरेगा मद में श्रमांश के रूप में रू. 768995.00 आहरित किया गया है। जिसके सापेक्ष पुष्टि प्रमाणक लेखा परीक्षा मं प्रस्तुत नहीं रहे वसूली भी ग्राम प्रधान रन्नो देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी उदय प्रताप से संयुक्त रूप से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता हे।

(मूल आपत्ति संख्या –1

12 ग्रामपंचायत बेहुटा

प्रस्तर सं0-17 ग्राम पंचायत - बेहुटा की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये, जिनपर जांचोंपरान्त कार्यवाही अपेक्षित है - वर्ष 2021- 22 कोई भी अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी उदय प्रताप द्वारा प्रस्तूत नहीं किये गये जो कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 का उल्लंधन है। उक्त व्यय के संबंध में गग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल में निम्न प्रावधान किया गया है - अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार - ** ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।** अध्याय 8 के खण्ड 8 क के अनुसार - यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकग्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।** वर्ष 2021-22 के अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी उदय प्रताप द्वारा लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये, परिणाम स्चरूप

वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आय व्यय के आंकडों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पादित करी गयी। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अभाव में वर्ष 2021-22 की बैंक से आहरित धनराशि 633939.00 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है। अतः ग्राम प्रधान श्री सदनलाल, एवं ग्राम विकास अधिकारी 1. अमित 2. उदय प्रताप से रू..633939.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष 2021-22 के अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी उदय प्रताप लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये, उक्त व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल में निम्न प्रावधान किया गया है - अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार - ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं। अध्याय 8 के खण्ड 8 क के अनुसार - यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। परिणाम स्चरूप वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आय व्यय के आंकडों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पादित करी गयी। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अभाव में वर्ष 2021-22 की बैंक से आहरित धनराशि 892140.00 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है। अतः ग्राम प्रधान श्री सदनलाल, एवं ग्राम विकास अधिकारी 1. अमित 2. उदय प्रताप से रू.892140.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। ग्राम प्रधान सदनलाल एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अमित एवं उदय प्रताप द्वारा माह जुलाई 2021 तक एवं उक्त के उपरांत श्री उदय प्रताप द्वारा ग्राम पंचायत के दोनो खातों से आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि खाता से कुल आहरित धनराशि रू 633939.00 एवं केद्रीय वित्त खाता से आहरित कुल धनराशि रू.892140.00 की वसूली नियमानुसार ब्याज सहित संयुक्त रूप से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।।

उक्त के अतिरिक्त मनरेगा से संबंधित भी कोई अभिलेख लेखा परीक्षा मं प्रसतुत नहीं रहे। आलोच्य वर्ष में मनरेगा मद में श्रमांश के रूप में रू. 612945.00 आहरित किया गया है। जिसके सापेक्ष पुष्टि प्रमाणक लेखा परीक्षा मं प्रस्तुत नहीं रहे जिकी वसूली भी ग्राम प्रधान सदनलाल एवं ग्राम विकास अधिकारी 1. अभिषेक 2. शैली राठौर से संयुक्त रूप से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता हे।

(मूल आपत्ति संख्या -1

13 ग्राम पंचायत हिरनी

प्रस्तर सं0-18 ग्राम पंचायत हिरनी की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए जिनपर जांचोंपरान्त कार्यवाही अपेक्षित है -वर्ष 2021-22 कोई भी अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी शैली राठौर द्वारा प्रस्तूत नहीं किये गये जो कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 का उल्लंधन है।उक्त व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल में निम्न प्रावधान किया गया हैअध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार - ''ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।'' अध्याय 8 के खण्ड 8 क के

अनुसार -'यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।'' वर्ष 2021-22 के अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी शैली राठौर द्वारा कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आय व्यय के आंकडों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पादित करी गयी। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अभाव में वर्ष 2021-22 की बैंक से आहरित धनराशि 3075289.00 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है।अतः ग्राम प्रधान श्री संजय कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी. शैली राठौर से रू. 3075289.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।वर्ष 2021-22 के अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी शैली राठौर से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गयेउक्त व्यय के संबंध में गग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल में निम्न प्रावधान किया गया है अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार - '' ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।'' अध्याय 8 के खण्ड 8 क के अनुसार - 'यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।'' परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आय व्यय के आंकडों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पादित करी गयी। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अभाव में वर्ष 2021-22 की बैंक से आहरित धनराशि 3075289.00 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है।अतः ग्राम प्रधान श्री संजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी शैली राठौर से रू. 3075289.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या –1

14 ग्रामपंचायत – ककरहिया

प्रस्तर सं0-19 ग्राम पंचायत - ककरहिया की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये, जिनपर जांचोंपरान्त कार्यवाही अपेक्षित है -वर्ष 2021-22 कोई भी अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी श्री देवाशीष श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तूत नहीं किये गये जो कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 का उल्लंधन है। उक्त व्यय के संबंध में गग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल में निम्न प्रावधान किया गया है -अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार - ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं। अध्याय 8 के खण्ड 8 क के अनुसार - यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकग्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। वर्ष 2021-22 के अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी श्री देवाशीष श्रीवास्तव कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये, परिणाम स्चरूप वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आय व्यय के आंकडों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पादित करी गयी। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अभाव में वर्ष 2021-22 की बैंक से आहरित धनराशि 468793.00 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है।अतः ग्राम प्रधान श्री जय प्रकाश, एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री देवाशीष श्रीवास्तव से रू..468793.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष 2021-22 के अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी

श्री देवाशीष श्रीवास्तव लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये, उक्त व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल में निम्न प्रावधान किया गया है - अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार - ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं। अध्याय 8 के खण्ड 8 क के अनुसार - यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। परिणाम स्चरूप वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आय व्यय के आंकडों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पादित करी गयी। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अभाव में वर्ष 2021-22 की बैंक से आहरित धनराशि 474878.00 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है। अतः ग्राम प्रधान श्री जय प्रकाश, एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री देवाशीष श्रीवास्तव से रू..474878.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या –1

15 ग्रामपंचायत केवडिया

प्रस्तर सं0-20 ग्राम पंचायत - केवडिया की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये, जिनपर जांचोंपरान्त कार्यवाही अपेक्षित है वर्ष 2021-22 रोकड बही के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी शैली राठौर द्वारा प्रस्तूत नहीं किये गये जो कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 का उल्लंधन है। उक्त व्यय के संबंध में गग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल में निम्न प्रावधान किया गया है -अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार - ** ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।**अध्याय 8 के खण्ड 8 क के अनुसार - *यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकग्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।** वर्ष 2021-22 के अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी शैली राठौर द्वारा मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी रोकड बही के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये, परिणाम स्चरूप वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आय व्यय के आंकडों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पादित करी गयी। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अभाव में वर्ष 2021-22 की ग्राम निधि खाता से बैंक से आहरित धनराशि 819928.00 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है।अतः ग्राम प्रधान उमा भारती, एवं ग्राम विकास अधिकारी 1. अभिषेक 2. शैली राठौर से रू..819928.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।वर्ष 2021-22 के रोकड बही के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी शैली राठौर द्वारा लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये, उक्त व्यय के संबंध में गग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल में निम्न प्रावधान किया गया है -अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार - ** ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।**अध्याय 8 के खण्ड 8 क के अनुसार - *यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकग्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की

जाएगी।**परिणाम स्चरूप वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आय व्यय के आंकडों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पादित करी गयी। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अभाव में वर्ष 2021-22 की केन्द्रीय वित्त खाता से बैंक से आहरित धनराशि 989568.00 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है।अतः ग्राम प्रधान उमा भारती, एवं ग्राम विकास अधिकारी 1. अभिषेक 2. शैली राठौर से रू..989568.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।ग्राम प्रधान उमा भारती एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक द्वारा माह जुलाई 2021 तक एवं उक्त के उपरांत श्रीमती शैली राठौर द्वारा ग्राम पंचायत के दोनो खातों से आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि खाता से कुल आहरित धनराशि क्रमशः रू 342668.00 एवं रू477260.00 कुल रू 819928.00 एवं केद्रीय वित्त खाता से आहरित कुल धनराशि क्रमशः रू. 384090.00 एवं रू.605478.00 कुल रू.989568.00 की वसूली नियमानुसार ब्याज सहित संयुक्त रूप से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।उक्त के अतिरिक्त मनरेगा से संबंधित भी कोई अभिलेख लेखा परीक्षा मं प्रसतुत नहीं रहे। आलोच्य वर्रा में मनरेगा मद में श्रमांश के रूप में रू. 575873.00 आहरित किया गया है। जिसके सापेक्ष पुष्टि प्रमाणक लेखा परीक्षा मं प्रस्तुत नहीं रहे जिकी वसूली भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी 1. अभिषेक 2. शैली राठौर से संयुक्त रूप से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता हे।

(मूल आपत्ति संख्या –1

16 ग्राम पंचायत खेमपुर

प्रस्तर सं0-21 ग्राम पंचायत - खेमपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये, जिनपर जांचोंपरान्त कार्यवाही अपेक्षित है -वर्ष 2021-22 कोई भी अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी ओम नरायन द्वारा प्रस्तूत नहीं किये गये जो कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 का उल्लंधन है। उक्त व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल में निम्न प्रावधान किया गया है -अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार - ** ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।**अध्याय 8 के खण्ड 8 क के अनुसार - *यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकग्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।** वर्ष 2021-22 के कोई भी अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी ओम नरायन द्वारा कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये, परिणाम स्चरूप वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आय व्यय के आंकडों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पादित करी गयी। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अभाव में वर्ष 2021-22 की बैंक से आहरित धनराशि 787575.00 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है।अतः ग्राम प्रधान जयराम सिंह, एवं ग्राम विकास अधिकारी ओम नरायन से रू..787575.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।वर्ष 2021-22 के अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी ओम नरायन लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये, उक्त व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल में निम्न प्रावधान किया गया है -अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार - ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का

यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।**अध्याय 8 के खण्ड 8 क के अनुसार - यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकग्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।

परिणाम स्चरूप वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आय व्यय के आंकडों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पादित करी गयी। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अभाव में वर्ष 2021-22 की बैंक से आहरित धनराशि 345609.00 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है।अतः ग्राम प्रधान जयराम सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी ओम नरायन से रू. 345609.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।उक्त के अतिरिक्त मनरेगा से संबंधित भी कोई अभिलेख लेखा परीक्षा मं प्रसतुत नहीं रहे। आलोच्य वर्ष में मनरेगा मद में श्रमांश के रूप में रू. 996883.0000 आहरित किया गया है। जिसके सापेक्ष पुष्टि प्रमाणक लेखा परीक्षा मं प्रस्तुत नहीं रहे जिकी वसूली भी ग्राम प्रधान जयराम सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी ओम नरायन से संयुक्त रूप से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता हे।

(मूल आपत्ति संख्या –1

17 ग्राम पंचायत मिर्जापुर

प्रस्तर सं0-22 ग्राम पंचायत **मिर्जापुर** की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये, जिनपर जांचोंपरान्त कार्यवाही अपेक्षित है -वर्ष 2021-22 कोई भी अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक द्वारा प्रस्तूत नहीं किये गये जो कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 का उल्लंधन है। उक्त व्यय के संबंध में गग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल में निम्न प्रावधान किया गया है –

<u>अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार- '' ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।''</u> **अध्याय 8 के खण्ड 8 क के अनुसार - *'यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकग्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।'*** वर्ष 2021-22 के अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक द्वारा लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये, परिणाम स्चरूप वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आय व्यय के आंकडों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पादित करी गयी। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अभाव में वर्ष 2021-22 की बैंक से आहरित धनराशि 459665.00 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है।अतः ग्राम प्रधान श्री राजेश सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री रमेश कुमार एवं अभिषेक से रू..459665.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।वर्ष 2021-22 के अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक द्वारा लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये, उक्त व्यय के संबंध में गग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल में निम्न प्रावधान किया गया है –***<u>अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार- '' ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।''</u>*** **अध्याय 8 के खण्ड 8 क के अनुसार - *'यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकग्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।'*** परिणाम स्चरूप वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आय व्यय के आंकडों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पादित करी गयी। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अभाव में वर्ष 2021-22 की बैंक से आहरित धनराशि 416362.00 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है।अतः ग्राम प्रधान श्री राजेश सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री रमेश

कुमार एवं श्री अभिषेक द्वारा से रू..416362.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।श्री रमेश कुमार ग्राम विकास अधिकारी द्वारा माह अप्रैल 2021 से जुलाइ 2021 तक की अवधि का प्रिया साफ्ट पर उपलब्ध आंकडों के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त से रू. 73006..00 श्री रमेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आहरण के सापेक्ष कोई भी पुष्टि प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलग्ध नहीं कराये एवं माह अगस्त 2021 से मार्च 2023 तक की अवधि का प्रिया साफ्ट पर उपलब्ध आंकडों के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त रू. 8687021.00 से आहरण किया गया है परन्तु रू. 876027.00 उक्त आहरण के सापेक्ष कोई भी पुष्टि प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलग्ध नहीं कराये जाने से उपरोक्त विवरण के अनुसार आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है।

(मूल आपत्ति संख्या –1

17 ग्राम पंचायत ओरिया

प्रस्तर सं0-23 ग्राम पंचायत – ओरिया की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये, जिनपर जांचोंपरान्त कार्यवाही अपेक्षित है -वर्ष 2021-22 कोई भी अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी 1. रमेश कुमार 2. अभिषेक कुमार द्वारा प्रस्तूत नहीं किये गये जो कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 का उल्लंधन है। उक्त व्यय के संबंध में गग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल में निम्न प्रावधान किया गया है –***अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार - '' ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।''*** **अध्याय 8 के खण्ड 8 क के अनुसार -** ***'यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकग्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।''*** वर्ष 2021-22 के अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी 1. रमेश कुमार 2. अभिषेक कुमार द्वारा लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये, परिणाम स्चरूप वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आय व्यय के आंकडों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पादित करी गयी। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अभाव में वर्ष 2021-22 की बैंक से आहरित धनराशि 383879.00 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है।अतः ग्राम प्रधान श्री अमरनाथ, एवं ग्राम विकास अधिकारी 1. रमेश कुमार 2. अभिषेक कुमार से रू..383879.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।वर्ष 2021-22 के अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी 1. रमेश कुमार 2. अभिषेक कुमार लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये, उक्त व्यय के संबंध में गग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल में निम्न प्रावधान किया गया है –***अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार - '' ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।''*** **अध्याय 8 के खण्ड 8 क के अनुसार -** ***'यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकग्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।''*** परिणाम स्चरूप वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आय व्यय के आंकडों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पादित करी गयी। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अभाव में वर्ष 2021-22 की बैंक से आहरित धनराशि 530466.00 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है।अतः ग्राम प्रधान श्री अमरनाथ, एवं ग्राम विकास अधिकारी 1. रमेश कुमार 2. अभिषेक कुमार से रू..530466.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।**(मूल आपत्ति संख्या –1**

19 ग्राम पंचायत - पतरसा

प्रस्तर सं0-24 ग्राम पंचायत - पतरसा, की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये, जिनपर जांचोंपरान्त कार्यवाही अपेक्षित है -वर्ष 2021-22 कोई भी अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तूत नहीं किये गये जो कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 का उल्लंधन है। बिन्दु संख्या 7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को संप्रेक्षण हेतु आय व्यय की समस्त बाउचर व नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।वर्ष 2021-22 के अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी उदय प्रताप तथा ग्राम प्रधान प्रियंका देवी लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये, परिणाम स्चरूप वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आय व्यय के अंकडों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पादित करी गयी। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अभाव में वर्ष 2021-22 की बैंक से आहरित धनराशि 528044.50 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है।अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान प्रियंका देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री उदय प्रताप से रू..528044.50 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।वर्ष 2021-22 के अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी उदय प्रताप तथा ग्राम प्रधान प्रियंका देवी लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये, परिणाम स्चरूप वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आय व्यय के अंकडों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पादित करी गयी। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अभाव में वर्ष 2021-22 की बैंक से आहरित धनराशि 896598.00 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है।अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान प्रियंका देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री उदय प्रताप से रू..896598.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।वर्ष 2021-22 के अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी उदय प्रताप तथा ग्राम प्रधान प्रियंका देवी लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये, परिणाम स्चरूप वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आय व्यय के अंकडों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पादित करी गयी। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अभाव में वर्ष 2021-22 की बैंक से आहरित धनराशि 1424642.50 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है।अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान प्रियंका देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री उदय प्रताप से रू..1424642.50 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या –1

20 ग्राम पंचायत रामसारी

प्रस्तर सं0-25 ग्राम पंचायत - रामसारी की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये, जिनपर जांचोंपरान्त कार्यवाही अपेक्षित है -वर्ष 2021-22 कोई भी अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक द्वारा प्रस्तूत नहीं किये गये जो कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 का उल्लंधन है।

उक्त व्यय के संबंध में गग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल में निम्न प्रावधान किया गया है -अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार - ** ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।**

2 . अध्याय 8 के खण्ड 8 क के अनुसार - *यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकग्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।*वर्ष 2021-22 के अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये, परिणाम स्चरूप वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आय व्यय के आंकडों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पादित करी गयी। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अभाव में वर्ष 2021-22 की बैंक से आहरित धनराशि 1472759.70 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है।अतः ग्राम प्रधान श्री अमर सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक

से रू..1472759.70 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।वर्ष 2021-22 के अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये, उक्त व्यय के संबंध में गग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल में निम्न प्रावधान किया गया है -अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार - ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।**अध्याय 8 के खण्ड 8 क के अनुसार - *यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकग्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।परिणाम स्चरूप वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आय व्यय के आंकडों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पादित करी गयी। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अभाव में वर्ष 2021-22 की बैंक से आहरित धनराशि 1568440.00 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है।अतः ग्राम प्रधान श्री अमर सिंह ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक द्वारा से रू..1568440.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।श्री निशांत ग्राम विकास अधिकारी द्वारा माह अप्रैल 2021 से जुलाइ 2021 तक की अवधि का प्रिया साफ्ट पर उपलब्ध आंकडों के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त से रू. 517678.70 श्री अभिषेक, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आहरण के सापेक्ष कोई भी पुष्टि प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलग्ध नहीं कराये एवं माह अगस्त 2021 से मार्च 2023 तक की अवधि का प्रिया साफ्ट पर उपलब्ध आंकडों के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त रू. 2523521.00 से आहरण किया गया है परन्तु रू. 3041199.70 उक्त आहरण के सापेक्ष कोई भी पुष्टि प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलग्ध नहीं कराये जाने से उपरोक्त विवरण के अनुसार आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है। **(मूल आपत्ति संख्या –1**

21 ग्राम पंचायत- संचितपुर

प्रस्तर सं0-26 ग्राम पंचायत – संचितपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये, जिनपर जांचोंपरान्त कार्यवाही अपेक्षित है - वर्ष 2021-22 मात्र कैशबुक के अतिरिक्त कोई भी देवाशीष श्रीवास्तव ग्राम विकास अधिकारी देवाशीष श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तूत नहीं किये गये जो कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 का उल्लंधन है। उक्त व्यय के संबंध में गग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल में निम्न प्रावधान किया गया है – *अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार - ‘‘ ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।’’*अध्याय 8 के खण्ड 8 क के अनुसार - *‘ यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकग्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।’’* वर्ष 2021-22 के मात्र कैशबुक के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी देवाशीष श्रीवास्तव द्वारा लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये, परिणाम स्चरूप वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आय व्यय के आंकडों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पादित करी गयी। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अभाव में वर्ष 2021-22 की बैंक से आहरित धनराषि रू 648857.00 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है।अतः ग्राम प्रधान पुष्पादेवी, एवं ग्राम विकास अधिकारी देवाशीष श्रीवास्तव से रू..648857.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।वर्ष 2021-22 के अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी देवाशीष श्रीवास्तव लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये, उक्त व्यय के संबंध में गग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल में निम्न प्रावधान किया गया है –*अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार - ‘‘ ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।’’* अध्याय 8 के खण्ड 8 क के अनुसार - *‘ यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकग्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।’* परिणाम स्चरूप वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आय व्यय के आंकडों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पादित करी गयी। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अभाव में वर्ष 2021-22 की बैंक से आहरित धनराषि रू 630683.00 के सापेक्ष व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य

है।अतः ग्राम प्रधान पुष्पादेवी, एवं ग्राम विकास अधिकारी देवाशीष श्रीवास्तव से रू..630683.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।उक्त के अतिरिक्त मनरेगा से संबंधित भी कोई अभिलेख लेखा परीक्षा मं प्रसतुत नहीं रहे। आलोच्य वर्ऱो में मनरेगा मद में श्रमांश के रूप में रू. 464370.00 आहरित किया गया है। जिसके सापेक्ष पुष्टि प्रमाणक लेखा परीक्षा मं प्रस्तुत नहीं रहे वसूली भी ग्राम प्रधान पुष्पादेवी एवं ग्राम विकास अधिकारी देवाशीष श्रीवास्तव से संयुक्त रूप से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता हे। **(मूल आपत्ति संख्या –1**

विकास खंड सरसौल–

22 ग्राम पंचायत अमौली

प्रस्तर सं0-27 लेखा परीक्षा दौरान मनरेगा योजना से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख भौतिक रूप से प्रस्तुत नही किये गये। ऑनलाइन दर्ज आंकड़ों से मनरेगा की जाँच की गई जिसमें पाया गया कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 के दौरान इस योजना से अनस्किल्ड लेबर व्यय पर रू0 606696-00 तथा सेमी स्किल्ड एण्ड स्किल्ड लेबर व्यय पर रू0 2800-00 किया गया है। सामग्री के सापेक्ष धनराशि रू0 153320-83 व्यय दर्शित है।ऑनलाइन उक्त के सापेक्ष मस्टर रोल एवं मजदूरों का विवरण देखा गया है लेकिन भौतिक रूप से भी ग्राम पंचायत स्तर पर मस्टर रोल एवं अन्य अभिलेख संरक्षित कर रखे जाने चाहिए।

क- उक्त मस्टर रोल भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। जिससे व्यय दर्शित उक्त धनराशि अपुष्ट रही।

ख- उक्त के अतिरिक्त मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन्स अनुरूप पत्रावलिया, कराये जाने वाले कार्यो की सूची, मूल कार्य योजना,

प्रस्तुत नही किया गया। ऑनलाइन फीड कार्य योजना में शामिल कार्यो पर ही कार्य कार्यक्रमानुसार कराया गया है अथवा नहीं,

इसकी जानकारी नहीं हो पायी।

ग - तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नही किया जिससे ऑनलाइन फीड कराये गये कार्य तकनीकी स्वीकृति की अपेक्षा कराए गए हैं या नहींकराये जा रहे है ये स्पष्ट नही हो सका।

घ - मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन्स 2008 पैरा (6-9) अनुरूप किसी भी प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया।

च- मनरेगा योजना की ऑनलाइन कैशबुक में भी कोई इंट्री नहीं है, एवं न ही भौतिक रूप से कैशबुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया।पत्रावलियों की ठोस जांच के लिए मनरेगा आय-व्यय से सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन फीड करवाये जाने चाहिए एवं ग्राम पंचायतके कार्यालय में भौतिक रूप से संरक्षित भी किये जाने चाहिए।

छ- मनरेगा में कराये गये कार्यो की मजदूरों से सम्बन्धित जॉब कार्ड एव जॉब कार्ड रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारणऑनलाइन फीड कराये गये पंजीकृत मजदूरों की संख्या एव अन्य संबंधित जाँच नहीं की जा सकी।

ज- मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यो में कार्यक्रम अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन (मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन्स 2008 अध्याय 11 पैरा 11-4-1) किये जाने का विवरण है। ऑनलाइन एम0बी0 जो दर्ज है पर भौतिक रूप से एम0बी0 प्रस्तुत नही किया गया, जिससे ये स्पष्ट नही हो पाया कि कार्यक्रम अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया या नही एवं एम0बी0 कार्यक्रम अधिकारी के हस्ताक्षर किये जा रहे है या नही इसकी समीक्षा नही की जा सकी।

झ - मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यो के हेतु प्रयुक्त मस्टररोलों को भौतिक रूप से प्रस्तुत नही किये जाने के कारण ये स्पष्ट नही हो पाया कि मजदूरी भुगतान प्राप्ति कि पुष्टि में मस्टररोलों पर सभी मजदूरों के हस्ताक्षर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा करवाये जा रहे हैं अथवा नही ।

अतः ऑनलाइन दर्ज आंकड़ों के सापेक्ष भौतिक रूप से अभिलेख प्रस्तुत नही किये जाने के कारण उक्त बिन्दुओं पर समीक्षा नही की जा सकी तथा दर्शित व्यय रू0 762816.23 वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री रितेन्द्र सिंह व सचिव अनिल शुक्ला समान रूप से उत्तरदायी है

मूल आ0सं0-10

23 ग्राम पंचायत ऐमा

प्रस्तर सं0-28 लेखा परीक्षा दौरान मनरेगा योजना से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख भौतिक रूप से प्रस्तुत नही किये गये। ऑनलाइन दर्ज आंकड़ों से मनरेगा की जाँच की गई जिसमें पाया गया कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 के दौरान इस योजना से अनस्किल्ड लेबर व्यय पर रू0 683835-00 तथा सेमी स्किल्ड एण्ड स्किल्ड लेबर व्यय पर रू0 0-00 कुल मजदूरी पर धनराशि रू0 683835-00 का व्यय किया गया है। ऑनलाइन उक्त के सापेक्ष मस्टर रोल एवं मजदूरों का विवरण देखा गया है लेकिन भौतिक रूप से भी ग्राम पंचायत स्तर पर मस्टर रोल सामग्री व्यय के प्रमाणक , बाउचर एवं अन्य अभिलेख संरक्षित कर रखे जाने चाहिए।

क- उक्त मस्टर रोल भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। जिससे व्यय दर्शित उक्त धनराशि अपुष्ट रही।

ख- उक्त के अतिरिक्त मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन्स अनुरूप पत्रावलिया, कराये जाने वाले कार्यो की सूची, मूल कार्य योजना,

प्रस्तुत नही किया गया। ऑनलाइन फीड कार्य योजना में शामिल कार्यो पर ही कार्य कार्यक्रमानुसार कराया गया है अथवा नहीं,

इसकी जानकारी नहीं हो पायी।

ग - तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नही किया जिससे ऑनलाइन फीड कराये गये कार्य तकनीकी स्वीकृति की अपेक्षा कराए गए हैं या नहींकराये जा रहे है ये स्पष्ट नही हो सका।

घ - मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन्स 2008 पैरा (6-9) अनुरूप किसी भी प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया।

च- मनरेगा योजना की ऑनलाइन कैशबुक में भी कोई इंट्री नहीं है, एवं न ही भौतिक रूप से कैशबुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया।पत्रावलियों की ठोस जांच के लिए मनरेगा आय-व्यय से सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन फीड करवाये जाने चाहिए एवं ग्राम पंचायतके कार्यालय में भौतिक रूप से संरक्षित भी किये जाने चाहिए।

छ- मनरेगा में कराये गये कार्यो की मजदूरों से सम्बन्धित जॉब कार्ड एव जॉब कार्ड रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारणऑनलाइन फीड कराये गये पंजीकृत मजदूरों की संख्या एव अन्य संबंधित जाँच नहीं की जा सकी।

ज- मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यो में कार्यक्रम अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन (मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन्स 2008 अध्याय 11 पैरा 11-4-1) किये जाने का विवरण है। ऑनलाइन एम0बी0 जो दर्ज है पर भौतिक रूप से एम0बी0 प्रस्तुत नही किया गया, जिससे ये स्पष्ट नही हो पाया कि कार्यक्रम अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया या नही एवं एम0बी0 कार्यक्रम अधिकारी के हस्ताक्षर किये जा रहे है या नही इसकी समीक्षा नही की जा सकी।

झ - मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यो के हेतु प्रयुक्त मस्टररोलों को भौतिक रूप से प्रस्तुत नही किये जाने के कारण ये स्पष्ट नही हो पाया कि मजदूरी भुगतान प्राप्ति कि पुष्टि में मस्टररोलों पर सभी मजदूरों के हस्ताक्षर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा करवाये जा रहे हैं अथवा नही ।

अतः ऑनलाइन दर्ज आंकड़ों के सापेक्ष भौतिक रूप से अभिलेख प्रस्तुत नही किये जाने के कारण उक्त बिन्दुओं पर समीक्षा नही कीजा सकी तथा दर्शित व्ययधनराशि रू0 683835-00 वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री रितेश कुमार मिश्रा व सचिव श्री साबिर अली सिदद्की समान रूप से उत्तरदायी है

मूल आ0सं0-10

24 ग्राम पंचायत ख्वाजगीपुर

प्रस्तर सं0-29 लेखा परीक्षा दौरान मनरेगा योजना से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख भौतिक रूप से प्रस्तुत नही किये गये। ऑनलाइन दर्ज आंकड़ों से मनरेगा की जाँच की गई जिसमें पाया गया कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 के दौरान इस योजना से अनस्किल्ड लेबर व्यय पर रू0 657318-00 तथा सेमी स्किल्ड एण्ड स्किल्ड लेबर व्यय पर रू0 1400-00 कुल मजदूरी पर धनराशि रू0 658718-00 का व्यय किया गया है। सामग्री के सापेक्ष धनराशि रू0 0-0 डिस्प्ले बोर्ड पर व्यय दर्शित है। अनस्किल्ड लेबर व्यय, सेमी स्किल्डलेबर व्यय तथा सामग्री व्यय, तीनों को जोड़कर कुल व्यय धनराशि रू0 658718-00 है। ऑनलाइन उक्त के सापेक्ष ,मस्टर रोल एवं मजदूरों का विवरण देखा गया है लेकिन भौतिक रूप से भी ग्राम पंचायत स्तर पर मस्टर रोल एवं अन्य अभिलेख संरक्षित कर रखे जाने चाहिए।

क- उक्त मस्टर रोल भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। जिससे व्यय दर्शित उक्त धनराशि अपुष्ट रही।

ख- उक्त के अतिरिक्त मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन्स अनुरूप पत्रावलिया, कराये जाने वाले कार्यो की सूची, मूल कार्य योजना, प्रस्तुत नही किया गया। ऑनलाइन फीड कार्य योजना में शामिल कार्यो पर ही कार्य कार्यक्रमानुसार कराया गया है अथवा नहीं, इसकी जानकारी नहीं हो पायी।

ग - तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नही किया जिससे ऑनलाइन फीड कराये गये कार्य तकनीकी स्वीकृति की अपेक्षा कराए गए हैं या नहीं

कराये जा रहे है ये स्पष्ट नही हो सका।

घ - मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन्स 2008 पैरा)6-9) अनुरूप किसी भी प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया।

च- मनरेगा योजना कीऑनलाइन कैशबुक में भी कोई इंट्री नहीं है, एवं न ही भौतिक रूप से कैशबुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया।पत्रावलियों की ठोस जांच के लिए मनरेगा आय व्यय से सम्बन्धित अभिलेख-ऑनलाइन फीड करवाये जाने चाहिए एवं ग्राम पंचायत के कार्यालय में भौतिक रूप से संरक्षित भी किये जाने चाहिए।

छ- मनरेगा में कराये गये कार्यो की मजदूरों से सम्बन्धित जॉब कार्ड एव जॉब कार्ड रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण

ऑनलाइन फीड कराये गये पंजीकृत मजदूरों की संख्या एव अन्य संबंधित जाँच नहीं की जा सकी।

ज- मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यो में कार्यक्रम अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन मनरेगा आपरेशनल) गाइड लाइन्स2008 अध्याय 11 पैरा 11-4-1) किये जाने का विवरण है। ऑनलाइन एम- बी- जो दर्ज है पर भौतिक रूप से एम0बी0 प्रस्तुत नही किया गया, जिससे ये स्पष्ट नही हो पाया कि कार्यक्रम अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया या नही एवं एम0बी0 कार्यक्रम अधिकारी के हस्ताक्षरकिये जा रहे है या नही इसकी समीक्षा नही की जा सकी।

झ - मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यो के हेतु प्रयुक्त मस्टररोलों को भौतिक रूप से प्रस्तुत नही किये जाने के कारण ये स्पष्ट नही हो पाया कि मजदूरी भुगतान प्राप्ति कि पुष्टि में मस्टररोलों पर सभी मजदूरों के हस्ताक्षर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा करवाये जा रहे हैं अथवा नही ।

अतः ऑनलाइन दर्ज आंकड़ों के सापेक्ष भौतिक रूप से अभिलेख प्रस्तुत नही किये जाने के कारण उक्त बिन्दुओं पर समीक्षा नही की जा सकी तथा दर्शित व्ययधनराशि रू0 658718-00 वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती बीना देवी तथा सचिव श्री अजेन्द्र तिवारी समान रूप से उत्तरदायी है

मूल आ0सं0-16

25 ग्राम पंचायतफुफुवार राजथोक

प्रस्तर सं0-30 लेखा परीक्षा दौरान मनरेगा योजना से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख भौतिक रूप से प्रस्तुत नही किये गये। ऑनलाइन दर्ज आंकड़ों से मनरेगा की जाँच की गई जिसमें पाया गया कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 के दौरान इस योजना से अनस्किल्ड लेबर व्यय पर रू0 665301-00 तथा सेमी स्किल्ड एण्ड स्किल्ड लेबर व्यय पर रू0 0-00 कुल मजदूरी पर धनराशि रू0 665301-00 का व्यय किया गया है। सामग्री के सापेक्ष

धनराशि रू0 153320-83 व्यय दर्शित है। अनस्किल्ड लेबर व्यय, सेमी स्किल्ड/ स्किल्ड लेबर व्यय तथा सामग्री व्यय, तीनों को जोड़कर कुल व्यय धनराशि रू0 818621-83 है। ऑनलाइन उक्त के सापेक्ष सामग्री व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल एवं मजदूरों का विवरण देखा गया है लेकिन भौतिक रूप से भी ग्राम पंचायत स्तर पर मस्टर रोल सामग्री व्यय के प्रमाणक , बाउचर एवं अन्य अभिलेख संरक्षित कर रखे जाने चाहिए।

- उक्त मस्टर रोल एवं सामग्री पर व्यय के सापेक्ष बिल भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। जिससे व्यय दर्शित उक्त धनराशि अपुष्ट रही।
- उक्त के अतिरिक्त मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन्स अनुरूप पत्रावलिया, कराये जाने वाले कार्यो की सूची, मूल कार्य योजना, प्रस्तुत नही किया गया। ऑनलाइन फीड कार्य योजना में शामिल कार्यो पर ही कार्य कार्यक्रमानुसार कराया गया है अथवा नहीं, इसकी जानकारी नहीं हो पायी।
- तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नही किया जिससे ऑनलाइन फीड कराये गये कार्य तकनीकी स्वीकृति की अपेक्षा कराए गए हैं या नहीं कराये जा रहे है ये स्पष्ट नही हो सका।
- मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन्स 2008 पैरा)6-9) अनुरूप किसी भी प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया।
- मनरेगा योजना की ऑनलाइन कैशबुक में भी कोई इंट्री नहीं है, एवं न ही भौतिक रूप से कैशबुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। पत्रावलियों की ठोस जांच के लिए मनरेगा आय-व्यय से सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन फीड करवाये जाने चाहिए एवं ग्राम पंचायत के कार्यालय में भौतिक रूप से संरक्षित भी किये जाने चाहिए।
- मनरेगा में कराये गये कार्यो की मजदूरों से सम्बन्धित जॉब कार्ड एव जॉब कार्ड रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण ऑनलाइन फीड कराये गये पंजीकृत मजदूरों की संख्या एव अन्य संबंधित जाँच नहीं की जा सकी।
- मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यो में कार्यक्रम अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन)मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन्स 2008 अध्याय 11पैरा 11-4-1) किये जाने का विवरण है। ऑनलाइन एम- बी- जो दर्ज है पर भौतिक रूप से एम0बी0 प्रस्तुत नही किया गया, जिससे ये स्पष्ट नही हो पाया कि कार्यक्रम अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया या नही एवं एम0बी0 कार्यक्रम अधिकारी के हस्ताक्षर किये जा रहे है या नही इसकी समीक्षा नही की जा सकी।
- मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यो के हेतु प्रयुक्त मस्टररोलों को भौतिक रूप से प्रस्तुत नही किये जाने के कारण ये स्पष्ट नही हो पाया कि मजदूरी भुगतान प्राप्ति कि पुष्टि में मस्टररोलों पर सभी मजदूरों के हस्ताक्षर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा करवाये जारहे हैं अथवा नही ।

अतः ऑनलाइन दर्ज आंकड़ों के सापेक्ष भौतिक रूप से अभिलेख प्रस्तुत नही किये जाने के कारण उक्त बिन्दुओं पर समीक्षा नही की जा सकी तथा दर्शित व्ययधनराशि रू0 818621-83 वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री सोनेलाल गुप्ता तथा सचिव श्री अजेन्द्र तिवारी समान रूप से उत्तरदायी है **मूल आ0सं0-13**

26 ग्राम पंचायत फुफुवार सुईथोक

प्रस्तर सं0-31 लेखा परीक्षा दौरान मनरेगा योजना से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख भौतिक रूप से प्रस्तुत नही किये गये। ऑनलाइन दर्ज आंकड़ों से मनरेगा की जाँच की गई जिसमें पाया गया कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 के दौरान इस योजना से अनस्किल्ड लेबर व्यय पर रू0 665244-00 किया गया है। ऑनलाइन उक्त के सापेक्ष मस्टर रोल एवं मजदूरों का विवरण देखा गया है लेकिन भौतिक रूप से भी ग्राम पंचायत स्तर पर मस्टर रोल एवं अन्य अभिलेख संरक्षित कर रखे जाने चाहिए।

- उक्त मस्टर रोल पर व्यय के सापेक्ष बिल भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। जिससे व्यय दर्शित उक्त धनराशि अपुष्ट रही।

- उक्त के अतिरिक्त मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन्स अनुरूप पत्रावलिया, कराये जाने वाले कार्यो की सूची, मूल कार्य योजना, प्रस्तुत नही किया गया। ऑनलाइन फीड कार्य योजना में शामिल कार्यो पर ही कार्य कार्यक्रमानुसार कराया गया है अथवा नहीं, इसकी जानकारी नहीं हो पायी।
- तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नही किया जिससे ऑनलाइन फीड कराये गये कार्य तकनीकी स्वीकृति की अपेक्षा कराए गए हैं या नहीं कराये जा रहे है ये स्पष्ट नही हो सका।
- मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन्स 2008 पैरा)6-9) अनुरूप किसी भी प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया।
- मनरेगा योजना की ऑनलाइन कैशबुक में भी कोई इंट्री नहीं है, एवं न ही भौतिक रूप से कैशबुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। पत्रावलियों की ठोस जांच के लिए मनरेगा आय-व्यय से सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन फीड करवाये जाने चाहिए एवं ग्राम पंचायत के कार्यालय में भौतिक रूप से संरक्षित भी किये जाने चाहिए।

- मनरेगा में कराये गये कार्यो की मजदूरों से सम्बन्धित जॉब कार्ड एव जॉब कार्ड रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण ऑनलाइन फीड कराये गये पंजीकृत मजदूरों की संख्या एव अन्य संबंधित जाँच नहीं की जा सकी।
- मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यो में कार्यक्रम अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन)मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन्स 2008 अध्याय 11 पैरा 11-4-1) किये जाने का विवरण है। ऑनलाइन एम- बी- जो दर्ज है पर भौतिक रूप से एम0बी0 प्रस्तुत नही किया गया, जिससे ये स्पष्ट नही हो पाया कि कार्यक्रम अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया या नही एवं एम0बी0 कार्यक्रम अधिकारी के हस्ताक्षर किये जा रहे है या नही इसकी समीक्षा नही की जा सकी।
- मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यो के हेतु प्रयुक्त मस्टररोलों को भौतिक रूप से प्रस्तुत नही किये जाने के कारण ये स्पष्ट नही हो पाया कि मजदूरी भुगतान प्राप्ति कि पुष्टि में मस्टररोलों पर सभी मजदूरों के हस्ताक्षर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा करवाये जारहे हैं अथवा नही ।

अतः ऑनलाइन दर्ज आंकड़ों के सापेक्ष भौतिक रूप से अभिलेख प्रस्तुत नही किये जाने के कारण उक्त बिन्दुओं पर समीक्षा नही कीजा सकी तथा दर्शित व्यय रू0 665244-00 वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री कुरबान अहमद तथा सचिव श्री अजेन्द्र तिवारी समान रूप से उत्तरदायी है

मूल आ0सं0-13

27 ग्राम पंचायत- बौसर

प्रस्तर सं0-32 लेखा परीक्षा दौरान मनरेगा योजना से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख भौतिक रूप से प्रस्तुत नही किये गये। ऑनलाइन दर्ज आंकड़ों से मनरेगा की जाँच की गई जिसमें पाया गया कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 के दौरान इस योजना से अनस्किल्ड लेबर व्यय पर रू0 277419-00 किया गया है। ऑनलाइन उक्त के सापेक्ष मस्टर रोल एवं मजदूरों का विवरण देखा गया है लेकिन भौतिक रूप से भी ग्राम पंचायत स्तर पर मस्टर रोल एवं अन्य अभिलेख संरक्षित कर रखे जाने चाहिए।

- उक्त मस्टर रोल पर व्यय के सापेक्ष बिल भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। जिससे व्यय दर्शित उक्त धनराशि अपुष्ट रही।
- उक्त के अतिरिक्त मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन्स अनुरूप पत्रावलिया, कराये जाने वाले कार्यो की सूची, मूल कार्य योजना, प्रस्तुत नही किया गया। ऑनलाइन फीड कार्य योजना में शामिल कार्यो पर ही कार्य कार्यक्रमानुसार कराया गया है अथवा नहीं, इसकी जानकारी नहीं हो पायी।
- तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नही किया जिससे ऑनलाइन फीड कराये गये कार्य तकनीकी स्वीकृति की अपेक्षा कराए गए हैं या नहीं कराये जा रहे है ये स्पष्ट नही हो सका।
- मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन्स 2008 पैरा)6-9) अनुरूप किसी भी प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया।

- मनरेगा योजना की ऑनलाइन कैशबुक में भी कोई इंट्री नहीं है, एवं न ही भौतिक रूप से कैशबुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। पत्रावलियों की ठोस जांच के लिए मनरेगा आय-व्यय से सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन फीड करवाये जाने चाहिए एवं ग्राम पंचायत के कार्यालय में भौतिक रूप से संरक्षित भी किये जाने चाहिए।
- मनरेगा में कराये गये कार्यो की मजदूरों से सम्बन्धित जॉब कार्ड एव जॉब कार्ड रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण ऑनलाइन फीड कराये गये पंजीकृत मजदूरों की संख्या एव अन्य संबंधित जाँच नहीं की जा सकी।
- मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यो में कार्यक्रम अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन)मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन्स 2008 अध्याय 11 पैरा 11-4-1) किये जाने का विवरण है। ऑनलाइन एम- बी- जो दर्ज है पर भौतिक रूप से एम0बी0 प्रस्तुत नही किया गया, जिससे ये स्पष्ट नही हो पाया कि कार्यक्रम अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया या नही एवं एम0बी0 कार्यक्रम अधिकारी के हस्ताक्षर किये जा रहे है या नही इसकी समीक्षा नही की जा सकी।
- मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यो के हेतु प्रयुक्त मस्टररोलों को भौतिक रूप से प्रस्तुत नही किये जाने के कारण ये स्पष्ट नही हो पाया कि मजदूरी भुगतान प्राप्ति कि पुष्टि में मस्टररोलों पर सभी मजदूरों के हस्ताक्षर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा करवाये जारहे हैं अथवा नही ।

अतः ऑनलाइन दर्ज आंकड़ों के सापेक्ष भौतिक रूप से अभिलेख प्रस्तुत नही किये जाने के कारण उक्त बिन्दुओं पर समीक्षा नही की जा सकी तथा दर्शित व्यय रू0 277419-00 वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज कुमारी तथा सचिव श्री अजेन्द्र तिवारी समान रूप से उत्तरदायी है।

मूल आ0सं0-13

4- विकास खंड- चौबेपुर

28 ग्राम पंचायत-निगोह

प्रस्तर सं0-33 आलोच्य वर्ष 2021-22 में कोषबही के अंकन मे दिनांक 03-11-2021 03-11-2021 को ग्राम पंचायत मे चूना एवं सेनेटाईजेसन का छिड़काव करवाने के कार्य हेतु श्री राहुल को रु 1700-00 का भुगतान दर्शाया गया है,जबकि बैंक स्टैट्मेन्ट मे रु 13700-00 का नाम अंकित है । उक्त भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक /वाउचर अहस्ताक्षरित संलग्न है। लेखा परीक्षा के अनुसार निकासी व भुगतान मे रु 12000.00 का अंतर है जो गबन की श्रेणी मे आता है। मासिक समेकित सार विवरण बना कर इसका बैंक खाते से मिलान नहीं बनाया गया है। उक्त गबन की धनराशि रु 12000.00 की वसूली 50-50 प्रतिशत सचिव श्री के0 बी0 सिंह से रु 6000.00 व प्रधान श्री राहुल सिंह से रु. 6000.00 किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए,आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **मूल आ0सं0-4**

29 ग्राम पंचायत-बिरोहा

प्रस्तर सं0-34 आलोच्य ग्राम पंचायत बिरोहा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा/प्रियासाफ्ट ई ग्राम स्वराज पर फ़ीड रेसीट पेमेंट, मासिक कैश बुक व बैंक स्टैट्मन्ट मे अंकित आय - व्यय की धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक ऑफलाइन उपलब्ध नहीं कराये गए। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित आनलाइन कार्यक्रम के अनुसार आलोच्य ग्राम पंचायत के सचिव/ सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) / खंड विकास अधिकारी से आनलाइन इन्टीमैशन, मौखिक तथा टेलिफोनिक वार्ता द्वारा बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। वर्ष 2021-22 मे बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम

पंचायत बिरोहा द्वारा राज्य व केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि का निम्नवत आहरण कर मासिक व्यय किया गया-

प्रियासाफ्ट-ई/ग्राम स्वराज की वेबसाईट पर ऑनलाइन निम्न मुख्य कार्यों का सम्पादन व सापेक्षिक भुगतान रु **1703016-00** दर्शाया गया है-

1-बालक बालिका शौचालय निर्माण-

क्रमसं	**माह**	**व्यय धनराशि राज्य वित्त आयोग रु में**	**व्यय धनराशि केन्द्रीय वित्त आयोग रु में**
1	अप्रैल 2021	00	00
2	मई 2021	51430.00	102190.00
3	जून 2021	5000.00	00
4	जुलाई 2021	00	54000.00
5	अगस्त 2021	30828.00	00
6	सितंबर 2021	00	00
7	अक्टूबर 2021	00	00
8	नवंबर 2021	244575.00	36324.00
9	दिसंबर 2021	95215 00	104235.00
10	जनवरी 2022	3952. 00	00
11	फरवरी 2022	18025.00	00
12	मार्च 2022	344021.00	577353.00
13	योग	828614.00	874402.00
14	महायोग	**रु 1703016.00**	

-2 प्रा0 वि0 चपतुआपुर में बालक शौचालय निर्माण

3-सामुदायिक शौचालय के रखरखाव हेतु स्वयं सहायता समूह को भुगतान

4-पंचायत भवन सुन्दरीकरण व शौचालय निर्माण

5- सामुदायिक शौचालय का सुन्दरीकरण

6-पंचायत सचिवालय में फर्नीचर,कंप्युटर ,सोलर क्रय आदि

7-पूर्व प्रा0 वि0 बिरोहा में कायाकल्प कार्य

8-वाल पेंटिंग कार्य

9-हैन्डपम्प मरम्मत व रिबोर

10-प्रधान व पंचायत सहायक मानदेय

परंतु उक्त ऑनलाइन अंकित / व्यय धनराशि रु. 1703016-00 से सम्बन्धित कोई भी ऑफलाइन अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैश बुक, पासबुक, बिल/ बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र , प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुत, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्तियां व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख आफलाइन प्रस्तुत कर मिलान नहीं कराया गया। किसी भी कार्य का व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा ,जिससे दर्शित किये गये व्यय की जाँच न की जा सकी व समस्त व्यय अपुष्ट रहा । सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण कर जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव मे व्यय की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि-"यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस

धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा"।उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत बिरोहा मे दर्शित व्यय धनराशि रु0 1703016-00 अपहरण/गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी(50-50प्रतिशत) धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती राम देवी से रु 851508-00 व ग्राम पंचायत/विकास सचिव श्री असीम सोनकर से रु 851508-00 के साथ ही पंचायत राज अधिनियम 1947(यथासंसोधित 1994)के नियम 256 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आ0सं0-1

30 ग्राम पंचायत-सुनौढ़ा

प्रस्तर सं0- 35 लेखा परीक्षा मे पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 मे कराये गए निर्माण कार्य ग्राम सुनौढा पी-डब्लू-डी-रोड से रज्जन लाल के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य कराया गया है जिसकी आई-डी- सं- 54478264 व प्राकलित धनराशि रु-3-08लाख व तकनीकी स्वीकृति व वित्तीय स्वीकृति 23/दिनांक 13/12/21 है। पत्रावली मे संलग्न तुलनात्मक विवरण मे प्रथम श्रेणी ईंट हेतु अंकित ब्रिक फील्ड, बिलहौर ब्रिक फील्ड व प्रभु ब्रिक फील्ड की दरों के आधार पर तैयार किया गया है। जिस पर निविदा कमेटी के किसी भी सदस्य के हस्ताक्षर व नाम नहीं है। उक्त तीनों टेंडर दाताओं द्वारा प्रदत्त टेंडर मे न तो हस्ताक्षर पाये गए न ही दरें उल्लिखित पायी गयी। पत्रावली मे संलग्न तुलनात्मक विवरण मे सीमेंट मौरंग बालू जी-एस-वी-व इंटरलॉकिंग ईंट हेतु न्यू दीप ट्रेडेर्स, शुभम ट्रेडर्स व ओम रीतिका ट्रेडर्स की दरों के आधार पर तैयार किया गया है जिस पर निविदा कमेटी के किसी भी सदस्य के हस्ताक्षर व नाम नहीं है । उक्त तीनों टेंडर दाताओं द्वारा प्रदत्त टेंडर मे न तो हस्ताक्षर पाये गए न ही दरें उल्लिखित पायी गयी परंतु प्रभु ब्रिक फील्ड को विल सं 535 दिनांक 11/01/22 रु-9450-00, बिल सं 534 दिनांक 11/01/22 रु-5622-75, बिल सं- 533 दिनांक 10/01/22 रु-18112-50 के सापेक्ष दिनांक 07/02/22 को अनियमित भुगतान किया गया। इंटरलॉकिंग ईंट हेतु चंद्रा ब्रिक इंडस्ट्रीज़ को बिल सं 170 दिनांक 10/01/22 रु160547-40 के सापेक्ष दिनांक 07/02/23को अनियमित भुगतान किया गया है। ओम रीतिका ट्रेडर्स को बिल सं 23 दिनांक 20/12/21 रु-13106-65, बिल सं 22 दिनांक 20/12/21 रु-4992-00, नियमानुसार भुगतान न कर दिनांक 07/02/22 को अनियमित भुगतान किया गया। जो गंभीर अनियमितता है। मस्टररोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर भी संदिग्ध प्रतीत होते हैं। कार्य के साथ कार्य पूर्ति भी संलग्न नहीं है। जिसके लिए पंचायत सचिव श्री प्रशांत बाजपेयी व प्रधान श्रीमती श्यामरानी उत्तरदायी हैं । पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिंदु 2 ब से 2 लाख तक के कार्य की स्वीकृति का अधिकार ग्राम सभा को था इसके ऊपर 2-5 लाख से 5-00 लाख तक कार्य की सीमा की स्वीकृति का अधिकार जिला पंचायत राज अधिकारी व अभियंता जिला पंचायत को था परंतु पंचायत सचिव श्री प्रशांत बाजपेयी व प्रधान श्रीमती श्यामरानी द्वारा कार्ययोजना को अनियमित तरीके से स्वयं स्वीकृत कर अनियमित भुगतान किया गया । नियमानुसार पंचायत सचिव श्री प्रशांत वाजपेयी व प्रधान श्रीमती श्यामरानी से कुल सामग्री की अनियमित भुगतान की गयी धनराशि रु- 211856-00 की वसूली 50-50 प्रतिशत की जानी अपेक्षित है।

मूल आ0सं0-1

प्रस्तर सं0- 36 लेखा परीक्षा मे पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 मे कराये गए निर्माण कार्य ग्राम सुनौदा प्राथमिक विद्यालय सुनौढा मे शौचालय मरम्मत व टाइल्स कार्य कराया गया है जिसकी आई-डी- सं- 55872956 व प्राकलित धनराशि रु-1-51 लाख व तकनीकी स्वीकृति व वित्तीय स्वीकृति 22/दिनांक 18/08/21 है। पत्रावली में संलग्न तुलनात्मक विवरण में प्रथम श्रेणी ईंट हेतु अंकित ब्रिक फील्ड, बिल्हौर ब्रिक फील्ड व प्रभु

ब्रिक फील्ड की दरों के आधार पर तैयार किया गया है जिस पर निविदा कमेटी के किसी भी सदस्य के हस्ताक्षर व नाम नहीं है । उक्त तीनों टेंडर दाताओं द्वारा प्रदत्त टेंडर में न तो हस्ताक्षर पाये गए न ही दरें उल्लिखित पायी गयी। पत्रावली में संलग्न तुलनात्मक विवरण मे दरवाजा, कमोड, डिस्टेम्पर आदि आपूर्ति हेतु प्रभात ट्रेडर्स शुक्ला ट्रेडिंग कंपनी, जितेंद्र कुमार रवि कुमार की दरों के आधार पर तैयार किया गया है जिस पर निविदा कमेटी के किसी भी सदस्य के हस्ताक्षर व नाम नहीं है। उक्त तीनों टेंडर दाताओं द्वारा प्रदत्त टेंडर मे न तो हस्ताक्षर पाये गए न ही दरें उल्लिखित पायी गयी । पत्रावली मे संलग्न तुलनात्मक विवरण में सीमेंट मौरंग बालू- जी-एस-वी- व इंटरलॉकिंग ईंट हेतु शैलेंद्र कुमार शुक्ला, शुभम ट्रेडर्स व ओम रीतिका ट्रेडर्स की दरों के आधार पर तैयार किया गया है जिस पर निविदा कमेटी के किसी भी सदस्य के हस्ताक्षर व नाम नहीं है ।उक्त तीनों टेंडर दाताओं द्वारा प्रदत्त टेंडर में न तो हस्ताक्षर पाये गए न ही दरें उल्लिखित पायी गयी परंतु प्रभु ब्रिक फील्ड को बिल सं. 492 दिनांक 02/12/21 रु-18603-00- । ओम रीतिका ट्रेडर्स को बिल से 16 दिनांक 01/12/21 रु-12176-00, बिल से 15 दिनांक 01/12/21 रु-8320-00, बिल सं 17 दिनांक 01/12/21 रु-3056-00 नियमानुसार भुगतान न कर अनियमित भुगतान किया गया। प्रभात ट्रेडर्स को बिल सं0 75 दिनांक 02/12/21 रु-46318-00, बिल से 76 दिनांक 03/12/21 रु-3000-00 जो गंभीर अनियमितता है। मजदूरी पर रु-13800-00 के व्यय मस्टररोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर भी संदिग्ध प्रतीत होते हैं। कार्य के साथ कार्यपूर्ति भी संलग्न नहीं है । जिसके लिए पंचायत सचिव श्री प्रशांत वाजपेयी व प्रधान श्रीमती श्यामरानी उत्तरदायी हैं। नियमानुसारे पंचायत सचिव श्री प्रशांत बाजपेयी व प्रधान श्रीमती श्यामरानी से कुल सामग्री की अनियमित भुगतान की गयी धनराशि रु-91473-00 की वसूली 50-50 प्रतिशत की जानी अपेक्षित है।

मूल आ0सं0-2

प्रस्तर सं0- 37 लेखा परीक्षा मे पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 मे कराये गए निर्माण कार्य - अजमेर से रसीद तक इंटरलाकिंग कार्य कराया गया है जिसकी आई-डी- सं- 54477761 व प्राकलित धनराशि रु- 1-99 लाख व तकनीकी स्वीकृति व वित्तीय स्वीकृति 19/दिनांक 16/08/21 है। पत्रावली मे संलग्न तुलनात्मक विवरण में इंटरलॉकिंग ईंट व अन्य सामग्री हेतु शैलेंद्र कुमार शुक्ला, शुभम ट्रेडर्स व सिंधु एंटरप्राइसेस की दरों के आधार पर तैयार किया गया है जिस पर निविदा कमेटी के किसी भी सदस्य के हस्ताक्षर व नाम नहीं है। उक्त तीनों टेंडर दाताओं द्वारा प्रदत्त टेंडर मे न तो हस्ताक्षर पाये गए न ही दरें उल्लिखित पायी गयी। सिंधु एंटरप्राइसेस को बिल से 63 अदिनांकित रु-40227-00, बिल सं 64 अदिनांकित रु-103439-00नियमानुसार भुगतान न कर अनियमित भुगतान किया गया। मजदूरी पर रु-43700.00 के व्यय मस्टररोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर भी संदिग्ध प्रतीत होते हैं। कार्य के साथ कार्य पूर्ति भी संलग्न नहीं है। जिसके लिए पंचायत सचिव श्री प्रशांत बाजपेयी व प्रधान श्रीमती श्यामरानी उत्तरदायी हैं । । नियमानुसार पंचायत सचिव श्री प्रशांत बाजपेयी व प्रधान श्रीमती श्यामरानी से कुल सामग्री की अनियमित भुगतान की गयी धनराशि रु-143666-00 की वसूली 50-50 प्रतिशत की जानी अपेक्षित है।

मूल आ0सं0-3

<u>31 ग्राम पंचायत गबडाहा</u>

प्रस्तर सं0-38 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में कराये गए निर्माण कार्य पंचायत भवन परिसर में इंटरलॉकिंग का आई.डी. सं-50097182 व प्राकलित धनराशि रु-2.49 लाख जिसकी तकनीकी स्वीकृति 65/ दिनांक 1/11/21 व वित्तीय स्वीकृति 51/दिनांक/04/12/21 पंचायत भवन परिसर में इंटरलकिंग का अतिरिक्त कार्य आई-डी- सं-56097207 व प्राकलित धनराशि रु 1-99 लाख द्वारा कलाया गया है

जिसकी तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति 23/ दिनांक 11/08/21 को प्रदान कि गयी थी। पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिंदु 2 ब से 2 लाख तक के कार्य की स्वीकृति का अधिकार ग्राम सभा को था इसके ऊपर 2-5 लाख से 5-00 लाख तक कार्य की सीमा की स्वीकृति का अधिकार जिला पंचायत राज अधिकारी व अभियंता जिला पंचायत को था और कार्ययोजना को टुकड़ों में विभाजित न कर संपूर्णता में कराया जाना अपेक्षित था। पत्रावलियों से ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारित धनराशि के अनुसार उच्चाधिकारियों से वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए 2 द्वारा ऐसे प्लान बनाये गए है ताकि इसे 2 लाख की सीमा के अन्दर ही रखा जाये। पंचायत सचिव श्री प्रशांत बाजपेयी व प्रधान श्री घसीटे द्वारा शासनादेश की अवहेलना करते हुए कार्य को दो टुकड़ों में विभाजित कर अतिरिक्त कार्य पहले करा किया गया है जबकि मुख्य कार्य पंचायत भवन परिसर में इंटरलॉकिंग बाद में कराया गया जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है। आई-डी- सं-50097182 में बिल सं. 9 दिनांक 22/11/21 (जबकि वित्तीय स्वीकृति 51 / दिनांक 04/12/21 को प्रदान की गयी थी इसके पूर्व ही दिनांक 22/11/ 21 को सामाग्री प्राप्त कर बिल प्राप्त कर लिया गया) रु-99120-00 (भुगतान 30/12/21) व बिल सं-10 दिनांक 23/11/21 द्वारा रु-92790-00 (भुगतान दिनांक 30/12/21) एवं आई-डी-सं-56097207 बिल सं-7 दिनांक 18/11/21 रु-60427-00 व बिल सं-08 दिनांक 19/11/21 द्वारा रु-94400-00 किया गया। शासनादेश की अवहेलना करते हुए कुल धनराशि रु-346737-00 की सामाग्री का अनियमित भुगतान कर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए पंचायत सचिव श्री प्रशांत बाजपेयी व प्रधान श्री घसीटे उत्तरदायी हैं। नियमानुसार पंचायत सचिव श्री प्रशांत बाजपेयी व प्रधान श्री घसीटे से कुल सामाग्री की अनियमित भुगतान की गयी धनराशि रु-346737-00 की वसूली 50-50 प्रतिशत की जानी अपेक्षित है।

मूल आ0सं0-1

प्रस्तर सं0-39 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में कराये गए निर्माण कार्य जय भारत स्कूल से झलाइया तालाब तक नाली निर्माण कराया गया है जिसकी आई-डी- सं- 50042321 प्राकलित धनराशि रु- 2.75 लाख व तकनीकी स्वीकृति व वित्तीय स्वीकृति 25/दिनांक 13/08/21 है |पत्रावली मे संलग्न तुलनात्मक विवरण में इदरिसी ट्रेडिंग कंपनी में माँ अंबे इंटरप्राइसेस व बी-के-कनस्ट्रकशन एंड इंटरप्राइसेस की दरों के आधार पर न्यूनतम दर के इदरिसी ट्रेडिंग कंपनी की निविदा स्वीकृति की संस्तुति की गयी है परंतु पत्रावली मे किसी भी प्रकार का कार्यादेश संलग्न न होने से कार्यवंटन की पुष्टि नहीं की जा सकी साथ ही इदरिसी ट्रेडिंग कंपनी को नियमानुसार भुगतान न कर बिल नं. 094 दिनांक 6/01/22 से रु-78399-00 व बिल सं-095 दिनांक 6/01/22 से रु-114792-00का भुगतान में अवस्थी ट्रेडर एंड कान्ट्रैक्टर को किया गया है जो गंभीर अनियमितता है। मस्टररोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर भी संदिग्ध प्रतीत होते हैं कार्य के साथ कार्य पूर्ति भी संलग्न नहीं है। जिसके लिए पंचायत सचिव श्री प्रशांत बाजपेयी व प्रधान श्री घसीटे उत्तरदायी हैं। नियमानुसार पंचायत सचिव श्री प्रशांत बाजपेयी व प्रधान श्री घसीटे से कुल सामग्री की अनियमित भुगतान की गयी धनराशि रू-193191-00 की वसूली 50-50 प्रतिशत की जानी अपेक्षित है।

मूल आ0सं0-2

32 ग्राम पंचायत वाजिदपुर

प्रस्तर सं0-40 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में कराये गए निर्माण कार्य प्राथमिक विद्यालय डेरा में दो कमरों से मुम्मत कार्य आई-डी- सं- 50045081 व प्राकलित धनराशि रु- 1-19 लाख द्वारा कराया गया है। जिसकी तकनीकी स्वीकृति व वित्तीय स्वीकृति 22/दिनांक 10/08/21 को प्रदान कि गयी थी पत्रावली में संलग्न तुलनात्मक विवरण में इदरिसी ट्रेडिंग कंपनी, मे.सी/मां मां अंबे इंटरप्राइसेस व वी-के कान्स्ट्रक्शन एंड इंटरप्राइसेस की दरों के आधार पर न्यूनतम दर के इदरिसी ट्रेडिंग कंपनी की निविदा स्वीकृति की संस्तुति की गयी है परंतु पत्रावली में किसी भी प्रकार का कार्यादेश संलग्न न होने से कार्यवंटन की पुष्टि नहीं की जा सकी साथही इदरिसी ट्रेडिंग कंपनी को नियमानुसार भुगतान न कर बिल सं0 151 दिनांक से रु-60468.00 व बिल सं- 152 दिनांक से रु0 20030.00 का भुगतान बंदी माता हार्डवेयर को किया गया है जो गंभीर अनियमितता है कार्य के साथ कार्य पूर्ति भी संलग्र नहीं है । कार्य सेपहले और बाद की फोटो नहीं है मात्र एक

मस्टर रोल लगा है जिससे कुशल व अकुशल श्रमिक का भुगतान रु-39000-00 किया गया है जबकि समरी ऑफ कॉस्ट में मजदूरी भुगतान मे रु. 32624.50 है। भुगतानित राशि रु. 6375-50/- अतिरिक्त है। मस्टररोल पर मजदूरी के हस्ताक्षर भी संदिग्ध प्रतीत होते है। जिसके लिए पंचायत सचिव श्री प्रशांत बाजपेयी व प्रधान श्री घसीटे उत्तरदायी हैं।नियमानुसार पंचायत सचिव श्री प्रशांत बाजपेयी व प्रधान श्री घसीटे से कुल सामाग्री की अनियमित भुगतान की गयी धनराशि रु-86873-50 की वसूली 50-50 प्रतिशत की जानी अपेक्षित है।

मूल आ0सं0-3

32 ग्राम पंचायत वाजिदपुर

प्रस्तर सं0-41 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में कराये गए निर्माण कार्य राम औतार से शिव नारायणतक इंटर लाकिंग कार्य कराया गया है जिसकी आई- डी- सं 56530754 व प्राकलित धनराशि रु-2-43 लाख व तकनीकी स्वीकृति व वित्तीय स्वीकृति 10/दिनांक 17/12/21 है। पत्रावली मे निविदा कर्ता द्वारा दिये गए दरें व टेण्डर फॉर्म नहीं हैं। तुलनात्मक विवरण संलग्न नहीं है व निविदा की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। पत्रावली में किसी भी प्रकार का कार्यादेश संलग्न न होने से कार्यवंटन की पुष्टि नहीं की जा सकी साथ ही मे- शुक्ला ट्रेड्स को बिल सं- 177 अदिनांक से रु-21810-60 व बिल सं- 176 अदिनांक से रु-22863-68 व मे- परी इंटरप्रईसेस का बिल सं07 अदिनांक रु- 141364-00 भुगतान किया गया है जो गंभीर अनियमितता है। मस्टररोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर भी संदिग्ध प्रतीत होते हैं। कार्य के साथ कार्य पूर्ति व कार्य से पहले व बाद के फोटो भी संलग्न नहीं है।प्राक्कलन में ग्राम पंचायत का नाम व कार्य का नाम भी नहीं डाला गया है, जिससे इंगित कार्य के लिए ही प्राक्कलन है की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसके लिए पंचायत सचिव श्री प्रशांत बाजपेयी व प्रधान श्री राम औतार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार पंचायत सचिव श्री प्रशांत बाजपेयी व प्रधान श्री राम औतार से कुल सामाग्री की अनियमित भुगतान की गयी धनराशि रु-234437-00 की वसूली 50-50 प्रतिशत की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 04

5- विकास खंड- भीतरगाँव

33 ग्राम पंचायत- अकबरपुर बरूई

प्रस्तर सं0-42 ग्राम पंचायत अकबरपुरबरूई के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः ग्राम पंचायत अकबरपुरबरूई द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू. 7-58 लाख के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी |समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है | पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू0 7-58 लाख की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सतीश चंद्र एवं तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री सूरज प्रताप से वसूली की अपेक्षा की जाती है |नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

(मूल आ0सं0-1)

34 ग्राम पंचायत अरंजहामी

प्रस्तर सं0-43 ग्राम पंचायत अरंजहामी के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः ग्राम पंचायत अरंजहामी द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू0 193800-00 के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी |समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है | पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू0 193800-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राकेश तथा सचिवग्राम पंचायत

श्री पीयूष से वसूली की अपेक्षा की जाती है | नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

(मूल आ0सं0-1)

35. ग्राम पंचायत असेनिया

प्रस्तर सं0-44 ग्राम पंचायत असेनिया द्वारा आलोच्य अवधि 01-04-2021 से 31-03-2022 तक की लेखा परीक्षा मे (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि I के पंचम राज्य वित्त अनुदान मद से रू.708809-00 का व्यय दर्शित किया गया है | उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टररोल /ट्रांसफर विवरण) , मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूलभूत अभिलेख व सूचनाएँ जैसे :-

- ग्राम पंचायत विकास योजना को नियमानुसार तैयार किए जाने से संबंधित बैठकों व कार्यवाहियों की सम्पूर्ण पत्रावलियाँ ,बैठकों की जारी कार्यवृत्ति एवं बैठकों की फोटोग्राफ ,
- सक्षम स्तर से स्वीकृत /अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना)वार्षिक कार्ययोजना (
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर ,
- नियमानुसार प्रमाणित कोशबही एवं बैंक पासबुक,
- स्वीकृत योजना मानचित्र /आरेख,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ,
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यककोटेशन /टेंडर आमंत्रित करने ,प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ,
- कार्य की माप पुस्तिका ,
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीयदिनांकितफोटोग्राफ
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,
- परिसंपत्ति पंजिका ,
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत असेनिया द्वारा रू0 708809.00 के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी | बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी |

  उक्तानुसार ग्राम पंचायत असेनिया द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी | " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू0 708809.00 में से पचास प्रतिशत धनराशि रू0 354404-50 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्री रमाकांत या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो सेतथा शेष पचास प्रतिशत धनराशि रू0 354404.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा-पं-/वि-अधिकारी) श्री अनुज मिश्रा या अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो,से उक्त के आलोक में जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे, सुसंगत ब्याज सहित

नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है | यह विशेष रूप से संज्ञान में लाया जाता है कि सभी खातों की बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से पंचम राज्य वित्त अनुदान मद से किया गया वास्तविक आहरण ज्ञात न किया जा सका | अतः ग्राम पंचायत असेनिया की ग्राम निधि से किया गया कुल आहरण यदि ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टल मे दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जानी अपेक्षित है |

(मूल आ0सं0-3)

प्रस्तर सं0-45 ग्राम पंचायत असेनिया द्वारा आलोच्य अवधि 01-04-2021 से 31-03-2022 तक मे (ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि I के पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान मद से रुपये 569163-00 का व्यय दर्शित किया गया है |उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टररोल /ट्रांसफर विवरण) , मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख वसूचनाएँ जैसे-

- ग्राम पंचायत विकास योजना को नियमानुसार तैयार किए जाने से संबंधित बैठकों व कार्यवाहियों की सम्पूर्ण पत्रावलियाँ ,बैठकों की जारी कार्यवृत्ति एवं बैठकों की फोटोग्राफ ,
- सक्षम स्तर से स्वीकृत /अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना)वार्षिक कार्ययोजना (
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर ,
- नियमानुसार प्रमाणित कोशबही एवं बैंक पासबुक,
- स्वीकृत योजना मानचित्र /आरेख,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ,
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यककोटेशन /टेंडर आमंत्रित करने ,प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ,
- कार्य की माप पुस्तिका ,
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीयदिनांकितफोटोग्राफ
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,
- परिसंपत्ति पंजिका ,
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत **असेनिया** द्वारा रू.**569163-00 के** दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी |

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत असेनिया द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर8'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी | " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः दर्शित व्यय की

धनराशि रू.569163-00 में से पचास प्रतिशत(50प्रतिशत) धनराशि रू0 284581.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमाकांत व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत(50प्रतिशत) धनराशि रू0 284581.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा-पं-/वि-अधिकारी) श्री अनुज मिश्राया/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो,से उक्त के आलोक में जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे, सुसंगत ब्याज सहित नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है | यह विशेष रूप से संज्ञान में लाया जाता है कि सभी खातों की बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान मद से किया गया वास्तविक आहरण ज्ञात न किया जा सका | अतः ग्राम पंचायत असेनिया की ग्राम निधि से किया गया कुल आहरण यदि ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टलमे दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जानी अपेक्षित है |

(मूल आ0सं0-1)

प्रस्तर सं0-46 ग्राम पंचायत **असेनिया** के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख **लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः** ग्राम पंचायत **असेनिया** द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू.**531216-00 के** दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी |समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है |पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू.**531216-00** की सुसंगत ब्याज समस्तउत्तरदायी व्यक्तियों **ग्राम प्रधान श्री** रमाकान्त **तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री** अनुज मिश्रा **से वसूली की अपेक्षा की जाती है** | से वसूली की अपेक्षा की जाती है | नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

(मूल आ0सं0-2)

36 ग्राम पंचायत - करचुलीपुर

प्रस्तर सं0-47 ग्राम पंचायत करचुलीपुर के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः ग्राम पंचायत करचुलीपुर द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू. 678770-00 के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी | समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है | पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू. 678770-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधानश्री मलखान तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री सूरज प्रताप **से वसूली की अपेक्षा की जाती है** |**नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों** के संज्ञान में लाया जाता है |

(मूल आपत्ति संख्या -1)

37 ग्राम पंचायत कुढ़नी

प्रस्तर सं0-48 ग्राम पंचायत कुढ़नी के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः ग्राम पंचायत कुढ़नी द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू. 887895-00 के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी |

समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है | पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू. 887895-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधानसुश्री रामसखीतथा सचिवग्राम पंचायत श्री पीयूषसे वसूली की अपेक्षा की जाती है |नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

(मूल आपत्ति संख्या -1)

38 ग्राम पंचायत गोपालपुर नर्वल

प्रस्तर सं0-49 पंचायत गोपालपुरनर्वल के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः ग्राम पंचायत गोपालपुरनर्वल द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीयविवरण पर रू. 718861-66 के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी |समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है | पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू. 718861-66 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री बृजेन्द्र सिंह तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री सूरज प्रताप सिंह **से वसूली की अपेक्षा की जाती है |नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों** के संज्ञान में लाया जाता है |

(मूल आपत्ति संख्या-1)

39 ग्राम पंचायत- गौरी ककरा

प्रस्तर सं0-50 ग्राम पंचायत गौरी ककरा के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः ग्राम पंचायत गौरी ककरा द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू. 218896-00 के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी |समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है | पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू. 218896-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान कौशल किशोर तथा सचिवग्राम पंचायत श्री शौरभ **से वसूली की अपेक्षा की जाती है |नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है|**

(मूल आपत्ति संख्या -1)

40 ग्राम पंचायत- चतुरीपुरवा

प्रस्तर सं0-51 **ग्राम पंचायत चतुरीपुरवा के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः ग्रामपंचायत चतुरीपुरवा द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू. 256428-00 के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी |समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है | पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू. 256428-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों** ग्राम प्रधान श्री ज्ञान प्रकाश तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री कृष्ण गोपाल दीक्षित **से वसूली की अपेक्षा की जाती है |नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है|**

(मूल आपत्ति संख्या -10)

41 ग्राम पंचायत- तिवारीपुर साढ़

प्रस्तर सं0-52 ग्राम पंचायत तिवारीपुर साढ़ कीगत वर्ष 2020-2021 की प्रमाणित कोष बही के अनुसार गत वर्ष 2020-2021 वर्षांत में संस्था के पास बैंक में अवशेष कुल धनराश2340556-57 (केन्द्रीय वित्त खाते में रू. 1129027-

00 + राज्य वित्त खाते में रू. 1211529-57) दर्शित है | संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष 2021-2022 की कोश बही में दिनांक 01-04-2021 को संस्था के पास बैंक में अवशेष कुल प्रारम्भिक धनराशिरू. 2104564-57 (केन्द्रीय वित्त खाते में रू. 1129027-00 + राज्य वित्त खाते में रू. 975537-57) दर्शित है | इस प्रकार संस्था के पास बैंक में अवशेष कुल धनराशि में गत वर्ष 2020-2021 के वर्षांत अवशेष दिनांक 31-03-2021 तथा आलोच्य वर्ष 2021-2022 के प्रारम्भिक अवशेष दिनांक 01-04-2021 के मध्य रू. 235992-00 (राज्य वित्त खाते) का अंतर प्रकाश में आया | संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में अंतर की धनराशि रू. 235992-00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री सुरेन्द्र गौतम व तत्कालीन प्रशासक से करायी जानी अपेक्षित है |

(मूल आपत्ति संख्या -10)

42 ग्राम पंचायत- तेलियावर

प्रस्तर सं0-53 ग्राम पंचायत तेलियावर के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः ग्राम पंचायत तेलियावर द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू. 429786-00 के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी | समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है | पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू. 429786-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों **ग्राम प्रधानश्री राजेश कुमार तथा सचिवग्राम पंचायत श्री जगभान** से वसूली की अपेक्षा की जाती है | नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

(मूल आपत्ति संख्या -1)

43 ग्राम पंचायत- देवपुरा

प्रस्तर सं0-54 ग्राम पंचायत देवपुरा के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः ग्राम पंचायत देवपुरा द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण)फइनेंसियल स्टेटमेंट) पर रू. 282885-00 के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी | समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है | पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू. 282885-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों **ग्राम प्रधानसुश्री संगीतातथा सचिवग्राम पंचायत श्री सूरज प्रताप** से वसूली की अपेक्षा की जाती है | नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

(मूल आपत्ति संख्या -1)

44 ग्राम पंचायत- पालपुर

प्रस्तर सं0-55 ग्राम पंचायत **पालपुर** द्वारा आलोच्य अवधि **01-04-2021से 31-03-2022तक** मे)ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार (**ग्राम निधि । के पंचम राज्य वित्त अनुदान मद से**रू.**478871-00** का व्यय दर्शित किया गया है | उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति) बिल /मस्टररोल /ट्रांसफर विवरण (, मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्तीमूल भूत अभिलेख व सूचनाएँ जैसे -:

- ग्राम पंचायत विकास योजना को नियमानुसार तैयार किए जाने से संबंधित बैठकों व कार्यवाहियों की सम्पूर्ण पत्रावलियाँ ,बैठकों की जारी कार्यवृत्ति एवं बैठकों की फोटोग्राफ ,
- सक्षम स्तर से स्वीकृत /अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना)वार्षिक कार्ययोजना (
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर ,
- नियमानुसार प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक**,

- स्वीकृत योजना मानचित्र /आरेख,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक **स्वीकृति की पत्रावलियाँ**,
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यककोटेशन /टैंडर **आमंत्रित करने ,प्राप्त होने व स्वीकृत करने की** प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ,
- कार्य की माप पुस्तिका ,
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीयदिनांकितफोटोग्राफ
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,
- परिसंपत्ति पंजिका ,

- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत **पालपुर** द्वारा रू.**478871-00 के** दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी |

| उक्तानुसार ग्राम पंचायत पालपुर द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये"के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर8'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी | " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू0 478871-00 में से पचास प्रतिशत(50प्रतिशत) धनराशि रू.239435-50 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्री वीरेंद्र सिंह यादव अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो सेतथा शेष पचास प्रतिशत(50प्रतिशत) धनराशिसचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा-पं-/वि-अधिकारी) श्री जगभान सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यरू.239435-50 य के लिए अधिकृत रहा/रहे हो,से उक्त के आलोक में जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे, सुसंगत ब्याज सहित नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है | यह विशेष रूप से संज्ञान में लाया जाता है कि सभी खातों की बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से पंचम राज्य वित्त अनुदान मदसे किया गया वास्तविक आहरण ज्ञात न किया जा सका | अतः ग्राम पंचायत पालपुर की ग्राम निधि से किया गया कुल आहरण यदि ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टलमे दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जानी अपेक्षित है

(मूल आपत्ति संख्या -1)

प्रस्तर सं0-56 ग्राम पंचायत **पालपुर** द्वारा आलोच्य अवधि **01-04-2021से तक 31-03-2022**मे ई ग्राम) स्वराज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि। के **पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान**मद से रुपये **470937-00** का व्यय दर्शित किया गया है | उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टररोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्तीमूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- ग्राम पंचायत विकास योजना को नियमानुसार तैयार किए जाने से संबंधित बैठकों व कार्यवाहियों की सम्पूर्ण पत्रावलियाँ ,बैठकों की जारी कार्यवृत्ति एवं बैठकों की फोटोग्राफ ,
- सक्षम स्तर से स्वीकृत /अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना)वार्षिक कार्ययोजना (

- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर ,
- नियमानुसार प्रमाणित कोशबही एवं बैंक पासबुक,
- स्वीकृत योजना मानचित्र /आरेख,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ,
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यककोटेशन /टैंडर आमंत्रित करने ,प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ,
- कार्य की माप पुस्तिका ,
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीयदिनांकितफोटोग्राफ
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,
- परिसंपत्ति पंजिका ,
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत **पालपुर** द्वारा रू.**470937-00 के** दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी |

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत **पालपुर** द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के" विपरीत उक्तलेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर8'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी| " **के अंतर्गत अधिभार योग्य है |** अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू.**470937-00** में से पचास प्रतिशत50)प्रतिशत(धनराशि **रू. 235468.50 तत्कालीनग्राम प्रधान श्री वीरेंद्र सिंह** याव अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो/ सेतथा शेष पचास प्रतिशत50)प्रतिशत(धनराशि **रू. 235468.50) सचिव- ग्राम पंचायत ग्रा- (पं-/वि-अधिकारीश्री जगभान सिंह**याव अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो/,से उक्त के आलोक में जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे, सुसंगत ब्याज सहित नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है |**यह विशेष रूप से संज्ञान में लाया जाता है कि** सभी खातों की बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से **पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान** मद से किया गया वास्तविक आहरण ज्ञात न किया जा सका अतः ग्राम पंचायत |**पालपुर** की ग्राम निधि से किया गया कुल आहरण यदि ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टलमे दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जानी अपेक्षित है |

(मूल आपत्ति संख्या -01)

प्रस्तर सं0-57 -ग्राम पंचायत **पालपुर** के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख **लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः** ग्राम पंचायत **पालपुर** द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू.**779764-00 के** दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी |समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है |पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू.**779764-00**की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों **ग्राम प्रधान श्री वीरेंद्र सिंह तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री जगभान**

सिंह से वसूली की अपेक्षा की जाती है |से वसूली की अपेक्षा की जाती है | नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

(मूल आपत्ति संख्या -02)

45 ग्राम पंचायत- बरी महतैन

प्रस्तर सं0-58 ग्राम पंचायत बरी महतैन के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः ग्राम पंचायत बरी महतैन द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू. 669627-00 के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी |समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है | पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू. 669627-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधानसुश्री रीता तथा सचिवग्राम पंचायत श्री कृष्ण गोपाल**से वसूली की अपेक्षा की जाती है |नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है**|

46 ग्राम पंचायत- बारीगाँव **(मूल आपत्ति संख्या -1**

प्रस्तर सं0-59 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि 01-04-2021 से 31-03-2022 तक मे) ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि (I के पंचम राज्य वित्त अनुदान मद से रू. 1124023-00 का व्यय दर्शित किया गया है |उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति /बिल) (ट्रांसफर विवरण/ मस्टररोल, मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यकसहवर्ती मूलभूत अभिलेख व सूचनाएँ जैसे -:

- ग्राम पंचायत विकास योजना को नियमानुसार तैयार किए जाने से संबंधित बैठकों व कार्यवाहियों की सम्पूर्ण पत्रावलियाँ, बैठकों की जारी कार्यवृत्ति एवं बैठकों की फोटोग्राफ,
- सक्षम स्तर से स्वीकृत अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)/
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर ,
- नियमानुसार प्रमाणित कोशबही एवं बैंक पासबुक,
- स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख/,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ,
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यककोटेशन टेंडर आमंत्रित करने /, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ,
- कार्य की माप पुस्तिका ,
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीयदिनांकितफोटोग्राफ
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,
- परिसंपत्ति पंजिका ,
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत बारीगाँव द्वारा रू. 1124023-00 के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी |

उक्तानुसार ग्राम पंचायत बारीगाँव द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये "के

विपरीत उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी |" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू. 1124023-00 में से पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रू. 562011-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान सुश्री रश्मि यादव अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रह/रहे हो से/ तथा शेष पचास प्रतिशत (50 प्रतिशत) धनराशि रू. 562011-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा-पं-/वि-अधिकारी) श्री अमित द्विवेदी या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से उक्त के आलोक में जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे, सुसंगत ब्याज सहित नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है | यह विशेष रूप से संज्ञान में लाया जाता है कि सभी खातों की बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से पंचम राज्य वित्त अनुदान मद से किया गया वास्तविक आहरण ज्ञात न किया जा सका | अतः ग्राम पंचायत बारीगाँव की ग्राम निधि से किया गया कुल आहरण यदि ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टलमे दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जानी अपेक्षित है |

(मूल आपत्ति संख्या - 03)

प्रस्तर सं0-60 ग्राम पंचायत बारीगाँव द्वारा आलोच्य अवधि 01-04-2021 से 31-03-2022 तक मे ई ग्राम) स्वराज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार (ग्राम निधि I के पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान मद से रुपये 708989-00 का व्यय दर्शित किया गया है | उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (ट्रांसफर विवरण/ मस्टररोल /बिल), मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यकसहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- ग्राम पंचायत विकास योजना को नियमानुसार तैयार किए जाने से संबंधित बैठकों व कार्यवाहियों की सम्पूर्ण पत्रावलियाँ, बैठकों की जारी कार्यवृत्ति एवं बैठकों की फोटोग्राफ,
- सक्षम स्तर से स्वीकृत अनुमोदित ग्राम/पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर ,
- नियमानुसार प्रमाणित कोशबही एवं बैंक पासबुक,
- स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख/,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ,
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यककोटेशन टेंडर आमंत्रित करने /, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ,
- कार्य की माप पुस्तिका ,
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीयदिनांकितफोटोग्राफ
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,
- परिसंपत्ति पंजिका ,
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत बारीगाँव द्वारा रू. 708989-00 के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी |

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत बारीगाँव द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों' में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय8 के प्रस्तर7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम " पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित

समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय"8 के प्रस्तर8 'क यह कि यदि ' दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी-| " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू. 708989-00 में से पचास प्रतिशत)50प्रतिशत) धनराशि रू. 354494-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान सुश्री रश्मि याव अन्य सभी जो त/त्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा रहे हो से/) तथा शेष पचास प्रतिशत50प्रतिशत) धनराशि रू. 354494-50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा-पं-/वि-अधिकारी) श्री - अमित द्विवेदी याव अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो/, से उक्त के आलोक में जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे, सुसंगत ब्याज सहित नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है | यह विशेष रूप से संज्ञान में लाया जाता है कि सभी खातों की बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान मद से किया गया वास्तविक आहरण ज्ञात न किया जा सका | अतः ग्राम पंचायत बारीगाँव की ग्राम निधि से किया गया कुल आहरण यदि ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टल मे दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जानी अपेक्षित है |

(मूल आपत्ति संख्या - 01)

प्रस्तर सं0-61 ग्राम पंचायत बारीगाँव द्वारा आलोच्य अवधि 01-04-2021 से 31-03-2022 तक मे ई ग्राम) स्वराज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोडप्रविष्टियों के अनुसार (ग्राम निधि I के चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान मद से रू. 52164-00 का व्यय दर्शित किया गया है | उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (ट्रांसफर विवरण/ मस्टररोल /बिल), मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यकसहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- ग्राम पंचायत विकास योजना को नियमानुसार तैयार किए जाने से संबंधित बैठकों व कार्यवाहियों की सम्पूर्ण पत्रावलियाँ, बैठकों की जारी कार्यवृत्ति एवं बैठकों की फोटोग्राफ,
- सक्षम स्तर से स्वीकृत अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)/
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर ,
- नियमानुसार प्रमाणित कोशबही एवं बैंक पासबुक,
- स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख/,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ,
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यककोटेशन टेंडर आमंत्रित करने /, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ,
- कार्य की माप पुस्तिका ,
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीयदिनांकितफोटोग्राफ
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,
- परिसंपत्ति पंजिका ,
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत बारीगाँव द्वारा रू. 52164-00 के दर्शित व्यय की नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी |

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत बारीगाँव द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं' लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय8 के प्रस्तर7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह " संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्धकराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय"8 के प्रस्तर8 'क यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के '

संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी| " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू. 52164-00 में से पचास प्रतिशत)50प्रतिशत) धनराशि रू. 26082-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान सुश्री रश्मि या व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से/) तथा शेष पचास प्रतिशत50प्रतिशत) धनराशि रू. 26082-00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा-पं-/वि-अधिकारी) श्री - अमित द्विवेदी याव अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो/, से उक्त के आलोक में जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे, सुसंगत ब्याज सहित नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है | यह विशेष रूप से संज्ञान में लाया जाता है कि सभी खातों की बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से चौदहवांकेन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान मद से किया गया वास्तविक आहरण ज्ञात न किया जा सका | अतः ग्राम पंचायत बारीगाँव की ग्राम निधि से किया गया कुल आहरण यदि ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टलमे दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जानी अपेक्षित है |

(मूल आपत्ति संख्या - 05)

प्रस्तर सं0-62 ग्राम पंचायत बारीगाँव द्वारा आलोच्य अवधि 01-04-2021 से 31-03-2022 तक मे ई ग्राम) (स्वराज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि I के चतुर्थ राज्य वित्त अनुदान मद से रू. 97106-00 का व्यय दर्शित किया गया है | उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टररोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यकसहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- ग्राम पंचायत विकास योजना को नियमानुसार तैयार किए जाने से संबंधित बैठकों व कार्यवाहियों की सम्पूर्ण पत्रावलियाँ, बैठकों की जारी कार्यवृत्ति एवं बैठकों की फोटोग्राफ,
- सक्षम स्तर से स्वीकृत अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)/
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर ,
- नियमानुसार प्रमाणित कोशबही एवं बैंक पासबुक,
- स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख/,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ,
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यककोटेशन टेंडर आमंत्रित करने /, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ,
- कार्य की माप पुस्तिका ,
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीयदिनांकितफोटोग्राफ
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,
- परिसंपत्ति पंजिका ,
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत बारीगाँव द्वारा रू. 97106-00 के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी |

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत बारीगाँव द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय '8 के प्रस्तर यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम " पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये "के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय '8 के प्रस्तर8 'क यह कि यदि '

दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी| " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू. 97106-00 में से पचास प्रतिशत)50प्रतिशत) धनराशि रू. 48553-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान सुश्री रश्मि या व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से/) तथा शेष पचास प्रतिशत50प्रतिशत) धनराशि रू. 48553-00 सचिव -ग्राम पंचायत (ग्रा-पं-/वि-अधिकारी) श्री अमित द्विवेदी याव अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो/, से उक्त के आलोक में जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे, सुसंगत ब्याज सहित नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है | यह विशेष रूप से संज्ञान में लाया जाता है कि सभी खातों की बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से चतुर्थ राज्य वित्त अनुदान मद से किया गया वास्तविक आहरण ज्ञात न किया जा सका | अतः ग्राम पंचायत बारीगाँव की ग्राम निधि से किया गया कुल आहरण यदि ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टल मे दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जानी अपेक्षित है |

(मूल आपत्ति संख्या - 04)

प्रस्तर सं0-63 ग्राम पंचायत बारीगाँव के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः ग्राम पंचायत बारीगाँव द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू. 6-2 लाख के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी | समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है | पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू. 6-2 लाख की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों **ग्राम प्रधान सुश्री** रश्मि **तथा सचिवग्राम पंचायत** श्री अमित द्विवेदी **से वसूली की अपेक्षा की जाती है** | नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

(मूल आपत्ति संख्या - 02)

47 ग्राम पंचायत- बेरीखेड़ा

प्रस्तर सं0-64 ग्राम पंचायत बेरीखेड़ा के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः ग्राम पंचायत बेरीखेड़ा द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू. 382948-00 के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी | समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है | पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू. 382948-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधानगीता देवी तथा सचिवग्राम पंचायतश्री ओम नारायन,श्री पुष्पेंद्र सिंह , श्री अर्पित अवस्थीसे **वसूली की अपेक्षा की जाती है | नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है|**

(मूल आपत्ति संख्या -10

48ग्राम पंचायत- मोहम्मदपुर नर्वल

प्रस्तर सं0-65 ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर नर्वल के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर नर्वल द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण

पर रू. 526461-00 के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी | समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है | पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू. 526461-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधानसुश्री सुनीता तथा सचिवग्राम पंचायत श्री सूरज प्रतापसे **वसूली की अपेक्षा की जाती है | नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है|**

(मूल आपत्ति संख्या -1

49 ग्राम पंचायत- वीरनखेड़ा

प्रस्तर सं0-66 ग्राम पंचायत वीरनखेड़ा के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः ग्राम पंचायत वीरनखेड़ा द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू. 279072-00 के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी | समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है | पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू. 279072-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधानशिवदेवीतथासचिवग्राम पंचायत श्री पीयूषसे वसूली की अपेक्षा की जाती है | नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

(मूल आपत्ति संख्या -1

50 ग्राम पंचायत- बिरसिंहपुर

प्रस्तर सं0-67 ग्राम पंचायत बिरसिंहपुर द्वारा आलोच्य अवधि 01-04-2021से 31-03-2022तक मे)ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार (ग्राम निधि । के पंचम राज्य वित्त अनुदान मद से रू.353250-00 का व्यय दर्शित किया गया है | उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति)बिल /मस्टररोल/ ट्रांसफर विवरण (, मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्तीमूल भूत अभिलेख व सूचनाएँ जैसे -:

- ग्राम पंचायत विकास योजना को नियमानुसार तैयार किए जाने से संबंधित बैठकों व कार्यवाहियों की सम्पूर्ण पत्रावलियाँ ,बैठकों की जारी कार्यवृत्ति एवं बैठकों की फोटोग्राफ ,
- सक्षम स्तर से स्वीकृत /अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना)वार्षिक कार्ययोजना (
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर ,
- नियमानुसार प्रमाणित कोशबही एवं बैंक पासबुक,
- स्वीकृत योजना मानचित्र /आरेख,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ,
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यककोटेशन /टेंडर आमंत्रित करने ,प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ,
- कार्य की माप पुस्तिका ,
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीयदिनांकितफोटोग्राफ
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,
- परिसंपत्ति पंजिका ,
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत बिरसिंहपुर द्वारा रू.353250-00 के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी उक्तानुसार ग्राम पंचायत बिरसिंहपुर

द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये"के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर8'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी | " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू.353250-00 में से पचास प्रतिशत(50प्रतिशत) धनराशि रू. 176625.00 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्री विश्वदीप या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो सेतथा शेष पचास प्रतिशत(50प्रतिशत) धनराशि रू. 176625.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा-पं-/वि-अधिकारी) श्री अमित द्विवेदी या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो,से उक्त के आलोक में जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे, सुसंगत ब्याज सहित नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है | यह विशेष रूप से संज्ञान में लाया जाता है कि सभी खातों की बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से पंचम राज्य वित्त अनुदान मद से किया गया वास्तविक आहरण ज्ञात न किया जा सका अतः ग्राम पंचायत बिरसिंहपुर की ग्राम निधि से किया गया कुल आहरण यदि ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टलमे दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जानी अपेक्षित है | |

(मूल आपत्ति संख्या -05)

प्रस्तर सं0-68 ग्राम पंचायत बिरसिंहपुर द्वारा आलोच्य अवधि 01-04-2021से 31-03-2022 तक मे (ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि। के पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान मद से रुपये 725954-00 का व्यय दर्शित किया गया है | उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टररोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्तीमूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- ग्राम पंचायत विकास योजना को नियमानुसार तैयार किए जाने से संबंधित बैठकों व कार्यवाहियों की सम्पूर्ण पत्रावलियाँ ,बैठकों की जारी कार्यवृत्ति एवं बैठकों की फोटोग्राफ ,
- सक्षम स्तर से स्वीकृत /अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना)वार्षिक कार्ययोजना (
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर ,
- नियमानुसार प्रमाणित कोशबही एवं बैंक पासबुक,
- स्वीकृत योजना मानचित्र /आरेख,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ,
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन /टैंडर आमंत्रित करने ,प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ,
- कार्य की माप पुस्तिका ,
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राफ

- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,
- परिसंपत्ति पंजिका ,
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत बिरसिंहपुर द्वारा रू.725954-00 के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी |

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत बिरसिंहपुर द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के" विपरीत उक्तलेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर8'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी| के अंतर्गत अधिभार योग्य है " | अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू.725954-00 में से पचास प्रतिशत50)प्रतिशत(धनराशि रू. 362977-00 तत्कालीनग्राम प्रधान श्री विश्वदीप याव अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो/ सेतथा शेष पचास प्रतिशत50)प्रतिशत(धनराशि रू.) सचिव- ग्राम पंचायत 362977-00ग्रा- (पं-/वि-अधिकारीश्री अमित द्विवेदी याव अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय क/े लिए अधिकृत रहारहे हो/,से उक्त के आलोक में जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे, सुसंगत ब्याज सहित नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है यह विशेष रूप से संज्ञान में लाया जाता |है कि सभी खातों की बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान मद से किया गया वास्तविक आहरण ज्ञात न किया जा सका | अतः ग्राम पंचायत बिरसिंहपुर की ग्राम निधि से किया गया कुल आहरण यदि ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टलमे दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जानी अपेक्षित है |

(मूल आपत्ति संख्या -02)

प्रस्तर सं0-69 ग्राम पंचायत बिरसिंहपुर द्वारा आलोच्य अवधि 01-04-2021से) तक मे 31-03-2022 ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि। के चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान मद से रू.2000-00 का व्यय दर्शित किया गया है | उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टररोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्तीमूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- ग्राम पंचायत विकास योजना को नियमानुसार तैयार किए जाने से संबंधित बैठकों व कार्यवाहियों की सम्पूर्ण पत्रावलियाँ , बैठकों की जारी कार्यवृत्ति एवं बैठकों की फोटोग्राफ ,
- सक्षम स्तर से स्वीकृत /अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना)वार्षिक कार्ययोजना (
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर ,
- नियमानुसार प्रमाणित कोशबही एवं बैंक पासबुक,
- स्वीकृत योजना मानचित्र /आरेख,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ,
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन /टैंडर आमंत्रित करने ,प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ,

- कार्य की माप पुस्तिका ,
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राफ
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,
- परिसंपत्ति पंजिका , उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत बिरसिंहपुर (द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये"के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर8'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी | " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू.2000-00 में से पचास प्रतिशत(50प्रतिशत) धनराशि रू.1000-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विश्वदीप या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो सेतथा शेष पचास प्रतिशत(50प्रतिशत) धनराशि रू.1000-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा-पं-/वि-अधिकारी) श्री अमित द्विवेदी या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो,से उक्त के आलोक में जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे, सुसंगत ब्याज सहित नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता हैयह विशेष रूप से संज्ञान में लाया जाता है कि सभी खातों की बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान मद से किया गया वास्तविक आहरण ज्ञात न किया जा सका | अतः ग्राम पंचायत बिरसिंहपुर की ग्राम निधि से किया गया कुल आहरण यदि ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टलमे दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जानी अपेक्षित है |
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत बिरसिंहपुर द्वारा रू.2000-00 के दर्शित व्यय की नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी |

(मूल आपत्ति संख्या - 07)

प्रस्तर सं0-70 ग्राम पंचायत बिरसिंहपुर द्वारा आलोच्य अवधि 01-04-2021से तक मे (ई 31-03-2022 ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि। के चतुर्थ राज्य वित्त अनुदान मद से रू.36719-00 का व्यय दर्शित किया गया है | उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टररोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्तीमूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- ग्राम पंचायत विकास योजना को नियमानुसार तैयार किए जाने से संबंधित बैठकों व कार्यवाहियों की सम्पूर्ण पत्रावलियाँ ,बैठकों की जारी कार्यवृत्ति एवं बैठकों की फोटोग्राफ ,
- सक्षम स्तर से स्वीकृत /अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना)वार्षिक कार्ययोजना (
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर ,
- नियमानुसार प्रमाणित कोशबही एवं बैंक पासबुक,
- स्वीकृत योजना मानचित्र /आरेख,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ,

- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन /टेंडर आमंत्रित करने ,प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ,
- कार्य की माप पुस्तिका ,
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राफ
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,
- परिसंपत्ति पंजिका ,
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत बिरसिंहपुर द्वारा रू.36719-00 के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी |
- उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत बिरसिंहपुर द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये"के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर8'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी | " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू.36719-00 में से पचास प्रतिशत(50प्रतिशत) धनराशि रू.18359-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विश्वदीप या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो सेतथा शेष पचास प्रतिशत(50प्रतिशत) धनराशि रू.18359-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा-पं-/वि-अधिकारी) श्री अमित द्विवेदी या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो,से उक्त के आलोक में जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे, सुसंगत ब्याज सहित नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है | यह विशेष रूप से संज्ञान में लाया जाता है कि सभी खातों की बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से चतुर्थ राज्य वित्त अनुदान मद से किया गया वास्तविक आहरण ज्ञात न किया जा सका | अतः ग्राम पंचायत बिरसिंहपुर की ग्राम निधि से किया गया कुल आहरण यदि ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टलमे दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जानी अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या-6

प्रस्तर सं0-71 ग्राम पंचायत बिरसिंहपुर के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः ग्राम पंचायत बिरसिंहपुर द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू.333624-00 के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी |समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में | रू.333624-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री विश्वनाथ तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री अमित द्विवेदी से वसूली की अपेक्षा की जाती है | नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है | **मूल आपत्ति संख्या-4**

51 ग्राम पंचायत शाह

प्रस्तर सं0-72 ग्राम पंचायत शाह के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः ग्राम पंचायत शाह द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू. 508434-00 के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी |समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है | पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू. 508434-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों **ग्राम प्रधान श्री श्री कमलेश तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री पीयूष** से वसूली की अपेक्षा की जाती है |नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

(मूल आपत्ति संख्या -1(

52 ग्राम पंचायत शाहपुर

प्रस्तर सं0-73आलोच्य अवधि मे ग्राम पंचायत शाहपुर द्वारा कैशबुक से दिनांक 11-01-2022 को मस्टर रोल के सापेक्ष निम्नानुसार धनराशि खारिज की गयी है -

दिनांक	धनराशि
11-01-2022	4800-00
11-01-2022	4800-00
11-01-2022	4800-00
11-01-2022	4800-00
11-01-2022	4800-00
योग	24000-00

उक्त कुल भुगतान के सापेक्ष मस्टररोल व सहवर्ती अभिलेख लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं रहे जिससे उक्त व्यय की पुष्टि न की जा सकी |अतः उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर8 'क' के अंतर्गत अधिभार योग्य है |अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू. 24000-00 में से पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रू. 12000-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री धनराज या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रू. 12000-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा-पं-/वि-अधिकारी) श्री अर्पित अवस्थी या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे, सुसंगत ब्याज सहित नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है |

(मूल आपत्ति संख्या -11(

प्रस्तर सं0-74 ग्रामपंचायत शाहपुर के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः ग्राम पंचायत शाहपुर द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू. 13-42 लाख के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी |समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है | पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू. 13-42 लाख की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधानश्री धनराजतथा सचिवग्राम पंचायत, श्री ओम नारायन,श्री पुष्पेंद्र, श्री अर्पित अवस्थी**से वसूली की अपेक्षा की जाती है |नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है**|

53 ग्राम पंचायत- सिकहुला

प्रस्तर सं0-75 ग्राम पंचायत सिकहुला द्वारा आलोच्य अवधि 01-04-2021से 31-03-2022तक की मात्र कैशबुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी किन्तु संबंधित बैंक खातों की पासबुक /बैंक स्टैट्मन्ट प्रस्तुत न रहने से कैशबुक का मिलान न किया जा सका |

ग्राम पंचायत सिकहुला द्वारा आलोच्य अवधि 01-04-2021से तक में ई ग्राम स्वराज पर 31-03-2022 अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि

। केपंचम राज्य वित्त अनुदान मद से रू.855022-00 का व्यय दर्शित किया गया है | उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों

की मूल प्रति / बिल/ मस्टर रोल)ट्रांसफर विवरण (, मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्तीमूलभूत अभिलेख व सूचनाएँ जैसे -:

- ग्राम पंचायत विकास योजना को नियमानुसार तैयार किए जाने से संबंधित बैठकों व कार्यवाहियों की सम्पूर्ण पत्रावलियाँ ,बैठकों की जारी कार्यवृत्ति एवं बैठकों की फोटोग्राफ ,
- सक्षम स्तर से स्वीकृत /अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना)वार्षिक कार्ययोजना (
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर ,
- नियमानुसार प्रमाणित बैंक पासबुक ,
- स्वीकृत योजना मानचित्र /आरेख,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ ,
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन /टैंडर आमंत्रित करने ,प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ
- कार्य की माप पुस्तिका ,
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राफ
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,
- परिसंपत्ति पंजिका ,
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत सिकहुला द्वारा रू.855022-00 के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी |
- उक्तानुसार ग्राम पंचायत सिकहुला द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये"के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय8 के प्रस्तर 8'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी | " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू.855022-00 में से पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रू. 427511-00 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्री रामसागर या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो सेतथा शेष पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रू. 427511-00 सचिव-ग्राम पंचायत (ग्रा-पं-/वि-अधिकारी) श्री अनुज मिश्रा या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के

लिए अधिकृत रहा/रहे हो,से उक्त के आलोक में जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे , सुसंगत ब्याज सहित नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है | यह विशेष रूप से संज्ञान में लाया जाता है कि सभी खातों की बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से पंचम राज्य वित्त अनुदान मद से किया गया वास्तविक आहरण ज्ञात न किया जा सका | अतः ग्राम पंचायत सिकहुला की ग्राम निधि से किया गया कुल आहरण यदि ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टल मे दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जानी अपेक्षित है |

(मूल आपत्ति संख्या -3)

प्रस्तर सं076 -ग्राम पंचायत सिकहुला द्वारा आलोच्य अवधि 01-04-2021से तक की मात्र 31-03-2022 कैशबुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी किन्तु संबंधित बैंक खातों की पासबुक / बैंक स्टैट्मन्ट प्रस्तुत न रहने | से कैशबुक का मिलान न किया जा सका

ग्राम पंचायत सिकहुला द्वारा आलोच्य अवधि से 31-03-2022 तक में ई ग्राम स्वराज 01-04-2021 ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि। के पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान मद से रुपये 386895-00 का व्यय दर्शित किया गया है | उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्तीमूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- ग्राम पंचायत विकास योजना को नियमानुसार तैयार किए जाने से संबंधित बैठकों व कार्यवाहियों की सम्पूर्ण पत्रावलियाँ ,बैठकों की जारी कार्यवृत्ति एवं बैठकों की फोटोग्राफ ,
- सक्षम स्तर से स्वीकृत /अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना)वार्षिक कार्ययोजना (
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर ,
- नियमानुसार प्रमाणित बैंक पासबुक ,
- स्वीकृत योजना मानचित्र /आरेख,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ ,
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन /टैंडर आमंत्रित करने ,प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ
- कार्य की माप पुस्तिका ,
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राफ
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,
- परिसंपत्ति पंजिका ,
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत सिकहुला द्वारा रू.386895-00 के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी |
- उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत सिकहुला द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये"के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क'

यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी | " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू.386895-00 में से पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रू. 193447-50 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्री रामसागर या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो सेतथा शेष पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रू. 193447-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा-पं-/वि-अधिकारी) श्री अनुज मिश्रा या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो,से उक्त के आलोक में जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे , सुसंगत ब्याज सहित नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है | यह विशेष रूप से संज्ञान में लाया जाता है कि सभी खातों की बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान मद से किया गया वास्तविक आहरण ज्ञात न किया जा सका | अतः ग्राम पंचायत सिकहुला की ग्राम निधि से किया गया कुल आहरण यदि ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टल मे दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जानी अपेक्षित है |

(मूल आपत्ति संख्या - 1)

प्रस्तर सं0-77 ग्राम पंचायत सिकहुला द्वारा आलोच्य अवधि 01-04-2021से तक की मात्र 31-03-2022 कैशबुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी किन्तु संबंधित बैंक खातों की पासबुक / बैंक स्टैट्मन्ट प्रस्तुत न रहने | से कैशबुक का मिलान न किया जा सकाग्राम पंचायत सिकहुला द्वारा आलोच्य अवधि 01-04-2021से तक 31-03-2022में ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि । के चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान मद से रू.159119-00 का व्यय दर्शित किया गया है | उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति बिल/ मस्टर रो)ल (ट्रांसफर विवरण/, मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्तीमूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- ग्राम पंचायत विकास योजना को नियमानुसार तैयार किए जाने से संबंधित बैठकों व कार्यवाहियों की सम्पूर्ण पत्रावलियाँ ,बैठकों की जारी कार्यवृत्ति एवं बैठकों की फोटोग्राफ ,
- सक्षम स्तर से स्वीकृत /अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना)वार्षिक कार्ययोजना (
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर ,
- नियमानुसार प्रमाणित बैंक पासबुक ,
- स्वीकृत योजना मानचित्र /आरेख,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ ,
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन /टेंडर आमंत्रित करने ,प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ
- कार्य की माप पुस्तिका ,
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राफ
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,
- परिसंपत्ति पंजिका ,
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत सिकहुला द्वारा रू.159119-00 के दर्शित व्यय की नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी |

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत सिकहुला द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के" विपरीत उक्तलेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी| के अंतर्गत अधिभार योग्य है " | अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू.159119-00 में से पचास प्रतिशत 50)प्रतिशत(धनराशि रू. तत्कालीन 79559-50 ग्राम प्रधान श्री रामसागर याव अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो/ सेतथा शेष पचास प्रतिशत 50)प्रतिशत(धनराशि रू.) सचिव- ग्राम पंचायत 79559-50 ग्रा- (पं-/वि-अधिकारीश्री अनुज मिश्रा या व अन्य/ सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहारहे हो/,से उक्त के आलोक में जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे , सुसंगत ब्याज सहित नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है यह विशेष रूप से संज्ञान में लाया जाता है कि सभी खातों की | बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान मदसे किया गया वास्तविक आहरण ज्ञात न किया जा सका अ |तः ग्राम पंचायत सिकहुला की ग्राम निधि से किया गया कुल आहरण यदि ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टल मे दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जानी अपेक्षित है |

(मूल आपत्ति संख्या - 4)

प्रस्तर सं0-78 ग्राम पंचायत सिकहुला के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः ग्राम पंचायत सिकहुला द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू.538152-00 के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी |समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में |रू.538152-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राम सागर तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री अनुज मिश्रा से वसूली की अपेक्षा की जाती है | नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है|

(मूल आपत्ति संख्या -2 (

54 ग्राम पंचायत हरबसपुर

प्रस्तर सं0-79 ग्राम पंचायत हरबसपुर के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः ग्रामपंचायत हरबसपुर द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू. 792744-00 के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी | समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है | पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू. 792744-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधानश्री देशराजतथा सचिवग्राम पंचायत श्री कृष्ण गोपाल दीक्षित**से वसूली की अपेक्षा की जाती है | नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है | (मूल आपत्ति संख्या -12)**

विकास खंड- ककवन

55 ग्राम पंचायत- अराजी ईशेपूर

प्रस्तर सं0-80 ग्राम पंचायत अराजी ईशेपूर द्वारा आलोच्य अवधि 01-04-2021 से 31-03-2022 तक मे (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि I के पंचम राज्य वित्त अनुदान मद से रू. 580769-00 का व्यय दर्शित किया गया है |उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण) , मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- सक्षम स्तर से स्वीकृत /अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना) , संबन्धित बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर , नियमानुसार प्रमाणित कोशबही एवं बैंक पासबुक , स्वीकृत योजना मानचित्र /आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन , सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ , सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित करने , प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ , कार्य की माप पुस्तिका , समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,परिसंपत्ति पंजिका ,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत अराजी ईशेपूर द्वारा रू. 580769-00 के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत अराजी ईशेपूर द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी |" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू. 580769-00 में से पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रू. 290384-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जगत सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रू. 290384-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा-पं-/वि-अधिकारी) श्री अमित द्विवेदी या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे , नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है | मूल आपत्ति संख्या - 3[

प्रस्तर सं0-81 -ग्राम पंचायत **अराजी ईशेपूर** द्वारा आलोच्य अवधि **01-04-2021 से 31-03-2022 तक** मे ई) (ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि I के **पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान** मद से रुपये **517070-00** का व्यय दर्शित किया गया है |उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (ट्रांसफर विवरण/ मस्टर रोल /बिल), मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे अनुमोदित ग्राम/ सक्षम स्तर से स्वीकृत -पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना), संबन्धित बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर , नियमानुसार प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक** , स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख/, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन , सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ , सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित करने /, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ , कार्य की माप पुस्तिका , समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,परिसंपत्ति पंजिका , स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत **अराजी ईशेपूर** द्वारा रू. **517070-00 के** दर्शित

व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी |

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत **अराजी ईशेपूर** द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा' के अध्याय 'प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय '8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी-| "**के अंतर्गत अधिभार योग्य है**| अतः दर्शित व्यय की धनराशि **रू. 517070-00** में से पचास प्रतिशत)50**प्रतिशत**) धनराशि **रू. 258535-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जगत सिंह** या रहे हो/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/) से तथा शेष पचास प्रतिशत50 **प्रतिशत**) धनराशि **रू. 258535-00 सचिव(अधिकारी-वि/-पं-ग्रा) ग्राम पंचायत - श्री अमित द्विवेदी** यारहे हो/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/**,** से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे , नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है | **मूल आपत्ति संख्या- 1[**

प्रस्तर सं0-82 ग्राम पंचायत अराजी ईशेपूर के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः ग्राम पंचायत अराजी ईशेपूर द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू. 538225-00 के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी | समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है | पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू. 538225-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री जगत सिंह तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री अमित द्विवेदी से वसूली की अपेक्षा की जाती है | नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

]मूल आपत्ति संख्या- 2[

प्रस्तर सं0-83 ग्राम पंचायत **अराजी ईशेपूर** द्वारा आलोच्य अवधि **01-04-2021 से 31-03-2022 तक** मे ई) (ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि I के **चौदहवांकेन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान** मद से रू. **6619-00** का व्यय दर्शित किया गया है |उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (ट्रांसफर विवरण/ मस्टर रोल /बिल), मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास/ सक्षम स्तर से स्वीकृत - (वार्षिक कार्ययोजना) योजना, संबन्धित बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर , नियमानुसार प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक , स्वीकृत** योजना मानचित्र आरेख/, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन , सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ , सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित करने /, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ , कार्य की माप पुस्तिका , समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,परिसंपत्ति पंजिका , स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत **अराजी ईशेपूर** द्वारा रू. **6619-00 के** दर्शित व्यय की नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी |

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत **अराजी ईशेपूर** द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं' के अध्याय 'लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख

उपलब्ध कराये " के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय '8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी-| " **के अंतर्गत अधिभार योग्य है**| अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू. **6619-00** में से पचास प्रतिशत)50प्रतिशत) धनराशि **रू. 3309-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जगत सिंह** या रहे हो से/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/) तथा शेष पचास प्रतिशत50प्रतिशत) धनराशि **रू. 3309-00 सचिव(अधिकारी-वि/-पं-ग्रा) ग्राम पंचायत - श्री अमित द्विवेदी** यारहे हो/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/, से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे , नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है |

(मूल आपत्ति संख्या- 5)

प्रस्तर सं0-84 ग्राम पंचायत अराजी ईशेपूर द्वारा आलोच्य अवधि 01-04-2021 से 31-03-2022 तक मे (ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि I के चतुर्थ राज्य वित्त अनुदान मद से रू. 6756-00 का व्यय दर्शित किया गया है |उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण) , मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- सक्षम स्तर से स्वीकृत /अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना) , संबन्धित बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर , नियमानुसार प्रमाणित कोशबही एवं बैंक पासबुक , स्वीकृत योजना मानचित्र /आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन , सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ , सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित करने , प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ , कार्य की माप पुस्तिका , समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,परिसंपत्ति पंजिका , स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत अराजी ईशेपूर द्वारा रू. 6756-00 के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी |

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत अराजी ईशेपूर द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी |" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू. 6756-00 में से पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रू. 3378-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जगत सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रू. 3378-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा-पं-/वि-अधिकारी) श्री अमित द्विवेदी या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे , नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है -

]मूल आपत्ति संख्या- 4[

56 ग्राम पंचायत- बछना

प्रस्तर सं0-85 ग्राम पंचायत बछना के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः उक्त ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू. 854055-00 के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी|समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है| पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू. 854055-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती मनू तथा सचिव श्री अमित द्विवेदी व अन्य से वसूली की अपेक्षा की जाती है|नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है (मूल आपत्ति संख्या -10)

57 ग्राम पंचायत- चंदपुरा

प्रस्तर सं0-86 ग्राम पंचायत चंदपुरा के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः ग्राम ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू. 885185-00 के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी|समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है| पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू. 885185-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री अरविन्द कुमारतथा सचिव श्री गोविन्द सिंह व अन्य से वसूली की अपेक्षा की जाती है|नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है

(मूल आपत्ति संख्य(10

58 ग्राम पंचायत- देउहा

प्रस्तर सं0-87 ग्राम पंचायत देउहा के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः उक्त ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू. 1213587-00 के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी | समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है | पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू. 1213587-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती तारावती तथा सचिव श्री गोविन्द सिंह व अन्य से वसूली की अपेक्षा की जाती है | नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है

(मूल आपत्ति संख्या (10-

59 ग्राम पंचायत- जमालपुर

प्रस्तर सं0-88 ग्राम पंचायत जमालपुर के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः ग्राम ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू. 876767-00 के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी|समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है| पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू. 876767-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री परिविन्द कुमार तथा सचिव श्री अमित द्विवेदी व अन्य से वसूली की अपेक्षा की जाती है|नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है

(मूल आपत्ति संख्या (10-

60 ग्राम पंचायत- कुरेह

प्रस्तर सं0-89 ग्राम पंचायत कुरेह के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः उक्त ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रु 756516-00 के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी | समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है | पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू.756516-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा देवी तथा सचिव श्री राजकिशोर व अन्य से वसूली की अपेक्षा की जाती है | नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है

(मूल आपत्ति संख्या (10-

61 ग्राम पंचायत- मैदों

प्रस्तर सं0-90 ग्राम पंचायत मैदौंद्वारा आलोच्य अवधि मे) ई ग्राम स्वराज प्रियासाफ़्ट पर अपलोड प्रविष्टियों/ (के अनुसार ग्राम निधि । के **पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान** मद् से रुपये **524326-00** का व्यय दर्शित किया गया है | उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति बिल/ मस्टर) (रोल /ट्रांसफर विवरण, मूल पत्रावलियाँ एवं **अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख** व सूचनाएँ जैसे-

- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना अनुमोदित कार्य योजना एवं ग्राम पंचायत विकास योजना क/ो नियमानुसार तैयार किए जाने से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावलियाँ ,
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर , जारी कार्यवृत्ति एवं बैठक की फोटोग्राफ ,
- प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक** ,
- स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख/,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक **स्वीकृति की पत्रावलियाँ** ,
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर / **आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन** की पत्रावलियाँ ,
- कार्य की माप पुस्तिका ,
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राफ
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,
- परिसंपत्ति पंजिका ,
- स्टॉक रजिस्टर
- **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं/ की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी |
- उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8

'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी |" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 524326-00 में से पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रुपये 262163-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामदेवी /व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा तथा शेष पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रुपये 262163-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा-पं-/वि-अधिकारी) श्री जितेंद्र सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे , नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है |

(मूल आपत्ति संख्या - 1

प्रस्तर सं0-91 ग्राम पंचायत मैदों के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू. 742479-00 के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी | समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है | पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू. 742479-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों सचिव श्रीजितेंद्रसिंह ग्राम प्रधान श्रीमती रामदेवी से वसूली की अपेक्षा की जाती है | नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

(मूल आपत्ति संख्या - 2)

प्रस्तर सं0-92 ग्राम पंचायत मैदों द्वारा आलोच्य अवधि मे) ई ग्राम स्वराज प्रियासाफ़्ट पर अपलोड प्रविष्टियों/ (के अनुसार **ग्राम निधि। के <u>पंचम राज्य वित्त अनुदान मद</u> से** रुपये **280674-00** का व्यय दर्शित किया गया है | उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर) (विवरण, मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना अनुमोदित कार्य योजना एवं ग्राम पंचायत विकास योजना क/ो नियमानुसार तैयार किए जाने से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावलियाँ ,
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर , जारी कार्यवृत्ति एवं बैठक की फोटोग्राफ ,
- प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक** ,
- स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख/,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक **स्वीकृति की पत्रावलियाँ** ,
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर / **आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन** की पत्रावलियाँ ,
- कार्य की माप पुस्तिका ,
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राफ
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,
- परिसंपत्ति पंजिका ,
- स्टॉक रजिस्टर
- **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं/ की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी |

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्रामसचिवतथा सेक ग्राम पंचायत से की जाएगी | " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 280674-00 में से पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रुपये 140337-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामदेवी या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रुपये 140337-00सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा-पं-/वि-अधिकारी) श्री जितेंद्र सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे , नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है | बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से से ग्राम निधि से किया गया वास्तविक आहरण ज्ञात न किया जा सका | अतः ग्राम पंचायत की ग्राम निधि से किया गया कुल आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट मे दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जानी अपेक्षित है |

(मूल आपत्ति संख्या –3

62 ग्राम पंचायत- **मौजमपुर**

प्रस्तर सं0-93 ग्राम पंचायतद्वारा आलोच्य अवधि **01-04-2021 से 31-03-2022 तक** मे ई ग्राम स्वराज) (ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि I के **पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान** मद से रुपये **584218-00** का व्यय दर्शित किया गया है |उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (ट्रांसफर विवरण/ मस्टर रोल /बिल), मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास/ सक्षम स्तर से स्वीकृत - वार्षिक) योजनाकार्ययोजना (, संबन्धित बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर , नियमानुसार प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक** , स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख/, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन , सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ , सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित करने /, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ , कार्य की माप पुस्तिका , समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,परिसंपत्ति पंजिका , स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत द्वारा रू. 584218-00 **के** दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी |

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये

" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी |" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू. 584218-00 में से पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रू. 292109-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजकरन सिंह या /रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रू. 292109-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा-पं-/वि-अधिकारी) श्री जितेन्द्र सिंह /व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे , नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है

| **(मूलआपतिसंख्या-1]**

प्रस्तर सं0-94 ग्राम पंचायत के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू. 747185-00 के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी | समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है| पुष्टि न कराए जानेकीस्थितिमें रू. 747185-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राजकरन सिंह व अन्य तथा सचिव श्री जितेन्द्र सिंह से वसूली की अपेक्षा की जाती है | नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

(मूल आपत्ति संख्या -2]

प्रस्तर सं0-95 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि **01-04-2021 से 31-03-2022 तक** मे) ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार (**ग्राम निधि I के <u>पंचम राज्य वित्त अनुदान मद</u> से** रू. 559801-00 का व्यय दर्शित किया गया है | उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति बिल/ मस्टर) (रोल /ट्रांसफर विवरण, मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे -/ तसक्षम स्तर से स्वीकृ अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना), संबन्धित बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर , नियमानुसार प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक** , स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख/, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन , सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ , सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित करने /, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ , कार्य की माप पुस्तिका , समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,परिसंपत्ति पंजिका ,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत द्वारा रू. **559801-00 के** दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी |

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी |" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू. 559801-00 में से पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रू. 279900-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजकरन सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा

शेष पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रू. 279900-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा-पं-/वि-अधिकारी) श्री जितेंद्र सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे , नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है | **(मूलआपत्तिसंख्या-3]**

प्रस्तर सं0-96 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि **01-04-2021 से 31-03-2022 तक** मे ई ग्राम स्वराज) (ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि I के **चतुर्थ राज्य वित्त अनुदान** मद से रू. **11975-00** का व्यय दर्शित किया गया है |उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (ट्रांसफर विवरण/ मस्टर रोल /बिल), मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे/ सक्षम स्तर से स्वीकृत -अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना), संबन्धित बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर , नियमानुसार प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक** , स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख/, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन , सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ , सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित करने /, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ , कार्य की माप पुस्तिका , समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,परिसंपत्ति पंजिका , स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत द्वारा रू. **11975-00 के** दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी |

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी |" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू. 11975-00 में से पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रू. 5987-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजकरन सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रू. 5987-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा-पं-/वि-अधिकारी) श्री जितेंद्र सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे , नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है | **(मूलआपत्तिसंख्या-4]**

63 ग्राम पंचायत- मुनौव्वरपुर बिल्हौर

प्रस्तर सं0-97 ग्राम पंचायतद्वारा आलोच्य अवधि **01-04-2021 से 31-03-2022 तक** मे ई ग्राम स्वराज) (ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि I के **पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान** मद से रुपये **161107-00** का व्यय दर्शित किया गया है |उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (ट्रांसफर विवरण/ मस्टर रोल /बिल), मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसेसक्षम स्तर से स् -वीकृत अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास/ (वार्षिक कार्ययोजना) योजना, संबन्धित बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर , नियमानुसार प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक** , स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख/, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन , सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ , सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित करने /, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ , कार्य की माप पुस्तिका , समस्त निर्माण

कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,परिसंपत्ति पंजिका , स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत द्वारा रू. 161107-00 **के** दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी |

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी |" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू. 161107-00 में से पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रू. 80553-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रू. 80553-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा-पं-/वि-अधिकारी) श्री जितेंद्र सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे , नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है | (मूलआपत्तिसंख्या-2

प्रस्तरसं0-98 ग्रामपंचायत केमनरेगायोजनासंबंधीअभिलेखलेखापरीक्षामेंभौतिकरूपसेअनुपलब्ध रहेअतः ग्रामपंचायत द्वारा मनरेगाऑनलाइनपोर्टलके वित्तीयविवरण पर रू. 415646.00 के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं कीजा सकी| समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है| पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू. 415646.00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी व अन्य तथा सचिव श्री जितेन्द्र सिंह से वसूली की अपेक्षा की जाती है| नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

(मूलआपत्तिसंख्या -3)

प्रस्तर सं0-99 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि मे) ई ग्राम स्वराज प्रियासाफ़्ट पर अपलोड प्रविष्टियों/ (के अनुसार **ग्राम निधि I के <u>पंचम राज्य वित्त अनुदान मद</u> से** रुपये **576860-00** का व्यय दर्शित किया गया है | उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर) (विवरण, मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना अनुमोदित कार्य योजना एवं ग्राम पं/चायत विकास योजना को नियमानुसार तैयार किए जाने से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावलियाँ ,
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर , जारी कार्यवृत्ति एवं बैठक की फोटोग्राफ ,
- प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक** ,
- स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख/,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक **स्वीकृति की पत्रावलियाँ** ,
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर / **आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन** की पत्रावलियाँ ,
- कार्य की माप पुस्तिका ,
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राफ

- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,
- परिसंपत्ति पंजिका ,
- स्टॉक रजिस्टर
- **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं/ की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी |

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी | " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 576860-00 में से पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रुपये 288430-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रुपये 288430-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा-पं-/वि-अधिकारी) श्री जितेंद्र सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे , नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है | बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से से ग्राम निधि से किया गया वास्तविक आहरण ज्ञात न किया जा सका | अतः ग्राम निधि से किया गया कुल आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट मे दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जानी अपेक्षित है | (मूल आपत्ति संख्या -4(

प्रस्तर सं0-100 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि मे) ई ग्राम स्वराज प्रियासाफ़्ट पर अपलोड प्रविष्टियों/ (के अनुसार ग्राम निधि I के **चतुर्थ राज्य वित्त अनुदान** मद से रुपये **19900-00** का व्यय दर्शित किया गया है | उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर) (विवरण, मूल पत्रावलियाँ एवं **अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख** व सूचनाएँ जैसे-

- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना अनुमोदित कार्य योजना एवं ग्राम पंचायत विकास योजना को/ नियमानुसार तैयार किए जाने से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावलियाँ,
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर , जारी कार्यवृत्ति एवं बैठक की फोटोग्राफ ,
- प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक** ,
- स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख/,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक **स्वीकृति की पत्रावलियाँ** ,
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर / **आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन** की पत्रावलियाँ ,
- कार्य की माप पुस्तिका ,
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राफ

- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,
- परिसंपत्ति पंजिका ,
- स्टॉक रजिस्टर
- **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं/ की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी |

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी | " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 19900-00 में से पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रुपये 9950-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रुपये 9950-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा-पं-/वि-अधिकारी) श्री जितेंद्र सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे , नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से से ग्राम निधि से किया गया वास्तविक आहरण ज्ञात न किया जा सका | अतः की ग्राम निधि से किया गया कुल आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट मे दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जानी अपेक्षित है (मूल आपत्ति संख्या -5(

64 ग्राम पंचायतरहीमपुर विषधन

प्रस्तर सं0-101 ग्राम पंचायत **रहीमपुर विषधन** द्वारा आलोच्य अवधि **01-04-2021 से 31-03-2022 तक** मे ई) (ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि I के **पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान** मद से रुपये **1282731-00** का व्यय दर्शित किया गया है |उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (ट्रांसफर विवरण/ मस्टर रोल /बिल), मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास/ सक्षम स्तर से स्वीकृत - (वार्षिक कार्ययोजना) योजना, संबन्धित बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर , नियमानुसार प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक** , स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख/, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन , सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ , सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित करने /, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ , कार्य की माप पुस्तिका , समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,परिसंपत्ति पंजिका , स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत **रहीमपुर विषधन** द्वारा रू. **1282731-00 के** दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी |

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत रहीमपुर विषधन द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों

में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी |" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू. 1282731-00 में से पचास प्रतिशत (50प्रतिशत)धनराशि रू. 641365-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरी प्रसाद या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रू. 641365-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा-पं-/वि-अधिकारी) श्री जितेंद्र सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे , नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।(मूलआपत्तिसंख्या-1)

प्रस्तर सं0-102 ग्राम पंचायत रहीमपुर विषधन के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः ग्राम पंचायत रहीमपुर विषधन द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू. 243841-00 के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी | समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है | पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू. 243841-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री हरि प्रसाद एवं सचिव श्री जितेन्द्र सिंह व अन्य से वसूली की अपेक्षा की जाती है | नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

(मूल आपत्ति संख्या -2)

प्रस्तर सं0-103 ग्राम पंचायत रहीमपुर विषधन द्वारा आलोच्य अवधि 01-04-2021 से 31-03-2022 तक मे (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि I के पंचम राज्य वित्त अनुदान मद से रु 1718508-00 का व्यय दर्शित किया गया है | उक्त दर्शित व्यय केवित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण) , मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- सक्षम स्तर से स्वीकृत /अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना) , संबन्धित बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर , नियमानुसार प्रमाणित कोशबही एवं बैंक पासबुक , स्वीकृत योजना मानचित्र /आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन , सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ , सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित करने , प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ , कार्य की माप पुस्तिका , समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,परिसंपत्ति पंजिका ,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत रहीमपुर विषधन द्वारा रू. 1718508-00 के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी |

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत रहीमपुर विषधन द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी |" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू. 1718508-00 में से पचास प्रतिशत (50प्रतिशत)

धनराशि रू. 859254-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरी प्रसाद या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रू. 859254-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा-पं-/वि-अधिकारी) श्री जितेंद्र सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे , नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है |(मूल आपत्ति संख्या –3)

65 ग्राम पंचायत-शाहपुर डुलु

प्रस्तर सं0-104 ग्राम पंचायत शाहपुर डुलु द्वारा आलोच्य अवधि **01-04-2021 से 31-03-2022 तक** मे ई ग्राम) (स्वराज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि I के **पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त आयोगअनुदान** मद से रुपये **446669-00** का व्यय दर्शित किया गया है |उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (ट्रांसफर विवरण/ मस्टर रोल /बिल), मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे अनुमोदित ग्राम पंचायत/ सक्षम स्तर से स्वीकृत - (वार्षिक कार्ययोजना) विकास योजना, संबन्धित बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर , नियमानुसार प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक** , स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख/, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन , सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ , सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर / आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ , कार्य की माप पुस्तिका , समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,परिसंपत्ति पंजिका , स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत द्वारा रू. **446669-00 के** दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी |

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी |" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू. 446669-00 में से पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रू. 223334-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा देवी या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रू. 223334-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा-पं-/वि-अधिकारी) श्री जितेंद्र सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे , नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है |

(मूल आपत्ति संख्या - 1)

प्रस्तर सं0-105 ग्राम पंचायत शाहपुर दुलू के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः ग्रामपंचायत द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू. 618950-00 के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी |समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है | पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू. 618950-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा देवी एवं सचिवग्राम पंचायत (ग्रा-पं-/वि- -

अधिकारी) श्री जितेंद्र सिंह व अन्य से वसूली की अपेक्षा की जाती है |नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है|

(मूल आपत्ति संख्या -2)

प्रस्तर सं0-106 ग्राम पंचायत शाहपुर दुलू द्वारा आलोच्य अवधि **01-04-2021 से 31-03-2022 तक** मे) ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार (**ग्राम निधि I के पंचम राज्य वित्त अनुदान मद से** रू. 685008-00 का व्यय दर्शित किया गया है |उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति) (ट्रांसफर विवरण/ मस्टर रोल /बिल, मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे वार्षिक) अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना/ सक्षम स्तर से स्वीकृत -कार्ययोजना (, संबन्धित बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर , नियमानुसार प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख/, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन , सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ , सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित करने /, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ , कार्य की माप पुस्तिका , समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,परिसंपत्ति पंजिका ,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत द्वारा रू. **685008-00 के** दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा की तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी |

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी |" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू. 685008-00 में से पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रू. 342504-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा देवी या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रू. 342504-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा-पं-/वि-अधिकारी) श्री जितेंद्र सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे , नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है |

(मूल आपत्ति संख्या -3)

प्रस्तर सं0-107 ग्राम पंचायत शाहपुर दुलू द्वारा आलोच्य अवधि **01-04-2021 से 31-03-2022 तक** मे ई ग्राम) (स्वराज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि I के **चतुर्थ राज्य वित्त अनुदान** मद से रू. 39217-00 का व्यय दर्शित किया गया है |उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे सक्षम स्तर से स्वीकृत /अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास - योजना (वार्षिककार्ययोजना (, संबन्धित बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर , नियमानुसार प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक** , स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख/, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन , सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ , सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित करने /, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ , कार्य की माप पुस्तिका , समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,परिसंपत्ति पंजिका , स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत द्वारा रू. **39217-00 के** दर्शित व्यय के

नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी |

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी |" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू. 39217-00 में से पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रु 19608-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा देवी या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रू. 19608-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा-पं-/वि-अधिकारी) श्री जितेंद्र सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे , नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है |

(मूल आपत्ति संख्या -4)

66 ग्राम पंचायत- सिहूरा दारा शिकोह

प्रस्तर सं0-108 ग्राम पंचायत सिहूरा दारा शिकोह के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः उक्त ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू. 615486-00 के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी| समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है| पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू. 615486-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार व सचिव श्री गोविन्द सिंह व अन्य से वसूली की अपेक्षा की जाती है|नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।(मूल आपत्ति संख्या –10)

67 ग्राम पंचायत- इब्राहिमपुर रौंस

प्रस्तर सं0-109 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 राज्य वित्त आयोग से प्रिया साफ्ट एकाउन्ट के अनुसार रूपये 585429-00 आहरित है। लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यव प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख की बार-बार मांग करने एवं पत्र के माध्यम से ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव को सूचना दी गई, परन्तु पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित व्यय धनराशि की पुष्टि में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए है।

अतः उत्तर प्रदेश पंवायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) एवं ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) के अनुसार बिना व्यव प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः रूपये 585429-00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा किया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री अनिल यादव एवं पंचायत सचिव श्री जितेंद्र सिंह से तातारीख व्याज सहित दण्डात्मक एवं वैद्यानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

(मूल आपत्ति संख्या –1)

प्रस्तर सं0-110 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 चैदहयां वित्त आयोग से प्रिया सापट एकाउन्ट के अनुसार रूपये 961053-00 आहरित है। लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख की बार-बार मांग करने एवं पत्र के माध्यम से ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव को सूचना दी गई, परन्तु पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित व्यय धनराशि की पुष्टि में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए है।

अतः उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) एवं ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः रूपये 961053-00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा किया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री अनिल यादव एवं पंचायत सचिव श्री जितेंद्र सिंह से तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैद्यानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही। (
मूल आपत्ति संख्या –2)

प्रस्तर सं0-111 मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत के वर्ष 2021-22 से संबंधित मनरेगा योजना के तहत प्राप्त धनराशि के सापेक्ष वर्ष 21-22 में मजदूरी पर 939000-00 एवं अर्थ सामग्री पर पर 12000-00, सामग्री पर रु 5000-00 प्रशासनिक मद पर रु 75000-00 कुल रु 1031000-00 से संबंधित ब्यय प्रमाणक, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इस निमित्त उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री अनिल यादव एवं सचिव श्री जितेन्द्र सिंह व अन्य आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या –3)

68 ग्राम पंचायत- गढेवा

प्रस्तर सं0-112प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 केअन्तर्गत राज्य वित्त के तहत कुल रुपया 396738-00 का व्यय दर्शित पाया गया जिसके सापेक्ष केवल रु 105370-00 का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया शेष राशि रु 291360-00 के ब्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती हिमांशी देवी शुक्ला एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गोविंद सिंह को उत्तरदायी मानते हुए रुपया 145684,00 श्रीमती हिमांशी देवी शुक्ला एवं रुपया 145684,00 ग्राम पंचायत सचिव श्री गोविंद सिंह से वसूल किया जाना अपेक्षित रहा।(मूल आपत्ति संख्या –1)

प्रस्तर सं0-113 प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 केअन्तर्गत केन्द्रीय वित्त के तहत कुल रुपया 615467-00 का व्यय दर्शित पाया गया जिसके सापेक्ष केवल रु.197901-00 का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया शेष राशि रु.417566-00 केब्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती हिंमाशी देवी शुक्ला एवं ग्राम पचायत सचिव श्री गोविंद सिंह को उत्तरदायी मानते हुए रुपया 208783-00 श्रीमती हिमांशी देवी शुक्ला एवं रुपया 208783-00 ग्राम पंचायत सचिव श्री गोविंद सिंह से वसूल किया जाना अपेक्षित रहा।(मूल आपत्ति संख्या –2)

प्रस्तर सं0-114 मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत **गढेवा** के वर्ष 2021-22 से संबंधित मनरेगा योजना के तहत प्राप्त धनराशि के सापेक्ष वर्ष 21-22 में मजदूरी पर 1099000-00 एवं सामाग्री पर रु 0-00 प्रशासनिक मद पर रु 0-00 कुल रु 1099000-00 से संबंधित व्यय प्रमाणक, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इस निमित्त प्रधान श्रीमती हिमांशीदेवी शुक्ला एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गोविंद सिंह एवं श्री मुकेश उपाध्याय के प्रतिआवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या –3)

69 ग्राम पंचायत- हालामउ

प्रस्तर सं0-115 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 राज्य वित्त आयोग से प्रिया साफ्ट एकाउन्ट के अनुसार रूपये 523598-00 आहरित है। लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख की बार-बार मांग करने एवं पत्र के माध्यम से ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव को सूचना दी गई, परन्तु पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित व्यय धनराशि की पुष्टि में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए है। अतः उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) एवं ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः रूपये 523598-00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा किया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री मंटू राठौर से रु 261799-00 एवं पंचायत सचिव श्री जितेंद्र सिंह से रु 261799-00 तातारीख व्याज सहित दण्डात्मक एवं वैद्यानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

(मूल आपत्ति संख्या –1)

प्रस्तर सं0-116 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 चौदहवां वित्त आयोग से प्रिया साफ्ट एकाउन्ट के अनुसार रूपये 641357-00 आहरित है। लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख की बार-बार मांग करने एवं पत्र के माध्यम से ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव को सूचना दी गई, परन्तु पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित व्यय धनराशि की पुष्टि में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए है। अतः उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) एवं ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः रूपये 641357-00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा किया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री मंटू राठौर से रु 320678-50 एवं पंचायत सचिव श्री जितेंद्र सिंह से रु 320678-50 तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैद्यानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।(मूल आपत्ति संख्या –2)

प्रस्तर सं0-117 मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत हालामउ के वर्ष 2021-22 से संबंधित मनरेगा योजना के तहत प्राप्त धनराशि के सापेक्ष वर्ष 21-22 में मजदूरी पर 826000-00 एवं अर्ध सामग्री पर रु 15000-00 प्रशासनिक मद पर रु 68000-00 कुल रु 909000-00 से संबंधित व्यय प्रमाणक, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इस निमित्त उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री मंटू राठौर से रु 320678-50 एवं पंचायत सचिव श्री जितेंद्र सिंह व अन्य आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या –3)

70 ग्राम पंचायत उटठा

प्रस्तर सं0-118लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 राज्य वित्त आयोग से प्रिया साफ्ट एकाउन्ट के अनुसार रूपये 1016275-00 आहरित है। लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख की बार-बार मांग करने एवं पत्र के माध्यम से ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव को सूचना दी गई, परन्तु पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित व्यय धनराशि की पुष्टि में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए है।

अतः उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) एवं ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः रूपये 1016275-00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा किया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री अनिरुद्ध सिंह से रु 508137-50 एवं पंचायत सचिव श्री जितेंद्र सिंह से रु 508137-50 तातारीख व्याज सहित दण्डात्मक एवं वैद्यानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।(मूल आपत्ति संख्या –1)

प्रस्तर सं0-119 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 चौदहवां वित्त आयोग से प्रिया सापट एकाउन्ट के अनुसार रूपये 1191440-00 आहरित है। लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख की बार-बार मांग करने एवं पत्र के माध्यम से ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव को सूचना दी गई, परन्तु पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित व्यय धनराशि की पुष्टि में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए है।

अतः उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) एवं ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः रूपये 1191440-00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा किया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री अनिरुद्ध सिंह से रु 595720-00 एवं पंचायत सचिव श्रीजितेंद्र सिंह से रु 595720-00 तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैद्यानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।(मूल आपत्ति संख्या –2)

प्रस्तर सं0-120 मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत उठ़ठा के वर्ष 2021-22 से संबंधित मनरेगा योजना के तहत प्राप्त धनराशि के सापेक्षा एवं सामग्री पर पर 0-29 लाख एवं प्रशासनिक मद पर0-68 लाख कुल 7-91 लाख से संबंधित ब्यय प्रमाणक, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इस निमित्त उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री अनिरूद्ध सिंह एवं सचिव श्री जितेन्द्र सिंह व अन्य आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या –3)

7 विकासखंड- घाटमपुर

71 ग्राम पंचायत- अकबरपुर बीरबल

प्रस्तर सं0-121 ग्राम पंचायत अकबरपुर बीरबल द्वारा आलोच्य अवधि मे) ई ग्राम स्वराज प्रियासाफ़्ट पर/ (अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि I के पन्द्रहवां वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान मद से रुपये 475603-00 का व्यय दर्शित किया गया है |उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति बिल/ मस्टर रो)ल (ट्रांसफर विवरण/, मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना अनुमोदित कार्य योजना एवं ग्राम पंचायत विकास योजना को/ नियमानुसार तैयार किए जाने से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावलियाँ,
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर , जारी कार्यवृत्ति एवं बैठक की फोटोग्राफ ,
- प्रमाणित कोशबही एवं बैंक पासबुक ,
- स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख/,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ ,

- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर / आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ ,
- कार्य की माप पुस्तिका ,
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राफ
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,
- परिसंपत्ति पंजिका ,
- स्टॉक रजिस्टर
- लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं/ की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी |

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत अकबरपुर बीरबल द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी |" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 475603-00 में से पचास प्रतिशत (50 प्रतिशत) धनराशि रुपये 237801-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामकिशोर या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रुपये 237801-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा-पं-/वि-अधिकारी) श्री अमित सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे , नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है |बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से से ग्राम निधि से किया गया वास्तविक आहरण ज्ञात न किया जा सका | अतः अकबरपुर बीरबल की ग्रामनिधि से किया गया कुल आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट मे दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जानी अपेक्षित है

(मूल आपत्ति संख्या - 1)

प्रस्तर सं0-122 ग्राम पंचायत अकबरपुर बीरबल के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू. 1117814-00 के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने कीपुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी| समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है| पुष्टि न कराए जानेकी स्थिति में रू. 1117814-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री रामकिशोर एवं सचिव श्री अमित सिंह से वसूली की अपेक्षा की जाती है| नियमानुसार कार्यवाहीहेतु प्रकरण सक्षम विभागीयअधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।(मूल आपत्ति संख्या -2)

प्रस्तर सं0-123 ग्राम पंचायत अकबरपुर बीरबल द्वारा आलोच्य अवधि मे) ई ग्राम स्वराज प्रियासाफ़्ट पर/ (अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि I के पंचम राज्य वित्त अनुदान मद से रुपये 809428-00 का व्यय दर्शित किया गया है |उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति) बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण (, मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना अनुमोदित कार्य योजना एवं ग्राम पंचायत विकास योजना को/ नियमानुसार तैयार किए जाने से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावलियाँ,
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर , जारी कार्यवृत्ति एवं बैठक की फोटोग्राफ ,
- प्रमाणित कोशबही एवं बैंक पासबुक ,
- स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख/,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ ,
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर / आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ ,
- कार्य की माप पुस्तिका ,
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राफ
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,
- परिसंपत्ति पंजिका ,
- स्टॉक रजिस्टर
- लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं/ की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी |

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी |" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 809428-00 में सेपचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रुपये 404714-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामकिशोर या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रुपये 404714-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा-पं-/वि-अधिकारी) श्री अमित सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे , नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है |बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से से ग्राम निधि से किया गया वास्तविक आहरण ज्ञात न किया जा सका | अतः अकबरपुर बीरबल की ग्राम निधि से किया गया कुल आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट मे दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जानी अपेक्षित है | (मूल आपत्ति संख्या - 3)

प्रस्तर सं0-124 ग्राम पंचायत अकबरपुर बीरबल द्वारा आलोच्य अवधि मे) ई ग्राम स्वराज प्रियासाफ़्ट/ (पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि I के चतुर्थ राज्य वित्त अनुदान मद से रुपये 306476-00 का व्यय दर्शित किया गया है | उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति) (बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण, मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना अनुमोदित कार्य योजना एवं ग्राम पं/चायत विकास योजना को नियमानुसार तैयार किए जाने से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावलियाँ ,
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर , जारी कार्यवृत्ति एवं बैठक की फोटोग्राफ ,
- प्रमाणित कोशबही एवं बैंक पासबुक ,
- स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख/,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ ,
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर / आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ ,
- कार्य की माप पुस्तिका ,
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राफ
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,
- परिसंपत्ति पंजिका ,
- स्टॉक रजिस्टर
- लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं/ की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी |

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत अकबरपुर बीरबल द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण

उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8

के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त

वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी |" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 306476-00 में से पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रुपये 153238-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामकिशोर या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रुपये 153238-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा-पं-/वि-अधिकारी) श्री अमित सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे , नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है | बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से से ग्राम निधि से किया गया वास्तविक आहरण ज्ञात न किया जा सका | अतः

अकबरपुरबीरबल की ग्राम निधि से किया गया कुल आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट मे दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जानी अपेक्षित है | (मूल आपत्ति संख्या - 4)

प्रस्तर सं0-125 ग्राम पंचायत अकबरपुर बीरबल द्वारा आलोच्य अवधि मे) ई ग्राम स्वराज प्रियासाफ़्ट पर/ अपलोडप्रविष्टियों के अनुसार (ग्राम निधि I के चौदहवां वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान मद से रुपये 128920-00 का व्यय दर्शित किया गया है |उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना अनुमोदित कार्य योजना एवं ग्राम पंचायत विकास योजना को/ नियमानुसार तैयार किए जाने से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावलियाँ,
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर , जारी कार्यवृत्ति एवं बैठक की फोटोग्राफ ,
- प्रमाणित कोशबही एवं बैंक पासबुक ,
- स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख/,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ ,
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर / आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ ,
- कार्य की माप पुस्तिका ,
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राफ
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,
- परिसंपत्ति पंजिका ,
- स्टॉक रजिस्टर

लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी |उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत अकबरपुर बीरबल द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी |" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 128920-00 में से पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रुपये 64460-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामकिशोर या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रुपये 64460-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा-पं-/वि-अधिकारी) श्री अमित सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे , नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है |बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से से ग्राम निधि से किया गया वास्तविक आहरण ज्ञात न किया जा सका | अतः अकबरपुर बीरबल की ग्राम निधि से किया गया कुल आहरण

यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट मे दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जानी अपेक्षित है |

(मूल आपत्ति संख्या -5)

72 ग्राम - असवारमऊ

प्रस्तर सं0-126 ग्राम पंचायत **असवारमऊ** द्वारा आलोच्य अवधि **01-04-2021 से 31-03-2022 तक** मे) ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार (**ग्राम निधि I के पंचम राज्य वित्त अनुदान मद से** रू. **412375-00** का व्यय दर्शित किया गया है | उक्त दर्शित व्यय केवित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (ट्रांसफर विवरण/ मस्टर रोल /बिल), मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे वार्षिक कार्ययोजना) अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना/ सक्षम स्तर से स्वीकृत - (, संबन्धित बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर , नियमानुसार प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक** , स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख/, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन , सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ , सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित करने /, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ , कार्य की माप पुस्तिका , समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,परिसंपत्ति पंजिका ,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत **असवारमऊ** द्वारा रू. **412375-00** **के** दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी |

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत **असवारमऊ** द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा' के अध्याय 'प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय '8 के प्रस्तर 8 'क यह कि यदि दर्शाये गए व्यय ' के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी-धनराशि की वसूली ग्राम| " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू. **412375-00** में से पचास प्रतिशत)50प्रतिशत) धनराशि **रू. 206187-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महाबीर प्रसाद** या रहे/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/) हो से तथा शेष पचास प्रतिशत50प्रतिशत) धनराशि **रू. 206187-50 सचिव(अधिकारी-वि/-पं-ग्रा) ग्राम पंचायत - श्री आशीष सिंह** यारहे हो/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/, से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे , नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है |

(मूल आपत्ति संख्या -1(

प्रस्तर सं0-127 ग्राम पंचायत **असवारमऊ** द्वारा आलोच्य अवधि **01-04-2021 से 31-03-2022 तक** मे ई ग्राम) (स्वराज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि I के **चतुर्थ राज्य वित्त अनुदान** मद से रू. **5500-00** का व्यय दर्शित किया गया है | उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (ट्रांसफर विवरण/ मस्टर रोल /बिल), मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे अनुमोदित ग्राम/ सक्षम स्तर से स्वीकृत -पंचायत विकास योजना) (वार्षिक कार्ययोजना, संबन्धित बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर , नियमानुसार प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक** , स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख/, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन , सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ , सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित करने /, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ , कार्य की माप पुस्तिका , समस्त निर्माण कार्य की

त्रिस्तरीय फोटोग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,परिसंपत्ति पंजिका , स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत **असवारमऊ** द्वारा रू. **5500-00 के** दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी |

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत असवारमऊ द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तरयह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदिदर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इसधनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी |" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः दर्शित व्यय की धनराशिरू. 5500-00 में से पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रू. 2750-00 तत्कालीन ग्रामप्रधान श्री महाबीर प्रसाद या/व अन्य सभी जोतत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रू. 2750-00 सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा-पं-/वि-अधिकारी) श्री आशीष सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे , नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है |

(मूलआपत्तिसंख्या-2)

प्रस्तर सं0-128 ग्राम पंचायत **असवारमऊ** द्वारा आलोच्य अवधि **01-04-2021 से 31-03-2022 तक** मे ई ग्राम) (स्वराज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि I के **पन्द्रहवां वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान** मद से रुपये **258044-00** का व्यय दर्शित किया गया है |उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (ट्रांसफर विवरण/ मस्टर रोल /बिल), मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास/ सक्षम स्तर से स्वीकृत - (वार्षिक कार्ययोजना) योजना, संबन्धित बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर , नियमानुसार प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक** , स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख/, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन , सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ , सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित करने /, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ , कार्य की माप पुस्तिका , समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,परिसंपत्ति पंजिका , स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत **असवारमऊ** द्वारा रू. **258044-00 के** दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी |

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत असवारमऊ द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी |" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू. 258044-00 में से पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रू. 129022-00 तत्कालीन

ग्राम प्रधान श्री महाबीर प्रसाद या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50प्रतिशत) धनराशि रू. 129022-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा-पं-/वि-अधिकारी) श्री आशीष सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे , नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

(मूल आपत्ति संख्या -3(

प्रस्तर सं0-129 ग्राम पंचायत असवारमऊ के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः ग्राम पंचायत असवारमऊ द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू. 130234-00 के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी | समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है | पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू. 130234-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान श्री महावीर प्रसाद एवं सचिव श्री आशीष सिंह से वसूली की अपेक्षा की जाती है | नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है|

(मूल आपत्ति संख्या -4(

73 ग्राम पंचायत गढ़ोलामऊ

प्रस्तर सं0-130 ग्राम पंचायत गढ़ोलामऊ **के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः उक्त ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रु 279558-00 के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी | समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है | पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू. 279558-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान श्री शंकर दयाल एवं सचिव श्री सत्य प्रकाश व अन्य से वसूली की अपेक्षा की जाती है | नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है-**

शंकर दयाल श्रीमती विमला श्रीमती शीला सिंह श्री वीरेन्द्र सिंह

(मूलआपत्तिसंख्या-10(

74 ग्राम पंचायत घुघुआ

प्रस्तर सं0-131 ग्राम पंचायत घुघुआ **के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः उक्त ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू. 314832-00 के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी | समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है | पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू. 314832-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान श्रीमती विमला एवं सचिव श्री सत्य प्रकाश व अन्य से वसूली की अपेक्षा की जाती है | नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है -**

(मूलआपत्तिसंख्या -10(

75 ग्राम पंचायत कोरों

प्रस्तर सं0-132 ग्राम पंचायत कोरों **के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः उक्त ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू. 418668-00 के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी। समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू. 418668-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान श्रीमती शीला सिंह एवं सचिव श्री सत्य प्रकाश व अन्य से वसूली की अपेक्षा की जाती है। नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।**

(मूलआपतिसंख्या- 10

76 ग्राम पंचायत रहटी खालसा

प्रस्तर सं0-133 **ग्राम पंचायत रहटी खालसा के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः उक्त ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू. 501482-00 के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी। समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू. 501482-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान श्री राजकुमार सैनी एवं सचिव श्री वीरेन्द्र सिंह व अन्य से वसूली की अपेक्षा की जाती है। नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।**

(मूल आपत्ति संख्या (10-

77 ग्राम पंचायत शाखा जनवारा

प्रस्तर सं0-134 **ग्राम पंचायत शाखा जनवारा के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः उक्त ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू. 540424-00 के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी। समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू. 540424-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान श्री राजकुमार सैनी एवं सचिव श्री सत्य प्रकाश व अन्य से वसूली की अपेक्षा की जाती है। नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है**

(मूलआपतिसंख्या- 10

<u>ग्राम पंचायत मदुरी</u>

प्रस्तर सं0- 135 मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत मदुरी के वर्ष 2021-22 से संबंधित मनरेगा योजना के तहत प्राप्त धनराशि के सापेक्ष वर्ष 21-22 में मजदूरी पर 196000-00 एवं सामग्री पर रु 0-0 प्रशासनिक मद पर रु 55000-00 कुल रु 251000-00 से संबंधित ब्यय प्रमाणकए मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इस निमित्त प्रधान श्रीमती वंदना देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री उदयप्रताप सिंह एवं श्री मुकेश उपाध्याय के प्रतिआवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है-

(मूल आपत्ति सं0- 3)

प्रस्तर सं0- 136 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 21-22 के अन्तर्गत राज्य वित्त के तहत कुल व्यय रु- 357093-00 व्यया आहरण दर्शित पाया गया गयाए जिसके सापेक्ष केवल रुपया 234342-00 ;अवधि 01-08-2021 से 31-03-2022 तक केद्ध व्यय/प्रमाणक ग्राम सचिव श्री मुकेश उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत किये गये। एवं शेष रु122751-00 के व्यय प्रमाणक ;अवधि 01-04-2021 से 31.07.2021 तक के लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती वंदना देवी एवं ग्राम सचिव श्री उदयप्रताप सिंह को उत्तरदायी मानते हुए रु 61375-50 प्रधान श्रीमती वंदना देवी एवं रु 61375-50 ग्राम सचिव श्री उदयप्रताप सिंह से वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति सं0- 1)

प्रस्तर सं0- 137 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेट के अनुसार वर्ष 2021-2022 के अन्तर्गत पन्द्रहवां केन्द्रीयवित्त के तहत कुल व्यय रु 6952-00 का व्यय/आहरण दर्शित पाया गया जिसके सापेक्ष केवल रुपया 321552-00 ;अवधि 01-08-2021 से 31-03-2022 तक के व्यय प्रमाणक ग्राम सचिव श्री मुकेश उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत किये गये। एवं शेष रु 255400-00 ब्यय प्रमाणक ;अवधि 1-04-2021 से 31-07-2021 तक के लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे । जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती वंदना देवी एवं ग्राम सचिव श्री उदयप्रताप सिंह को उतरदायी मानते हुए रु 127700-00 प्रधान श्रीगती वंदना देवी एवं रू 127700-00 ग्राम सचिव श्री उदयप्रताप सिंह से वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति सं0- 2)

79 ग्राम पंचायत बरीपाल

प्रस्तर सं0-138 मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत बरीपाल के वर्ष 2021-22 से संबंधित मनरेगा योजना के तहत प्राप्त धनराशि के सापेक्ष वर्ष 21-22 में मजदूरी पर 403000--00 एवं सामग्री पर रु 82000-00 प्रशासनिक गद पर रु 55000-00 कुल रु 540000-00 से संबंधित व्यय प्रमाणक, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इस निमित्त प्रधान श्रीमती आरती देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश उपाध्याय के प्रति आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है

(मूल आपत्ति सं0- 3)

प्रस्तर सं0-139 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 राज्य वित्त आयोग से प्रिया साफ्ट एकाउन्ट के अनुसार रूपये 2250469-25 आहरित है। लेखा परीक्षा के समय उक व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख की बार-बार मांग करने एवं पत्र के माध्यम से ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव को सूचना दी गई, परन्तु पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित व्यय धनराशि की पुष्टि में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए है। अतः उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) एवं ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः रूपये 2250469-25 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा किया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आरती देवी से रु 1125234-62 एवं पंचायत सचिव श्री मुकेश उपाध्याय से रु 1125234-63 तातारीख व्याज सहित दण्डात्मक एवं वैद्यानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

(मूल आपत्ति सं0- 1)

प्रस्तर सं0- 140 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 चौदहवां वित्त आयोग से प्रिया साफ्ट एकाउन्ट के अनुसार रूपये 1559403-00 आहरित है। लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख को बार-बार मांग करने एवं पत्र के माध्यम से ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव को सूचना दी गई, परन्तु पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित व्यय धनराशि की पुष्टि में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए है। अतः उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) एवं ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः रूपये 1559403-00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा किया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमतीआरती देवी से रु 779701-50 एवं पंचायत सचिव श्री मुकेश उपाध्याय से रु 779701-50 तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैद्यानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही

(मूल आपत्ति सं0- 2)

80 ग्राम पंचायत मैधारी

प्रस्तर सं0- 141 मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत मैधरी के वर्ष 2021-22 से संबंधित मनरेगा योजना के तहत प्राप्त धनराशि के सापेक्ष वर्ष 21-22 में मजदूरी पर 380000-00 एवं सामग्री पर रु 156000-00 प्रशासनिक मद पर रु 17000-00 कुल रु 553000-00 से संबंधित व्यय प्रमाणक, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इस निमित्त प्रधान श्री राधेश्याम सचान एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री श्री आशीष सिंह के प्रतिआवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है

(मूल आपत्ति सं0- 3)

प्रस्तर सं0- 142 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 राज्य वित्त आयोग से प्रिया साफ्ट एकाउन्ट के अनुसार रूपये 633779-00 आहरित है। लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख की बार-बार मांग करने एवं पत्र के माध्यम से ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव को सूचना दी गई, परन्तु पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित व्यय धनराशि की पुष्टि में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए है। अतः उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) एवं ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः रूपये 633779-00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा किया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राधेश्याम सचान से रू.316889-50 एवं पंचायत सचिव श्री आशीष सिंह से रु 316889-50 तातारीख व्याज सहित दण्डात्मक एवं वैद्यानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

(मूल आपत्ति सं0- 1)

प्रस्तर सं0- 143 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 चौदहवां वित्त आयोग से प्रिया सापट एकाउन्ट के अनुसार रूपये 793052-00 आहरित है। लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख की बार-बार मांग करने एवं पत्र के माध्यम से ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव को सूचना दी गई, परन्तु पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित व्यय धनराशि की पुष्टि में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए है। अतः उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) एवं ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः रूपये 793052-00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा किया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राधेश्याम सचान से रु 396526-00 एवं पंचायत सचिव श्री आशीष सिंह से रु 396526-00 तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैद्यानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

(मूल आपत्ति सं0- 2)

81 ग्राम पंचायत धरछुआ

प्रस्तर सं0- 144 मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत के वर्ष 2021-22 से संबंधित मनरेगा योजना के तहत प्राप्त धनराशि के सापेक्ष वर्ष 21-22 में मजदूरी पर 84000-00 एवं, सामग्री पर रु 80000-00 प्रशासनिक मद पर रु 50000-00 कुल रु 214000-00 से संबंधित ब्यय प्रमाणक, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इस निमित्त प्रधान श्री दिरपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष सिंह के प्रति आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है

(मूल आपत्ति सं0- 3)

प्रस्तर सं0- 145 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 राज्य वित्त आयोग से प्रिया साफ्ट एकाउन्ट के अनुसार रूपये 763880-00 आहरित है। लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख की बार-बार गांग करने एवं पत्र के माध्यम से ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव को सूचना दी गई, परन्तु पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित व्यय धनराशि की पुष्टि में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए है। अतः उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) एवं ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः रूपये 763880-00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा किया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री दिरपाल सिंह से रु381940-00 एवं पंचायत सचिव श्री आशीष सिंह से रु 381940-00 तातारीख व्याज सहित दण्डात्मक एवं वैद्यानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

(मूल आपत्ति सं0- 1)

प्रस्तर सं0- 146 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 चौदहवां वित्त आयोग से प्रिया सापट एकाउन्ट के अनुसार रूपये 766812-00 आहरित है। लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख की बार-बार मांग करने एवं पत्र के माध्यम से ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव को सूचना दी गई, परन्तु पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित व्यय धनराशि की पुष्टि में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए है। अतः उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) एवं ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः रूपये 766812-00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा किया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री दिरपाल सिंह से रु 383406-00 एवं पंचायत सचिव श्री आशीष सिंह से रु 383406-00 तातारीख ब्याज सहित दण्डात्मक एवं वैद्यानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

(मूल आपत्ति सं0- 2)

82 ग्राम पंचायत मेहर अलीपुर

प्रस्तर सं0-147 मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत मेहर अलीपुर के वर्ष 2021-22 से संबंधित मनरेगा योजना के तहत प्राप्त धनराशि के सापेक्ष वर्ष 21-22 में मजदूरी पर 333000-00 एवं, सामग्री पर रु 0-00 प्रशासनिक मद पर रु 0-00 कूल रु 333000-00 से संबंधित व्ययं प्रमाणक, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इस निमित्त प्रधान श्री सुमित यादव एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री केसरी चन्द्र एवं श्री रामनरेश पटेल के प्रतिआवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0- 3)

प्रस्तर सं0- 148 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 21-22 के अन्तर्गत राज्य वित्त के तहत कुल व्यय रु- 808351-00 व्यय/ आहरण दर्शित पाया गया गया, जिसके सापेक्ष केवळ रुपया 433760-0 (अवधि 01/08/2021 से 31/3/2022 तक के) व्यय प्रमाणक ग्राम सचिव श्री रामनरेश पटेल द्वारा प्रस्तुत किये गये। एवं शेष रु 374591-00 के व्यय प्रमाणक (अवधि 01/04/2021 से 31/07/2021 तक के) लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुमित यादव एवं ग्राम सचिव श्री केसरी चन्द्र को उत्तरदायी मानते हुए रु 187295-50 प्रधान श्री सुमित यादव एवं रु 187295-50 ग्राम सचिव श्री केसरी चन्द्र से वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति सं0- 1)

प्रस्तर सं0-149 लेखापरीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 2021-2022 के अन्तर्गत पन्द्रहवां केन्द्रीयवित्त के तहत कुल व्यय रु 1131402-00 का व्यय/आहरण दर्शित पाया गया जिसके सापेक्ष केवल रुपया 696781-00 (अवधि01/08/2021 से 31/03/2022 तक के) के ब्यय प्रमाणक ग्राम सचिव श्री रामनरेश पटेल द्वारा प्रस्तुत किये गये। एवं शेष रु 434621-00 के ब्यय प्रमाणक (अवधि 1/04/2021 से 31/7/2021 तक के) लेखा परीक्षा मेंअप्रस्तुत रहे। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुमीत यादव एवं ग्राम सचिव श्री केसरी चन्द्र को उतरदायी मानते हुए रु 217310-50 प्रधान श्री सुमित यादव एवं रू 217310-50 ग्राम सचिव श्री केसरी चन्द्र से वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति सं0- 2)

83 ग्राम पंचायत कोरिया

प्रस्तर सं0- 150 मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत कोरिया के वर्ष 2021-22 से संबंधित मनरेगा योजना के तहत प्राप्त धनराशि के सापेक्ष वर्ष 21-22 में मजदूरी पर 1167000-00 एवं, सामग्री पर रु 0-00 प्रशासनिक मद पर रु 0-00 कुल रु 1167000-00 से संबंधित व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इस निमित्त प्रधान श्री रजोल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री निशांत चंद्राकर एवं चंद्रकांत मिश्र के प्रतिआवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0- 3)

प्रस्तर सं0-151 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 21-22 के अन्तर्गत राज्य वित्त के तहत कुल व्यय रु-2145971-00 व्यय/ आहरण दर्शित पाया गया गया, जिसके सापेक्ष केवळ रुपया 1011719-00 (अवधि 01/04/2021 से 31/7/2022 तक के) व्यय प्रमाणक ग्राम सचिव श्री चंद्रकांत मिश्र द्वारा प्रस्तुत किये गये। एवं शेष रु 1134252-00 के व्यय प्रमाणक (अवधि 01/08/2021 से 31/03/2022 तक के) लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रजोल एवं ग्राम सचिव श्री निशांत चंद्राकर को उत्तरदायी मानते हुए रु 567126-00 प्रधान श्री रजोल एवं रु 567126-00 ग्राम सचिव श्री निशांत चंद्राकर से वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति सं0- 1)

प्रस्तर सं0-152 लेखापरीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेट के अनुसार वर्ष 2021-2022 के अन्तर्गत पन्द्रहवां केन्द्रीयवित्त के तहत कुल व्यय रु 3469895-00 का व्यय/आहरण दर्शित पाया गया जिसके सापेक्ष केवल रुपया 1911828-00 (अवधि01/04/2021से 31/07/2022 तक के) के ब्यय प्रमाणक ग्राम सचिव श्रीचंद्रकांत मिश्र द्वारा प्रस्तुत किये गये। एवं शेष रु 1558067-00 के ब्यय प्रमाणक (अवधि 1/08/2021 से 31/03/2022 तक के) लेखा परीक्षा मेंअप्रस्तुत रहे। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीरजोल एवं ग्राम सचिव श्री निशांत चंद्राकर को उतरदायी मानते हुए रु 779033-50 प्रधान श्री रजोल एवं रू 779033-50 ग्राम सचिव निशांत चंद्राकर से वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति सं0- 2)

84 ग्राम पंचायत फत्तेपुर

प्रस्तर सं0-153 मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत फत्तेपुर के वर्ष 2021-22 से संबंधित मनरेगा योजना के तहत प्राप्त धनराशि के सापेक्ष वर्ष 21-22 में मजदूरी पर 228000-00 एवं, सामग्री पर रु 0-00 प्रशासनिक मद पर रु 50000-00 कुल रु 278000-00 से संबंधित ब्यय प्रमाणक, मास्टर रोल आदि

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इस निमित्त प्रधान श्री रामप्रसाद एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री निशांत चंद्राकर एवं श्री जयप्रकाश के प्रतिआवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0- 3)

प्रस्तर सं0-154 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 21-22 के अन्तर्गत राज्य वित्त के तहत कुल व्यय रु-260550-00 व्यय/ आहरण दर्शित पाया गया गया, जिसके सापेक्ष केवळ रुपया 184347-00 (अवधि 01/04/2021 से 31/7/2022 तक के) व्यय प्रमाणक ग्राम सचिव श्री जयप्रकाश द्वारा प्रस्तुत किये गये। एवं शेष रु 76203-00 के व्यय प्रमाणक (अवधि 01/08/2021 से 31/03/2022 तक के) लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामप्रसाद एवं ग्राम सचिव श्री निशांत चंद्राकर को उत्तरदायी मानते हुए रु 38101-50 प्रधान श्री रामप्रसाद एवं रु 38101-50 ग्राम सचिव श्री निशांत चंद्राकर से वसूल की जानी चाहिए ।

(मूल आपत्ति सं0- 1)

प्रस्तर सं0- 155 लेखापरीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेट के अनुसार वर्ष 2021-2022 के अन्तर्गत पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त के तहत कुल व्यय रु 379235-00 का व्यय/आहरण दर्शित पाया गया जिसके सापेक्ष केवल रुपया 27000-00 (अवधि01/04/2021 से 31/07/2022 तक के) के ब्यय प्रमाणक ग्राम सचिव श्री जयप्रकाश द्वारा प्रस्तुत किये गये। एवं शेष रु 352235-00 के व्यय प्रमाणक (अवधि 1/08/2021 से 31/03/2022 तक के) लेखा परीक्षा मेंआप्रस्तुत रहे। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामप्रसाद एवं ग्राम सचिव श्री निशांत चंद्राकर को उतरदायी मानते हुए रु 176117-50 प्रधान श्री रामप्रसाद एवं क 176117-50 ग्राम सचिव श्री निशांत चंद्राकर से वसूल की जानी चाहिए। पन्द्रहवां

(मूल आपत्ति सं0- 2)

85 ग्राम पंचायत बावन

प्रस्तर सं0-156 मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत बावन के वर्ष 2021-22 से संबंधित मनरेगा योजना के तहत प्राप्त धनराशि के सापेक्ष वर्ष 21-22 में मजदूरी पर 306000-00 एवं, सामग्री पर रु 0-00 प्रशासनिक मद पर रु 29000-00 कूल रु 335000-00 से संबंधित ब्यय प्रमाणक, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इस निमित्त प्रधान श्री अरविन्द कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री पुष्पेन्द सिंह एवं श्री रोहन कन्नौजिया के प्रति आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0- 3)

प्रस्तर सं0-157 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 21-22 के अन्तर्गत राज्य वित्त के तहत कुल व्यय रु- 672309-00 व्यय/ आहरण दर्शित पाया गया गया, जिसके सापेक्ष केवळ रुपया 580865-00 (अवधि 01/08/2021 से 31/03/2022 तक के) व्यय प्रमाणक ग्राम सचिव श्री रोहन कन्नौजिया द्वारा प्रस्तुत किये गये। एवं शेष रु91444-00 के व्यय प्रमाणक (अवधि 01/04/2021 से 31/07/2021 तक के) लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे । जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अरविन्द कुमार एवं ग्राम सचिव श्री पुष्पेन्द्र सिंह को उत्तरदायी मानते हुए रु 45722-00 प्रधान श्री अरविन्द कुमार एवं रु 45722-00 ग्राम सचिव श्री पुष्पेन्द्र सिंह से वसूल की जानी चाहिए । (मूल आपत्ति सं0- 1)

प्रस्तर सं0- 158 लेखापरीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 2021-2022 के अन्तर्गत पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त के तहत कुल व्यय रू 1003266-00 का व्यय/आहरण दर्शित पाया गया जिसके सापेक्ष केवल रुपया 678734-00 (अवधि01/08/2021स 31/03/2022 तक के) के व्यय प्रमाणक ग्राम सचिव श्री रोहन कन्नौजिया द्वारा प्रस्तुत किये

गये। एवं शेष रु 324532-00 के ब्यय प्रमाणक (अवधि 1/04/2021 से 31/07/2021 तक के) लेखा परीक्षा मेंअप्रस्तुत रहे। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अरविन्द कुमार एवं ग्राम सचिव श्री पुष्पेन्द्र सिंह को उतरदायी मानते हुए रु 162266-00 प्रधान श्रीअरविन्द कुमार एवं रू 162266-00 ग्राम सचिव श्री पुष्पेन्द सिंह से वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति सं0- 2)

86 ग्राम पंचायत पडरी गंगादीन

प्रस्तर सं0- 159 मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत पंडरी गंगादीन के वर्ष 2021-22 से संबंधित मनरेगा योजना के तहत प्राप्त धनराशि के सापेक्ष वर्ष 21-22 में मजदूरी पर 288000-00 एवं सामग्री पर रु 0-00 प्रशासनिक मद पर रु-00 कुल रु 288000-00 से संबंधित ब्यय प्रमाणक, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में भौतिक रूप में अप्रस्तुत रहे जो गंभीर अनियमितता है। इस निमित्त प्रधान श्री मोहित सचान एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री केसरीचंद एवं श्री रोहन कन्नौजिया के प्रति आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0- 3)

प्रस्तर सं0- 160 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 21-22 के अन्तर्गत राज्य वित्त के तहत कुल व्यय रु-645849-80- व्यय/ आहरण दर्शित पाया गया गया, जिसके सापेक्ष केवळ रुपया 442693-80 (अवधि 01/08/2021 से 31/03/2022 तक के) व्यय प्रमाणक ग्राम सचिव श्री रोहन कन्नौजिया द्वारा प्रस्तुत किये गये। एवं शेष रु203156-00 के व्यय प्रमाणक (अवधि 01/04/2021 से 31/07/2021 तक के) लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मोहित सचान एवं ग्राम सचिव श्री केसरीचंद्र को उतरदायी मानते हुए रु 101578-00 प्रधान श्री मोहित सचान एवं रु 101578-00 ग्राम सचिव श्री केसरीचंद्र से वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति सं0- 1)

प्रस्तर सं0- 161 लेखापरीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेट के अनुसार वर्ष 2021-2022 के अन्तर्गत पन्द्रहवां केन्द्रीयवित्त के तहत कुल व्यय रु 950285-00 का व्यय/आहरण दर्शित पाया गया जिसके सापेक्ष केवल रुपया 674434-00 (अवधि01/08/2021 से 31/03/2022 तक के) के व्यय प्रमाणक ग्राम सचिव श्री रोहन कन्नौजिया द्वारा प्रस्तुत किये गये। एवं शेष रु 275851-00 के ब्यय प्रमाणक (अवधि 1/04/2021 से 31/07/2021 तक के) लेखा परीक्षा मेंअप्रस्तुत रहे। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मोहित सचान एवं ग्राम सचिव श्री केसरीचंद्र को उतरदायी मानते हुए रु 137925-50- प्रधान श्री मोहित सचान एवं रू 137925-50-00 ग्राम सचिव श्री केसरीचंद्र से वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति सं0- 2)

8 विकास खंड शिवराजपुर-

87 ग्राम पंचायत कीरतपुर

प्रस्तर सं0-162 आलोच्य वर्ष में कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार 1 अप्रैल ,2021 से 31 जुलाई ,2021 तक की अवधि में रूपए 427602-00 का व्यय दर्शित है-उक्त व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल,मस्टररोल,ट्रांसफर विवरण),मूल-पत्रावली-एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे - स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली,सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की

पत्रावलियां ,कार्य की माप पुस्तिका,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/ आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी| अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा |इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी|" के अंतर्गत अधिभार योग्य है |अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध संदर्भित व्यय की धनराशि रुपए 427602-00 में से 50 प्रतिशत धनराशि रुपए 213801-00 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्री मुकेश कुमार से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि में रुपए 213801-00 सचिव ग्राम पंचायत(ग्रामपंचायत/विकासअधिकारी)- श्री सुरेश चंद्र से जांचोपरांत उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-256 के अनुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है|

(मूल आपत्ति संख्या-

01)

प्रस्तर सं0-163 ग्राम पंचायत के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखापरीक्षा में भौति क रूप से अनुपलब्ध रहे- अतः ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू. 614428-00 (सामग्री पर व्यय रू. 18000-00 व मजदूरी पर व्यय रू. 596428-00) के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी |समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है |पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू. 614428-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों-ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सुरेश चंद्र व श्री अमिताभ पाल व ग्राम प्रधान श्री मुकेश कुमार से वसूली की अपेक्षा की जाती है | नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

(मूल आपत्ति संख्या-14)

88 ग्राम पंचायतदाहारुद्रपुर–

प्रस्तर सं0-164 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के पंचम राज्य वित्त एवं15 वा केंद्रीय वित्त मद से रुपए 495886-00 का व्यय दर्शित किया गया है| उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूलप्रति(बिल,मस्टररोल,ट्रांसफर विवरण),मूल-पत्रावली-एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-अनुमोदित कार्ययोजना,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोशबही,बैंक पासबुक,स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली,सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां ,कार्य की माप पुस्तिका,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ,सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/ आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी| बैंक पासबुक,अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी| अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा |इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी|" के अंतर्गत अधिभार योग्य है |अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई-ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित

व्यय की धनराशि रुपए 495886-00 में से 50प्रतिशत धनराशि रुपए 247943-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्रीमती पार्वती से तथा शेष 50प्रतिशत धनराशि रुपए 247943-00 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शाश्वत श्रीवास्तव से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-256 के अनुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है|बैंक पासबुक तथा मूल कोशबही अनुपलब्ध रहने से राज्य व केन्द्रीय वित्त खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा-|ग्राम निधि-राज्य व केन्द्रीय वित्त खाता से किया गया आहरण यदि ई-ग्रामस्वराज/ प्रियासॉफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है | (मूल आपत्ति संख्या-01)

प्रस्तर सं0-165 ग्राम पंचायत के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे-अतः ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू. 571973-00 (सामग्री पर व्यय रू. 9000-00 व मजदूरी पर व्यय रू. 562973-00) के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी| समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है | पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू. 571973-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों-ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शाश्वत श्रीवास्तव व ग्राम प्रधान श्रीमती पार्वती से वसूली की अपेक्षा की जाती है | नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

(मूल आपत्ति संख्या-02)

89 ग्राम पंचायत दुबियाना-

प्रस्तर सं0-166 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के पंचम राज्य वित्त एवं15 वा केंद्रीय वित्त मद से रुपए 902893-00 का व्यय दर्शित किया गया है| उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूलप्रति)बिल,मस्टररोल,ट्रांसफर विवरण(,मूल-पत्रावली-एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे–अनुमोदित कार्ययोजना,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोशबही,बैंक पासबुक,स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली,सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन /टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां ,कार्य की माप पुस्तिका,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ,सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित /आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी| बैंक पासबुक,अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी|अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा |इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क (यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी|" के अंतर्गत अधिभार योग्य है |अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई-ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपए 902893-00 में से 50प्रतिशत धनराशि रुपए 451446-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्रीमती प्रीति द्विवेदी से तथा शेष 50प्रतिशत धनराशि रुपए 451446-50 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजेश पाल से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-256 के अनुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है|बैंक पासबुक तथा मूल कोशबही अनुपलब्ध रहने से राज्य व केन्द्रीय वित्त खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा-|ग्राम निधि-राज्य व केन्द्रीय वित्त खाता से किया गया आहरण यदि ई-ग्रामस्वराज /प्रियासॉफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है |

(मूल आपत्ति संख्या-01)

प्रस्तर सं0-167 ग्राम पंचायत के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे-अतः ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू. 388017-00 (सामग्री पर व्यय रू. 18000-00 व मजदूरी पर व्यय रू. 370017-00) के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी | समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है | पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में रू. 388017-00 की सुसंगत ब्याज सहित समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों-ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजेश पाल व ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीति द्विवेदी से वसूली की अपेक्षा की जाती है | नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

(मूल आपत्ति संख्या-02)

90 ग्राम पंचायतनिवादा तारापति

प्रस्तर सं0-168 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के पंचम राज्य वित्त एवं15 वा केंद्रीय वित्त मद से रुपए 587485-00 का व्यय दर्शित किया गया है| उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूलप्रति)बिल,मस्टररोल,ट्रांसफर विवरण(,मूल-पत्रावली-एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे–अनुमोदित कार्ययोजना,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोशबही,बैंक पासबुक,स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली,सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन /टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां ,कार्य की माप पुस्तिका,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ,सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित /आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी| बैंक पासबुक,अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी|अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा | इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क (यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी|" के अंतर्गत अधिभार योग्य है |अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई-ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपए 587485-00 में से 50प्रतिशत धनराशि रुपए 293742-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान-कुमारी संध्या से तथा शेष 50प्रतिशत धनराशि रुपए 293742-50 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शाश्वत श्रीवास्तव से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-256 के अनुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है| बैंक पासबुक तथा मूल कोशबही अनुपलब्ध रहने से राज्य व केन्द्रीय वित्त खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा-|ग्राम निधि-राज्य व केन्द्रीय वित्त खाता से किया गया आहरण यदि ई-ग्रामस्वराज /प्रियासॉफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है |

(मूल आपत्ति संख्या-01)

प्रस्तर सं0-169 ग्राम पंचायत के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे- अतः ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू. 4700 48-00 (सामग्री पर व्यय रू. 18000-00 व मजदूरी पर व्यय रू. 452048) के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी | पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों

में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी|" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | मनरेगा /पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों,अधिनियमों के अंतर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति मे इसकी बसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शाश्वत श्रीवास्तव एवं ग्राम प्रधान कुमारी संध्या से बराबर हिस्सों मे किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है|

(मूल आपत्ति संख्या-02)

91 ग्राम पंचायत नवादा मधाई

प्रस्तर सं0-170 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के पंचम राज्य वित्त एवं15 वा केंद्रीय वित्त मद से रुपए 769333-00 का व्यय दर्शित किया गया है| उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूलप्रति(बिल,मस्टररोल,ट्रांसफर विवरण),मूल-पत्रावली-एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-अनुमोदित कार्ययोजना,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोशबही,बैंक पासबुक,स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली,सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां ,कार्य की माप पुस्तिका,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ,सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/ आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी| बैंक पासबुक,अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी|अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा | इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी|" के अंतर्गत अधिभार योग्य है |अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई-ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपए 769333-00 में से 50प्रतिशत धनराशि रुपए 384666-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान- श्री कैलाश से तथा शेष 50प्रतिशत धनराशि रुपए 384666-50 सचिव ,ग्राम पंचायत(ग्रामपंचायत/विकासअधिकारी)- श्री शाश्वत श्रीवास्तव से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-256 के अनुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है|बैंक पासबुक तथा मूल कोशबही अनुपलब्ध रहने से राज्य व केन्द्रीय वित्त खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा-|ग्राम निधि-राज्य व केन्द्रीय वित्त खाता से किया गया आहरण यदि ई-ग्रामस्वराज/ प्रियासॉफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है |

(मूल आपत्ति संख्या-01)

प्रस्तर सं0-171 ग्राम पंचायत के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे- अतः ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू. 207157-00 (सामग्री पर व्यय रू. 00-00 व मजदूरी पर व्यय रू. 207157-00) के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी | पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा

सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी|" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | मनरेगा /पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों,अधिनियमों के अंतर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति मे इसकी बसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शाश्वत श्रीवास्तव एवं ग्राम प्रधान श्री कैलाश से बराबर हिस्सों मे किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है |

(मूल आपत्ति संख्या-02)

92 ग्राम पंचायत बिल्हन

प्रस्तर सं0-172 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के पंचम राज्य वित्त एवं15 वा केंद्रीय वित्त मद से रुपए 2125582-00 का व्यय दर्शित किया गया है| उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूलप्रति(बिल,मस्टररोल,ट्रांसफर विवरण),मूल-पत्रावली-एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-अनुमोदित कार्ययोजना,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोशबही,बैंक पासबुक,स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली,सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां ,कार्य की माप पुस्तिका,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ,सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/ आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी| बैंक पासबुक,अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी|अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा |इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी|" के अंतर्गत अधिभार योग्य है |अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई-ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपए 2125582-00 में से 50प्रतिशत धनराशि रुपए 1062791-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्रीमती राजरानी से तथा शेष 50प्रतिशत धनराशि रुपए 1062791-00 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शाश्वत श्रीवास्तव से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-256 के अनुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है| बैंक पासबुक तथा मूल कोशबही अनुपलब्ध रहने से राज्य व केन्द्रीय वित्त खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा-|ग्राम निधि-राज्य व केन्द्रीय वित्त खाता से किया गया आहरण यदि ई-ग्रामस्वराज/ प्रियासॉफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है |

(मूल आपत्ति संख्या-01)

प्रस्तर सं0-173 ग्राम पंचायत के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे- अतः ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरणपर रू. 825772-00 (सामग्री पर व्यय रू. 22500-00 व मजदूरी पर व्यय रू. 803272) के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत

अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी |पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी|" के अंतर्गत अधिभार योग्य है |मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों,अधिनियमों के अंतर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति मे इसकी बसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शाश्वत श्रीवास्तव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती राजरानी से बराबर हिस्सों मे किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है |

(मूल आपत्ति संख्या-02)

93 ग्राम पंचायत महीपालपुर

प्रस्तर सं0-174 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के पंचम राज्य वित्त एवं15 वा केंद्रीय वित्त मद से रुपए 1435642-00 का व्यय दर्शित किया गया है| उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूलप्रति(बिल,मस्टररोल,ट्रांसफर विवरण),मूल-पत्रावली-एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-अनुमोदित कार्ययोजना,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोशबही,बैंक पासबुक,स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली,सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां ,कार्य की माप पुस्तिका,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ,सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/ आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी| बैंक पासबुक,अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी|अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा |इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी|" के अंतर्गत अधिभार योग्य है |अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई-ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपए 1435642-00 में से 50 प्रतिशत धनराशि रुपए 717821-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान- श्री आशुतोष से तथा शेष 50प्रतिशत धनराशि रुपए 717821-00 सचिव ,ग्राम पंचायत(ग्रामपंचायत/विकास अधिकारी)- श्री शाश्वत श्रीवास्तव से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-256 के अनुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है|बैंक पासबुक तथा मूल कोशबही अनुपलब्ध रहने से राज्य व केन्द्रीय वित्त खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा-|ग्राम निधि-राज्य व केन्द्रीय वित्त खाता से किया गया आहरण यदि ई-ग्रामस्वराज/ प्रियासॉफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है |

(मूल आपत्ति संख्या-01)

प्रस्तर सं0-175 ग्राम पंचायत के मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे अतः ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू. 432323-00 (सामग्री पर व्यय रू. 22500-00 व मजदूरी पर व्यय रू. 409823) के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी |पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (कयह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी|" के अंतर्गत अधिभार योग्य है |मनरेगा /पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों,अधिनियमों के अंतर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति मे इसकी बसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शाश्वत श्रीवास्तव एवं ग्राम प्रधान श्री आशुतोष से बराबर हिस्सों मे किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है|

(मूल आपत्ति संख्या-02)

9 विकास खण्ड कल्यानपुर-

94 ग्राम पंचायत कुरसौली-

प्रस्तर सं0-176 ग्राम पंचायत के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा करने के लिए इंटीमेशन लेटर ऑनलाइन भेजा गया था । जिसे सचिव द्वारा स्वीकार किया गया |इसके अतिरिक्त इंटीमेशन भेजने के पूर्व भी ग्राम पंचयतों की लेखा परीक्षा का तिथीवार दर्शित कार्यक्रम का पत्र खण्ड विकास अधिकारी सहायक विकास/ अधिकारी (पंचायत) को भी प्रेषित किया गया था|सभी प्रयासों के बावजूद ग्राम पंचायत सचिव प्रधान के द्वारा/ लेखा परीक्षा कंे लिए कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए- जब कि उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत "ग्राम पंचायतों के वित्तीय एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8के प्रस्तर 7-मे प्रावधानित है कि ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुक"्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचार तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये |"अतः उक्त का पालन नहीं किया गया |

ई ग्राम स्वराज से ही निर्धारित तिथि मे लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई-|निर्देशों के बावजूद भी संबंधित सचिव द्वारा लेखा परीक्षा को कोई महत्व नहीं दिया गया व राजकीय कार्य के प्रति उदासीनता बरती गई |ई ग्राम-स्वराज के अनुसार आय-व्यय विवरण निम्नवत है|-

वित्तीय वर्ष 2021-22मे ग्राम निधि खाता 1-से तथा 14वे /15वे व मनरेगा से आहरित डेबिट /व्यय/ की गयी/धनराशि रु0-1682921-00है उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा|*निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एव लेखा प्रबंध हेतलेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर " क मे प्रावधानित है कि8यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता/है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी "| वसूलीके साथ साथ जिला-पंचायतीराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409-के तहत गबन अपहरण का मुकदमा भी सक्षम/ न्यायालय मे चलाया जा सकंेगा "|*

वित्तीय वर्ष2021-22-मे मनरेगा मद से आहरित डेबिट /व्यय की गयी//धनराशिरु0-156733-00उक्त नियम केअनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं / करने के कारण अपहरण ,अनियमितता **प्रतीत होती है |अनियमित व्यय कुल धनराशि रु0-156733-00की वसूली ब्याज सहित निम्नानुसार किया जाना अपेक्षित है तथा वसूली के साथ साथ-*जिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409-के तहत गबन अपहरण का/***

***मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाना*तथा सचिव के बिरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है -।**

क्र -अपहरित धनराशि के लिये उत्तरदायी ब्यक्ति	वसूली योग्य धनराशि
1-तात्कालिक ग्राम पंचायत -विकास अधिकारी / श्रीमती शालिनी मिश्रा	**78366.50**
2-तात्कालिक ग्राम प्रधान- **श्री अमित सिंह**	**78366.50**

योग -156733.00

(मूल आपत्ति संख्या -1)

95 ग्राम पंचायत पकरी-

प्रस्तर सं0-177 ग्राम पंचायत के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा करने के लिए इंटीमेशन लेटर ऑनलाइन भेजा गया था । जिसे सचिव द्वारा स्वीकार किया गया |इसके अतिरिक्त इंटीमेशन भेजने के पूर्व भी ग्राम पंचयतों की लेखा परीक्षा का तिथीवार दर्शित कार्यक्रम का पत्र खण्ड विकास अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को भी प्रेषित किया गया था |सभी प्रयासों के बावजूद ग्राम पंचायत सचिव /प्रधान के द्वारा लेखा परीक्षा के लिए कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए- जब कि उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत ''ग्राम पंचायतों के वित्तीय एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर -7 मे प्रावधानित है कि ''ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचार तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये |''अतः उक्त का पालन नहीं किया गया |

ई-ग्राम स्वराज से ही निर्धारित तिथि मे लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई |निर्देशों के बावजूद भी संबंधित सचिव द्वारा लेखा परीक्षा को कोई महत्व नहीं दिया गया व राजकीय कार्य के प्रति उदासीनता बरती गई |ई-ग्राम स्वराज के अनुसार आय-व्यय विवरण निम्नवत है |-

प्रा0 शेष	आय	व्यय	अन्तिम शेष
2883231-30	**1005750-00**	**647021-00**	**3241960-30**

वित्तीय वर्ष 2021-22मे ग्राम निधि खाता 1-से तथा 14वे /15वे व मनरेगा से आहरित डेबिट /व्यय/ की गयी/धनराशि रु0-647021-00है उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा|*निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एव लेखा प्रबंध हेतलेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर " क मे प्रावधानित है कि8यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते/ हुये उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी "| वसूलीके साथ साथ-जिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा -409के तहत गबन अपहरण का मुकदमा भी/ "| सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा*उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय) 8कके अनुसार(ग्राम पंचायत मे कियेगए व्ययों के अिभलेख उपलब्धनहोने की दशा मे व्ययों को काल्पनिक मानते हुये गबन माना गया है । अतःवर्ष2021-22-मे वे एवं 15 वे वित्त से आहरित कुल धनराशिरु 14o -647021-00 मे से** रु0 -**456781-00**के व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपहरण प्रतीत होता है | अपहरत धनराशि रु0 -**456781-00** की वसूली मय ब्याज सहित ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान से नियमानुसार की जानी अपेक्षित है तथा वसूली के साथ साथ पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409-के तहत गबनअपहरण का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय म/े चलाया जाना एवं सचिव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी उक्त नियम के अनुसार अपेक्षित है |

क्र-अपहरत धनराशि के लिए उत्तरदायी ब्यक्ति	वसूली योग्य धनराशि
-1तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव -**श्री लवकुश वर्मा**	**228390-50**
-2ग्राम प्रधान श्रीमती प्रभा सिंह	228390-**50**

-

योग -456781-00

(मूल आपत्ति संख्या -1)

96 ग्राम पंचायत परगही बाँगर-

प्रस्तर सं0-178 ग्राम पंचायत के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा करने के लिए इंटीमेशन लेटर ऑनलाइन भेजा गया था । जिसे सचिव द्वारा स्वीकार किया गया |इसके अतिरिक्त इंटीमेशन भेजने के पूर्व भी ग्राम पंचयतों की लेखा परीक्षा का तिथीवार दर्शित कार्यक्रम का पत्र खण्ड विकास अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को भी प्रेषित किया गया था |सभी प्रयासों के बावजूद ग्राम पंचायत सचिव /प्रधान के द्वारा लेखा परीक्षा के लिए कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए- जब कि उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत ''ग्राम पंचायतों के वित्तीय एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर -7 मे प्रावधानित है कि ''ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचार तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये |''अतः उक्त का पालन नहीं किया गया |

ई-ग्राम स्वराज से ही निर्धारित तिथि मे लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई |निर्देशों के बावजूद भी संबंधित सचिव द्वारा लेखा परीक्षा को कोई महत्व नहीं दिया गया व राजकीय कार्य के प्रति उदासीनता बरती गई |ई-ग्राम स्वराज के अनुसार आय-व्यय विवरण निम्नवत है | वित्तीय वर्ष 2021-22मे ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे व मनरेगा से आहरित /डेबिट /व्यय की गयी /धनराशि रु0-1614629-00है |उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एव लेखा प्रबंध हेतलेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर क मे प्रावधानित है कि8 "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई प्रमाणक /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी |" वसूलीके साथ -साथ जिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा -409के तहत गबन /अपहरण का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा |"

वित्तीय वर्ष-2021-22मे मनरेगा से आहरित /डेबिट /व्यय की गयी /धनराशिरु0-101472-00उक्त नियम केअनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं , करने के कारण अपहरण /अनियमितता प्रतीत होती है | अनियमित कुल धनराशि रु0-101472-00की वसूली ब्याज सहित निम्नानुसार किया जाना अपेक्षित है तथा वसूली के साथ -साथजिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा -409के तहत गबन /अपहरण का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाना तथा सचिव के बिरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है |

क्र -अपहरित धनराशि के लिये उत्तरदायी ब्यक्ति	**वसूली योग्य धनराशि**
1- ग्राम पंचायत अधिकारी -श्रीमती शालिनी मिश्रा	**50736.00**
2-**ग्राम प्रधान-**श्रीमती पूनम	**50736.00**

योग -101472-00

(मूल आपत्ति संख्या-1)

97 ग्राम पंचायत बगदौधी बाँगर-

प्रस्तर सं0-179 ग्राम पंचायत के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा करने के लिए इंटीमेशन लेटर ऑनलाइन भेजा गया था । जिसे सचिव द्वारा स्वीकार किया गया |इसके अतिरिक्त इंटीमेशन भेजने के पूर्व भी ग्राम पंचयतों की लेखा परीक्षा का तिथीवार दर्शित कार्यक्रम का पत्र खण्ड विकास अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को भी प्रेषित किया गया था |सभी प्रयासों के बावजूद ग्राम पंचायत सचिव /प्रधान के द्वारा

लेखा परीक्षा के लिए कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए- जब कि उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत ''ग्राम पंचायतों के वित्तीय एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर -7 मे प्रावधानित है कि ''ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचार तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये |''अतः उक्त का पालन नहीं किया गया |

ई-ग्राम स्वराज से ही निर्धारित तिथि मे लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई |निर्देशों के बावजूद भी संबंधित सचिव द्वारा लेखा परीक्षा को कोई महत्व नहीं दिया गया व राजकीय कार्य के प्रति उदासीनता बरती गई |ई-ग्राम स्वराज के अनुसार आय-व्यय विवरण निम्नवत है |-

प्रा० शेष	आय	व्यय	अन्तिम शेष
अज्ञात	**8272140-00**	**1686782-00**	अज्ञात

वित्तीय वर्ष-2021- 22मे मनरेगा से आहरित /डेबिट /व्यय की गयी /धनराशिरु0-171955-00उक्त नियम केअनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं ,करने के कारण अपहरण /अनियमितता प्रतीत होती है |अनियमित कुल धनराशि रु0-171955-00की वसूली ब्याज सहित निम्नानुसार किया जाना अपेक्षित है तथा वसूली के साथ -साथजिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा -409के तहत गबन /अपहरण का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाना तथा सचिव के बिरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है |

क्र -अपहरित धनराशि के लिये उत्तरदायी ब्यक्ति **वसूली योग्य धनराशि**

1- ग्राम पंचायत अधिकारी -श्री संजय मिश्रा **85977.50-**

2-**ग्राम प्रधान-**श्री राहुल प्रताप सिंह **85977.50-**

योग -171955-00

(मूल आपत्ति संख्या-1)

प्रस्तर सं0-180 उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय8 (क)के अनुसारग्राम पंचायत मे कियेगए व्ययों के अिभलेख उपलब्धनहोने की दशा मे व्ययों को काल्पनिक मानते हुये गबन माना गया है । अतःवर्ष-2021-22मे 14 वे एवं 15 वे वित्त से आहरित कुल धनराशिरु0- 1514827-00के अनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपहरण प्रतीत होता है | अपहरत धनराशि रु0- 1514827-00 की वसूली मय ब्याज सहित ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान से नियमानुसार की जानी अपेक्षित है तथा वसूली के साथ-साथ पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन/अपहरण का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाना एवं सचिव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी उक्त नियम के अनुसार अपेक्षित है |क्र- अपहरत धनराशि के लिए उत्तरदायी ब्यक्तिवसूली योग्य धनराशि

-1तात्कालिक ग्राम पंचायत प्रशासक -श्री संजय मिश्रा **757413-50**

-2ग्राम प्रधान -श्री राहुल प्रताप सिंह **757413-50**

---------- ----------

योग -1514827-00

(मूल आपत्ति संख्या -2)

98 ग्राम पंचायत बहेड़ा-

प्रस्तर सं0-181 ग्राम पंचायत के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा करने के लिए इंटीमेशन लेटर ऑनलाइन भेजा गया था । जिसे सचिव द्वारा स्वीकार किया गया |इसके अतिरिक्त इंटीमेशन भेजने के पूर्व भी

ग्राम पंचयतों की लेखा परीक्षा का तिथीवार दर्शित कार्यक्रम का पत्र खण्ड विकास अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को भी प्रेषित किया गया था |सभी प्रयासों के बावजूद ग्राम पंचायत सचिव /प्रधान के द्वारा लेखा परीक्षा के लिए कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए- जब कि उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत ''ग्राम पंचायतों के वित्तीय एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर -7 मे प्रावधानित है कि ''ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचार तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये |''अतः उक्त का पालन नहीं किया गया |ई-ग्राम स्वराज से ही निर्धारित तिथि मे लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई |निर्देशों के बावजूद भी संबंधित सचिव द्वारा लेखा परीक्षा को कोई महत्व नहीं दिया गया व राजकीय कार्य के प्रति उदासीनता बरती गई |ई-ग्राम स्वराज के अनुसार आय-व्यय विवरण निम्नवत है |-

वित्तीय वर्ष 2021-22मे ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे व मनरेगा से आहरित /डेबिट /व्यय की गयी /धनराशि रु0-2197831-00है |उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एव लेखा प्रबंध हेतलेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर क मे प्रावधानित है कि8 "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई प्रमाणक /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी |" वसूलीके साथ -साथ जिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा -409के तहत गबन /अपहरण का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा |"

वित्तीय वर्ष-2021-22मे मनरेगा मद से आहरित /डेबिट /व्यय की गयी /धनराशिरु0-76311-00उक्त नियम केअनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं , करने के कारण अपहरण /अनियमितता प्रतीत होती है |अनियमित व्यय कुल धनराशि रु0-76311-00की वसूली ब्याज सहित निम्नानुसार किया जाना अपेक्षित है तथा वसूली के साथ -साथजिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा -409के तहत गबन /अपहरण का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाना तथा सचिव के बिरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है |

क्र -अपहरित धनराशि के लिये उत्तरदायी ब्यक्ति	वसूली योग्य धनराशि
1-तात्कालिक ग्राम पंचायत-विकास विकास अधिकारी/ श्री हेतराम	**38155.50**
2-तात्कालिक प्रधान श्री चंद्रशेखर-	**38155.50**

योग - 76311-00

(मूल आपत्ति संख्या -1)

99 ग्राम पंचायत मकसूदाबाद-

प्रस्तर सं0-182 ग्राम पंचायत के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा करने के लिए इंटीमेशन लेटर ऑनलाइन भेजा गया था । जिसे सचिव द्वारा स्वीकार किया गया |इसके अतिरिक्त इंटीमेशन भेजने के पूर्व भी ग्राम पंचयतों की लेखा परीक्षा का तिथीवार दर्शित कार्यक्रम का पत्र खण्ड विकास अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को भी प्रेषित किया गया था |सभी प्रयासों के बावजूद ग्राम पंचायत सचिव /प्रधान के द्वारा लेखा परीक्षा के लिए कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए- जब कि उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत ''ग्राम पंचायतों के वित्तीय एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर -7 मे प्रावधानित है कि ''ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचार तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये |''अतः उक्त का पालन नहीं किया गया |ई-ग्राम स्वराज से ही निर्धारित तिथि मे लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई |निर्देशों के बावजूद भी संबंधित सचिव द्वारा लेखा परीक्षा को कोई महत्व नहीं दिया गया व राजकीय कार्य के प्रति उदासीनता बरती गई |ई-ग्राम स्वराज के अनुसार आय-व्यय विवरण निम्नवत है |

प्रा0 शेष	आय	व्यय	अन्तिम शेष
1991217-34	**2062220-00**	**3076671-00**	**976766-34**

वित्तीय वर्ष 2021-22मे ग्राम निधि खाता -1 से तथा 14वे /15वे व मनरेगा से आहरित /डेबिट /व्यय की गयी /धनराशि रु0-3076671-00है |उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एव लेखा प्रबंध हेतलेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर क मे प्रावधानित है कि8 "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई प्रमाणक /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी |" वसूलीके साथ -साथ जिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा -409के तहत गबन /अपहरण का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा |"

वित्तीय वर्ष-2021-22मे मनरेगा से आहरित /डेबिट /व्यय की गयी /धनराशिरु0-89184-00उक्त नियम केअनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं , करने के कारण अपहरण /अनियमितता प्रतीत होती है | अनियमित कुल धनराशि रु0- 89184-00की वसूली ब्याज सहित निम्नानुसार किया जाना अपेक्षित है तथा वसूली के साथ -साथजिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा -409के तहत गबन /अपहरण का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाना तथा सचिव के बिरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है |

क्र -अपहरित धनराशि के लिये उत्तरदायी ब्यक्ति	**वसूली योग्य धनराशि**
1- ग्राम पंचायत अधिकारी -श्री हेतराम	**44592.00**
2-**ग्राम प्रधान-**श्री नरेंद्र कुमार	**44592.00**

	योग 89184.00

(मूल आपत्ति संख्या-1)

प्रस्तर सं0-183 उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय8 (क)के अनुसारग्राम पंचायत मे कियेगए व्ययों के अिभलेख उपलब्धनहोने की दशा मे व्ययों को काल्पनिक मानते हुये गबन माना गया है । अतः वर्ष 2021-22 मे वे एवं 15 वे वित्त से आहरित कुल धनराशिर14 - 1305866-00के अनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपहरण प्रतीत होता है | अपहरत धनराशि रु0- 1305866-00 की वसूली मय ब्याज सहित ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान से नियमानुसार की जानी अपेक्षित है तथा वसूली के साथ-साथ पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन/अपहरण का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाना एवं सचिव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी उक्त नियम के अनुसार अपेक्षित है |

क्र- अपहरत धनराशि के लिए उत्तरदायी ब्यक्ति	वसूली योग्य धनराशि
-1तात्कालिक ग्राम पंचायत प्रशासक -श्री गजेन्द्र वर्मा	**652933-00**
-2ग्राम प्रधान -श्री नरेंद्र कुमार	**652933-00**

	योग -1305866-00

(मूल आपत्ति संख्या -2)

100 ग्राम पंचायत विन्नौर-

प्रस्तर सं0-184 ग्राम पंचायत के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा करने के लिए इंटीमेशन लेटर ऑनलाइन भेजा गया था । जिसे सचिव द्वारा स्वीकार किया गया |इसके अतिरिक्त इंटीमेशन भेजने के पूर्व भी ग्राम पंचयतों की लेखा परीक्षा का तिथीवार दर्शित कार्यक्रम का पत्र खण्ड विकास अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को भी प्रेषित किया गया था |सभी प्रयासों के बावजूद ग्राम पंचायत सचिव /प्रधान के द्वारा लेखा परीक्षा के लिए कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए- जब कि उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग

द्वारा निर्गत ''ग्राम पंचायतों के वित्तीय एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर -7 मे प्रावधानित है कि ''ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचार तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये |''अतः उक्त का पालन नहीं किया गया |

ई-ग्राम स्वराज से ही निर्धारित तिथि मे लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई |निर्देशों के बावजूद भी संबंधित सचिव द्वारा लेखा परीक्षा को कोई महत्व नहीं दिया गया व राजकीय कार्य के प्रति उदासीनता बरती गई |ई-ग्राम स्वराज के अनुसार आय-व्यय विवरण निम्नवत है |-

प्रा० शेष	आय	व्यय	अन्तिम शेष
11116961-80	**9243436-94**	**14569720-94**	**5836677-80**

<u>वित्तीय वर्ष 2021-22 मे ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे व मनरेगा से आहरित /डेबिट /व्यय की गयी /धनराशि रु०-14569720-94है |उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एव लेखा प्रबंध हेतलेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर क मे प्रावधानित है कि8 "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई प्रमाणक /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी |"वसूलीके साथ -साथ जिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा -409के तहत गबन /अपहरण का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा |"</u>

<u>वित्तीय वर्ष-2021-22मे मनरेगा के आंगनबाड़ी मद से आहरित /डेबिट /व्यय की गयी /धनराशिरु०-440000-00उक्त नियम केअनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं ,करने के कारण अपहरण /अनियमितता प्रतीत होती है |अपहृत कुल धनराशि रु०- 440000-00की वसूली ब्याज सहित निम्नानुसार किया जाना अपेक्षित है तथा वसूली के साथ -साथजिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा -409के तहत गबन /अपहरण का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाना तथा सचिव के बिरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है |</u>

<u>क्र -अपहरित धनराशि के लिये उत्तरदायी ब्यक्ति</u>	**<u>वसूली योग्य धनराशि</u>**
1-तात्कालिक खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती ज्योत्सना त्रिपाठी	**220000.00**
2-तात्कालिक जे0ई0 आरईएस **श्रीमती कल्पना पटेल**	**220000.00**

योग	**440000.00**

(मूल आपत्ति संख्या -1)

101 ग्राम पंचायत सचेड़ी-

प्रस्तर सं0-185 ग्राम पंचायत के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा करने के लिए इंटीमेशन लेटर ऑनलाइन भेजा गया था । जिसे सचिव द्वारा स्वीकार किया गया |इसके अतिरिक्त इंटीमेशन भेजने के पूर्व भी ग्राम पंचयतों की लेखा परीक्षा का तिथीवार दर्शित कार्यक्रम का पत्र खण्ड विकास अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को भी प्रेषित किया गया था |सभी प्रयासों के बावजूद ग्राम पंचायत सचिव /प्रधान के द्वारा लेखा परीक्षा के लिए कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए- जब कि उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत ''ग्राम पंचायतों के वित्तीय एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर -7 मे प्रावधानित है कि ''ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचार तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये |''अतः उक्त का पालन नहीं किया गया |

ई-ग्राम स्वराज से ही निर्धारित तिथि मे लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई |निर्देशों के बावजूद भी संबंधित सचिव द्वारा लेखा परीक्षा को कोई महत्व नहीं दिया गया व राजकीय कार्य के प्रति उदासीनता बरती गई |ई-ग्राम स्वराज के अनुसार आय-व्यय विवरण निम्नवत है |-

प्रा० शेष	आय	व्यय	अन्तिम शेष
19537810-20	**13933019-74**	**13038608-74**	**20432221-20**

<u>वित्तीय वर्ष 2021-22मे ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे व मनरेगा से आहरित /डेबिट /व्यय की गयी /धनराशि रु०-13038608-74है |उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एव लेखा प्रबंध हेतलेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर क मे प्रावधानित है कि8 "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई प्रमाणक /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी |" वसूलीके साथ -साथ जिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा -409के तहत गबन /अपहरण का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा |"</u>

<u>वित्तीय वर्ष-2021-22मे मनरेगा के आंगनबाड़ी मद से आहरित /डेबिट /व्यय की गयी /धनराशिरु०-902052-00उक्त नियम केअनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं ,करने के कारण अपहरण /अनियमितता प्रतीत होती है |अपहृत कुल धनराशि रु०-902052-00की वसूली ब्याज सहित निम्नानुसार किया जाना अपेक्षित है तथा वसूली के साथ -साथजिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा -409के तहत गबन /अपहरण का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाना तथा सचिव के बिरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है |</u>

<u>क्र -अपहरित धनराशि के लिये उत्तरदायी व्यक्ति</u>	**<u>वसूली योग्य धनराशि</u>**
1-तात्कालिक खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती ज्योत्सना त्रिपाठी	451026.00
2-तात्कालिक जे0ई0 आरईएस **श्रीमती कल्पना पटेल**	451026.00

योग - 902052-00

मूल)आपत्ति संख्या (1-

102 ग्राम पंचायत सुरार-

प्रस्तर सं0-186 ग्राम पंचायत के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा करने के लिए इंटीमेशन लेटर ऑनलाइन भेजा गया था । जिसे सचिव द्वारा स्वीकार किया गया |इसके अतिरिक्त इंटीमेशन भेजने के पूर्व भी ग्राम पंचयतों की लेखा परीक्षा का तिथीवार दर्शित कार्यक्रम का पत्र खण्ड विकास अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को भी प्रेषित किया गया था |सभी प्रयासों के बावजूद ग्राम पंचायत सचिव /प्रधान के द्वारा लेखा परीक्षा के लिए कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए- जब कि उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत ''ग्राम पंचायतों के वित्तीय एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर -7 मे प्रावधानित है कि ''ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचार तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये |''अतः उक्त का पालन नहीं किया गया |

ई-ग्राम स्वराज से ही निर्धारित तिथि मे लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई |निर्देशों के बावजूद भी संबंधित सचिव द्वारा लेखा परीक्षा को कोई महत्व नहीं दिया गया व राजकीय कार्य के प्रति उदासीनता बरती गई |ई-ग्राम स्वराज के अनुसार आय-व्यय विवरण निम्नवत है |

प्रा० शेष	आय	व्यय	अन्तिम शेष
अज्ञात	**5011769-98**	**4113005-00**	अज्ञात

वित्तीय वर्ष 2021-22मे ग्राम निधि खाता -1 से तथा 14वे /15वे व मनरेगा से आहरित /डेबिट /व्यय की गयी /धनराशि रु०-4113005-00है |उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एव लेखा प्रबंध हेतलेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर क मे प्रावधानित है कि8 "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई प्रमाणक /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी |" वसूलीके साथ -साथ जिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा -409के तहत गबन /अपहरण का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा |"

उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय8 (क)के अनुसारग्राम पंचायत मे कियेगए व्ययों के अभिलेख उपलब्धनहोने की दशा मे व्ययों को काल्पनिक मानते हुये गबन माना गया है । अतःवर्ष-2021-22मे ग्राम निधि-1 व 14 वे एवं 15 वे वित्त से आहरित कुल धनराशिरु०- 3300984-00के अनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपहरण प्रतीत होता है | अपहरत धनराशि रु०- 3300984-00 की वसूली मय ब्याज सहित ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान से नियमानुसार की जानी अपेक्षित है तथा वसूली के साथ-साथ पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन/अपहरण का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाना एवं सचिव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी उक्त नियम के अनुसार अपेक्षित है |क्र- अपहरत धनराशि के लिए उत्तरदायी ब्यक्तिवसूली योग्य धनराशि

-1तात्कालिक ग्राम पंचायत प्रशासक -श्रीअभिषेक सिंह **1650492-00**

-2ग्राम प्रधान -श्री पंकज यादव **1650492-00**

योग - 3300984-00

(मूल आपत्ति संख्या-1)

प्रस्तर सं0-187 वित्तीय वर्ष 2021-22 मे मनरेगा से आहरित /डेबिट /व्यय की गयी /धनराशिरु०-812021-00उक्त नियम के अनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं , करने के कारण अपहरण /अनियमितता प्रतीत होती है | अनियमित कुल धनराशि रु०- 812021- 00की वसूली ब्याज सहित निम्नानुसार किया जाना अपेक्षित है तथा वसूली के साथ -साथजिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा -409के तहत गबन /अपहरण का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाना तथा सचिव के बिरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है |

क्र -अपहरित धनराशि के लिये उत्तरदायी ब्यक्ति	वसूली योग्य धनराशि
1- ग्राम पंचायत अधिकारी -श्री अभिषेक सिंह	406010.50
2-**ग्राम प्रधान-**श्री पंकज यादव	406010.50

योग 812021.00

(मूल आपत्ति संख्या -2)

103 ग्राम पंचायत होरा बांगर-

प्रस्तर सं0-188 ग्राम पंचायत के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा करने के लिए इंटीमेशन लेटर ऑनलाइन भेजा गया था । जिसे सचिव द्वारा स्वीकार किया गया |इसके अतिरिक्त इंटीमेशन भेजने के पूर्व भी

ग्राम पंचयतों की लेखा परीक्षा का तिथीवार दर्शित कार्यक्रम का पत्र खण्ड विकास अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को भी प्रेषित किया गया था |सभी प्रयासों के बावजूद ग्राम पंचायत सचिव /प्रधान के द्वारा लेखा परीक्षा के लिए कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए- जब कि उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत "ग्राम पंचायतों के वित्तीय एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर -7 मे प्रावधानित है कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचार तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये |"अतः उक्त का पालन नहीं किया गया |

ई-ग्राम स्वराज से ही निर्धारित तिथि मे लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई |निर्देशों के बावजूद भी संबंधित सचिव द्वारा लेखा परीक्षा को कोई महत्व नहीं दिया गया व राजकीय कार्य के प्रति उदासीनता बरती गई |ई-ग्राम स्वराज के अनुसार आय-व्यय विवरण निम्नवत है |-

प्रा० शेष	आय	व्यय	अन्तिम शेष
1984075-00	**1636657-00**	**1426368-00**	**2194364-00**

<u>वित्तीय वर्ष 2021-22मे ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे व मनरेगा से आहरित /डेबिट /व्यय की गयी /धनराशि रु०-1426368-00है |उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एव लेखा प्रबंध हेतलेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर क मे प्रावधानित है8 कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई प्रमाणक /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी |" वसूलीके साथ -साथ जिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा -409के तहत गबन /अपहरण का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा |"</u>

<u>वित्तीय वर्ष-2021-22मे मनरेगा मद से आहरित /डेबिट /व्यय की गयी /धनराशिरु०-20711-00उक्त नियम केअनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं ,करने के कारण अपहरण /अनियमितता प्रतीत होती है |अनियमितता की कुल धनराशि रु०-20711-00की वसूली ब्याज सहित निम्नानुसार किया जाना अपेक्षित है तथा वसूली के साथ -साथजिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा -409के तहत गबन /अपहरण का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाना तथा सचिव के बिरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है |क्र -अपहरित धनराशि के लिये उत्तरदायी व्यक्ति वसूली योग्य धनराशि</u>

1-ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी -श्री संजय मिश्रा **10355.50**

2-ग्राम प्रधान श्री कमल कुमार - **10355.50**

योग - 20711-00

(मूल आपत्ति संख्या -1)

104 ग्राम पंचायत -नौरंगाबाद

प्रस्तर सं0-189 ग्राम पंचायत के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा करने के लिए इंटीमेशन लेटर ऑनलाइन भेजा गया था । जिसे सचिव द्वारा स्वीकार किया गया |इसके अतिरिक्त इंटीमेशन भेजने के पूर्व भी ग्राम पंचयतों की लेखा परीक्षा का तिथीवार दर्शित कार्यक्रम का पत्र खण्ड विकास अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को भी प्रेषित किया गया था |सभी प्रयासों के बावजूद ग्राम पंचायत सचिव /प्रधान के द्वारा लेखा परीक्षा के लिए कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए- जब कि उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत ''ग्राम पंचायतों के वित्तीय एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर -7 मे प्रावधानित है कि ''ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण

दल को व्यय के समस्त वाउचार तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये |"अतः उक्त का पालन नहीं किया गया |

ई-ग्राम स्वराज से ही निर्धारित तिथि मे लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई |निर्देशों के बावजूद भी संबंधित सचिव द्वारा लेखा परीक्षा को कोई महत्व नहीं दिया गया व राजकीय कार्य के प्रति उदासीनता बरती गई |ई-ग्राम स्वराज के अनुसार आय-व्यय विवरण निम्नवत है |

प्रा० शेष	आय	व्यय	अन्तिम शेष
950235-00	**1442305-00**	**1751027-00**	**641513-00**

वित्तीय वर्ष 2021-22मे ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे व मनरेगा से आहरित /डेबिट /व्यय की गयी /धनराशि रु०-1751027है |उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एव लेखा प्रबंध हेतलेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर क मे प्रावधानित है कि8 "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई प्रमाणक /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी |"वसूलीके साथ -साथ जिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा -409के तहत गबन /अपहरण का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा |"

वित्तीय वर्ष-2021-22मे मनरेगा से आहरित /डेबिट /व्यय की गयी /धनराशिरु०-297839-00उक्त नियम केअनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं ,करने के कारण अपहरण /अनियमितता प्रतीत होती है |अनियमित कुल धनराशि रु०-297839-00की वसूली ब्याज सहित निम्नानुसार किया जाना अपेक्षित है तथा वसूली के साथ -साथजिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा -409के तहत गबन /अपहरण का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाना तथा सचिव के बिरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है |क्र -अपहरित धनराशि के लिये उत्तरदायी ब्यक्ति वसूली योग्य धनराशि

1- ग्राम पंचायत अधिकारी -श्री हेतराम 148919.50

2-**ग्राम प्रधान-**श्रीरामदीन **148919.50**

योग 297839.00

(मूल आपत्ति संख्या-1)

प्रस्तर सं0-190 उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय8 (क)के अनुसारग्राम पंचायत मे कियेगए व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा मे व्ययों को काल्पनिक मानते हुये गबन माना गया है । अतः वर्ष 2021-22 मे 14 वे एवं 15 वे वित्त से आहर ित कुल धनराशि रु०- 537031-00 के अनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपहरण प्रतीत होता है | अपहरत धनराशि रु०- 537031-00 की वसूली मय ब्याज सहित ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान से नियमानुसार की जानी अपेक्षित है तथा वसूली के साथ-साथ पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन/अपहरण का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाना एवं सचिव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी उक्त नियम के अनुसार अपेक्षित है |

क्र- अपहरत धनराशि के लिए उत्तरदायी ब्यक्तिवसूली योग्य धनराशि

-1तात्कालिक ग्राम पंचायत प्रशासक -श्री गजेन्द्र वर्मा **268515-50**

-2ग्राम प्रधान श्री रामदीन **268515-50**

योग -537031-00

मूल आपत्ति संख्या -2)

10- <u>विकास खंड बिल्हौर</u>

105-ग्राम पंचायत -अनेई

प्रस्तर सं)-0191-(ग्राम पंचायत की ऑनलाइन उपलब्ध सूचना एवं अभिलेख की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्य पहचान संख्या द्वारा15 वें वित्त आयोग अंतर्गत निम्न विवरण अनुसार स्वयं सहायता समूह संस्था को भुगतान किया जाना दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक एवं लेखा प्रपत्र लेखा परीक्षा के दौरान तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवि यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा देवी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण निम्नवत है-

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचर विवरण	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया	भुगतान धनराशि (रुपए)
50668343	15.07.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी1	जय माता रतनगढ़ वाली स्वयं सहायता समूह	27000.00
52681450	13.01.2022	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी18	ग्रामोदय सशक्तिकरण महिला स्वयं सहायता समूह	27000.00
				54000.00

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवि यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा देवी द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख यथा कैशबुक, संबंधित शासनादेश प्रपत्र, व्यय प्रमाणक, इत्यादि प्रस्तुत नहीं किए गए। जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 15.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था। लेखा परीक्षा में लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभाव में किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवि यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा देवी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए 54000.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवि यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा देवो से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 27000.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर सं0-(192)- वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्य पहचान संख्या 50668343 द्वारा प्रशासनिक मद के अंतर्गत अनुसार किया जाना दर्शाया गया है जिसे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख एवं पुष्टि प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रवि यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा देवी द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता है ।विवरण निम्नवत रहा-:

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचर विवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
50668343	28.09.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी3 द्वारा	12300.00	पवन आयरन स्टोर
	28.09.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी4 द्वारा	24500.00	पवन आयरन स्टोर
	28.09.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी5 द्वारा	14500.00	नमन ट्रेडर्स
	11.10.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी6	43000.00	मिठाईलाल ग्रुप को फॉगिंग मशीन हेतु

	11.10.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी7	4900.00	मिठाईलाल ग्रुप को ु
	18.0.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी35	60000.00	आर एस पी टेक्नोलॉजी
		योग	159200.00	

निर्माण पत्रावली एवं भुगतान प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है जिसे हेतु संबंधित ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रवि यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं अतः निर्माण कार्य में व्यय की गई समस्त धनराशि 159200.00 रुपये की वसूली संयुक्त रूप से श्री रवि यादव एवं श्रीमती सुधा देवी से ततारीख ब्याज सहित की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-03)

प्रस्तर सं0-(193)-मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष **2021-22** में मनरेगा के अंतर्गत सृजित 3383 मानव दिवस रहे । जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या 21 रही । जिसके सापेक्ष **पूर्ण कार्यों की संख्या 03** रही। जबकि एन.आर.एम व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत 79.74 रहा । वित्तीय वर्ष **2021-22** के पूर्ण हो ने के पश्चात भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा कार्यों पर **कुल व्यय रुपए 7.12 लाख** रहा । जिसमें से रुपए **7.03** लाख का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए **0.09 लाख** का व्यय सामग्री क्रय य पर किया गया है। सामग्री क्रय य पर व्यय का **प्रतिशत 1.32** रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपये **206.55** रही । जबकि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 463(अ), तारीख 26 फरवरी, 2013, में संशोधन करते हुए दिनांक 15 मार्च 2021 की अधिसूचना के अनुसार मनरेगा के वर्ष 2021-22 मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपए 204.00 निर्धारित की गई है। संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। ईएफएमएस के द्वारा व्यय का प्रतिशत 100 **र**हा । **15 दिवस** के अंतर्गत किये गए भुगतान का 69.23 **%** रहा । मनरेगा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। जिसे हेतु संबंधित ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रवि यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं अतः निर्माण कार्य में व्यय की गई समस्त धनराशि 712000.00 रुपये की वसूली संयुक्त रूप से श्री रवि यादव एवं श्रीमती सुधा देवी से ततारीख ब्याज सहित की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर सं0-(194)- चतुर्थ राज्य वित्त के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया है । जिसके सापेक्ष में कुल भुगतान धनराशि रुपए 39890.00 हैं । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं ।

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचर विवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
52940251	14.09.2021	चतुर्थ राज्य वित्त/2021-22/पी2	19970.00	पवन आयरन स्टोर
52940473	14.09.2021	चतुर्थ राज्य वित्त/2021-22/पी3	19920.00	पवन आयरन स्टोर
			39890.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवि यादव एवं वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री निशांत शर्मा द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोर पंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन , हैण्डपम्प मरम्मत कराए जाने वाले स्थान संबंधित विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए। जबकि लेखा परीक्षा हेतु

ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 15.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था। लेखा परीक्षा में लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है । जिसे हेतु संबंधित ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रवि यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं अतः निर्माण कार्य में व्यय की गई समस्त धनराशि 39890.00 रुपये की वसूली संयुक्त रूप से श्री रवि यादव एवं श्रीमती सुधा देवी से ततारीख ब्याज सहित की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-05)

प्रस्तर सं0-(195)- ग्राम पंचायत में पंचम राज्य वित्त योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत में सफाई का कार्य कराया गया है । जिसका विवरण ऑनलाइन पोर्टल भी ग्राम स्वराज पर निम्नवत तो दर्शाया गया है-:

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचर विवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
52940204	18.01.2022	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी42 से पी55 द्वारा	72500.00	श्रमिकों को मजदूरी भुगतान
52940204	13.07.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी01 से पी11 द्वारा	33000.00	श्रमिकों को मजदूरी भुगतान
		योग	105500.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवियादव एवं वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री निशांतशर्मा द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन हैण्डपम्प मरम्मत कराए जाने वाले स्थान संबंधित विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए। जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 15.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका थाlेखा परीक्षा में लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रवि यादव एवं वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री निशांत शर्मा् एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा देवी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए 105500.00 की वसूली श्री रवि यादव (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुधादेवी से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 52750.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **(मूलआपत्ति संख्या-06)**

प्रस्तर सं0-(196)- पंचम वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद एवं मजदूरी भुगतान किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए i विवरण निम्नवत रहा

कार्य आईडी संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचर विवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
52572801	रामू अवस्थी के घर से रविकेश सविता कीे घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी12/पी13/पी14/पी15 - पी19 16.07.2021	183748.00	कृष्णा ट्रेडर्स
52573385	जगदीश नारायण को री के घर के पास निर्माण कार्य	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी20	134931.00	कृष्णा ट्रेडर्स

		27.07.2021		
52572908	पश्चिमी पाल के घर से नारायणपाल के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	पंचम राज्य वित्त/2020-21/पी21 27.07.2021	174449.00	माँ अंबे इंटरप्राइजेज
52574385	राजेश अग्नि हो त्री के दरवाजे हैंडपंप रिबोर कार्य	पंचम राज्य वित्त/2020-21/पी22 12.01.2022	34718.00	नमन ट्रेडर्स
52574365	प्राथमिक विद्यालय में हैंडपंप रिबोर कार्य	पंचम राज्य वित्त/2020-21/पी2112.01.2022	34717.00	नमन ट्रेडर्स
		योग	562563.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवि यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा देवी द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 15.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था। लेखा परीक्षा में संबंधित निर्माण कार्यों की निर्माण पत्रावली ऐसे निर्माण कार्य आदेश, कार्य योजना, संबंधित व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य के वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति आदेश एवं संख्या, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, निर्माण कार्य की गुणवत्ता रिपोर्ट, कैशबुक, स्टोर पंजिका, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है । सभी लेखा अभिलेखों के अभाव में क्रय य की गई निर्माण सामग्री की उपयोगिता एवं भुगतान की पुष्टि नहीं हो ती है। अतः व्यय प्रमाणको के अभाव में किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेत तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवि यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा देवी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए 562563.00 की वसूली श्री रवि यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा देवी से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 281281.50 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-07)

प्रस्तर सं0-(197)- ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्य पहचान संख्या 52573055 14 वें वित्त आयोग अंतर्गत किशनलाल के घर से सरमन पाल के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य कराया गया है जिसमें निम्न विवरण अनुसार वह किया जाना ऑनलाइन पोर्टल ई ग्राम स्वराज पर दर्शाया गया।

एफएफसी/2020-21/पी4/28.09.2021 130510.00 वी के ट्रेडर्स

एफएफसी/2020-21/पी2/28.09.2021 130510.00 वी के ट्रेडर्स

उक्त सभी भुगतान से संबंधित वे प्रमाणक कार्य देश, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मस्टररोल, माप पुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण कार्य की तरीय स्तरीय फोटोग्राफ, निर्माण कार्य की गुणवत्ता रिपोर्ट, निर्माण कार्य से संबंधित निर्माण सामग्री संबंधित स्टोर पंजी का, लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवि यादव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे निर्माण कार्य में अनियमितता की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। निर्माण पत्रावली एवं भुगतान प्रमाणक रेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है जैसे तो संबंधित ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रवि यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं अतः निर्माण कार्य में व्यय की गई समस्त धनराशि रुपये 261020.00 की वसूली संयुक्त रूप से श्री रवि यादव एवं श्रीमती सुधा देवी से तारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-08)

प्रस्तर सं0-(198)- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 752201.00 रुपये का अनुदान 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त हुआ । तथा 754283.00 रुपये की धनराशि विभिन्न योजनाओं में खर्च की गई । सामान्य वित्तीय नि॰ 2005

के नियम 212(5) के अनुसार स्थानीय निकायों के द्वारा राज्य सरकार को उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है । जब उनको केंद्रीय अनुदान राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त हो इसके. बाद ही अनुदान की किस्तें अवमुक्त की जानी थी. जो कि प्रस्तुत नहीं की गई । यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था । जो अंततः अप्रस्तुत रहा इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रवि यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा देवी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं । अतः निर्माण कार्य में व्यय की गई समस्त धनराशि रुपये 754283.00 की वसूली संयुक्त रूप से श्री रवि यादव एवं श्रीमती सुधा देवी से तारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-09)

106-ग्राम पंचायत - अंकिन

प्रस्तर सं0-(199)- पंचम राज्य वित्त के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया है जिसके सापेक्ष कुल भुगतान धनराशि रुपए 59680.00 हैं । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं-

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
55947302	21.12.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी4	19980.00	यशट्रेडर्स
55947303	21.12.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी5	19900.00	यशट्रेडर्स
44383589	07.07.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी1	19800.00	यशट्रेडर्स
			59680.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉप पुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन , हैण्डपम्प मरम्मत कराए जाने वाले स्थान संबंधित विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए। जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 15.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था ।लेखा परीक्षा में लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है ।व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शिवपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शालिनी बानो संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए 59680.00 की वसूली श्री सिद्धांत कुमार/ श्री शिवपाल सिंह (यथास्थिति अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शालिनी बानो से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 29840.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या-05)**

प्रस्तर सं0-(200)- ग्राम पंचायत में पंचम राज्य वित्त योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत में सफाई का कार्यकराया गया है ।जिसका विवरण ऑनलाइन पोर्टल भी ग्राम स्वराज पर निम्नवत दर्शाया गया है:-

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया

55947448	21.12.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी14 से पी22 द्वारा	40500.00	श्रमिकों को मजदूरी भुगतान
55947448	08.01.2022	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी23 से पी26 द्वारा	45729.00	यति फ्यूल सेंटर को भुगतान
55947448	08.01.2022	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी27 से पी28 द्वारा	6600.00	श्रमिकों को मजदूरी भुगतान
55947448	08.01.2022	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी29 से पी35 द्वारा	31500.00	श्रमिकों को मजदूरी भुगतान
55947448	08.02.2022	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी43 द्वारा	5000.00	ट्रैक्टर किराया भुगतान
55947448	08.02.2022	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी43 द्वारा	50000.00	जेसीबी किराया भुगतान
		योग	**179329.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्य ,स्टोरपंजिका, डेडस्टॉक रजिस्टरा प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 15.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से श्रीसिद्धांत कुमार एवं वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह को भेजा जा चुका था।लेखा परीक्षा में लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणको के अभाव में किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शिवपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शालिनीबानो संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए 179329.00 की वसूली श्री सिद्धांत कुमार/श्री शिवपाल सिंह (यथास्थिति अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शालिनी बानो से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 89664.50 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या-06)**

प्रस्तर सं0-(201)- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 1261292.00 रुपये का अनुदान 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त हुआ । तथा 70600.00 रुपये की धनराशि विभिन्न योजनाओं में खर्च की गई । सामान्य वित्तीय नि० 2005 के नियम 212(5) के अनुसार स्थानीय निकायों के द्वारा राज्य सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है । जब उनको केंद्रीय अनुदान राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त हो .इसके बाद ही अनुदान की किस्तें अवमुक्त की जानी थी. जो कि प्रस्तुत नहीं की गई । यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहा इइस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शिवपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शालिनी बानो संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।।अतः समस्त धनराशि रुपए 70600.00 की गंभीर अनियमितता हेतु श्री सिद्धांत कुमार/श्री शिवपाल सिंह (यथास्थिति अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शालिनीबानो पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-08)**

प्रस्तर सं0-(202)- पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद एवं मजदूरी भुगतान किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। विवरण निम्नवत रहा

कार्य आईडी संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचर विवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
55947116	छोटेअली के घर से बालकिशन के घर तक इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी39 15.01.2022	149020.00	सी.एल.इंटरप्राइजेज
53916488	रामनाथ के दरवाजे से छोटेअली के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग कार्य	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी38 15.01.2022 पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी37 15.01.2022	42269.00 89224.00	सी.एल.इंटरप्राइजेज निर्मलाट्रेडर्स
		योग	280513.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 15.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था। लेखा परीक्षा में संबंधित निर्माण कार्यों की निर्माण पत्रावली ऐसे निर्माण कार्य आदेश, कार्य योजना, संबंधित व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य के वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति आदेश एवं संख्या, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मापपुस्तिका, निर्माण कार्यों के त्रिस्तरीयफोटोग्राफ, निर्माण कार्य की गुणवत्तारिपोर्ट, कैशबुक, स्टोरपंजिका, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है । सभी लेखा अभिलेखों के अभाव में क्रय य की गई निर्माण सामग्री की उपयोगिता एवं भुगतान की पुष्टि नहीं हो ती है। अतः व्यय प्रमाणको के अभाव में किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेत तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शालिनी बानो संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं । अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए 280513.00 की वसूली श्री शिवपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शालिनी बानो से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 140256.50 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-07)

प्रस्तर सं0-(203)- ग्राम पंचायत की ऑनलाइन उपलब्ध सूचना एवं अभिलेख की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्य पहचान संख्या द्वारा15 वें वित्त आयोग अंतर्गत निम्नविवरण अनुसार स्वयं सहायता समूह संस्था को भुगतान किया जाना दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक एवं लेखा प्रपत्रलेखा परीक्षा के दौरानतत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया । विवरण निम्नवत है-

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचर विवरण	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया	भुगतान धनराशि (रुपए)
44380052	03.07.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी1	माँ पनथा देवी स्वयं सहायता समूह	27000.00

51052917	08.02.2022	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी	अवनी महिला स्वयं सहायता समूह	27000.00
				54000.00

कार्य पहचान संख्या 44380052 द्वारा माँ पनथा देवी स्वयं सहायता समूह को भुगतान की गई धनराशि के सापेक्ष ऑन लाइन पोर्टल ई ग्राम स्वराज पर यह भुगतान निम्न हेड में दर्शाया गया है:-

2215- वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन
103 - सीवेज एंड सैनिटेशन
50- स्वच्छ भारत मिशन

उपरोक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है । उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख यथा कैशबुक, संबंधित शासनादेश प्रपत्र, व्यय प्रमाणक, इत्यादि प्रस्तुत नहीं किए गए। जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 15.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से श्री राजकमल कटियार को भेजा जा चुका था। लेखा परीक्षा में लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभाव में किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए 54000.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शालिनीबानो से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 27000.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या-03)**

प्रस्तर सं0-(204)- ऑनलाइन पोर्टल ग्राम स्वराज पर उपलब्ध सूचना के अनुसार कार्य पहचान संख्या 44380052 द्वारा व्यय प्रमाणक संख्या पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी2/07.07.2021 द्वारा शाश्वत टाइम्स प्राइवेट लिमिटेड को धनराशि रुपये 4550.00 भुगतान प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत किया जाना दर्शाया जा रहा है जब की ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध वाइज समरी रिपोर्ट में यह भुगतान निम्नवत दर्शाया गया है

2215- कैपिटल आउटले ऑन वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन
101- लेइंग ऑफ वाटरलाइन
80- अदर एक्सपेंडिचर

स्पष्ट है कि यह भुगतान प्रकाशन हेतु किया गया है जबकि वाउचर वौ समरी रिपोर्ट में यह वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के मद में दर्शाया जा रहा है इसके संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित रही। अन्यथा की स्थिति में भुगतान की गई धनराशि रू 4550.00 ही वसूली यथास्थिति अनुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार/ श्री शिवपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शालिनीबानू से संयुक्त रूप से तारीख ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या-02)**

प्रस्तर सं0-(205)- मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष **2021-22** में मनरेगा के अंतर्गत सृजित 4990 मानव दिवस रहे । जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या 17 रही जिसके सापेक्ष **पूर्ण कार्यों की संख्या 07** रही। जबकि एन.आर.एम व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत 81.26 रहा । वित्तीय वर्ष **2021-22** के पूर्ण हो ने के पश्चात भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा कार्यों पर **कुल व्यय रुपए 9.87 लाख** रहा । जिसमें से रुपए 8.71 लाख का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए **0.38** लाख का व्यय सामग्री क्रय य पर किया गया है। सामग्री क्रय य पर व्यय का **प्रतिशत 4.2** रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के

अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपये 226.40 रही । जबकि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 463(अ), तारीख 26 फरवरी, 2013, में संशोधन करते हुए दिनांक 15 मार्च 2021 की अधिसूचना के अनुसार मनरेगा के वर्ष 2021-22 मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपए 204.00 निर्धारित की गई है। संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। ईएफएमएस के द्वारा व्यय का प्रतिशत 100 **र**हा । **15 दिवस** के अंतर्गत किये गए भुगतान का 83.13 **%** रहा । मनरेगा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। ।।अतः समस्त धनराशि रुपए 987000.00 की गंभीर अनियमितता हेतु श्री सिद्धांत कुमार/श्री शिवपाल सिंह (यथास्थिति अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शालिनीबानो पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **((मूल आपत्ति संख्या-04)**

107-ग्राम पंचायत - अरौल

प्रस्तर सं0-(206)- पंचम राज्य वित्त के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया है जिसके सापेक्ष में कुल भुगतान धनराशि रुपए 99000.00 हैं । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं ।

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
45502892	25.06.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी1	19750.00	पवन आयरन स्टोर
43716663	25.06.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी2	19700.00	पवन आयरन स्टोर
43716688	25.06.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी3	19800.00	पवन आयरन स्टोर
43713239	25.07.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी4	19850.00	पवन आयरन स्टोर
43719766	25.07.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी5	19900.00	पवन आयरन स्टोर
			99000.00	

वर्ष 2021 22 में हैंडपंप मरम्मत में धनराशि रुपये 99000.00 अनियमित ढंग से वे दर्शाया गया है जो निम्न कारणों से आपत्तिजनक रहा:-

हैंडपंप मरम्मत से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए साथ ही डिलीवरी चालान, बिल ,कैशमेमो (सेल्सटैक्सकटौती का विवरण) मस्टर रोल आदि प्रस्तुत नहीं रहा जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल 8 के खण्ड-7 एवं खंड 8क एवं 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के 1947 के नियम संख्या 204 तथा 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा- 27 के अंतर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती सुमन सिंह एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार से रुपये 99000.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं

वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉप पुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेडस्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन , हैण्डपम्प मरम्मत कराए जाने वाले स्थान संबंधित विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए। जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था। लेखा परीक्षा में लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभाव में किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए 99000.00 की वसूली श्री सिद्धांत कुमार/ श्री शिवपाल सिंह (यथास्थिति अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान सुमन सिंह से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 49500.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-01)

प्रस्तर सं0-(207)- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 1126314.00 रुपये का अनुदान केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त हुआ । तथा 1460355.00 रुपये की धनराशि विभिन्न योजनाओं में खर्च की गई । सामान्य वित्तीय नि० 2005 के नियम 212(5) के अनुसार स्थानीय निकायों के द्वारा राज्य सरकार को उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है । जबउनको केंद्रीय अनुदान राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त हो .इसके बाद ही अनुदान की किस्तें अवमुक्त की जानी थी. जो कि प्रस्तुत नहीं की गई । यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहाइस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सिद्धांत कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुमनसिंह संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः समस्त धनराशि रुपए 1126314.00 की गंभीर अनियमितता हेतु श्री सिद्धांत कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुमनसिंह पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर सं0-(208)- 15 वें वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद भुगतान किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा

कार्य आईडी संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचर विवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
54062214	रामराज चौरसिया के घर से बाबूलाल चौरसिया के घर तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य	पंद्रवाकेन्द्रीयवित्त/2021-22/पी19 23.10.2021	194189.00	तिवारीट्रेडर्स
54951271	प्राथमिक विद्यालय अड़ंगापुर में हैंडवॉश एवं समर्थन की कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी15 15.10.2021	27819.00	यशट्रेडर्स
54951204	प्राथमिक विद्यालय में हैडवॉश कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी14 15.10.2021	14103.00	यशट्रेडर्स
42750266	स्कूल बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी38 02.12.2021	117130.00	यशट्रेडर्स
55906633	प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स का कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी40 12.12.2021	188805.00	यशट्रेडर्स
55906770	दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी48	303890.00	कुमारमशीनरीस्टोर

		09.12.2021		
60889846	राम चंद्र राठौर के घर से राम विलास राठौर के घर तक नाली निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी49 16.02.2021	36125.00	निर्मलाट्रेडर्स
60889919	सुनील सिंह के घर से डामर रोड तक नाली एवं पटिया निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी50 16.02.2021	54105.00	निर्मलाट्रेडर्स
60890008	रामस्वरूप राठौर के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी51 16.02.2021	24562.00	निर्मलाट्रेडर्स
54950943	ग्राम पंचायत में सफाई कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी20-38 29.10.2021	54000.00	मजदूरी का भुगतान
		योग	**1014728.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था।लेखा परीक्षा में संबंधित निर्माण कार्यों की निर्माण पत्रावली ऐसे निर्माण कार्य आदेश, कार्य योजना, संबंधित व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य के वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति आदेश एवं संख्या, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मापपुस्तिका, निर्माण कार्यों के त्रिस्तरीयफोटोग्राफ, निर्माण कार्य की गुणवत्तारिपोर्ट, कैशबुक, स्टोरपंजिका, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । सभी लेखा अभिलेखों के अभावमें क्रय य की गई निर्माण सामग्री की उपयोगिता एवं भुगतान की पुष्टि नहीं हो ती है।अतः व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री सुमनसिंह संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 1014278.0 की वसूली श्री सिद्धांत कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री सुमनसिंह से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 507364.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या-04)**

प्रस्तर सं0-(209)- ऑनलाइन पोर्टल ही ग्राम स्वराज पर उपलब्ध सूचना के अनुसार कार्य पहचान संख्या 43716336 द्वारा व्यय प्रमाणक संख्या पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी11/20.01.2022 द्वारा भारत कनेक्ट समाचार पत्र को धनराशि रुपये 9500.00 भुगतान एवं कार्य पहचानसंख्या 45720205 द्वारा व्यय प्रमाणक संख्या द्वारा पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी1/01.07.2021 द्वार धनराशि रुपये 20000.00 एवं व्यय प्रमाणक संख्या द्वारा पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी2/01.07.2021 द्वार धनराशि रुपये 19900.00 प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत किया जाना दर्शाया जा रहा है । उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । स्पष्ट है कि यह भुगतान धनराशि रुपये9500.00 प्रकाशन हेतु किया गया है। अतः व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री सुमनसिंह संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की

गई समस्तधनराशि रुपए 49400.00 की वसूलीश्री सिद्धांत कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री सुमनसिंह से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 24700.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-05)

प्रस्तर सं0-(210)- पंचम राज्य वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद भुगतान किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा-

कार्य आईडी संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचर विवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
54062478	बालकराम चौरसिया के घर से सुरेंद्र चौरसिया के घर तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी6 29.08.2021	206350.00	श्री तिवारीट्रेडर्स
54062306	शिवबालक के घर से रामराज चौरसिया के घर तक इंटरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी7 29.08.2021	115347.00	श्री तिवारीट्रेडर्स
54950943	प्रशासनिक व्यय	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी8 15.09.2021	65600.00	मिठाई लाल ग्रुप
55906744	ग्राम पंचायत में फॉगिंग हेतु पेट्रोल एवं डीजल खरीद का कार्य	पंचम राज्य वित्त/2021-22/ पी11-17 20.01.2022 29.01.2022	37746.00	किसान सेवा केंद्र
55906744	विद्यालय परिसरमें इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	पंचमराज्य वित्त/2021-22/पी18 29.03.2022	255136.00	कुमार मशीनरी स्टोर
			680179.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में संबंधित निर्माण कार्यों की निर्माण पत्रावली ऐसे निर्माण कार्य आदेश, कार्य योजना, संबंधित व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य के वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति आदेश एवं संख्या, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मापपुस्तिका, निर्माण कार्यों के त्रिस्तरीयफोटोग्राफ, निर्माण कार्य की गुणवत्तारिपोर्ट, कैशबुक, स्टोरपंजिका, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । सभी लेखा अभिलेखों के अभावमें क्रय य की गई निर्माण सामग्री की उपयोगिता एवं भुगतान की पुष्टि नहीं हो ती है। अतः व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री सुमनसिंह संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए 680179.00 की वसूलीश्री सिद्धांत कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री सुमनसिंह से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 340089.50 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या-06)**

प्रस्तर सं0-(211)-15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत हैंडपंप रिबोर का कार्य कराया गया है ।जिसके सापेक्ष में कुल भुगतान धनराशि रुपए 119450.00 हैं । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं ।

कार्य विवरण	कार्य आईडी संख्या	वाउचर विवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया
हैंडपंप रिबोर कार्य	**54951087**	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी12 15.10.2021	46305.00	यश ट्रेडर्स
हैंडपंप रिबोर कार्य	**54951071**	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी13 15.10.2021	47827.00	यश ट्रेडर्स
			94132.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपाल द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया । हैंडपंप रिबोर से संबंधित सामग्री की लिस्ट एवं उससे संबंधित डैड स्टॉक रजिस्टर जिसमे सामग्री की प्रविष्टि की गई हो , कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली ,कार्यादेश, कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्रर , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, हैंडपंप रिबोर पूर्ण हो ने पर ग्रामीणों से लिया गया संतुष्टिप्रमाणपत्र ,प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपाल एवं ग्राम प्रधान मुन्नी देवी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 94132.00 की वसूलीश्री अखिलेशकुमार / वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपाल (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान मुन्नीदेवी से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 47066.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-07)

प्रस्तर सं0-(212)- 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया है जिसकेसापेक्ष में कुल भुगतान धनराशि रुपए 99130.00 हैं । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं ।

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
54950896	12.12.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी41	19950.00	यश ट्रेडर्स
54950895	12.12.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी42	19980.00	यश ट्रेडर्स

54950882	19.12.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी43	19950.00	यश ट्रेडर्स
54950833	31.12.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी44	19750.00	पवन आयरन स्टोर
54950833	31.12.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी45	19750.00	पवन आयरन स्टोर
54950821	31.12.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी46	19890.00	पवन आयरन स्टोर
			119270.00	

वर्ष 2021-22 में हैंडपंप मरम्मतमें धनराशि रुपये 119270.00 अनियमितढंग से वे दर्शाया गया है जोनिम्नकारणों से आपत्तिजनक रहा:-

हैंडपंप मरम्मत से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए साथ ही डिलीवरी चालान, बिल ,कैशमेमो (सेल्स टैक्स कटौती का विवरण) मस्टररोलआदि प्रस्तुत नहीं रहाजो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल 8 के खण्ड-7 एवं खंड 8क एवं 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के 1947 के नियम संख्या 204 तथा 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा- 27 के अंतर्गत अपहरण है जोअधिभार के योग्य है। अतःउक्तधनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति श्री सुमनसिंह एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार से रुपये 119270.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन , हैण्डपम्प मरम्मत कराए जाने वाले स्थान संबंधित विवरणप्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री सुमन सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए 119270.00 की वसूली श्री सिद्धांत कुमार/ श्री शिवपाल सिंह (यथास्थिति अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान सुमन सिंह से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 59635.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या-08)**

प्रस्तर सं0-(213)- मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष **2021-22** में मनरेगा के अंतर्गत सृजित 3774 मानव दिवस रहे । जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या 52 रही जिसके सापेक्ष **पूर्ण कार्यों की संख्या 01** रही। जबकि एन.आर.एम व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत 51.4 रहा । वित्तीय वर्ष **2021-22** के पूर्ण हो ने के पश्चात भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा कार्यों पर **कुल व्यय रुपए11.56 लाख** रहा । जिसमें से रुपए **11.51 लाख** का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए **0.05** लाख का व्यय सामग्री क्रय य पर किया गया है। सामग्री क्रय य पर व्यय का **प्रतिशत 0.42** रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपये 199.59 रही । जबकि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 463(अ), तारीख 26 फरवरी, 2013, में संशोधन करते हुए दिनांक 15 मार्च 2021 की

अधिसूचना के अनुसार मनरेगा के वर्ष 2021-22 मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपए 204.00 निर्धारित की गई है। संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। ईएफएमएस के द्वारा व्यय का प्रतिशत 100 **र**हा । **15 दिवस** के अंतर्गत किये गए भुगतान का 79.25 **%** रहा । मनरेगा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। अतः समस्त धनराशि रुपए 1156000.00 की गंभीर अनियमितता हेतु श्री सिद्धांत कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुमनसिंह पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-09)

108-ग्राम पंचायत - औरंगपुरसांभी

प्रस्तर सं0-(214)- पंचम राज्य वित्त के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया है जिसकेसापेक्ष में कुल भुगतान धनराशि रुपए 79840.00 हैं । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं ।

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
54275415	08.09.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी1	19800.00	पवन आयरन स्टोर
54275487	08.09.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी2	19950.00	पवन आयरन स्टोर
54275318	08.09.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी3	19970.00	पवन आयरन स्टोर
54275532	12.01.2022	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी23	19760.00	पवन आयरन स्टोर
54275574	12.01.2022	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी24	19950.00	पवन आयरन स्टोर
			99430.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकमल कटियार द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र ,स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट,ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन ,हैण्डपम्प मरम्मत कराए जाने वाले स्थान प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 15.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से श्री राजकमल कटियारको भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा।इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजकमल कटियार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मंजूसिंह संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 99430.00 की वसूलीश्री राजकमल कटियार एवं ग्राम प्रधान से मंजु सिंह से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 49715.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या-06)**

प्रस्तर सं0-(215)- ग्राम पंचायत में पंचम राज्य वित्त योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत में सफाई का कार्यकराया गया है ।जिसका विवरण ऑनलाइन पोर्टल भी ग्राम स्वराज पर निम्नवत दर्शाया गया है:-

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)
54275999	08.09.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी10से पी19 द्वारा	45000.00
54275999	08.09.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी05 से पी09 द्वारा	22500.00
54275999	12.10.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी20 से पी21 द्वारा	10000.00
54276375	13.01.2022	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी05 से पी09 द्वारा	45000.00
		योग	**122500.00**

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राज कमल कटियार द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्य ,स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टरा प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 15.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से श्री राजकमल कटियारको भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजकमल कटियार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मंजूसिंह संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 122500.00 की वसूलीश्री राजकमल कटियार एवं ग्राम प्रधान से मंजु सिंह से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 61250.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या-07)**

प्रस्तर सं0-(216)- मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष **2021-22** में मनरेगा के अंतर्गत सृजित 7872 मानव दिवस रहे । जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या 88 रही जिसके सापेक्ष **पूर्ण कार्यों की संख्या 53** रही। जबकि एन.आर.एम व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत 47.28 रहा । वित्तीय वर्ष **2021-22** के पूर्ण हो ने के पश्चात भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा कार्यों पर **कुल व्यय रुपए 17.16 लाख** रहा । जिसमें से रुपए **14.37 लाख** का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए **2.01 लाख** का व्यय सामग्री क्रय य पर किया गया है। सामग्री क्रय य पर व्यय का **प्रतिशत 12.25** रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी **रुपये 241.51** रही । जबकि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 463(अ), तारीख 26 फरवरी, 2013, में संशोधन करते हुए दिनांक 15 मार्च 2021 की अधिसूचना के अनुसार मनरेगा के वर्ष 2021-22 मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपए 204.00 निर्धारित की गई है। संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। ईएफएमएस के द्वारा व्यय का प्रतिशत 100 **र**हा । **15 दिवस** के अंतर्गत किये गए भुगतान का 92.22 **%** रहा । मनरेगा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। अतः समस्त धनराशि रुपए 1716000.00 की गंभीर अनियमितता हेतु श्री राजकमल कटियार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मंजूसिंह पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर सं0-(217)- 15 वें वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेतो निर्माण सामग्री एवं मजदूरी भुगतान किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेख अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।ऑनलाइन पोर्टल ई ग्राम स्वराज पर निर्माण कार्य

संबंधित कोई भीविवरणअपलोड नहीं किएजाने से यहज्ञात नहीं हो सका कि यह निर्माण सामग्री किस निर्माण कार्य हेतुक्रय य की गई हैं। विवरण निम्नवत रहा-

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)
46396411	10.02.2022	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी6	216337.00
53389357	30.03.2022	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी10	310824.00
53389518	30.03.2022	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी11	288419.00
53389650	30.03.2022	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी12	276649.00
54275750	30.03.2022	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी13	31010.00
54275874	30.03.2022	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी14	31010.00
54275714	30.03.2022	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी7	19975.00
54275609	30.03.2022	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी8	19950.00
53389792	30.03.2022	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी9	292451.00
54276375	31.03.2022	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी16	86000.00
		योग	**1572625.00**

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकमल कटियार द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 15.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से श्री राजकमल कटियारको भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में संबंधित निर्माण कार्यों की निर्माण पत्रावली ऐसे निर्माण कार्य आदेश, कार्य योजना, संबंधित व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य के वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति आदेश एवं संख्या, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मापपुस्तिका, निर्माण कार्यों के त्रिस्तरीयफोटोग्राफ, निर्माण कार्य की गुणवत्तारिपोर्ट, कैशबुक, स्टोरपंजिका, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । सभी लेखा अभिलेखों के अभावमें क्रय य की गई निर्माण सामग्री की उपयोगिता एवं श्रमिकोंको किएगएश्रमांश भुगतान की पुष्टि नहीं हो ती है। अतः व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजकमल कटियार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मंजु सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 1572625.00 की वसूलीश्री राजकमल कटियार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मंजूसिंह सेसंयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 786312.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या-02)**

प्रस्तर सं0-(218)- ग्राम पंचायत की ऑनलाइन उपलब्ध सूचना एवं अभिलेख की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्य पहचान संख्या द्वारा15 वें वित्त आयोग अंतर्गत निम्नविवरण अनुसार स्वयं सहायता समूह संस्था को भुगतान किया जाना दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक एवं लेखा प्रपत्र लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राज़कमल कटियार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया । विवरण निम्नवत है-

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया	भुगतान धनराशि (रुपए)
43306489	05.07.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी1	श्री राधेस्वयं सहायता समूह	27000.00
43306489	13.07.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी2	वैष्णवीस्वयं सहायता समूह	27000.00
				54000.00

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकमल कटियार द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख यथा कैशबुक, संबंधित शासनादेश प्रपत्र, व्यय प्रमाणक, इत्यादि प्रस्तुत नहीं

किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 15.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से श्री राजकमल कटियारको भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजकमल कटियार एवं ग्राम प्रधान श्री जयसिंह संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 54000.00 की वसूलीश्री राजकमल कटियार एवं ग्राम प्रधान से श्रीमती मंजूसिंह से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 27000.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या-03)**

प्रस्तर सं0-(219)- ग्राम पंचायत के वर्ष 2021-22 येलेखाअभिलेख ग्राम पंचायत सचिवश्री राज़कमलकटियार द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराएगए।ऑनलाइन पोर्टलइन ग्राम स्वराज पर उपलब्ध ग्राम पंचायत की सूचना के अनुसार वाउचर संख्या पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी38 द्वारा दिनांक 15.01.2022 को कार्य पहचान संख्या 46532195 द्वारा जिला पंचायत राज़ अधिकारी को धनराशि रुपये 106000.00 का भुगतान किया जाना दर्शाया जा रहा है जबकि इससे संबंधित कोई भी विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं रहा। जिससे इस संबंध में टिप्पणी किया जाना संभव नहीं हो सका। विवरण उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित रहा ।अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मंजूसिंह एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राज़कमल कटियार से संयुक्त रूप से धनराशि रुपये 53000.00 पी ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-05)

प्रस्तर सं0-(220)- पंचमराज्य वित्त आयोग अंतर्गत ग्राम पंचायत की ऑनलाइन पोर्टल ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध सूचना के अनुसार लेखा परीक्षा में पाया गया कि कार्य पहचान संख्या 50670600 द्वारा दिनांक 12.01.2022 को वाउचर संख्या पंचम वित्त आयोग/21-22/पी22 द्वारा धनराशि रुपए 240804.00 का भुगतान नमन ट्रेडर्स को पंचायत भवन निर्माण कार्य हेतु किया जाना दर्शाया गया है। निर्माण कार्य से संबंधित कार्यादेश, कार्य योजना, एस्टीमेट, निर्माण कार्य की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश एवं संख्या, बाउचर्स, निर्माण कार्य के त्रिस्तरीयफोटोग्राफ, निर्माण कार्य की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण कार्य की गुणवत्तारिपोर्ट, निर्माण कार्य सामग्री से संबंधित स्टोरपंजिका, इत्यादि लेखा परीक्षा में पुष्टिहेतु प्रस्तुत नहीं किएगएजो कि संबंधित ग्राम विकास अधिकारी की राजकीयकार्यों के प्रतिशिथिलतादर्शाता है। अतःलेखाअभिलेखोंविशेषकर भुगतान प्राणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। जिसेहेतु ग्राम प्रधान श्रीमती मंजूसिंह एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजकमल कटियार संयुक्त रूप से उत्तरदायीहैं। इनके विरुद्ध अपेक्षित कार्यवाही करतेहुए भुगतान की समस्तधनराशि रुपये 240804.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या-08)**

109-ग्राम पंचायत - -बभियापुर

प्रस्तर सं0-(221)- मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष **2021-22** में मनरेगा के अंतर्गत सृजित 2964 मानव दिवस रहे । जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या 29रही जिसके सापेक्ष **पूर्ण कार्यों की संख्या 01** रही। जबकि एन.आर.एम व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत 17.97 रहा । वित्तीय वर्ष **2021-22** के पूर्ण हो ने के पश्चात भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा कार्यों पर **कुल व्यय रुपए 8.79 लाख** रहा । जिसमें से रुपए **5.86 लाख** का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए **2.15लाख** का व्यय सामग्री क्रय य पर किया गया है। सामग्री क्रय य पर व्यय का **प्रतिशत 26.88** रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी **रुपये 302.73** रही । जबकि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 463(अ), तारीख 26 फरवरी, 2013, में संशोधन करते हुए दिनांक 15 मार्च 2021 की अधिसूचना के अनुसार मनरेगा के वर्ष 2021-22 मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपए 204.00 निर्धारित की गई है। संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। ईएफएमएस के द्वारा व्यय का प्रतिशत 100 **र**हा । **15 दिवस** के अंतर्गत किये गए भुगतान का 90.03 **%** रहा । मनरेगा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है।जिसेहेतु ग्राम प्रधान श्री विपिन कुमार एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

श्री अखिलेश कुमार व श्री अमिताभ पाल संयुक्त रूप से उत्तरदायीहैं। अतः समस्त धनराशि रुपए 879000.00 की गंभीर अनियमितता हेतु श्री अखिलेश कुमार व श्री अमिताभ पाल संयुक्त एवं ग्राम प्रधान श्री विपिन कुमार पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-01)**

110-ग्राम पंचायत -बारामऊ

प्रस्तर सं0-(222)- चतुर्थ राज्य वित्त /पंचम राज्य वित्त के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया है जिसकेसापेक्ष में कुल भुगतान धनराशि रुपए 99130.00 हैं । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं ।

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
52251052	17.06.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी1	19850.00	पवन आयरन स्टोर
52251042	17.06.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी2	19930.00	पवन आयरन स्टोर
52251059	17.06.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी3	19980.00	पवन आयरन स्टोर
53050240	18.07.2021	चतुर्थ राज्य वित्त/2021-22/पी2	19980.00	पवन आयरन स्टोर
53050276	18.07.2021	चतुर्थ राज्य वित्त/2021-22/पी3	19900.00	पवन आयरन स्टोर
53050579	18.07.2021	चतुर्थ राज्य वित्त/2021-22/पी4	19950.00	पवन आयरन स्टोर
			119590.00	

वर्ष 2021-22 में हैंडपंप मरम्मतमें धनराशि रुपये 119590.00 अनियमितढंग से वे दर्शाया गया है जोनिम्नकारणों से आपत्तिजनकरहा:-

हैंडपंप मरम्मत से संबंधित व्यय प्रमाणकलेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किएगएसाथ ही डिलीवरीचालान, बिल ,कैशमेमो (सेल्सटैक्सकटौती का विवरण) मस्टररोल आदि प्रस्तुत नहीं रहाजो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल 8 के खण्ड-7 एवं खंड 8क एवं 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के 1947 के नियम संख्या 204 तथा 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा- 27 के अंतर्गत अपहरण है जोअधिभार के योग्य है। अतःउक्तधनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति श्री विवेक एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभात मोहन से रुपये 119590.00 की ब्याजसहितवसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभातमोहन एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवियादव द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन , हैण्डपम्प मरम्मत कराए जाने वाले स्थान संबंधित विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु

ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री प्रभातमोहन एवं ग्राम प्रधान श्री विवेक संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 119590.00 की वसूली श्री प्रभातमोहन /श्री रवियादव (यथास्थिति अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्री विवेक से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 59795.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-01)

प्रस्तर सं0-(223)- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 1616044.00 रुपये का अनुदान केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त हुआ । तथा 932217.00 रुपये की धनराशि विभिन्न योजनाओं में खर्च की गई । सामान्य वित्तीय नि० 2005 के नियम 212(5) के अनुसार स्थानीय निकायों के द्वारा राज्यसरकारको उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है । जबउनको केंद्रीय अनुदान राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त हो .इसके बाद ही अनुदान की किस्तें अवमुक्त की जानी थी. जो कि प्रस्तुत नहीं की गई । यहप्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहाइस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री प्रभातमोहन एवं ग्राम प्रधान श्री विवेक संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं । अतः समस्त धनराशि रुपए 932217.00 की गंभीर अनियमितता हेतु श्री प्रभात मोहन एवं ग्राम प्रधान श्री विवेक पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-02)**

प्रस्तर सं0-(224)- 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद भुगतान किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा-

कार्य आईडी संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
45393332	**सामुदायिक शौचालय** निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी1-5 18.06.2021	133831.00	नमनट्रेडर्स एवं मजदूरी भुगतान
55054399	**प्राथमिक व जूनियरस्कूलोंमें टाइल्स का कार्य**	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी7 02.11.2021	220891.00	श्री तिवारीट्रेडर्स
55054364	**पुलिया से प्राथमिकस्कूल तक इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य**	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी8 02.11.2021	247504.00	श्री तिवारीट्रेडर्स
51049305	**मजदूरी भुगतान**	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी9 30.11.2021	22500.00	श्रमिकोंको
55506080	निर्माण सामग्री खरीद का कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी10 27.12.2021	**149588.00**	नमनट्रेडर्स

51049305	ऑफिस हेतु फर्नीचर खरीद का कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी14 24.03.2022	**117700.00**	श्री गणेशट्रेडर्स
		योग	**892014.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभातमोहन एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवियादव द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली ,कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री प्रभातमोहन एवं ग्राम प्रधान श्री विवेक संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए 892014.00 कीवसूलीश्री प्रभातमोहन /श्री रवियादव (यथास्थिति अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्री विवेकसे संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 446007.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर सं0-(225)- पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद भुगतान किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा-

कार्य आईडी संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
45393549	**सामुदायिक शौचालयमें टाइल्स का कार्य**	**पंचम** वित्त आयोग/2021-22/पी4 08.10.2021 **पंचम** वित्त आयोग/2021-22/पी5-8 08.10.2021	169017.00 22750.00	नमन ट्रेडर्स एवं
51049305	निर्माण सामग्री खरीद कैमरा क्रय का भुगतान कैमरा क्रय का भुगतान	**पंचम** वित्त आयोग/2021-22/पी9 12.10.2021 **पंचम** वित्त आयोग/2021-22/पी10/ 12.10.2021 पंचम वित्त आयोग/2021-22/ पी14 23.10.2021	**24500.00** **12300.00** **12300.00**	पवन आयरन स्टोर कैमरा क्रय कैमरा क्रय
51049305	निविदाप्रकाशन का भुगतान	**पंचम** वित्त आयोग/2021-22/पी16 14.11.2021	**7200.00**	परिधि समाचार
51049305	निर्माण सामग्री खरीद का भुगतान	**पंचम** वित्त आयोग/2021-22/पी20 11.01.2022	**48000.00**	ओमर गिफ्ट हाउस

53468751	निर्माण सामग्री खरीद मजदूरी भुगतान	**पंचम** वित्त आयोग/2021-22/पी12 25.10.2021 **पंचम** वित्त आयोग/2021-22/पी33 25.10.2021	**44855.00** **13400.00**	नमन ट्रेडर्स मजदूरी भुगतान
44573623	हैंडपंप रिबोर प्राथमिकस्कूलमें	**पंचम** वित्त आयोग/2021-22/पी1 18.07.2021	**35653.00**	नमनट्रेडर्स
		योग	**389975.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभात मोहन एवं वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवि यादव द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली ,कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉप पुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , स्टोर पंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, प्रस्तुत नहीं किए गए। जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री प्रभात मोहन एवं ग्राम प्रधान श्री विवेक संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए 389975.00 की वसूली श्री प्रभात मोहन /श्री रवि यादव (यथास्थिति अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्री विवेक से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 372148.50 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-05)

प्रस्तर सं0-(226)- मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष **2021-22** में मनरेगा के अंतर्गत सृजित 21711 मानव दिवस रहे । जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या 28 रही जिसके सापेक्ष **पूर्ण कार्यों की संख्या 11** रही। जबकि एन.आर.एम व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत 42.88 रहा । वित्तीय वर्ष **2021-22** के पूर्ण हो ने के पश्चात भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा कार्यों पर **कुल व्यय रुपए 5.22 लाख** रहा । जिसमें से रुपए 4.33 लाख का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए **0.05** लाख का व्यय सामग्री क्रय य पर किया गया है। सामग्री क्रय य पर व्यय का **प्रतिशत 1.11** रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपये 252.52 रही । जबकि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 463(अ), तारीख 26 फरवरी, 2013, में संशोधन करते हुए दिनांक 15 मार्च 2021 की अधिसूचना के अनुसार मनरेगा के वर्ष 2021-22 मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपए 204.00 निर्धारित की गई है।ईएफएमएस के द्वारा व्यय का प्रतिशत 100 **र**हा । **15 दिवस** के अंतर्गत किये गए भुगतान का 99.59 रहा । मनरेगा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है।संबंधित अधिकारियों का ध्यानइसओरआकर्षित किया जाता है। अतः समस्त धनराशि रुपए 522000.00 की गंभीर अनियमितता हेतु श्री प्रभात मोहन व श्री रवि यादव एवं ग्राम प्रधान श्री विवेक पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-06)

111-ग्राम पंचायत - बरंडा

प्रस्तर सं0-(227)- पंचम राज्य वित्त के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया है । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं ।

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
53314386	27.07.2021	**पंचम** वित्त आयोग/2021-22/पी4	19950.00	यश ट्रेडर्स
53314254	27.07.2021	**पंचम** वित्त आयोग/2021-22/पी5	19990.00	यश ट्रेडर्स
53314301	27.07.2021	**पंचम** वित्त आयोग/2021-22/पी6	19990.00	यश ट्रेडर्स
45464774	11.08.2021	**पंचम** वित्त आयोग/2021-22/पी7	19850.00	यश ट्रेडर्स
45057889	11.08.2021	**पंचम** वित्त आयोग/2021-22/पी8	19800.00	यश ट्रेडर्स
45057940	01.09.2021	**पंचम** वित्त आयोग/2021-22/पी57	19800.00	यश ट्रेडर्स
45057970	01.09.2021	**पंचम** वित्त आयोग/2021-22/पी58	19950.00	यश ट्रेडर्स
			139330.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री समीर गुप्ता द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र ,स्टोरपंजिका, डेडस्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन , हैण्डपम्प मरम्मत कराए जाने वाले स्थान संबंधित विवरणप्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री राजेशकुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए **139330.00** की वसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री राजेशकुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से **धनराशि रुपए 69665.00 ब्याज सहित वसूल** की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या-06)**

प्रस्तर सं0-(228)- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 1850180.00 रुपये का अनुदान 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त हुआ । तथा 2121431.00 रुपये की धनराशि विभिन्न योजनाओं में खर्च की गई । सामान्य वित्तीय नि०

2005 के नियम 212(5) के अनुसार स्थानीय निकायों के द्वारा राज्यसरकारको उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है । जबउनको केंद्रीय अनुदान राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त हो .इसके बाद ही अनुदान की किस्तें अवमुक्त की जानी थी. जो कि प्रस्तुत नहीं की गई । यहप्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहाइस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री राजेशकुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं । अतः समस्त धनराशि रुपए 2121431.00 की गंभीर अनियमितता हेतु श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री राजेशकुमारपर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-02)**

प्रस्तर सं0-(229)- पंचम राज्य वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा

कार्य आईडी संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
45464710	सियाराम के घर से प्रमोद के घर तक नाली निर्माण कार्य	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी17/ 13.08.2021	22389.00	कबीर ट्रेडर्स
45058062	धर्मपाल के घर से रमेश के घर तक नाली एवं पटिया निर्माण कार्य	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी16 13.08.2021	24716.00	कबीर ट्रेडर्स
53365215	बरांडा विद्यालय में वाशिंग यूनिट निर्माण कार्य	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी67 06.10.2021 पंचम राज्य वित्त/21-22/पी68 06.10.2021	110125.00 64512.00	यश ट्रेडर्स
			221742.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान **श्री** राजेशकुमार द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री राजेशकुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए **221742.00** की वसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री राजेशकुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से **धनराशि रुपए 110871.00 ब्याज सहित वसूल** की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-07)

प्रस्तर सं0-(230)-पंचम राज्य वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा-

कार्य आईडी संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
54729969	अमरनाथ के घर से डामररोड तक नाली एवं इंटरलॉकिंगरोड निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी38 13.10.2021	92681.00	निर्मला ट्रेडर्स निर्मला
54623952	अजयपाल के घर से ही अनिल के घर तक इंटरलॉकिंगरोड निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी48 20.10.2021	209216.00	यश ट्रेडर्स
54607612	वकील के घर से श्री राम के घर तक नाली एवं पटिया निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी4 20.10.2021	175445.00	यश ट्रेडर्स
54607646	रोहित के घर से अरविंद के घर तक नाली एवं पटिया निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी73-74 24.12.2021	27115.00 85517.00	निर्मला ट्रेडर्स अमर ब्रिक फील्ड
42638829	पेपरनिविदा कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी72 12.12.2021	23208.00	शाश्वत टाइम्स
56325954	शफीक के घर से लाखन के घर तक इंटरलॉकिंगरोड एवं नाली निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी89 31.01.2022	172397.00	निर्मला ट्रेडर्स
54740690	ग्राम पंचायत में एकसाइड सोलर पैनल खरीद कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी94 13.01.2022	29221.00	एन0बी0 इन्टर प्राईजेज

56327021	रामबाबू के घर से मंजू के घर तक इंटरलॉकिंगरोड निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी119 16.01.2022	50107.00	निर्मला ट्रेडर्स
		योग	**864907.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री राजेशकुमार द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है ।व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री राजेशकुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए **864907.00** की वसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री राजेशकुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से **धनराशि रुपए 432453.50 ब्याज सहित वसूल** की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-03)

प्रस्तर सं0-(231)- मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष **2021-22** में मनरेगा के अंतर्गत सृजित 3814 मानव दिवस रहे । जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या 44 रही जिसके सापेक्ष **पूर्ण कार्यों की संख्या 02**रही। जबकि एन.आर.एम व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत 55.96 रहा । वित्तीय वर्ष **2021-22** के पूर्ण हो ने के पश्चात भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा कार्यों पर **कुल व्यय रुपए 7.68 लाख** रहा । जिसमें से रुपए **7.68 लाख** का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए **0.00** लाख का व्यय सामग्री क्रय य पर किया गया है। सामग्री क्रय पर व्यय का **प्रतिशत 0.00** रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी **रुपये 202.21**रही । जबकि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 463(अ), तारीख 26 फरवरी, 2013, में संशोधन करते हुए दिनांक 15 मार्च 2021 की अधिसूचना के अनुसार मनरेगा के वर्ष 2021-22 मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपए 204.00 निर्धारित की गई है। संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। ईएफएमएस के द्वारा व्यय का प्रतिशत 100 **रहा । 15 दिवस** के अंतर्गत किये गए भुगतान का **98.89** रहा । मनरेगा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। अतः समस्त धनराशि रुपए 768000.00 की गंभीर अनियमितता हेतु श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-05)

प्रस्तर सं0-(232)-15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत हैंडपंप रिबोर का कार्य कराया गया है । जिसकेसापेक्ष में कुल भुगतान धनराशि रुपए 297003.00 हैं । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं ।

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	रिबोर कराएजाने का स्थान	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
54729810	13.10.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी39	56006.00	दुर्गेश के दरवाजे	यश ट्रेडर्स

54729916	13.10.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी40	48272.00	छेदीलाल के दरवाजे	यश ट्रेडर्स
54729891	13.10.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी41	48347.00	रामजी के दरवाजे	यश ट्रेडर्स
54729933	13.10.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी42	48053.00	दौलत के दरवाजे	यश ट्रेडर्स
54729900	13.10.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी43	48053.00	रामकुमार के दरवाजे	यश ट्रेडर्स
54729922	13.10.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी44	48272.00	राजेन्द्र के दरवाजे	यश ट्रेडर्स
			297003.00		

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन , हैण्डपम्प रिबोर कराएजानेवालेस्थान संबंधित विवरण/प्रमाणक, प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है। व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री राजेशकुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 297003.00 की वसूलीश्री सिद्धांत कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री राजेशकुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 148501.50 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-04)

112-ग्राम पंचायत -बरौली

प्रस्तर सं0-(233)-पंचम राज्य वित्त के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया है । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं ।

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
45583730	14.06.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी11	19930.00	पवन आयरन स्टोर
45583803	14.06.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी10	19870.00	पवन आयरन स्टोर

45583890	14.06.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी12	19980.00	पवन आयरन स्टोर
52997781	15.07.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी13	19950.00	पवन आयरन स्टोर
52997912	15.07.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी14	19980.00	पवन आयरन स्टोर
52997985	15.07.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी515	19900.00	पवन आयरन स्टोर
			119610.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभात मोहन द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन , हैण्ड पम्प मरम्मत कराएजानेवालेस्थान संबंधित विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए। जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइनइंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री प्रभातमोहन एवं ग्राम प्रधान श्री विजयकुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए **119610.00** की वसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री प्रभातमोहन एवं ग्राम प्रधान श्री विजयकुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से **धनराशि रुपए 59805.00 ब्याज सहित वसूल** की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या-01)**

प्रस्तर सं0-(234)- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 11078056ु.00 रुपये का अनुदान 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त हुआ । तथा 1872238.00 रुपये की धनराशि विभिन्न योजनाओं में खर्च की गई । सामान्य वित्तीय नि० 2005 के नियम 212(5) के अनुसार स्थानीय निकायों के द्वारा राज्य सरकार को उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है । जबउनको केंद्रीय अनुदान राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त हो .इसके बाद ही अनुदान की किस्तें अवमुक्त की जानी थी. जो कि प्रस्तुत नहीं की गई । यहप्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहाइस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री प्रभातमोहन एवं ग्राम प्रधान श्री विजयकुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं । अतः समस्त धनराशि रुपए 1872238.00 की गंभीर अनियमितता हेतु श्री प्रभात मोहन व श्री रवि यादव एवं ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर सं0-(235)- पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा-

कार्य आईडी संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
45583638	प्राथमिक स्कूल चौखंडी में बाउंड्रीवॉल निर्माण कार्य	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी1-पी9 04.06.2021	133406.00 30000.00	एएमट्रेडर्स मजदूरी भुगतान

		,05.06.2021		
44704096	बेचेलाल के घर से राजनारायण के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी1 21.07.2021	**197966.00**	नमनट्रेडर्स
45583996	प्राइमरीस्कूलबरौलीप रिसरमें इंटरलॉकिंग कार्य	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी2 21.07.2021	**168248.00**	नमनट्रेडर्स
44704089	सुरेश के घर से प्रेमशंकर के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी3 21.07.2021	**220775.00**	नमनट्रेडर्स
53120015	मजदूरी भुगतान	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी16-पी23 29.08.2021	**36000.00**	मजदूरी भुगतान
		पंचम राज्य वित्त/21-22/पी41	**9500.00**	मजदूरी भुगतान
	सैनिटाइजर पर भुगतान	02.10.2021	**18500.00**	सैनिटाइजर भुगतान
		पंचम राज्य वित्त/21-22/पी24 29.08.2021		
53119112	निर्माण सामग्री का भुगतान	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी28,पी30 26.09.2021	**107100.00** **75768.00**	नमनट्रेडर्स
	मजदूरी भुगतान	पंचम राज्य वित्त/21-22/ पी31–पी40 26.09.2021	**47100.00**	श्रमिकोंको
52997985	निर्माण सामग्री भुगतान	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी4 14.10.2021	**19860.00**	पवन आयरन स्टोर
52997912	मजदूरी भुगतान	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी5 14.10.2021	**18000.00**	पवन आयरन स्टोर
42736529	मजदूरी भुगतान	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी12 19.10.2021	**102500.000**	श्री तिवारीट्रेडर्स
55023354	निर्माण सामग्री का भुगतान	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी47 25.10.2021	**194007.00**	श्री तिवारीट्रेडर्स
55022794	निर्माण सामग्री का भुगतान	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी48	**210654.00**	श्री तिवारीट्रेडर्स

		25.10.2021		
55023527	निर्माण सामग्री का भुगतान	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी56 24.11.2021	**165657.00**	श्री तिवारीट्रेडर्स
		योग	**1755041.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभातमोहनद्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री प्रभातमोहन एवं ग्राम प्रधान श्री विजयकुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए **1755041.00** की वसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री प्रभातमोहन एवं ग्राम प्रधान श्री विजयकुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से **धनराशि रुपए 877520.50 ब्याज सहित वसूल** की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या-04)**

प्रस्तर सं0-(236)- 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहः-

कार्य आईडी संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
53119327	निर्माण सामग्री का भुगतान	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी2 02.10.2021	43085.00	नमनट्रेडर्स
	मजदूरी भुगतान	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी3 02.10.2021	11000.00	श्रमिकोंको
45597068	निर्माण सामग्री का भुगतान	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी4 02.10.2021	68850.00	नमनट्रेडर्स
42736529	निर्माण सामग्री का भुगतान	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी5 12.10.2021	245569.00	नमनट्रेडर्स
44704101	निर्माण सामग्री का भुगतान	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी6 12.10.2021	219223.00	नमनट्रेडर्स

52813242	रिक्शाखरीदका भुगतान मजदूरी भुगतान	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी7 12.10.2021 पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी9 13.10.2021	24500.00 10350.00	पवन आयरन स्टोर श्रमिकोंको
52813242	मजदूरी भुगतान ऑफिससामग्री भुगतान	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी29 24.03.2021 पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी20	117700.00 98648.00	श्रमिकोंको श्री गणेशट्रेडर्स
55023204	निर्माण सामग्री का भुगतान	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी14 25.10.2021	187652.00	श्री तिवारीट्रेडर्स
55022598	निर्माण सामग्री का भुगतान	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी15 25.10.2021	204636.00	श्री तिवारीट्रेडर्स
55022932	निर्माण सामग्री का भुगतान	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी16 25.10.2021	**205193.00**	श्री तिवारीट्रेडर्स
		योग	**1436406.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभातमोहनद्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री प्रभात मोहन एवं ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए **1436406.00** की वसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री प्रभातमोहन एवं ग्राम प्रधान श्री विजयकुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से **धनराशि रुपए 718203 ब्याज** सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-05)

प्रस्तर सं0-(237)- 14 वां वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत है :-

कार्य आईडी संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
55074098	निर्माण सामग्री का भुगतान	एफएफसी/2021-22/पी5 02.1.2022	125163.00	नमनट्रेडर्स
55240379	निर्माण सामग्री का भुगतान	एफएफसी/2021-22/पी2 03.12.2021	140929.00	नमनट्रेडर्स
55053800	निर्माण सामग्री का भुगतान	एफएफसी/2021-22/पी1 24.11.2021	165567.00	नमनट्रेडर्स
		योग	431659.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभातमोहनद्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री प्रभातमोहन एवं ग्राम प्रधान श्री विजयकुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए **431659.00** की वसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री प्रभातमोहन एवं ग्राम प्रधान श्री विजयकुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से **धनराशि रुपए 215829.50 ब्याज सहित वसूल** की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या-06)**

प्रस्तर सं0-(238)- मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइटपर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष**2021-22** में मनरेगा के अंतर्गत सृजित 7820 मानव दिवस रहे । जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या 71 रही जिसके सापेक्ष **पूर्ण कार्यों कीसंख्या 53**रही। जबकिएनआर.एम. व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत 55.76 रहा । वित्तीय वर्ष **2021-22** के पूर्ण हो ने के पश्चात भीनिर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा कार्यों पर**कुल व्यय रुपए 15.45 लाख** रहा । जिसमें से रुपए **13.90 लाख** का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए **00.76** लाख का व्यय सामग्री क्रय पर किया गया है। सामग्री क्रय य पर व्यय का**प्रतिशत 5.18** रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी **रुपये 224.09** रही । जबकि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 463(अ(, तारीख 26 फरवरी, 2013, में संशोधन करते हुए दिनांक 15 मार्च 2021 की अधिसूचना के अनुसार मनरेगा के वर्ष 2021-22 मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपए 204.00 निर्धारित की गई है। संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। ईएफएमएस के द्वारा व्यय का प्रतिशत 100 **र**हा । **15 दिवस**के अंतर्गत किये गए भुगतान का **81.17** रहा । मनरेगा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। अतः समस्त धनराशि रुपए 1545000.00 की गंभीर अनियमितता हेतु श्री प्रभात मोहन व श्री रवि यादव एवं ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-07)

113-ग्राम पंचायत - बावनझाला मुजफ्फरपुर

प्रस्तर सं0-(239)- पंचम राज्य वित्त के अंतर्गतहैंडपंप मरम्मतका कार्य कराया गया है ।जिसकेसापेक्ष में कुल भुगतान धनराशि रुपए 59880.00 हैं । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं ।

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
53357608	27.01.2022	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी29	19950.00	आर0एस0 ट्रेडर्स
53357406	27.01.2022	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी30	19980.00	आर0एस0 ट्रेडर्स
53357663	10.02.2022	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी31	19950.00	यश ट्रेडर्स
			59880.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बाबूसिंह यादव द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भीलेखा अभिलेख ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत किया गया हैंडपंप मरम्मत हेतु प्रार्थना पत्र, ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों का विवरण जहाँ हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया, हैंडपंप मरम्मतमें हैंडपंप से निकाली गई खराब सामग्री की लिस्ट एवं उससे संबंधित डैड स्टॉक रजिस्टर जिसमे और सामग्री की प्रविष्टि की गई हो , कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्रर , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, हैंडपंप मरम्मत पूर्ण हो ने पर ग्रामीणों से लिया गया हैंडपंप के पूर्णरूप से मरम्मत हो ने का संतुष्टि प्रमाण पत्र बट,प्रस्तुत नहीं किए गए। जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बाबूसिंह यादव एवं ग्राम प्रधान रेखादेवी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 59880.00 की वसूलीश्री सिद्धांत कुमार / वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बाबू सिंह यादव (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान रेखा देवी से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 29940.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या-05)**

प्रस्तर सं0-(240)-15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत हैंडपंप रिबोरका कार्य कराया गया है । जिसकेसापेक्ष में कुल भुगतान धनराशि रुपए 69085.00 हैं । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं ।

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	रिबोर कराएजाने का स्थान	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
53358330	03.02.2022	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी45	35189.00	अनूपकटियार के दरवाजे	यश ट्रेडर्स
53358448	03.02.2022	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी46	33896.00	जयदूबे के दरवाजे	यश ट्रेडर्स
			69085.00		

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बाबूसिंह यादव द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन , हैण्डपम्प रिबोर कराए जाने वाले स्थान संबंधित विवरण/प्रमाणक, प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बाबू सिंह यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 69085.00 की वसूली श्री सिद्धांत कुमार /वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बाबू सिंह यादव (यथा स्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान रेखा देवीसे संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 34542.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर सं0-(241)- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 772626.00 रुपये का अनुदान 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त हुआ । तथा 1066037.00 रुपये की धनराशि विभिन्न योजनाओं में खर्च की गई । सामान्य वित्तीय नि० 2005 के नियम 212(5) के अनुसार स्थानीय निकायों के द्वारा राज्य सरकार को उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है । जब उन को केंद्रीय अनुदान राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त हो इसके बाद ही अनुदान की किस्तें अवमुक्त की जानी थी ,जो कि प्रस्तुत नहीं की गई । यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहा इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं । अतः समस्त धनराशि रुपए 1066037.00 की गंभीर अनियमितता हेतु श्री सिद्धांत कुमार व श्री बाबू सिंह यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-01)

प्रस्तर सं0-(242)- पंचम वित्त आयोग के अंतर्गत हैंडपंप रिबोरका कार्य कराया गया है । जिसकेसापेक्ष में कुल भुगतान धनराशि रुपए 132101.00 हैं । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं ।

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
60586643	15.02.2022	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी32	34642.00	यश ट्रेडर्स

60586833	15.02.2022	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी33	34073.00	यश ट्रेडर्स
60586555	15.02.2022	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी34	31114.00	यश ट्रेडर्स
60586759	21.03.2022	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी35	32272.00	यश ट्रेडर्स
			132101.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बाबूसिंहयादवद्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन , हैण्डपम्प रिबोर कराएजानेवालेस्थान संबंधित विवरण/प्रमाणक, प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजाजाचुकाथा । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बाबूसिंहयादव एवं ग्राम प्रधान रेखादेवी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 132101.00 की वसूली श्री सिद्धांत कुमार /वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बाबूसिंहयादव (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान रेखादेवीसे संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 66050.50 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-07)

प्रस्तर सं0-(243)- पंचम राज्य वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत मेविभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेतुमजदूरी भुगतान एवं निर्माण सामग्री खरीद का भुगतान किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा-

कार्य आईडी संख्या	वाउचरविवरण/ दिनांक		भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
42426895	पंचम राज्य वित्त/221-22/पी24 09.12.2021	पंचायत भवनमें बाउंड्रीवॉल निर्माण कार्य	64093.00	पंकज कंस्ट्रक्शन
53357084	पंचम राज्य वित्त/221-22/पी9 05.08.2021 पंचम राज्य वित्त/221-22/पी10-16 13.08.2021	सीताराम के घर से मीटूलाल के घर तक इंटरलॉकिंगरोड निर्माण कार्य	192633.00 30500.00	पंकज कंस्ट्रक्शन मजदूरी भुगतान

53359826	पंचम राज्य वित्त/221-22/पी20 27.10.2021	ग्राम पंचायत में सफाई कार्य	50000.00	मिठाईलाल ग्रुप को मजदूरी भुगतान
	योग		**337226.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपालद्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट संबंधित विवरणप्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बाबू सिंह यादव एवं ग्राम प्रधान रेखादेवी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए **337226.00** की वसूलीश्री सिद्धांत कुमार (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान रेखादेवीसे संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए **168613.00** ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-06)

प्रस्तर सं0-(244)- 15 वें वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत मेविभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेतुमजदूरी भुगतान एवं निर्माण सामग्री खरीद का भुगतान किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा-

कार्य आईडी संख्या	वाउचरविवरण/दिनांक	निर्माण कार्य का विवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
53356958	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी2,5-6 13.08.2021 15.08.2021	कुंजविहारी के घरसेमहेंद्र के घर तक इंटरलॉकिंगरोड निर्माण कार्य	15000.00 175101.00	पंकजकंस्ट्रक्शन
53357157	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी3 05.08.2021	नरेशबाबू के घर से रामनिवास के घर तक इंटरलॉकिंगरोड निर्माण कार्य	151232.00 30500.00	पंकजकंस्ट्रक्शन मजदूरी भुगतान
53394927	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी4,10-12 05.08.2021 13.08.2021	रामनिवास के घर से लल्लू के घर तक इंटरलॉकिंगरोड निर्माण कार्य	127000.00 12000.00	मजदूरी भुगतान मजदूरी भुगतान
54627728	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी21 30.09.2021	कन्हैया के घर से रामअवतार के घर तक नाली निर्माण कार्य	43818.00	पंकजकंस्ट्रक्शन

51059603	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी20 13.09.2021 पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी22-27 30.09.2021	ग्राम पंचायत में सफाई कार्य ग्राम पंचायत में सफाई कार्य	30000.00 18000.00	देवेन्द्रशर्माको भुगतान मजदूरी भुगतान
54627731	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी29-39 27.10.2021 पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी43-44 02.02.2022 पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी49 28.03.2022	ग्राम पंचायत में सफाई कार्य ग्राम पंचायत में सफाई कार्य ग्राम पंचायत में सफाई कार्य	33000.00 24750.00 22400.00	मजदूर भुगतान यति फ्यूल सेंटर देवेन्द्र शर्मा को भुगतान
55945628	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी47 03.02.2022	पंचायत भवनमरम्मत कार्य	196588.00	पंकज कंस्ट्रक्शन को भुगतान
53359826	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी29-39 27.10.2021	फर्नीचरखरीद कार्य	56600.00	मिठाई लाल ग्रुप को भुगतान
	योग		**935989.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपालद्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट संबंधित विवरणप्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारीश्री बाबूसिंहयादव एवं ग्राम प्रधान रेखादेवी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए **935989.00** की वसूलीश्री सिद्धांत कुमार (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान रेखादेवीसे संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए **467994.50** ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर सं0-(245)- मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष **2021-22** में मनरेगा के अंतर्गत सृजित 3211 मानव दिवस रहे । जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या 67 रही जिसके सापेक्ष **पूर्ण कार्यों की संख्या 07** रही। जबकि एन.आर.एम व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत 76.76 रहा । वित्तीय वर्ष **2021-22** के पूर्ण हो ने के पश्चात भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा कार्यों पर **कुल व्यय रुपए 7.64 लाख** रहा । जिसमें से रुपए

7.62 लाख का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए **0.03** लाख का व्यय सामग्री क्रय य पर किया गया है। सामग्री क्रय य पर व्यय का **प्रतिशत 0.38** रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपये 207.07 रही । जबकि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 463(अ), तारीख 26 फरवरी, 2013, में संशोधन करते हुए दिनांक 15 मार्च 2021 की अधिसूचना के अनुसार मनरेगा के वर्ष 2021-22 मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपए 204.00 निर्धारित की गई है। संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। ईएफएमएस के द्वारा व्यय का प्रतिशत 100 **र**हा । **15 दिवस** के अंतर्गत किये गए भुगतान का 99.13 रहा । मनरेगा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। अतः समस्त धनराशि रुपए 764000.00 की गंभीर अनियमितता हेतु श्री सिद्धांत कुमार व श्री बाबू सिंह यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-04)

114-ग्राम पंचायत - भीटी हवेली

प्रस्तर सं0-(246)- पंचम राज्य वित्त के अंतर्गतहैंडपंप मरम्मतका कार्य कराया गया है ।जिसकेसापेक्ष में कुल भुगतान धनराशि रुपए 39550.00 हैं । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं ।

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
43928397	25.06.2022	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी1	19800.00	पवन आयरन स्टोर
43928435	25.06.2022	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी2	19750.00	पवन आयरन स्टोर
44943063	16.11.2022	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी7	19980.00	यश ट्रेडर्स
43928473	16.11.2022	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी8	19800.00	यश ट्रेडर्स
			79330.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारीश्री बाबू सिंह यादव द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेखग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत किया गया हैंडपंप मरम्मतहेतुप्रार्थना पत्र, ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों का विवरणजहाँ हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया, हैंडपंप मरम्मतमें हैंडपंप से निकाली गई खराब सामग्री की लिस्ट एवं उससे संबंधित डैड स्टॉक रजिस्टर जिसमे और सामग्री की प्रविष्टि की गई हो , कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्रर , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, हैंडपंप मरम्मतपूर्ण हो ने पर ग्रामीणों से लिया गया हैंडपंप के पूर्णरूप से मरम्मत हो ने का संतुष्टि प्रमाण पत्र बट,प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारीश्री बाबूसिंहयादव एवं ग्राम प्रधान श्री संदीपसिंहकटियार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 79330.00 की वसूलीश्री सिद्धांत कुमार / वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी श्री

बाबूसिंहयादव(यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्री संदीपसिंहकटियार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 39665.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-07)

प्रस्तर सं0-(247)-वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 405686.00 रुपये का अनुदान 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त हुआ । तथा 412393.00 रुपये की धनराशि विभिन्न योजनाओं में खर्च की गई । सामान्य वित्तीय नि० 2005 के नियम 212(5) के अनुसार स्थानीय निकायों के द्वारा राज्यसरकारको उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है । जबउनको केंद्रीय अनुदान राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त हो .इसके बाद ही अनुदान की किस्तें अवमुक्त की जानी थी. जो कि प्रस्तुत नहीं की गई । यहप्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहाइस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री संदीप सिंह कटियार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं । अतः समस्त धनराशि रुपए 412393.00 की गंभीर अनियमितता हेतु श्री सिद्धांत कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री संदीप सिंह कटियार पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-08)

प्रस्तर सं0-(248)- 15 वें वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में कार्य हेतुमजदूरी भुगतान किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी विवरण , लेखाअभिलेख, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा-

कार्य आईडी संख्या	वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
44943005	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी1-17 30.06.2022	227000.00	मजदूरी भुगतान
	योग	**227000.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बाबूसिंहयादवद्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट संबंधित विवरणप्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बाबूसिंहयादव एवं ग्राम प्रधान श्री संदीपसिंहकटियार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 227000.00 की वसूली श्री सिद्धांत कुमार (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्री संदीपसिंहकटियारसे संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए **113500.00** ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर सं0-(249)-ग्राम पंचायत की ऑनलाइन उपलब्ध सूचना एवं अभिलेख की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्य पहचान संख्या द्वारा 15वित्त आयोग अंतर्गत निम्न विवरण अनुसार स्वयं सहायता समूह संस्था को भुगतान किया जाना दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक एवं लेखा प्रपत्र लेखा परीक्षा के दौरान तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया । विवरण निम्नवत है--

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया	भुगतान धनराशि (रुपए)
43927299	02.07.2021	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी6	माँ सहायता स्वयं सहायता समूह	27000.00
				27000.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित शासकीय प्रपत्र संख्या 1758/33-3-2020-31/2019 के अनुसार सामुदायिक शौचालयों की नियमितसफाई एवं रखरखाव सुगमता के साथ हो सकेइसकेलिए 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाली धनराशि की 25% धनराशि जो स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन के लिए आरक्षित है उससे की जाएगी । कुल व्यय प्रतिमाहधनराशि रुपए 9000.00 हो गी। इस कार्य पर हो ने वाले पूरेवर्ष का व्यय अधिकतमदोकिस्तोंमें पहलाप्रारंभिकमाहमें एवं दूसरीकिस्त छः माह के बाद बराबर किश्तों में स्वयं सहायता समूह को ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। परन्तु उपरोक्त विवरण के अनुसार , स्वयं सहायता समूहको सामुदायिक शौचालय की रखरखाव एवं सफाईहेतु किया गया भुगतान की समस्त धनराशि एक ही किस्तमें वर्ष के प्रारंभ में (जुलाईमाहमें) ही कर दी गई है। जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। धनराशि रुपये 27000.00 का भुगतान किस आधार पर एवं किस प्रकार किया गया हैं यहभी स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। शासनादेश मैं वर्णित गाइड लाइंस के विपरीत किया गया भुगतान पूर्णतयाअनियमित है। इस संबंध में स्पष्टीकरण अपेक्षित तथा अन्यथा की स्थितिमें समस्तधनराशि की वसूली ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान से की जानी चाहिए। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बाबूसिंहयादव एवं ग्राम प्रधान श्री संदीप सिंह कटियार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 270000 की वसूली श्री सिद्धांत कुमार (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्री संदीप सिंह कटियारसे संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 13500.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **मूल आपत्ति संख्या-03)**

प्रस्तर सं0-(250)- 15 वें वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य हेतुसामग्री खरीद का भुगतान किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भीविवरण , लेखाअभिलेख, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा-

कार्य आईडी संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
60795753	भज्जा के घर से मनोज के घर तक नाली निर्माण कार्य्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी21 14.02.2023	91063.00	आर0एस0 इंटरप्राईजेज
62300678	डीटी के घर से त्रिपुरारी के घर तक नाली निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी23 26.03.2023	49700.00	आर0एस0 इंटरप्राईजेज
		योग	**140763.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बाबूसिंहयादवद्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेटमूलप्रतिमें प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइनइंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बाबूसिंहयादव एवं ग्राम प्रधान श्री संदीपसिंहकटियार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 140763.00 की वसूलीश्री सिद्धांत कुमार (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्री संदीपसिंहकटियारसे संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि

रुपए **70381.50** ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर सं0-(251)- पंचम राज्य वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में निम्नविवरण अनुसार विकास कार्य का भुगतान किया जाना कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भीविवरण , लेखाअभिलेख, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा-

कार्य आईडी संख्या		वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
56074740	**करोना वॉल पेंटिंग प्रचार प्रसार जागरूकता अभियान**	पंचम राज्य वित्त/221-22/पी16 13.01.2023	19800.00	विशाल आर्ट्स
56074740	**निगरानी समिति प्रचार प्रसार कार्य**	पंचम राज्य वित्त/221-22/पी15 13.01.2023	19470.00	विशाल आर्ट्स
56155053	फर्नीचरखरीदकार्य	पंचम राज्य वित्त/221-22/पी13 13.01.2023	48500.00	आर0एस0 इंटरप्राईजेज
43927299	पंचायत सचिवालय में वॉलपेंटिंग का कार्य	पंचम राज्य वित्त/221-22/पी10 20.12.2022	30844.00	आरूषी ट्रेडर्स
		योग	**118614.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बाबूसिंहयादवद्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट संबंधित विवरणप्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बाबूसिंहयादव एवं ग्राम प्रधान श्री संदीपसिंहकटियार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 118614.00 की वसूलीश्री सिद्धांत कुमार व श्री बाबूसिंहयादव (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्री संदीपसिंहकटियारसे संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए **59307.00** ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-06)

प्रस्तर सं0-(252)- मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष **2021-22** में मनरेगा के अंतर्गत सृजित 1086 मानव दिवस रहे । जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या 21 रही जिसके सापेक्ष **पूर्ण कार्यों की संख्या 01** रही। जबकि एन.आर.एम व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत 56.20 रहा । वित्तीय वर्ष **2021-22** के पूर्ण हो ने के पश्चात भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा कार्यों पर **कुल व्यय रुपए 4.63लाख** रहा । जिसमें से रुपए 4.55 लाख का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए **0.08** लाख का व्यय सामग्री क्रय य पर किया गया है।

सामग्री क्रय य पर व्यय का **प्रतिशत 1.69** रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपये 215.99 रही । जबकि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 463(अ), तारीख 26 फरवरी, 2013, में संशोधन करते हुए दिनांक 15 मार्च 2021 की अधिसूचना के अनुसार मनरेगा के वर्ष 2021-22 मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपए 204.00 निर्धारित की गई है। संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। ईएफएमएस के द्वारा व्यय का प्रतिशत 100 **र**हा । **15 दिवस** के अंतर्गत किये गए भुगतान का 99.44 रहा । मनरेगा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। अतः समस्त धनराशि रुपए 463000.00 की गंभीर अनियमितता हेतु श्री सिद्धांत कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री संदीप सिंह कटियार पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-05)

115-ग्राम पंचायत -देवकली

प्रस्तर सं0-(253)- मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष **2021-22** में मनरेगा के अंतर्गत सृजित 3383 मानव दिवस रहे । जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या 21रही जिसके सापेक्ष **पूर्ण कार्यों की संख्या 03** रही। जबकि एन.आर.एम व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत 79.74 रहा । वित्तीय वर्ष **2021-22** के पूर्ण हो ने के पश्चात भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा कार्यों पर **कुल व्यय रुपए 7.12 लाख** रहा । जिसमें से रुपए 7.03 लाख का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए **0.09** लाख का व्यय सामग्री क्रय य पर किया गया है। सामग्री क्रय य पर व्यय का **प्रतिशत 1.32** रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपये 206.55 रही । जबकि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 463(अ), तारीख 26 फरवरी, 2013, में संशोधन करते हुए दिनांक 15 मार्च 2021 की अधिसूचना के अनुसार मनरेगा के वर्ष 2021-22 मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपए 204.00 निर्धारित की गई है। संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। ईएफएमएस के द्वारा व्यय का प्रतिशत 100 **र**हा । **15 दिवस** के अंतर्गत किये गए भुगतान का 69.23 रहा । मनरेगा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है।. अतः समस्त धनराशि रुपए 712000.00 की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव श्री अखिलेश कुमार व अमिताभ पाल एवं ग्राम प्रधान श्रीमती गयारी व श्री सुमंत कुमार संयुक्त रूप पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-02)**

प्रस्तर सं0-(254)-ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया की ग्राम पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए कैशबुक में वर्ष दौरान प्राप्त अनुदान की धनराशि एवं ऑनलाइन पोर्टल ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वार्षिक प्राप्ति की धनराशि में निम्नविवरण अनुसार अंतर की स्थितिरही-

कैशबुक के अनुसार	1055413.00	1402767.00
बैंकपासबुक के अनुसार	1055413.00	1402767.00
प्रियासॉफ्ट के अनुसार	809014.00	1402767.00
अंतरक्रय मांक(1 व 2) में	0.00	0.00
अंतरक्रय मांक(1 व 3) में	246399.00	0.00

उपरोक्त के संबंध में स्पष्ट की जानी अपेक्षित रही। यहएकगंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसेहेतु ग्राम पंचायत सचिवश्री अखिलेशकुमार एवं ग्राम प्रधान श्री सुमंतकुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायीहैं। अतः समस्त धनराशि रुपए 246399.00 की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव श्री अखिलेश कुमार व अमिताभ पाल एवं ग्राम प्रधान श्रीमती गयारी व श्री सुमंत कुमार संयुक्त रूप पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-01)**

116-ग्राम पंचायत - गदनपुरअहार

प्रस्तर सं0-(255)- पंचम राज्य वित्त के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया है जिसके सापेक्ष में कुल भुगतान धनराशि रुपए 139660 .00 हैं । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं ।

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
45582783	17.06.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी1	19900.00	पवन आयरन स्टोर
52238107	17.06.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी2	19930.00	पवन आयरन स्टोर
52249550	17.06.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी3	19990.00	पवन आयरन स्टोर
52243419	18.07.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी4	19950.00	पवन आयरन स्टोर
54079986	28.08.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी5	19940.00	यशट्रेडर्स
54080035	28.08.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी6	19960.00	यशट्रेडर्स
54080137	28.08.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी7	19990.00	यशट्रेडर्स
			139660.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संदीपज्ञानवीर द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन , हैण्डपम्प मरम्मत कराए जाने वाले स्थान संबंधित विवरणप्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संदीप ज्ञानवीर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शांतिदेवी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए 139660.00 की वसूलीश्री संदीप

ज्ञानवीर (यथास्थिति अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शांति देवी से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 69830.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-06)

प्रस्तर सं0-(256)- ग्राम पंचायत में पंचम राज्य वित्त योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत में सफाई का कार्यकराया गया है ।जिसका विवरण ऑनलाइन पोर्टलभी ग्राम स्वराज पर निम्नवत दर्शाया गया है:-

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
4244061	05.09.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी9 द्वारा	12700.00	यश ट्रेडर्स को भुगतान
4244061	05.09.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी10 द्वारा	6000.00	यश ट्रेडर्स को भुगतान
		योग	**18700.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संदीपज्ञानवीर द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, स्थान संबंधित विवरणप्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संदीपज्ञानवीर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शांतिदेवी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 18700.00 की वसूलीश्री संदीपज्ञानवीर (यथास्थिति अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शांतिदेवीसे संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 9350.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-07)

प्रस्तर सं0-(257)- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 340756.00 रुपये का अनुदान 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त हुआ । तथा 308292.00 रुपये की धनराशि विभिन्न योजनाओं में खर्च की गई । सामान्य वित्तीय नि० 2005 के नियम 212(5) के अनुसार स्थानीय निकायों के द्वारा राज्य सरकारको उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है । जबउनको केंद्रीय अनुदान राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त हो .इसके बाद ही अनुदान की किस्तें अवमुक्त की जानी थी. जो कि प्रस्तुत नहीं की गई । यहप्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहा।इइस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संदीपज्ञानवीर (यथास्थिति अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शांतिदेवी संयुक्त रूप से उत्तरदाईहैं। । अतः समस्त धनराशि रुपए 308292.00 की गंभीर अनियमितता हेतु श्री संदीप ज्ञानवीर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शांति देवी पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-08)

प्रस्तर सं0-(258)- ग्राम पंचायत की ऑनलाइन उपलब्ध सूचना एवं अभिलेख की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्य पहचान संख्या द्वारा 15 वें वित्त आयोग अंतर्गत निम्नविवरण अनुसार स्वयं सहायता समूह संस्था को भुगतान किया जाना दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक एवं लेखा प्रपत्र लेखा परीक्षा के दौरान तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया । विवरण निम्नवत है--

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया	भुगतान धनराशि (रुपए)

51049903	04.07.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी1	निर्मल गंगा स्वयं सहायता समूह	27000.00
				27000.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित शासकीय प्रपत्र संख्या 1758/33-3-2020-31/2019 के अनुसार सामुदायिक शौचालयों की नियमित सफाई एवं रखरखाव सुगमता के साथ हो सके इसके लिए 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाली धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि जो स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन के लिए आरक्षित है उससे की जाएगी ।कुल व्यय प्रतिमाह धनराशि रुपए 9000.00 होगी। इस कार्य पर हो ने वाले पूरेवर्ष का व्यय अधिकतमदोकिस्तोंमें पहला प्रारंभिक माह में एवं दूसरीकिस्त छः माह के बाद बराबर किश्तों में स्वयं सहायता समूह को ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। परन्तु उपरोक्त विवरण के अनुसार , स्वयं सहायता समूह को सामुदायिक शौचालय की रखरखाव एवं सफाई हेतु किया गया भुगतान की समस्त धनराशि एक ही किस्त में वर्ष के प्रारंभ में (जुलाईमाहमें) ही कर दी गई है। जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। धनराशि रुपये 27000.00 का भुगतान किस आधार पर एवं किस प्रकार किया गया हैं यहभी स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संदीप ज्ञानवीर (यथास्थितिकार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शांति देवी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं । उत्तरदायी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संदीप ज्ञानवीर (यथास्थिति अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शांति देवी से वसूली की कार्रवाई की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-01)

प्रस्तर सं0-(259)- ऑनलाइन पोर्टल ही ग्राम स्वराज पर उपलब्ध सूचना के अनुसार कार्य पहचान संख्या 51049903 द्वारा व्यय प्रमाणक संख्या पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी2 28.10.2021 द्वारा ग्राम पंचायत में रिक्शा कराए कार्य किया जाना दर्शाया गया है जिस हेतु यश ट्रेडर्स को उपरोक्त धनराशि रुपये 24500.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है ।उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संदीपज्ञानवीर द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली ,कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा।इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संदीपज्ञानवीर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शांतिदेवी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 24500.00 की वसूली श्री संदीपज्ञानवीर (यथास्थिति अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शांति देवी से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 12250.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या-03)**

प्रस्तर सं0-(260)- मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष **2021-22** में मनरेगा के अंतर्गत सृजित 3540 मानव दिवस रहे । जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या 22 रही जिसके सापेक्ष **पूर्ण कार्यों की संख्या 03** रही। जबकि एन.आर.एम व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत 86.65 रहा । वित्तीय वर्ष **2021-22** के पूर्ण हो ने के पश्चात भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा कार्यों पर **कुल व्यय रुपए 7.99 लाख** रहा । जिसमें से रुपए 6.98 लाख का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए **1.01** लाख का व्यय सामग्री क्रय य पर किया गया है। सामग्री क्रय पर व्यय का **प्रतिशत 12.61** रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपये 232.87 रही । जबकि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 463(अ), तारीख 26 फरवरी, 2013, में संशोधन करते हुए दिनांक 15 मार्च 2021 की अधिसूचना के अनुसार मनरेगा के वर्ष 2021-22 मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपए 204.00 निर्धारित की गई है। संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। ईएफएमएस के द्वारा व्यय का प्रतिशत 100 **र**हा । **15 दिवस** के अंतर्गत किये गए भुगतान का 83.43 रहा । मनरेगा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। अतः समस्त धनराशि रुपए 799000.00 की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव श्री संदीप

ज्ञानवीर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शांती देवी संयुक्त रूप पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-05)

प्रस्तर सं0-(261)-पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कार्य पहचान संख्या 56275103 अंतर्गत ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स का कार्य कराया गया है यहनिर्णय कार्य 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत कराया गया है जिसमें वहप्रमाणक संख्या पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी9 द्वारा धनराशि रुपये 205960.00 यह भुगतान यशट्रेडर्सको निर्माण सामग्री खरीदहेतू किया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेखलेखापरीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए । पुष्टि प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमितरहा उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संदीपज्ञानवीर द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या,कार्यपूर्तिप्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संदीपज्ञानवीर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शांति देवी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए 205960.00 की वसूली श्री संदीप ज्ञानवीर (यथास्थिति अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शांतिदेवीसे संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 102980.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-04)

117-ग्राम पंचायत - गदनपुरचोरसा

प्रस्तर सं0-(262)- ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष की प्रारंभिक अवशेष की धनराशि रू 1300749.00 दर्शाई जा रही थी । वित्तीयवर्ष 2021-22 के माह मार्च ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमें ट के अनुसार विवरण निम्नवत रहा:-

अकाउंट 20811 बैलेंसएस पर कैशबुक - 1235614.00

बैलेंस बैंक अकाउंट- 1257944.00

कैशबुकमें क्रेडिट नहीं किया गया ब्याज - 22330.00

कैशबुक एवं बैंकअकाउंटमें अंतर की धनराशि - 22330.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है की ग्राम पंचायत के कैशबुक एवं बैंकअकाउंटमें अंतर की स्थितिरही एवं बैंक द्वारा दिएगए ब्याज की प्रविष्टि कैशबुक में नहीं दर्शाई गई है।इसक संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। इस वित्तीय अनियमितताहेतु ग्राम पंचायत सचिव श्री निशांत सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री प्रीति सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध अपेक्षित कार्यवाही की जानी चाहिए। **(मूलआपत्तिसंख्या-01)**

प्रस्तर सं0-(263)- ग्राम पंचायत में पंचम राज्य वित्त योजना अंतर्गत निर्माण का कार्यकराया गया है ।जिसका विवरण ऑनलाइन पोर्टल भी ग्राम स्वराज पर निम्नवत दर्शाया गया है:-

कार्य आईडी संख्या	कार्य का विवरण	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
53400447	मोहनसिंह के घर से कप्तानसिंह के घर तक	28.09.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी10 द्वारा	179400.00	नमन ट्रेडर्स

	इंटरलॉकिंगरोड निर्माण कार्य				
53400462	कमल के घर से राजेंद्रसिंह के घर तक इंटरलॉकिंगरोड निर्माण कार्य	28.09.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी11 द्वारा	209000.00	नमन ट्रेडर्स
50679844	आंगनबाड़ीकेंद्र निर्माण कार्य	24.10.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी19 द्वारा	106000.00	क्षेत्र पंचायत बिल्हौर
			योग	**494400.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारीश्री निशांतसिंह एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवियादवद्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली ,कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्य ,स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टरप्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से श्री निशांतसिंह एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवियादवको भेजा जा चुका था ।लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा।इस वित्तीय अनियमितता हेतु ग्राम पंचायत सचिवश्री निशांतसिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीति सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध अपेक्षित कार्यवाही की जानी चाहिए।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए 494400.00 की वसूली श्री निशांतसिंह/ श्री रवियादव (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीति सिंह से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 247200.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर सं0-(264)- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 815230.00 रुपये का अनुदान 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त हुआ । तथा 261698.00 रुपये की धनराशि विभिन्न योजनाओं में खर्च की गई । सामान्य वित्तीय नि० 2005 के नियम 212(5) के अनुसार स्थानीय निकायों के द्वारा राज्यसरकारको उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है । जबउनको केंद्रीय अनुदान राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त हो .इसके बाद ही अनुदान की किस्तें अवमुक्त की जानी थी. जो कि प्रस्तुत नहीं की गई । यहप्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहाइस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री निशांतसिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीतिसिंह संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं । अतः समस्त धनराशि रुपए 261698.00 की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव श्री निशांत सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीति सिंह संयुक्त रूप पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-06)**

प्रस्तर सं0-(265)- पंचम राज्य वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में कृषि यन्त्र कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद भुगतान किया जाना कार्य संख्या 55294718 द्वारा दर्शाया गया है।जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए । धनराशि रुपए 370000.00 का भुगतान दिनांक 03.11.2021 को प्रमाणक संख्या पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी20 द्वारा श्याम मशीनरी स्टोरको किया जाना दर्शाया गया है।धनराशि रुपए 530000.00 का भुगतान दिनांक 13.01.2022 को प्रमाणक संख्या पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी21 द्वारा किसान सेवा केंद्र को भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री निशांतसिंह **एवं ग्राम प्रधान** श्रीमती प्रीतिसिंह एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवियादव द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था ।लेखा परीक्षा में संबंधित निर्माण कार्यों की निर्माण पत्रावली ऐसे निर्माण कार्य आदेश, कार्य योजना, संबंधित व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य के वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति आदेश एवं संख्या,

कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मापपुस्तिका, निर्माण कार्यों के त्रिस्तरीयफोटोग्राफ, निर्माण कार्य की गुणवत्तारिपोर्ट, कैशबुक, स्टोरपंजिका, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है ।सभी लेखा अभिलेखों के अभावमें क्रय य की गई निर्माण सामग्री की उपयोगिता एवं भुगतान की पुष्टि नहीं हो ती है।अतः व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी निशांतसिंह **एवं ग्राम प्रधान** श्रीमती प्रीतिसिंह एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवियादव संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 900000.00 की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री निशांतसिंह **एवं ग्राम प्रधान** श्रीमती प्रीतिसिंह से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 450000.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-05)

प्रस्तर सं0-(266)- मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष **2021-22** में मनरेगा के अंतर्गत सृजित 5094 मानव दिवस रहे । जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या 45 रही जिसके सापेक्ष **पूर्ण कार्यों की संख्या 20** रही। जबकि एन.आर.एम व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत 59.84 रहा । वित्तीय वर्ष **2021-22** के पूर्ण हो ने के पश्चात भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा कार्यों पर **कुल व्यय रुपए 11.23 लाख** रहा । जिसमें से रुपए **10.11** लाख का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए **0.33** लाख का व्यय सामग्री क्रय य पर किया गया है। सामग्री क्रय य पर व्यय का **प्रतिशत 3.14** रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपये 222.96 रही । जबकि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 463(अ), तारीख 26 फरवरी, 2013, में संशोधन करते हुए दिनांक 15 मार्च 2021 की अधिसूचना के अनुसार मनरेगा के वर्ष 2021-22 मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपए 204.00 निर्धारित की गई है। संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। ईएफएमएस के द्वारा व्यय का प्रतिशत 100 **र**हा । **15 दिवस** के अंतर्गत किये गए भुगतान का **91.08** रहा । मनरेगा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। अतः समस्त धनराशि रुपए 1123000.00 की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव श्री निशांत सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीति सिंह संयुक्त रूप पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-03)

118-<u>ग्राम पंचायत - गजना</u>

प्रस्तर सं0-(267)- पंचम राज्य वित्त के अंतर्गत रिक्शा क्रय यका कार्य कराया गया है ।जिसके सापेक्ष में कुल भुगतान धनराशि रुपए 33000.00 हैं । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं ।

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
54071033	28.08.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी7	33000.00	यश ट्रेडर्स
			33000.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपालद्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्रर , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, संबंधित विवरणप्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको

दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा।इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभ पाल एवं ग्राम प्रधान श्री अक्षय कुमार कटियार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए 33000.00 की वसूलीश्री श्री सिद्धांत कुमार / वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपाल (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्री अक्षय कुमार कटियार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 16500.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या-08)**

<u>प्रस्तर सं)-0268-(</u>15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत हैंडपंप रिबोरका कार्य कराया गया है । जिसकेसापेक्ष में कुल भुगतान धनराशि रुपए 189623.00 हैं । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं ।

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
54071094	02.11.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी14	46873.00	यश ट्रेडर्स
54071099	02.11.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी15	48050.00	यश ट्रेडर्स
54071102	02.11.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी16	46650.00	यश ट्रेडर्स
44804630	02.11.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी17	48050.00	यश ट्रेडर्स
			189623.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपालद्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन , हैण्डपम्प रिबोर कराए जाने वाले स्थान संबंधित विवरणप्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा।इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपाल एवं ग्राम प्रधान श्री अक्षय कुमार कटियार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए 189623.00 की वसूलीश्री श्री सिद्धांत कुमार /वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपाल (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्री अक्षय कुमार कटियारसे संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 94811.50 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या-02)**

<u>प्रस्तर सं)-0269-(</u>ग्राम पंचायत में 15 वें वित्त योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत में कैमरा खरीद कार्यकराया गया है ।जिसकाविवरणऑनलाइन पोर्टलभी ग्राम स्वराज पर निम्नवत दर्शाया गया है:-

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया

42283180	08.07.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/ पी1 द्वारा	12300.00	पवन आयरन स्टोर को भुगतान
42283180	25.08.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/ पी6 द्वारा	12300.00	पवन आयरन स्टोर को भुगतान
		योग	**24600.00**	

ध्यान देने योग्य तथ्य है कि एक ही कार्य आईडी संख्या द्वारा अलग अलग तिथियों में तथा अलग अलग व्यय प्रमाणको द्वारा पवन आयरन स्टोर को कैमरे की खरीद हेतु भुगतान किया गया है। यह गंभीर वित्तीय अनियमितता है। जिसे हेतु तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार पूर्णतया उत्तरदायी हैं। उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपालद्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था ।लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है ।व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा।इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपाल एवं ग्राम प्रधान श्री अक्षय कुमार कटियार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 24600.00 की वसूलीश्री सिद्धांत कुमार /वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपाल (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्री अक्षय कुमार कटियारसे संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 12300.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या-03)**

<u>प्रस्तर सं0-(270)-पंचम</u> राज्य वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद एवं मजदूरी भुगतान किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा-

कार्य आईडी संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
54070997	जूनियर विद्यालय गजना में दिवयांग शौचालय में हैंडवॉश एवं टंकी क्रय य का कार्य	चतुर्थ राज्य वित्त/221-22/पी1 28.08.2021	56688.00	यश ट्रेडर्स
54070973	पूर्व माध्यमिक विद्यालय गजना में दिवयांग शौचालयमें हैंडवॉश का कार्य एवं टंकी क्रय का कार्य	पंचम राज्य वित्त/221-22/पी1 28.08.2021	49343.00	यश ट्रेडर्स
54070951	प्राथमिक विद्यालय गजना में दिव्यांगों शौचालय में हैंडवाश का कार्य एवं टंकी क्रय का कार्य	पंचम राज्य वित्त/221-22/पी2 28.08.2021	50501.00	यश ट्रेडर्स
56032417	वंशलाल के घर से मंदिर तक इंटरलॉकिंगरोड निर्माण कार्य	पंचम राज्य वित्त/221-22/पी20 19.12.2021	50695.00	यश ट्रेडर्स

56032485	राजेश अवस्थी के घर से सुरेश पाठक के घर तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य	चतुर्थ राज्य वित्त/221-22/पी22 21.12.2021	206660.00	यश ट्रेडर्स
		योग	**413887.00**	

क्रय मांकपांच पर कार्य पहचान संख्या 56032485 के अंतर्गत राजेशअवस्थी के घर से सुरेशपाठक के घर तक इंटरलॉकिंगरोड निर्माण कार्य मैं ऑनलाइन पोर्टलही ग्राम स्वराज पर किया गया भुगतान निम्नविवरण अनुसार निम्नहेडमें दर्शाया गया है :-

2215- वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन

103- सीवरेज एंड सैनिटेशन

80- अदर एक्सपेंडिचर

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि इंटरलॉकिंगरोड निर्माण कार्य को गलतहेडमें भुगतान किया जाना दर्शाया जा रहा है। इसके संबंध में स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपालद्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वितीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट संबंधित विवरणप्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वितीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा।इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपाल एवं ग्राम प्रधान श्री अक्षय कुमार कटियार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 191628.00 की वसूलीश्री अखिलेशकुमार (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार)एवं ग्राम प्रधान श्री अक्षय कुमार कटियारसे संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए **206943.50** ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-09)

<u>प्रस्तर सं0-(271)-15</u> वें वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद भुगतान किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा

कार्य आईडी संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचर विवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान कियागया
54071175	पंचायत भवन मरम्मत एवं सुंदरीकरण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी41 03.02.2022	78439.00	यश ट्रेडर्स
61940007	सुरेश पाठक के घर से गेंदालाल के घर तक इंटरलॉकिंगरोड निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी43 16.03.2022	201471.00	यश ट्रेडर्स

55191885	आशिक अली के घर से डराबअली के घर तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी1 02.11.2021	219796.00	यश ट्रेडर्स
		योग	**499706.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपालद्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट संबंधित विवरणप्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था ।लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है ।व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा।इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपाल एवं ग्राम प्रधान श्री अक्षय कुमार कटियार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए **499706.00** की वसूली श्री सिद्धांत कुमार (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्री अक्षय कुमार कटियारसे संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए **249853.00** ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या-05)**

<u>प्रस्तर सं0-(271)-</u>ग्राम पंचायत की ऑनलाइन उपलब्ध सूचना एवं अभिलेख की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्य पहचान संख्या द्वारा 15वित्त आयोग अंतर्गत निम्न विवरण अनुसार स्वयं सहायता समूह संस्था को भुगतान किया जाना दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक एवं लेखा प्रपत्र लेखा परीक्षा के दौरान तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया । विवरण निम्नवत है-

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया	भुगतान धनराशि (रुपए)
42283180	14.07.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी18	स्वयं सहायता समूह	27000.00
				27000.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित शासकीय प्रपत्र संख्या 1758/33-3-2020-31/2019 के अनुसार सामुदायिक शौचालयों की नियमित सफाई एवं रखरखाव सुगमता के साथ हो सके इसके लिए 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाली धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि जो स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन के लिए आरक्षित है उससे की जाएगी । कुल व्यय प्रतिमाह धनराशि रुपए 9000.00 होगी। इस कार्य पर हो ने वाले पूरेवर्ष का व्यय अधिकतम दो किस्तों में पहला प्रारंभिक माह में एवं दूसरी किस्त छः माह के बाद बराबर किश्तों में स्वयं सहायता समूह को ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। परन्तु उपरोक्त विवरण के अनुसार , स्वयं सहायता समूह को सामुदायिक शौचालय की रखरखाव एवं सफाई हेतु किया गया भुगतान की समस्त धनराशि एक ही किस्त में वर्ष के प्रारंभ में (जुलाई माह में) ही कर दी गई है। जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। धनराशि रुपये 27000.00 का भुगतान किस आधार पर एवं किस प्रकार किया गया हैं यहभी स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। शासनादेश मैं वर्णित गाइड लाइंस के विपरीत किया गया भुगतान पूर्णतया अनियमित है। इस संबंध में स्पष्टीकरण अपेक्षित तथा अन्यथा की स्थितिमें समस्त धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान से की जानी चाहिए। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपाल एवं ग्राम प्रधान श्री अक्षय कुमार कटियार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए 270000 की वसूली श्री सिद्धांत कुमार (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार)

एवं ग्राम प्रधान अक्षय कुमार कटियार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 13500.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या-04)**

<u>प्रस्तर सं0-(272)-</u>ऑनलाइन पोर्टल ही ग्राम स्वराज पर उपलब्ध सूचना के अनुसार कार्य पहचान संख्या 44037837 द्वारा व्यय प्रमाणक संख्या पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी8 /14.01.2022 द्वारा प्रधान मानदेय धनराशि रुपये 21000.00 का भुगतान श्री अक्षय कुमार कटियारको किया जाना दर्शाया जा रहा है।इसीप्रकार कार्य पहचान संख्या 4403787 द्वारा व्यय प्रमाणक संख्या पंचम राज्य वित्त/21-22/24.10.2021 को प्रधान मानदेय का भुगतान धनराशि रू 28000.00 श्रीमती ममता कटियारको माह अप्रैल 2020 से माह नवंबर 2020 का किया जाना दर्शाया जा रहा है।उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अलग अलग व्यक्तियों को विभिन्न प्रमाणक संख्या द्वारा विभिन्न कार्य अवधि हेतु प्रधान मानदेय का भुगतान किया जाना दर्शाया जा रहा है इसके संबंध में ग्राम पंचायत सचिव श्री सिद्धांत कुमार द्वारा कोई स्पष्टीकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया न ही इससे संबंधित कोई भी पुष्टि प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किए गए । इस संबंध में स्पष्ट किया जाना अपेक्षित रहाअन्यथा की स्थितिमें ग्राम पंचायत सचिवश्री सिद्धांत कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री अक्षय कुमार कटियार से वसूली की कार्रवाई नियमानुसार की जानी चाहिए। इस हेतुतत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं ग्राम प्रधान अक्षय कुमार कटियार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए 49000.0 की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं ग्राम प्रधान अक्षय कुमार कटियार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 24500.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-01)

<u>प्रस्तर सं0-(273)-</u>मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष **2021-22** में मनरेगा के अंतर्गत सृजित 2856 मानव दिवस रहे । जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या 25 रही जिसके सापेक्ष **पूर्ण कार्यों की संख्या 08** रही। जबकि एन.आर.एम व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत 91.42 रहा । वित्तीय वर्ष **2021-22** के पूर्ण हो ने के पश्चात भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा कार्यों पर **कुल व्यय रुपए 6.27 लाख** रहा । जिसमें से रुपए **5.49** लाख का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए **0.00** लाख का व्यय सामग्री क्रय पर किया गया है। सामग्री क्रय य पर व्यय का **प्रतिशत 0.78** रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपये 222.24 रही । जबकि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 463(अ), तारीख 26 फरवरी, 2013, में संशोधन करते हुए दिनांक 15 मार्च 2021 की अधिसूचना के अनुसार मनरेगा के वर्ष 2021-22 मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपए 204.00 निर्धारित की गई है। संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। ईएफएमएस के द्वारा व्यय का प्रतिशत 100 **र**हा । **15 दिवस** के अंतर्गत किये गए भुगतान का 100 रहा । मनरेगा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। अतः समस्त धनराशि रुपए 627000.00 की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव श्री सिद्धांत कुमार एवं ग्राम प्रधान अक्षय कुमार कटियार पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-07)

<u>प्रस्तर सं0-(274)-</u> वित्तीय वर्ष 2021-22 ऑनलाइन पोर्टल ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध सूचना के अनुसार 15 वें वित्त आयोग अंतर्गत ग्राम पंचायत का इस मद में प्रारंभिक अवशेष की धनराशि तथा वर्ष दौरान प्राप्त अनुदान, वर्ष दौरान उपभोग अनुदान एवं वर्ष के अंत में शेष अनुदान का विवरण निम्नवत रहा:

(धनराशि रुपए में(

	प्रारंभिक	वर्ष दौरान प्राप्ति	वर्ष दौरान उपभोग	वर्षांत शेष अनुदान की धनराशि

	अवशेष			
अनटाइड फंड	369790	322112	670885	21017
टाइड फंड	292526	483168	527924	247770

विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष दौरान 15 वें वित्त आयोग योजना अंतर्गत टाइड फंड से मात्र धनराशि रुपये 527924.00 रुपए का व्यय दर्शाया गया है। अर्थात्: वर्ष दौरान टाइड फंड से विकास कार्य अथवा निर्माण कार्य पर नाममात्र ही व्ययं किया गया है। जो की संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान की राजकीय कर्यों के प्रति शिथिलता एवं उदासीनता दर्शाता है। जब की15 वें वें वित्त आयोग योजना संबंधित शासनादेश संख्या 1717/33-3-2021-33/2020 द्वारा 15 वें वित्त आयोग अंतर्गत आवंटित अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। जिसके अनुसार पेयजल पर व्यय 30 प्रतिशत, वर्षा जल संचयन एवं वाटर रीसाइक्लिंग पर व्यय 30 प्रतिशत तथा ओडीएफ पर व्यय 40 प्रतिशत किया जाना था। ऑनलाइन पोर्टल एक रामस्वराज पर उपलब्ध अप्रूव्ड एक्शन प्लान रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 22 में प्राथमिकता के आधार पर कराए जाने वाली ऐक्टिविटी डिटेल्स के अंतर्गत 15 वें वित्त योजना के मद से निम्नांकित कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराए जाने थे विवरण निम्नवत है-:

धनराशि रुपये	कार्य आईडी संख्या	कार्य का विवरण
782729.00	51060194	मिलन केंद्र अंतर्गत
391364.00	51060156	रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम
391365.00	5106014	स्वच्छता कार्य

उपरोक्त सभी का निर्माण कार्य अप्रैल 2021-22 में कराए जाने थे उपरोक्त शासनादेश एवं 15 वें वित्त के मार्गदर्शक सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा टाइड फंड अंतर्गत कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है। यह एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। संबंधित विभागीय उच्चाधिकारियों उसका ध्यान इस अनियमितता की ओर आकर्षित किया जाता है । इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकार श्री सिद्धांत कुमार एवं ग्राम प्रधान अक्षय कुमार कटियार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं । उत्तरदायी ग्राम पंचायत विकास अधिकार श्री री सिद्धांत कुमार एवं ग्राम प्रधान अक्षय कुमार कटियार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं । इनके विरुद्ध अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या-06)**

119-ग्राम पंचायत -गिलावट अमीनाबाद

प्रस्तर सं0-(275)-पंचम राज्य वित्त के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया है जिसके सापेक्ष में कुल भुगतान धनराशि रुपए 99130.00 हैं । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं ।

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
54396732	15.09.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी10	19980.00	यशट्रेडर्स
37073517	26.06.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी1	19800.00	पवन आयरन स्टोर
37073706	26.06.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी2	19750.00	पवन आयरन स्टोर
37073900	26.06.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी3	19700.00	पवन आयरन स्टोर

54396706	26.06.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी9	19900.00	यशट्रेडर्स
			99130.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन , हैण्डपम्प मरम्मत कराए जाने वाले स्थान संबंधित विवरणप्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री विश्राम सिंह पाल संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 99130.00 की वसूली श्री सिद्धांत कुमार/ श्री शिवपाल सिंह (यथास्थिति अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्री विश्राम सिंह पालसे संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 49565.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या-06)**

प्रस्तर सं0-(275)-(1)वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 2487427.00 रुपये का अनुदान केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त हुआ । तथा 963886.00 रुपये की धनराशि विभिन्न योजनाओं में खर्च की गई । सामान्य वित्तीय नि॰ 2005 के नियम 212(5) के अनुसार स्थानीय निकायों के द्वारा राज्य सरकार को उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है । जबउनको केंद्रीय अनुदान राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त हो .इसके बाद ही अनुदान की किस्तें अवमुक्त की जानी थी. जो कि प्रस्तुत नहीं की गई । यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहा इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री विश्राम सिंह पाल संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं । अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर वसूली व विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-08)**

प्रस्तर सं0-(276)-15 वें वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद भुगतान किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए i विवरण निम्नवत रहा-

कार्य आईडी संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
59907187	शिवकुमार के घर से रामनारायणके घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी20 05.02.2022	169353.00	आर0एस0 इंटरप्राइजेज
56026226	मॉडल स्कूल कायाकल्प एवं सुंदरीकरण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी16 03.02.2022 पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी17 03.02.2022	251530.00 31956.00	कबीर ट्रेडर्स कबीर ट्रेडर्स
59906076	प्रदीप के घर से रामनारायण के घर तक नाली निर्माण एवं इंटरलॉकिंग कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी18 03.02.2022	71757.00 61116.00	अमर ब्रिक फील्ड आर0एस0 इंटरप्राइजेज

		पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी19 03.02.2022		
		योग	359335.00	

ऑनलाइन पोर्टल ही ग्राम स्वराज पर अप्रूव्ड एक्शन प्लान के अंतर्गत उपरोक्त सभी निर्माण कार्य पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत कराए जाने थे एवं इनकी स्वीकृत धनराशि निम्न विवरण अनुसार रही;-

59907187	शिवकुमार के घर से रामनारायणके घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	20000.00
56026226	मॉडल स्कूल कायाकल्प एवं सुंदरीकरण कार्य	332912.00
59906076	प्रदीप के घर से रामनारायण के घर तक नाली निर्माण एवं इंटरलॉकिंग कार्य	20000.00

पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत उपरोक्त निर्माण कार्य न कराकर 15 वें वित्त आयोग अंतर्गत कराएगए हैं एवं निर्माण पर व्यय की धनराशि स्वीकृतधनराशि से अधिक है। इसके संबंध में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं श्री शिवपाल सिंह द्वारा कोई स्पष्टीकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जो अपेक्षित रहा

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनला इन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में संबंधित निर्माण कार्यों की निर्माण पत्रावली ऐसे निर्माण कार्य आदेश, कार्य योजना, संबंधित व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य के वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति आदेश एवं संख्या, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मापपुस्तिका, निर्माण कार्यों के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, निर्माण कार्य की गुणवत्ता रिपोर्ट, कैशबुक, स्टोरपंजिका, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है । सभी लेखा अभिलेखों के अभावमें क्रय य की गई निर्माण सामग्री की उपयोगिता एवं भुगतान की पुष्टि नहीं हो ती है।अतः व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान **श्री विश्राम सिंह पाल** संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए 359335.00 की वसूलीश्री श्री सिद्धांत कुमार एवं ग्राम प्रधान **श्री विश्राम सिंह पाल** से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 179667.50 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर सं0-(277)- ऑनलाइन पोर्टल ही ग्राम स्वराज पर उपलब्ध सूचना के अनुसार कार्य पहचान संख्या 54396669 द्वारा व्यय प्रमाणक संख्या पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी24/08.02.2022 द्वारा जनसंदेश न्यूज प्राइवेट लिमिटेड को धनराशि रुपये 8360.00 भुगतान एवं व्यय प्रमाणक संख्या पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी23/08.02.2022 द्वारा धनराशि रुपये 6560.00 प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत किया जाना दर्शाया जा रहा है उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था ।स्पष्ट है कि यह भुगतान प्रकाशनहेतु किया गया है।अतः व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान **श्री विश्राम सिंह पाल** संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए

14920.00 की वसूलीश्री श्री सिद्धांत कुमार एवं ग्राम प्रधान **श्री विश्राम सिंह पाल** से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 7460.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए । **(मूल आपत्ति संख्या-07)**

प्रस्तर सं0-(278)- ऑनलाइन पोर्टल ही ग्राम स्वराज पर उपलब्ध सूचना के अनुसार कार्य पहचान संख्या 59908072 द्वारा व्यय प्रमाणक संख्या पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी21/08.02.2022 द्वारा कबीर ट्रेडर्स को **धनराशि रुपये 120250.00** भुगतान एवं व्यय प्रमाणक संख्या पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी26/14.02.2022 द्वारा **धनराशि रुपये 120250.00** किया जाना दर्शाया जा रहा है उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था ।स्पष्ट है कि यह भुगतान निर्माण कार्य हेतु किया गया है। अतः व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान **श्री विश्राम सिंह पाल** संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्त **धनराशि रुपए 240500.00** की वसूलीश्री श्री सिद्धांत कुमार एवं ग्राम प्रधान **श्री विश्राम सिंह पाल** से संयुक्त रुप से प्रत्येक से **धनराशि रुपए 120250.00 ब्याज सहित वसूल** की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या-03)**

प्रस्तर सं0-(279)- ऑनलाइन पोर्टल ई- ग्राम स्वराज पर उपलब्ध सूचना के अनुसार कार्य पहचान संख्या 56026106 द्वारा अंत्येष्टिस्थल निर्माण कार्य हेतु व्यय प्रमाणक संख्या एएसवी/2021-22/पी1 द्वारा कबीर ट्रेडर्स को धनराशि रुपये 150698.00 भुगतान दिनांक 23.12.2021 को एवं व्यय प्रमाणक संख्या एएसवी/2021-22/पी2 द्वारा कबीर ट्रेडर्स को धनराशि रुपये 98799.00 दिनांक 23.12.2021 को एवं व्यय प्रमाणक संख्या एएसवी/2021-22/पी2 द्वारा कबीर ट्रेडर्स को धनराशि रुपये 144843.00 को दिनांक 26.12.2021 किया जाना दर्शाया जा रहा है । अंत्येष्टि स्थल निर्माण कार्य हेतु अनुदान व्यय प्रमाणक संख्या एएसवी/2021-22/आर -1 द्वारा। दिनांक 22.12.2021 को धनराशि रुपये 2411640.00 ग्राम पंचायत के खाते में प्राप्त हो ना ऑनलाइन पोर्टल ही ग्राम स्वराज दर्शाया गया है एवं इसके सापेक्ष धनराशि रुपये 150698.00 एवं धनराशि रुपये 98799.00 का भुगतान अगले ही दिन दिनांक 23.12.2021 को दर्शाया गया है।स्पष्ट है कि अनुदान प्राप्ति के पश्चात निर्माण कार्य हेतु निविदा की प्रक्रिया एवं अन्य प्रक्रियाओं का पालन किया जाना था । स्पष्ट है कि निर्माण कार्य किस निर्माण दायी संस्था से कराया जाना है इसका निर्णय बिना निविदा प्रक्रिया का पालन किए ही, पूर्व नियोजित है। इसके संबंध में ग्राम पंचायत सचिव श्री सिद्धांत कुमार एवं श्री शिवपाल सिंह द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया न ही निविदा प्रक्रिया से संबंधित समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किए गए ।ऑनलाइन पोर्टल ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान फॉरमैट एक मैं भी निविदा प्रक्रिया से प्राप्तधरोहर की धनराशि एवं निविदाशुल्क से संबंधित धनराशि जोआए के रूपमें ग्राम पंचायत को प्राप्त हुई हो गी, आय में नहीं दर्शाई गई है। उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है। उच्चाधिकारियों का ध्यान इस अनियमितता की ओर आकृष्ट किया जाता है।उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था ।अतः व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान **श्री विश्राम सिंह पाल** संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए **394350.00**की वसूलीश्री श्री सिद्धांत कुमार एवं ग्राम प्रधान **श्री विश्राम सिंह पाल** से संयुक्त रुप से प्रत्येक से **धनराशि रुपए 197170.00** ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-01)

प्रस्तर सं0-(280)- मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष **2021-22** में मनरेगा के अंतर्गत सृजित 6545 मानव दिवस रहे । जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या 36 रही जिसके सापेक्ष **पूर्ण कार्यों की संख्या 00** रही। जबकि एन.आर.एम व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत **90.11** रहा । वित्तीय वर्ष **2021-22** के पूर्ण हो ने के पश्चात भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा कार्यों पर **कुल व्यय रुपए 6.73लाख** रहा । जिसमें से रुपए **6.73 लाख** का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए **0.00** लाख का व्यय सामग्री क्रय य पर किया गया है। सामग्री क्रय य पर व्यय का **प्रतिशत 0.00** रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपये 200.15 रही । जबकि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 463(अ), तारीख 26 फरवरी, 2013, में संशोधन करते हुए दिनांक 15 मार्च 2021 की अधिसूचना के अनुसार मनरेगा के वर्ष 2021-22 मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपए 204.00 निर्धारित की गई है। संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। ईएफएमएस के द्वारा व्यय का प्रतिशत 100 **र**हा । **15 दिवस** के अंतर्गत किये गए भुगतान का 72.61 रहा । मनरेगा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर वसूली व विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-05)**

120-ग्राम पंचायत -गूजेपुर

प्रस्तर सं0-(281)-पंचम वित्त आयोग के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया है । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं ।

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
44663444	25.07.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी2	19980.00	यश ट्रेडर्स
44663454	25.07.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी3	19900.00	यश ट्रेडर्स
52236712	25.07.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी4	19950.00	यश ट्रेडर्स
52236911	25.07.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी5	19930.00	यश ट्रेडर्स
54069830	01.09.2022	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी22	19950.00	यश ट्रेडर्स
54069837	01.09.2022	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी23	19980.00	यश ट्रेडर्स
			119690.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री समीर गुप्ता द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन , हैण्डपम्प मरम्मत कराए जाने वाले स्थान संबंधित विवरणप्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है ।व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री सुजीत कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि **रुपए 119690.00** की वसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री सुजीत कुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि **रुपए 59845.00** ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या-06)**

प्रस्तर सं0-(282)- ग्राम पंचायत में पंचम राज्य वित्त योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत में सफाई का कार्यकराया गया है ।जिसका विवरण ऑनलाइन पोर्टल ई- ग्राम स्वराज पर निम्नवत दर्शाया गया है:-

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
45603807	11.08.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी7 से पी16 द्वारा	42000.00	श्रमिकों को मजदूरी भुगतान
		योग	**42000.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री समीर गुप्ता द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है ।व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा।इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री सुजीत कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि **रुपए 42000.00** की वसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री सुजीत कुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि **रुपए 21000.00** ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या-07)**

प्रस्तर सं0-(283)- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 823112.00 रुपये का अनुदान 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त हुआ । तथा 822471.00 रुपये की धनराशि विभिन्न योजनाओं में खर्च की गई । सामान्य वित्तीय नि० 2005 के नियम 212(5) के अनुसार स्थानीय निकायों के द्वारा राज्य सरकार को उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है । जब उनको केंद्रीय अनुदान राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त हो इसके बाद ही अनुदान की किस्तें अवमुक्त की जानी थी. जो कि प्रस्तुत नहीं की गई ।यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहा इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री सुजीत कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-0)9)**

प्रस्तर सं0-(284)- 15 वें वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा-

कार्य आईडी संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
52251020	पंचायत भवन सामग्री भुगतान	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी50 12.02.2022	29221.00	एन बी इंटरप्राईजेज
52251020	पंचायत भवन सामग्री भुगतान	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी51 12.02.2022	13924.00	एन बी इंटरप्राईजेज
55077293	सोवरण के घर से विजय के घर तक इंटरलॉकिंगरोड निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी3 23.10.2021	46091.00	यशट्रेडर्स
55077289	कमलेश के घर से अनिल के घर तक इंटरलॉकिंगरोड निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी4 23.10.2021	47750.00	यशट्रेडर्स
55077298	रमेश के घर से बबलू के घर तक इंटरलॉकिंगरोड निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी5 23.10.2021	48158.00	यशट्रेडर्स
			185144.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री सुजीत कुमार द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा।इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री सुजीत कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि **रुपए 185144.00** की वसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री सुजीत कुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि **रुपए 92572.00** ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-03)

प्रस्तर सं0-(285)- पंचम राज्य वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप रिबोर कार्यहेतु निर्माण सामग्री खरीद किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा:-

54069614	हैंडपंप रिपोर्टर शिवमंदिर के पास	पंचम राज्य वित्त/2020-21/पी17 27.08.2021	45538.00	यश ट्रेडर्स

54069598	हैंडपंप रिबोर सुरेंद्र के दरवाजे के पास	पंचम राज्य वित्त/2020-21/पी18 27.08.2021	47020.00	यश ट्रेडर्स
54070004	हैंडपंप रिबोर कमलेश के दरवाजे के पास	पंचम राज्य वित्त/2020-21/पी19 27.08.2021	45538.00	यश ट्रेडर्स
54068805	हैंडपंप रिबोर संतोष के दरवाजे के पास	पंचम राज्य वित्त/2020-21/पी20 27.08.2021	48087.00	यश ट्रेडर्स
50617465	हैंडपंप रिबोर शिवराम की दरवाजे के पास	पंचम राज्य वित्त/2020-21/पी21 27.08.2021	45538.00	यश ट्रेडर्स
		योग	**231721.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री सुजीत कुमार द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा।इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री सुजीत कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि **रुपए 231721.00** की वसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री सुजीत कुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि **रुपए 115860.05** ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-08)

प्रस्तर सं0-(286)- ग्राम पंचायत की ऑनलाइन उपलब्ध सूचना एवं अभिलेख की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्य पहचान संख्या द्वारा 15 वित्त आयोग अंतर्गत निम्नविवरण अनुसार स्वयं सहायता समूह संस्था को भुगतान किया जाना दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी व्ययप्रमाणक एवं लेखा प्रपत्र लेखा परीक्षा के दौरान तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया । विवरण निम्नवत है-

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया	भुगतान धनराशि (रुपए)
52251020	03.07.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी1	महात्मा गाँधी स्वयं सहायता समूह	27000.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित शासकीय प्रपत्र संख्या 1758/33-3-2020-31/2019 के अनुसार सामुदायिक शौचालयों की नियमित सफाई एवं रखरखाव सुगमता के साथ हो सके इसके लिए 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाली धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि जो स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन के लिए आरक्षित है उससे की जाएगी ।कुल व्यय प्रतिमाहधनराशि रुपए 9000.00 हो गी।इस कार्य पर हो ने वाले पूरेवर्ष का व्यय अधिकतम दो किस्तों में पहला प्रारंभिक माह में एवं दूसरी किस्त छः माह के बाद बराबर किश्तों में स्वयं सहायता समूह को ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। परन्तु उपरोक्त विवरण के अनुसार , स्वयं सहायता समूहको सामुदायिक शौचालय की रखरखाव एवं सफाईहेतु किया गया भुगतान की समस्त धनराशि एक ही किस्तमें वर्ष के प्रारंभ में (जुलाईमाहमें) ही कर दी गई है। जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। धनराशि रुपये 27000.00 का भुगतान किस आधार पर एवं किस प्रकार किया गया हैं यहभी स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री सुजीत कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए 27000.00 की वसूली श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री सुजीत कुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 13500.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या-01)**

प्रस्तर सं0-(287)- **मनरेगा** की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष **2021-22** में मनरेगा के अंतर्गत सृजित 2599 मानव दिवस रहे । जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या 23 रही जिसके सापेक्ष **पूर्ण कार्यों की संख्या 03** रही। जबकि एन.आर.एम व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत 81.25 रहा । वित्तीय वर्ष **2021-22** के पूर्ण हो ने के पश्चात भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा कार्यों पर **कुल व्यय रुपए 5.10लाख** रहा । जिसमें से रुपए 0.00 लाख का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए **0.00** लाख का व्यय सामग्री क्रय य पर किया गया है। सामग्री क्रय य पर व्यय का **प्रतिशत 0.00** रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपये 204.00 रही । जबकि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 463(अ), तारीख 26 फरवरी, 2013, में संशोधन करते हुए दिनांक 15 मार्च 2021 की अधिसूचना के अनुसार मनरेगा के वर्ष 2021-22 मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपए 204.00 निर्धारित की गई है। संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। ईएफएमएस के द्वारा व्यय का प्रतिशत 100 **र**हा । **15 दिवस** के अंतर्गत किये गए भुगतान का 87.85 रहा । मनरेगा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री सुजीत कुमार पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

)मूल आपत्ति संख्या-05)

प्रस्तर सं0-(288)- **15 वां वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप रिबोर कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद** किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा:-

54069629	हैंडपंपरिबोर	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी47 03.02.2022	32047.00.00	यश ट्रेडर्स

54069650	हैंडपंप रिबोर	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी48 03.02.2022	34183.00	यश ट्रेडर्स
54068767	हैंडपंप रिबोर	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी49 03.02.2022	33615.00	यश ट्रेडर्स
		योग	**99845.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री सुजीत कुमार द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। ।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए 27000.00 की वसूली श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री सुजीत कुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 13500.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

मूल आपत्ति संख्या-0) 4 (

121-ग्राम पंचायत -हलपुरा

प्रस्तर सं0-(289)- पंचम राज्य वित्त के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया है । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं ।

क्रय म संख्या	कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
1	**53823890**	16.08.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी1	19990.00	यश ट्रेडर्स
2	**53823921**	16.08.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी2	19990.00	यश ट्रेडर्स
3	**53823877**	17.08.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी4	19950.00	यश ट्रेडर्स
4	**53823890**	20.08.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी5	19990.00	यश ट्रेडर्स

5	**538223885**	01.09.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी6	19950.00	यश ट्रेडर्स
6	**53823901**	01.09.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी7	19980.00	यश ट्रेडर्स
7	**538233915**	15.12.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी38	19980.00	यश ट्रेडर्स
8	**53823907**	15.12.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी39	19950.00	यश ट्रेडर्स
				79860.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री समीर गुप्ता द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन , हैण्डपम्प मरम्मत कराए जाने वाले स्थान संबंधित विवरणप्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है ।व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री अवनीश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए **79860.00** की वसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री अवनीश कुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से **धनराशि रुपए 39930.00 ब्याज सहित वसूल** की जानी चाहिए। **)मूल आपत्ति संख्या-05)**

प्रस्तर सं0-(290)- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 676683.00 रुपये का अनुदान 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त हुआ तथा 752091.00 रुपये की धनराशि विभिन्न योजनाओं में खर्च की गई । सामान्य वित्तीय नि० 2005 के नियम 212(5) के अनुसार स्थानीय निकायों के द्वारा राज्यसरकार को उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है । जबउनको केंद्रीय अनुदान राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त हो .इसके बाद ही अनुदान की किस्तें अवमुक्त की जानी थी. जो कि प्रस्तुत नहीं की गई । यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहा इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री अवनीशकुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं । अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-0)8

(

प्रस्तर सं0-(291)- पंचम राज्य वित्त वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा

कार्य आईडी संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
5382332	रामनाथ के दरवाजे हैंडपंप रिबोर	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी10	47328.00	यश ट्रेडर्स

		28.09.2021		
53823940	पप्पू के दरवाजे हैंडपंप रिबोर	चतुर्थ राज्य वित्त/21-22/पी11 28.09.2021	47548.00	यश ट्रेडर्स
53824091	अनिल के दरवाजे हैंडपंप रिबोर	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी9 28.09.2021	47548.00	आर0 एस0 ट्रेडर्स
54627868	अज्ञात	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी13 03.10.2021	47572.00	यश ट्रेडर्स
54627864	अज्ञात	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी13 03.10.2021	44818.00	यश ट्रेडर्स
54627861	अज्ञात	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी14 03.10.2021	46886.00	यश ट्रेडर्स
54627866	अज्ञात	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी15 03.10.2021	48124.00	यश ट्रेडर्स
			282276.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री अवनीश कुमार द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट,ग्रामीणों द्वारा हैंडपंप रिबोर कराए जाने की पुष्टि संबंधित प्रमाण पत्र, हैंडपंप रिवोर क्रय संबंधित कार्यदेश प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था ।लेखा परीक्षा में लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है ।व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री अवनीश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए **282276.00** की वसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री अवनीश कुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से **धनराशि रुपए 141138.00 ब्याज सहित वसूल** की जानी चाहिए।

मूल आपत्ति संख्या-0)6 (

प्रस्तर सं0-(292)-15 वें वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा

कार्य आईडी संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया

42444960	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य में मजदूरी भुगतान	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी10 22.11.2021	179953.00	मजदूरको भुगतान
53914744	भगवानदीन के घर से मेवालाल के घर तक इंटरलॉकिंगरोड निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी11 22.11.2021	147000.00	यशट्रेडर्स
53915033	दिनेश के घर से तिवारी के घर तक इंटरलॉकिंगरोड निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी12 22.11.2021	76422.00	यशट्रेडर्स
53802187	सुरेश के घर से मेवालाल के घर तक इंटरलॉकिंगरोड निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी13 22.11.2021	118754.00	यशट्रेडर्स
51081496	एक्साइड सोलर पैनल एवं बैटरी पंचायत भवन पंचायत भवन निर्माण सामग्री पंचायत भवन निर्माण सामग्री पंचायत भवन निर्माण सामग्री	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी51 12.01.2022 पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी22 12.01.2022 पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी23 12.01.2022 पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी24 12.01.2022	29221.00 48785.00 45976.00 33479.0	एनबीएंटरप्राइजएस एनबीएंटरप्राइजएस एनबीएंटरप्राइजएस एनबीएंटरप्राइजएस
44860520	राज्बहादुर के दरवाजे हैंडपंप रिबोर	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी33 23.03.2022	34356.00	यशट्रेडर्स

44860526	संदीप के दरवाजे हैंडपंप रिबोर	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी34 23.03.2022	37024.00	यशट्रेडर्स
		योग	**750970.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान **श्री** अवनीश कुमार द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा।इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री अवनीश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए **750970.00** की वसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री अवनीश कुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से **धनराशि रुपए 375485.00 ब्याज सहित वसूल** की जानी चाहिए।

मूल) (आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर सं0-(293)-ग्राम पंचायत की ऑनलाइन उपलब्ध सूचना एवं अभिलेख की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्य पहचान संख्या द्वारा 15वित्त आयोग अंतर्गत निम्नविवरण अनुसार स्वयं सहायता समूह संस्था को भुगतान किया जाना दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी व्ययप्रमाणक एवं लेखाप्रपत्रलेखा परीक्षा के दौरान तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया । विवरण निम्नवत है-

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया	भुगतान धनराशि (रुपए)
42433260	03.10.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी2	जय हिन्द स्वयं सहायता समूह	27000.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित शासकीय प्रपत्र संख्या 1758/33-3-2020-31/2019 के अनुसार सामुदायिक शौचालयों की नियमित सफाई एवं रखरखाव सुगमता के साथ हो सके इसके लिए 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाली धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि जो स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन के लिए आरक्षित है उससे की जाएगी ।कुल व्यय प्रतिमाहधनराशि रुपए 9000.00 होगी। इस कार्य पर होने वाले पूरे वर्ष का व्यय अधिकतम दो किस्तों में पहला प्रारंभिक माह में एवं दूसरी किस्त छः माह के बाद बराबर किश्तों में स्वयं सहायता समूह को ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। परन्तु उपरोक्त विवरण के अनुसार , स्वयं सहायता समूहको सामुदायिक शौचालय की रखरखाव एवं सफाई हेतु किया गया भुगतान की समस्त धनराशि एक ही किस्त में वर्ष के प्रारंभ में अक्टूबर माह में) ही कर दी गई है। जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। धनराशि रुपये 54000.00 का भुगतान किस आधार पर एवं किस प्रकार किया गया हैं यहभी स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री अवनीश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 27000.00 की वसूलीश्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री अवनीश कुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 13500.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **मूल आपत्ति संख्या-0)3 (**

प्रस्तर सं0-(294)- पंचम राज्य वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा-

कार्य आईडी संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
54627875	पंचायत भवनमरम्मत एवं सुंदरीकरण कार्य	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी54 24.03.2022	101780.00	यश ट्रेडर्स
53801737	नरेश के घर से जगदीश के घर तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य	चतुर्थ राज्य वित्त/21-22/पी21 30.10.2021	192598.00	यश ट्रेडर्स
42444960	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी16-19 21.10.2021 पंचम राज्य वित्त/21-22/पी20 23.10.2021	78000.00 55000.00	मजदूरी भुगतान अमर ब्रिक फील्ड को भुगतान
			427378.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री अवनीश कुमार द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री अवनीश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि **रुपए 427378.00** की वसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री अवनीश कुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से **धनराशि रुपए 213689.00 ब्याज सहित वसूल** की जानी चाहिए।

मूल आपत्ति संख्या-0)7 (

प्रस्तर सं0-(295)- मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष **2021-22** में मनरेगा के अंतर्गत सृजित 3918 मानव दिवस रहे । जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या 34 रही जिसके सापेक्ष **पूर्ण कार्यों की संख्या 20** रही। जबकि एन.आर.एम व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत 46.58 रहा । वित्तीय वर्ष **2021-22** के पूर्ण हो ने के पश्चात भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा कार्यों पर **कुल व्यय रुपए 9.42लाख** रहा । जिसमें से रुपए6.89लाख का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए **1.75** लाख का व्यय सामग्री क्रय य पर किया गया है। सामग्री क्रय य पर व्यय का **प्रतिशत 20.23** रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपये 270.14 रही । जबकि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 463(अ), तारीख 26 फरवरी, 2013, में संशोधन करते हुए दिनांक 15 मार्च 2021 की अधिसूचना के अनुसार मनरेगा के वर्ष 2021-22 मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपए 204.00 निर्धारित की गई है। संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। ईएफएमएस के द्वारा व्यय

का प्रतिशत 100 **र**हा । **15 दिवस** के अंतर्गत किये गए भुगतान का 96.26 रहा । मनरेगा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री अवनीश कुमार पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-0)4(

122-<u>ग्राम पंचायत - हसौलीकाजीगंज</u>

प्रस्तर सं0-(296)-पंचम राज्य वित्त के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया है ।जिसकेसापेक्ष में कुल भुगतान धनराशि रुपए 39550.00 हैं । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं ।

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
43966872	07.07.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी1 चतुर्थ राज्य वित्त/2021-22/पी1	19750.00 19800.00	यश ट्रेडर्स यश ट्रेडर्स
53824382	16.08.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी20	19950.00	यश ट्रेडर्स
53824379	16.08.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी21	19900.00	यश ट्रेडर्स
54081919	24.11.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी41	19950.00	यश ट्रेडर्स
			79400.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपालद्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेखग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत किया गया हैंडपंप मरम्मतहेतुप्रार्थना पत्र, ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों का विवरणजहाँ हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया, हैंडपंप मरम्मतमें हैंडपंप से निकाली गई खराब सामग्री की लिस्ट एवं उससे संबंधित डैडस्टॉक रजिस्टर जिसमे और सामग्री की प्रविष्टि की गई हो , कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, हैंडपंप मरम्मतपूर्ण होने पर ग्रामीणों से लिया गया हैंडपंप के पूर्णरूप से मरम्मत होने का संतुष्टि प्रमाण पत्र,प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 29.12.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपाल एवं ग्राम प्रधान श्री दीपचंद्र संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए 79400.00 की वसूली श्री सिद्धांत कुमार / वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभ पाल (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्री दीपचंद्र से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 39700.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **मूल आपत्ति संख्या-0)4 (**

प्रस्तर सं0-(297)- 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत हैंडपंप रिबोरका कार्य कराया गया है । जिसकेसापेक्ष में कुल भुगतान धनराशि रुपए 31402.00 हैं । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं-

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
53824394	22.03.2022	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी46	31402.00	यश ट्रेडर्स
			31402.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभ पाल द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन , हैण्डपम्प रिबोर कराएजानेवालेस्थान संबंधित विवरणप्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभ पाल एवं ग्राम प्रधान श्री अक्षय कुमार कटियार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 31402.00 की वसूली श्री सिद्धांत कुमार /वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपाल (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्री दीपचंद्र से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 15701.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

मूल)(आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर सं0-(298)- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 788501.00 रुपये का अनुदान 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त हुआ तथा 1037758.00 रुपये की धनराशि विभिन्न योजनाओं में खर्च की गई । सामान्य वित्तीय नि० 2005 के नियम 212(5) के अनुसार स्थानीय निकायों के द्वारा राज्यसरकारको उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है । जबउनको केंद्रीय अनुदान राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त हो .इसके बाद ही अनुदान की किस्तें अवमुक्त की जानी थी. जो कि प्रस्तुत नहीं की गई । यहप्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहाइस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री दीपचंद्र संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं । अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-07)**

प्रस्तर सं0-(299)- पंचम राज्य वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में गोवंश आश्रय स्थलमें कार्य हेतु मजदूरी भुगतान किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा

कार्य आईडी संख्या	वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
44413894	पंचम राज्य वित्त/221-22/पी1-पी9 09.05.2021	273159.00	मजदूरी भुगतान
44413894	पंचम राज्य वित्त/221-22/पी11-पी19 14.07.2021	111996.00	मजदूरी भुगतान
53226428	पंचम राज्य वित्त/221-22/पी24-पी31 22.10.2021	48960.00	मजदूरी भुगतान

53226428	पंचम राज्य वित्त/221-22/पी33-पी38 18.11.2021	44268.00	मजदूरी भुगतान
53226428	पंचम राज्य वित्त/221-22/पी47-पी51 18.11.2021	28560.00	मजदूरी भुगतान
53226428	पंचम राज्य वित्त/221-22/पी65-पी71 02.02..2021	44268.00	मजदूरी भुगतान
53226428	पंचम राज्य वित्त/221-22/पी73-पी65 18.11.2021	17136.00	मजदूरी भुगतान
53226428	पंचम राज्य वित्त/221-22/पी44-पी50 06.12.2021	42840.00	मजदूरी भुगतान
	योग	**611187.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभ पाल द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट संबंधित विवरणप्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 30.12..2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है ।व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा।इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपाल एवं ग्राम प्रधान श्री दीपचंद्र संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए 611187.00 की वसूली श्री सिद्धांत कुमार (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्री दीपचंद्र से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए **305593.50** ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-05)

प्रस्तर सं0-(300)-15 वें वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में गौशाला कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद भुगतान किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा-

कार्य आईडी संख्या	वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया

54467693	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी34 24.09.2021	117855.00	ए0एम0 ट्रेडर्स
53226428	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी23-पी29 13.09.2021	44268.00	मजदूरी भुगतान
54467733	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी39 14.12.2021	219796.00	गोवंशमें चरही निर्माण कार्य एवं मरम्मत तथा पानी हो ज का निर्माण कार्य
	योग	**381919.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपालद्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट संबंधित विवरणप्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 30.12..2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है ।व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा।इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपाल एवं ग्राम प्रधान श्री दीपचंद्र संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए **381919.00** की वसूली श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपाल (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्री दीपचंद्रसे संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए **190959.50** ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या-0)6 (**

प्रस्तर सं0-(301)- ग्राम पंचायत की ऑनलाइन उपलब्ध सूचना एवं अभिलेख की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्य पहचान संख्या द्वारा 15वित्त आयोग अंतर्गत निम्न विवरण अनुसार स्वयं सहायता समूह संस्था को भुगतान किया जाना दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक एवं लेखा प्रपत्र लेखा परीक्षा के दौरान तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया । विवरण निम्नवत है-

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया	भुगतान धनराशि (रुपए)
44413831	14.07.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी2	माँ अम्बे स्वयं सहायता समूह	27000.00
				27000.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित शासकीय प्रपत्र संख्या 1758/33-3-2020-31/2019 के अनुसार सामुदायिक शौचालयों की नियमित सफाई एवं रखरखाव सुगमता के साथ हो सके इसके लिए 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाली धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि जो स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन के लिए आरक्षित है उससे की जाएगी ।कुल व्यय प्रतिमाहधनराशि रुपए 9000.00 होगी।इस कार्य पर होने वाले पूरेवर्ष का व्यय अधिकतमदोकिस्तोंमें पहला प्रारंभिक माह में एवं दूसरी किस्त छः माह के बाद बराबर किश्तों में स्वयं सहायता

समूह को ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। परन्तु उपरोक्त विवरण के अनुसार, स्वयं सहायता समूह को सामुदायिक शौचालय की रखरखाव एवं सफाई हेतु किया गया भुगतान की समस्त धनराशि एक ही किस्त में वर्ष के प्रारंभ में (जुलाई माह में) ही कर दी गई है। जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। धनराशि रुपये 27000.00 का भुगतान किस आधार पर एवं किस प्रकार किया गया हैं यहभी स्पष्ट किया जाना अपेक्षित था । शासनादेशमें वर्णित गाइडलाइंस के विपरीत किया गया भुगतान पूर्णतया अनियमित है। इस संबंध में स्पष्टीकरण अपेक्षित तथा अन्यथा की स्थितिमें समस्त धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान से की जानी चाहिए। ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए **27000.00** की वसूली श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपाल (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्री दीपचंद्रसे संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए **13500.00** ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

मूल आपत्ति संख्या-0)3(

123-ग्राम पंचायत -हिलालपुर

प्रस्तर सं)-0302-(पंचम वित्त आयोग के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया है । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं ।

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
52191839	18.02.2023	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी8	19980.00	आर0 एस0 ट्रेडर्स
54035202	18.02.2023	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी9	19980.00	आर0 एस0 ट्रेडर्स
52482956	10.10.2022	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी26	19900.00	यश ट्रेडर्स
52482818	11.08.202	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी6	19900.00	ए0 एम0 ट्रेडर्स
52483026	11.08.202	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी7	19850.00	ए0 एम0 ट्रेडर्स
			99610.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री समीर गुप्ता द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली ,कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन , हैण्डपम्प मरम्मत कराए जाने वाले स्थान संबंधित विवरणप्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री नीरजकटियार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि **रुपए 99610.00** की वसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री

समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री नीरज कटियार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि **रुपए 49805.00** ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या-01)**

प्रस्तर सं0-(303)- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 419587.00 रुपये का अनुदान 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त हुआ । तथा 598307.00 रुपये की धनराशि विभिन्न योजनाओं में खर्च की गई । सामान्य वित्तीय नि० 2005 के नियम 212(5) के अनुसार स्थानीय निकायों के द्वारा राज्य सरकार को उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है । जब उनको केंद्रीय अनुदान राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त हो .इसके बाद ही अनुदान की किस्तें अवमुक्त की जानी थी. जो कि प्रस्तुत नहीं की गई । यहप्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहा । इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री नीरज कटियार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं । अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **-मूल आपत्ति संख्या) 13)**

प्रस्तर सं)-30415 वें वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में कार्यहेतुभुगतान किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा-

कार्य आईडी संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
52480278	गोवंश आश्रय स्थल, मेनगेट एवं बैरिकेडिंग निर्माण कार्य।	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी3 27.08.2022	186700.00	मा अम्बे इंटर प्राइजेज
52480278	रिक्शा खरीद कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी4 15.09.2022	24300.00	मा अम्बे इंटर प्राइजेज
52481712	समाचार पत्र निविदा प्रकाशन कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी6 20.09.2021	14594.00	भारत कनेक्ट
			225594.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री सुजीत कुमार द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा।इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री नीरजकटियार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि **रुपए 225594.00** की वसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री नीरज कटियारसे संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि **रुपए 112797.00** ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या-11)**

प्रस्तर सं0-(305)- पंचम राज्य वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेतनिर्माण सामग्री खरीद एवं मजदूरी भुगतान किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा:-

कार्य आईडी संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
52479869	निर्माण सामग्री का भुगतान	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी2 27.06.2021	27962.00	नमन ट्रेडर्स
52479935	निर्माण सामग्री का भुगतान	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी4 27.06.2021	31671.00	यश ट्रेडर्स
54034328	गोवंश आश्रय भूसा बैंक निर्माण कार्य।	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी10-23 26.08.2021 पंचम राज्य वित्त/2020-21/पी9 26.08.2021	49000.00 96488.00	मजदूरी भुगतान मा अन्नपूर्णा ट्रेडर्स
52481712	गोवंश आश्रय स्थल, मेनगेट एवं बैरिकेडिंग निर्माण कार्य।	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी8 26.08.2021	186700.00	मा अन्नपूर्णा ट्रेडर्स
54753379	पंचायत घरमें इंटरलॉकिंग व शौचालय निर्माण कार्य	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी25 10.10.2021	164549.00	एम0 के0 ट्रेडर्स
55589896	भगवानदास के घर से कन्हैयालाल के घर तक इंटरलॉकिंगरोड निर्माण कार्य	पंचम राज्य वित्त/2020-21/पी35 23.11.2021 पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी36 23.11.2021 पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी38 02.12.2021 पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी43 04.01.2022	121050.00 121050.00 121050.00 55000.00	नमन ट्रेडर्स नमन ट्रेडर्स नमन ट्रेडर्स नमन ट्रेडर्स

55589973	अवधेश के घर से प्रेमनारायण के घर तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी34 23.11.2021 पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी37 29.11.2021 पंचम राज्य वित्त/2020-21/पी39 02.12.2021 पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी42 04.01.2022	121050.00 70000.00 70000.00 121050.00	नमन ट्रेडर्स नमन ट्रेडर्स नमन ट्रेडर्स नमन ट्रेडर्स
52481509	गोपालक मजदूरी भुगतान कार्य	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी10,11,12,13,40 28.12.2021 25.03.2022 26.03.2022	12240.00 24072.00	मजदूरी भुगतान मजदूरी भुगतान
		योग	**1392932.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री नीरज कटियारद्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा।इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री नीरज कटियार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि **रुपए 1392932.00** की वसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री नीरज कटियार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि **रुपए 696466.00** ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-10)- प्रस्तर सं0-(306 ग्राम पंचायत की ऑनलाइन उपलब्ध सूचना एवं अभिलेख की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्य पहचान संख्या द्वारा 15वित्त आयोग अंतर्गत निम्नविवरण अनुसार स्वयं सहायता समूह संस्था को भुगतान किया जाना दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक एवं लेखा प्रपत्र लेखा परीक्षा के दौरान तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया । विवरण निम्नवत है-

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया	भुगतान धनराशि (रुपए)
52480278	04.07.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी1	जय बजरंग बली स्वयं सहायता समूह	27000.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित शासकीय प्रपत्र संख्या 1758/33-3-2020-31/2019 के अनुसार सामुदायिक शौचालयों की नियमित सफाई एवं रखरखाव सुगमता के साथ हो सके इसके लिए 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध

कराए जाने वाली धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि जो स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन के लिए आरक्षित है उससे की जाएगी ।कुल व्यय प्रतिमाहधनराशि रुपए 9000.00 होगी। इस कार्य पर हो ने वाले पूरेवर्ष का व्यय अधिकतमदोकिस्तोंमें पहलाप्रारंभिकमाहमें एवं दूसरीकिस्त छः माह के बाद बराबर किश्तों में स्वयं सहायता समूह को ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। परन्तु उपरोक्त विवरण के अनुसार , स्वयं सहायता समूहको सामुदायिक शौचालय की रखरखाव एवं सफाईहेतु किया गया भुगतान की समस्त धनराशि एक ही किस्तमें वर्ष के प्रारंभ में (जुलाईमाहमें) ही कर दी गई है। जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। धनराशि रुपये 27000.00 का भुगतान किस आधार पर एवं किस प्रकार किया गया हैं यहभी स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री नीरजकटियार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 27000.00 की वसूलीश्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री नीरज कटियार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 13500.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-06)

प्रस्तर सं0-(307)-मनरेगाकी ऑनलाइन वेबसाइटपर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष**2021-22** में मनरेगा के अंतर्गत सृजित 994 मानव दिवस रहे । जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या 14 रही जिसके सापेक्ष **पूर्ण कार्यों कीसंख्या 01** रही। जबकिएनआर.एम. व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत 34.48 रहा । वित्तीय वर्ष**2021-22** के पूर्ण हो ने के पश्चात भीनिर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा कार्यों पर**कुल व्यय रुपए 1.66 लाख**रहा । जिसमें से रुपए 1.66 लाख का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए**0.00** लाख का व्यय सामग्री क्रय य पर किया गया है। सामग्री क्रय य पर व्यय का**प्रतिशत 0** रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपये 207.28 रही । जबकि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 463(अ(, तारीख 26 फरवरी, 2013, में संशोधन करते हुए दिनांक 15 मार्च 2021 की अधिसूचना के अनुसार मनरेगा के वर्ष 2021-22 मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपए 203.97 निर्धारित की गई है। संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। ईएफएमएस के द्वारा व्यय का प्रतिशत 100 **र**हा । **15 दिवस**के अंतर्गत किये गए भुगतान का 91.98 रहा । मनरेगा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री नीरज कटियार पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-07)

124-ग्राम पंचायत -इलियासपुर

प्रस्तर सं0-(308)- पंचम राज्य वित्त के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया है ।जिसकेसापेक्ष में कुल भुगतान धनराशि रुपए 39890.00 हैं । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं-

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
48700358	18.07.2021	चतुर्थ राज्य वित्त/2021-22/पी32	19950.00	यश ट्रेडर्स
			19950.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री के .बीसिंहद्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन , हैण्डपम्प

मरम्मत कराए जाने वाले स्थान संबंधित विवरणप्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 15.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा।इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अखिलेश कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री के .बीसिंह एवं ग्राम प्रधान श्री विपिनकुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 19950.00 की वसूली श्री अखिलेश कुमार (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्री विपिन कुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 9975.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या-05)**

प्रस्तर सं0-(309)- 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया है ।जिसकेसापेक्ष में कुल भुगतान धनराशि रुपए 39400.00 हैं । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं ।

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
48700540	20.08.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी18	19750.00	यश ट्रेडर्स
48700540	20.08.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी19	19650.00	यश ट्रेडर्स
			39400.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री के .बीसिंहद्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन , हैण्डपम्प मरम्मत कराए जाने वाले स्थान संबंधित विवरणप्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 15.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा।इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अखिलेश कुमार एवं वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री के .बीसिंह एवं ग्राम प्रधान श्री विपिन कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए 39400.00 की वसूली श्री अखिलेश कुमार (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्री विपिनकुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 19700.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

मूल)(आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर सं0-(310)- ग्राम पंचायत में पंचम राज्य वित्त योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत में सफाई का कार्यकराया गया है ।जिसका विवरण ऑनलाइन पोर्टल भी ग्राम स्वराज पर निम्नवत दर्शाया गया है:-

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
48700274	18.07.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी20 से पी31 द्वारा	23100.00	श्रमिकों को मजदूरी भुगतान
		योग	**23100.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री के .बीसिंहद्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन , हैण्डपम्प

मरम्मत कराए जाने वाले स्थान संबंधित विवरणप्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 15.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री के .बीसिंह एवं ग्राम प्रधान श्री विपिनकुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 23100.00 की वसूली श्री अखिलेशकुमार (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्री विपिनकुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 11550.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **) मूल आपत्ति संख्या-06)**

प्रस्तर सं0-(311)- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 389763.00 रुपये का अनुदान 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त हुआ । तथा 339577.00 रुपये की धनराशि विभिन्न योजनाओं में खर्च की गई । सामान्य वित्तीय नि० 2005 के नियम 212(5) के अनुसार स्थानीय निकायों के द्वारा राज्यसरकारको उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है । जबउनको केंद्रीय अनुदान राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त हो .इसके बाद ही अनुदान की किस्तें अवमुक्त की जानी थी. जो कि प्रस्तुत नहीं की गई । यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहाइस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अखिलेशकुमार एवं ग्राम प्रधान विपिनकुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं । अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या-0)9 (**

प्रस्तर सं0-(312)- पंचम राज्य वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद एवं मजदूरी भुगतान किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा-

कार्य आईडी संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचर विवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
45604662	सामुदायिक शौचालय नींव स्तर में मजदूरी भुगतान एवं निर्माण सामग्री का भुगतान	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी10 से पी12 08.05.2021	5250.00	मजदूरी भुगतान
		पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी2 08.05.2021	63086.00	निर्माण सामग्री का भुगतान ए .म ट्रेडर्स को
	मिट्टी पुराई का भुगतान	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी3 08.05.2021	11500.00	**ग्राम प्रधान अयाज हुसैन को किया गया**
	मजदूरी भुगतान	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी4-पी9 08.05.2021	14000.00	
		योग	**93836.00**	

45605039	प्राथमिक विद्यालय इलियासपुर में शौचालय टाइल्स व अन्य निर्माण सामग्री का भुगतान एवं मजदूरी भुगतान	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी13 08.05.2021 पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी14-पी17 08.05.2021	93042.00 4750.00	ए .म ट्रेडर्स
		योग	**97792.00**	
			191628.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री के .बीसिंह द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन , हैण्डपम्प मरम्मत कराए जाने वाले स्थान संबंधित विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 15.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है ।व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा।इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री के .बीसिंह एवं ग्राम प्रधान श्री विपिनकुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 191628.00 की वसूलीश्री अखिलेशकुमार (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्री विपिनकुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 95814.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **मूल आपत्ति संख्या-0)8 (**

प्रस्तर सं0-(313)-15 वें वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद एवं मजदूरी भुगतान किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा-

50883277	ग्राम पंचायत में डंपिंगयार्ड निर्माण कार्य का सामग्री एवं मजदूरी भुगतान	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी1 19.05.2021 पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी2-पी12 19.05.2021	83956.00 46000.00	ए .म ट्रेडर्स
48724935	इलियासपुर मंदिर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी20 22.09.2021	22040.00	यश ट्रेडर्स
48724635	प्राथमिक विद्यालयमें हैंडपंप रिबोर कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी33 27.08.2021	22701.00	यश ट्रेडर्स

54930684	पंचायत भवन के जीर्णोद्धार एवं सुंदरीकरण का कार्य मैं निर्माण सामग्री का भुगतान	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी31 14.10.2021 पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी45 09.12.2021	61470.00 81459.00	यश ट्रेडर्स यश ट्रेडर्स
		योग	**317626.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री के .बीसिंहद्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन , हैण्डपम्प मरम्मत कराए जाने वाले स्थान संबंधित विवरणप्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 15.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है ।व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा।इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री के .बीसिंह एवं ग्राम प्रधान श्री विपिनकुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 317626.00 की वसूलीश्री अखिलेशकुमार (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्री विपिनकुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 158813.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **मूल आपत्ति संख्या-0) 3 (**

प्रस्तर सं0-(314)- ग्राम पंचायत की ऑनलाइन उपलब्ध सूचना एवं अभिलेख की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्य पहचान संख्या द्वारा पंचम पंचम वित्त आयोग अंतर्गत निम्न विवरण अनुसार स्वयं सहायता समूह संस्था को भुगतान किया जाना दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक एवं लेखा प्रपत्र लेखा परीक्षा के दौरान तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया । विवरण निम्नवत है-

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया	भुगतान धनराशि (रुपए)
48700667	15.06.2021	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी18	स्वयं सहायता समूह	9000.00
	02.07.2021	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी19	महिला स्वयं सहायता समूह	18000.00
	03.07.2021	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी19	महिला स्वयं सहायता समूह	27000.00
				54000.00

इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री के .बीसिंह एवं ग्राम प्रधान श्री विपिनकुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 540000 की वसूलीश्री अखिलेशकुमार (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्री विपिनकुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 27000.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-07)

प्रस्तर सं0-(315)-मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष **2021-22** में मनरेगा के अंतर्गत सृजित 4695मानव दिवस रहे । जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या 59 रही जिसके सापेक्ष **पूर्ण कार्यों की संख्या 20** रही। जबकि एन.आर.एम व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत 49.9 रहा । वित्तीय वर्ष **2021-22** के पूर्ण हो ने के पश्चात भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा कार्यों पर **कुल व्यय रुपए 11.56 लाख** रहा । जिसमें से रुपए 10.55लाख का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए **0.22**लाख का व्यय सामग्री क्रय य पर किया गया है। सामग्री क्रय य पर व्यय का **प्रतिशत 2.06** रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपये 204.00 रही । जबकि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की

अधिसूचना सं. का.आ. 463(अ), तारीख 26 फरवरी, 2013, में संशोधन करते हुए दिनांक 15 मार्च 2021 की अधिसूचना के अनुसार मनरेगा के वर्ष 2021-22 मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपए 204.00 निर्धारित की गई है। 100 **र**हा । **15 दिवस** के अंतर्गत किये गए भुगतान का 95.31 रहा । मनरेगा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव श्री अखिलेशकुमार (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्री विपिनकुमार पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **((मूल आपत्ति संख्या-04)**

125-ग्राम पंचायत -कमसान

प्रस्तर सं0-(316)-पंचम राज्य वित्त के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया है जिसके सापेक्ष में कुल भुगतान धनराशि रुपए 79840.00 हैं । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं ।

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)
54177601	17.01.2022	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी29	19950.00
54177601	17.01.2022	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी29	19950.00
54177601	17.01.2022	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी29	19950.00
54154411	28.09.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी24	19990.00

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकमल कटियार द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 15.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से श्री राजकमल कटियारको भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा।इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजकमल कटियार एवं ग्राम प्रधान श्री जयसिंह संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 79840.00 की वसूलीश्री राजकमल कटियार एवं ग्राम प्रधान जयसिंह से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 39920.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

मूल आपत्ति संख्या-0) 5 (

प्रस्तर सं0-(317)-ग्राम पंचायत में पंचम राज्य वित्त योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत में सफाई का कार्यकराया गया है ।जिसकाविवरणऑनलाइन पोर्टलभी ग्राम स्वराज पर निम्नवत दर्शाया गया है:-

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)
56839826	18.01.2022	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी31से पी46 द्वारा	48000.00
54192096	05.09.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी06 से पी22 द्वारा	43200.00
		योग	91200.00

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकमल कटियार द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 15.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से श्री राजकमल कटियारको भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा।इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजकमल कटियार एवं ग्राम प्रधान श्री जयसिंह संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 91200.00 की वसूलीश्री राजकमल कटियार एवं ग्राम प्रधान से जयसिंह से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 45600.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

मूल आपत्ति संख्या-0)6 (

प्रस्तर सं0-(318)-वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 254100.00 रुपये का अनुदान पंचम राज्य वित्त आयोग से प्राप्त हुआ । तथा 378691.00 रुपये की धनराशि विभिन्न योजनाओं में खर्च की गई । सामान्य वित्तीय नि॰ 2005 के नियम 212(5) के अनुसार स्थानीय निकायों के द्वारा राज्य सरकार को उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है । जब उनको केंद्रीय अनुदान राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त हो .इसके बाद ही अनुदान की

किस्तें अवमुक्त की जानी थी. जो कि प्रस्तुत नहीं की गई। यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहा। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या-0) 8 (**

प्रस्तर सं0-(319)- ग्राम पंचायत के ऑनलाइन पोर्टल ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध सूचना के अनुसार कार्य पहचान संख्या 50672233 द्वारा राम पंचायत में रिक्शाक्रय य का भुगतान पंचमराज्य वित्त योजना अंतर्गत प्रमाणको द्वारा किया जाना दर्शाया गया हैंजिसकाविवरण निम्नवत रहा:-

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)
50672233	29.07.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी1 द्वारा	24000.00
50672233	29.07.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी2 द्वारा	48000.00
		योग	72000.00

उपरोक्त विवरण अनुसार किएगए व्यय से संबंधित शासनादेश,अनुमोदन पत्रावली ,कार्यादेश, व्यय प्रमाणक, व्यय की उपयोगिता संबंधित प्रपत्र, डेड स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा।इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजकमल कटियार एवं ग्राम प्रधान श्री जयसिंह संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 72000.00 की वसूलीश्री राजकमल कटियार एवं ग्राम प्रधान से जयसिंह से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 36000.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

मूल)(आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर सं0-(320)-पंचम राज्य वित्त के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया है जिसकेसापेक्ष में कुल भुगतान धनराशि रुपए 79680.00 हैं । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं ।

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)
53390619	03.09.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी4	19900.00
53390570	03.09.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी3	19990.00
53390710	05.09.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी5	19900.00
53390758	28.09.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी24	19890.00
			79680.00

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकमल कटियार द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 15.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से श्री राजकमल कटियारको भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजकमल कटियार एवं ग्राम प्रधान श्री जयसिंह संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 79680.00 की वसूलीश्री राजकमल कटियार एवं ग्राम प्रधान से जयसिंह से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 39840.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-07)

प्रस्तर सं0-(321)- ग्राम पंचायत की ऑनलाइन उपलब्ध सूचना एवं अभिलेख की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कार्य पहचान संख्या 50672233 15 वें वित्त आयोग अंतर्गत निम्नविवरण अनुसार संस्था को भुगतान किया जाना दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भीव्ययप्रमाणक एवं लेखाप्रपत्रलेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राज़कमलकटियार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया । विवरण निम्नवत है-

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया	भुगतान धनराशि (रुपए)
50672233	16.01.2022	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी4 पंचायत भवन में कुर्सी क्रय यहेतु	डीएमईआर गिफ्ट हाउस	42000.00

50672233	02.11.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी3	पवन आयरन स्टोर	14500.00
			योग	56500.00

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकमल कटियार द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 15.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से श्री राजकमल कटियारको भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा।इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजकमल कटियार एवं ग्राम प्रधान श्री जयसिंह संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 56500.00 की वसूलीश्री राजकमल कटियार एवं ग्राम प्रधान जयसिंह से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 28250.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।।

मूल आपत्ति संख्या-0)3 (

प्रस्तर सं0-(322)-मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा के अंतर्गत सृजित 2639 दिवसरहे जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराएगएकुल कार्य की संख्या 29 रही जिसके सापेक्ष पूर्णकार्यों की संख्या 02 रही । जबकि एन.आर.एम व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत 89.67 रहा । वित्तीय वर्ष 2021-22 के पूर्ण हो ने के पश्चात भी सभी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगाकार्यों पर कुल व्यय रुपय 5.47 लाखरहा । जिसमें से रुपए 5.37 लाख का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए 0.10 लाख का व्यय सामग्री क्रय य पर किया गया है। सामग्री क्रय य पर व्यय का प्रतिशत 1.79 प्रतिशत रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपये 207.35 रही तथा ईएफएमएस के द्वारा व्यय का प्रतिशत 100 रहा । 15 दिवस के अंतर्गत कियेगए भुगतान का 99.47 रहा ।उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 और पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार संपादित कार्य में लगाए गए श्रमिकों की उपस्थिति एवं भुगतान की गई मजदूरी को अभिलेखीकृत करने हेतु एक मास्टर रोल पंजिका रखे जाने का स्पष्ट निर्देश है ,लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। लेकिन अभिलेखों के प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजकमल कटियार एवं ग्राम प्रधान श्री जयसिंह पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

((मूल आपत्ति संख्या-04)

126-ग्राम पंचायत -खजुरी

प्रस्तर सं0-(323)- ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष की प्रारंभिकअवशेष की धनराशि रूपा9870629.17 दर्शाईजारहीथीजब की वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्रीय वित्त योजना के अंतर्गत धनराशि रुपये 1267996.00 येप्राप्तिअनुदान के रूपमें एवं पंचमराज्य वित्त आयोग अंतर्गत ऋणआत्मक धनराशि रू 6966527.00 दर्शाईजारही है स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 **में** ग्राम पंचायत के पास पंचम राज्य वित्त आयोग अंतर्गत धनराशि अवशेष नहीं थे वित्तीय वर्ष 2020-21 के माहमार्चऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के अनुसार विवरण निम्नवत रहा:-

अकाउंट 6883 बैलेंसएस पर कैशबुक - 9304510.17

बैलेंस बैंक अकाउंट- 1817321400

कैशबुकमें क्रेडिट नहीं किया गया ब्याज- 9304,510.17

कैशबुक एवं बैंक अकाउंट में अंतर की धनराशि - 8868704.00

अकाउंट 0853 बैलेंस एस पर कैशबुक -1834115.00

बैलेंसबैंकअकाउंट -1324615.00

क्रेडिट गिवेन बाइ बैंक - 1267996.00

कैशबुक एवं बैंकअकाउंटमें अंतर की धनराशि -509400.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है की ग्राम पंचायत के कैशबुक एवं बैंक अकाउंट में **अंतर** की स्थिति रही एवं बैंक द्वारा ग्राम पंचायत को क्रेडिट किन परिस्थितियों में उपलब्ध कराया गया ।इसक संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। इस वित्तीय अनियमितता हेतु ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रभातमोहन एवं ग्राम प्रधान श्री वीरेंद्र कटियार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इनकेविरुद्ध अपेक्षित कार्यवाही की जानी चाहिए। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल)(आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर सं0-(324)- ग्राम पंचायत में पंचम राज्य वित्त योजना अंतर्गत अभय के घर से नाले तक नाली निर्माण का कार्यकराया गया है ।जिसका विवरण ऑनलाइन पोर्टल भी ग्राम स्वराज पर निम्नवत दर्शाया गया है:-

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
51905548	05.06.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी3 द्वारा	106967.00	ए. एम ट्रेडर्स
51905548	11.06.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी17,पी18, पी19,पी20,पी21 ,पी22, पी23 द्वारा	18000 22500.00 3750.00	ए. एम ट्रेडर्स मजदूरी भुगतान
		योग	**151217.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारीश्री प्रभात मोहन एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवि यादव द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली ,कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्य ,स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टरप्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से श्री प्रभात मोहन एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवि यादवको भेजा जा चुका था ।लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा।इस वित्तीय अनियमितताहेतु ग्राम पंचायत सचिवश्री प्रभातमोहन एवं ग्राम प्रधान श्री वीरेंद्रकटियार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इनकेविरुद्ध अपेक्षित कार्यवाही की जानी चाहिए। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री प्रभातमोहन एवं ग्राम प्रधान वीरेंद्रकटियार

संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 151217.00 की वसूली श्री प्रभातमोहन/ श्री रवियादव (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान वीरेंद्रकटियार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 75608.50 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या-07)**

प्रस्तर सं0-(325)- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 23.74 लाखरुपये का अनुदान 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त हुआ । तथा 15.60 लाखरुपये की धनराशि विभिन्न योजनाओं में खर्च की गई । सामान्य वित्तीय नि० 2005 के नियम 212(5) के अनुसार स्थानीय निकायों के द्वारा राज्यसरकारको उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है । जबउनको केंद्रीय अनुदान राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त हो .इसके बाद ही अनुदान की किस्तें अवमुक्त की जानी थी. जो कि प्रस्तुत नहीं की गई । यहप्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहाइस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री प्रभातमोहन एवं ग्राम प्रधान वीरेंद्रकटियार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं । अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

-मूल आपत्ति संख्या)10 (

प्रस्तर सं0-(326)- पंचम राज्य वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद एवं मजदूरी भुगतान किया जाना कार्य संख्या 53872570 द्वारा दर्शाया गया है।जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।धनराशि रुपए 25000.00 का भुगतान दिनांक 28.09.2021 को प्रमाणक संख्या पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी42 द्वारा निर्माण कार्य मजदूरी हेतु श्रमिकों

को भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। धनराशि रुपए 173650.00 का भुगतान दिनांक 28.09.2021 को प्रमाणक संख्या पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी2 द्वारा निर्माण कार्यमगरीक्रय यहेतुबाबाट्रेडर्सको भुगतान किया जाना दर्शाया गया है।कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभातमोहन **एवं ग्राम प्रधान** वीरेंद्रकटियार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवियादव द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 15.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था ।लेखा परीक्षा में संबंधित निर्माण कार्यों की निर्माण पत्रावली ऐसे निर्माण कार्य आदेश, कार्य योजना, संबंधित व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य के वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति आदेश एवं संख्या, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मापपुस्तिका, निर्माण कार्यों के त्रिस्तरीयफोटोग्राफ, निर्माण कार्य की गुणवत्तारिपोर्ट, कैशबुक, स्टोरपंजिका, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । सभी लेखा अभिलेखों के अभावमें क्रय य की गई निर्माण सामग्री की उपयोगिता एवं भुगतान की पुष्टि नहीं हो ती है। अतः व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभात मोहन **एवं ग्राम प्रधान** वीरेंद्र कटियार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवियादव संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 198650.00 की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभात मोहन **एवं ग्राम प्रधान** वीरेंद्रकटियार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 99325.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

मूल आपत्ति संख्या-0)8 (

प्रस्तर सं0-(327)- मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष **2021-22** में मनरेगा के अंतर्गत सृजित 3391 मानव दिवस रहे । जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या 46 रही जिसके सापेक्ष **पूर्ण कार्यों की संख्या 07** रही। जबकि एन.आर.एम व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत 31.01 रहा । वित्तीय वर्ष **2021-22** के पूर्ण हो ने के पश्चात भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा कार्यों पर **कुल व्यय रुपए 6.50 लाख** रहा । जिसमें से रुपए 6.42 लाख का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए **0.16** लाख का व्यय सामग्री क्रय य पर किया गया है। सामग्री क्रय य पर व्यय का **प्रतिशत 2.36** रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपये 224.41 रही । जबकि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 463(अ), तारीख 26 फरवरी, 2013, में संशोधन करते हुए दिनांक 15 मार्च 2021 की अधिसूचना के अनुसार मनरेगा के वर्ष 2021-22 मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपए 204.00 निर्धारित की गई है। संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। ईएफएमएस के द्वारा व्यय का प्रतिशत 100 **र**हा । **15 दिवस** के अंतर्गत किये गए भुगतान का 86.19 रहा । मनरेगा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभातमोहन **एवं ग्राम प्रधान** वीरेंद्र कटियार पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-0)6 (

प्रस्तर सं0-(328)- पंचम राज्य वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में खेलमैदान निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद एवं मजदूरी भुगतान किया जाना कार्य संख्या 53079534 द्वारा दर्शाया गया है।जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।धनराशि रुपए 194429.00 का भुगतान दिनांक 18.07.2021 को प्रमाणक संख्या पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी40 द्वारा निर्माण कार्य सामग्री क्रय हेतु एम0 एस पीताम्बरा बिल्डर एंड सप्लायर्स को भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। धनराशि रुपए 93408.00 का भुगतान दिनांक 18.07.2021 को प्रमाणक संख्या पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी41 द्वारा निर्माण कार्य सामग्री क्रय हेतु एम0 एस पीताम्बरा बिल्डर एंड सप्लायर्स को भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभातमोहन **एवं ग्राम प्रधान** वीरेंद्र कटियार एवं वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवियादव द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए ।जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022

को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था ।लेखा परीक्षा में संबंधित निर्माण कार्यों की निर्माण पत्रावली ऐसे निर्माण कार्य आदेश, कार्य योजना, संबंधित व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य के वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति आदेश एवं संख्या, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मापपुस्तिका, निर्माण कार्यों के त्रिस्तरीयफोटोग्राफ, निर्माण कार्य की गुणवत्तारिपोर्ट, कैशबुक, स्टोरपंजिका, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है ।सभी लेखा अभिलेखों के अभावमें क्रय य की गई निर्माण सामग्री की उपयोगिता एवं भुगतान की पुष्टि नहीं हो ती है।अतः व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभात मोहन **एवं ग्राम प्रधान** वीरेंद्रकटियार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवियादव संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 287837.00 की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभातमोहन **एवं ग्राम प्रधान** वीरेंद्रकटियार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 143918.50 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

मूल आपत्ति संख्या-0) 9 (

प्रस्तर सं0-(329)- ग्राम पंचायत के लेखा परीक्षा में पाया गया कि 15 वें वित्त आयोग अंतर्गत कार्य पहचान संख्या 45311551 अंतर्गत सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य कराया गया , व्यय प्रमाणक संख्या पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी10 द्वारा धनराशि रुपे 108667.00 दिनांक 16/07/2021 एवं पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-222/पी06-पी09 द्वारा धनराशि रुपये 122000.00 दिनांक 16.07.2021 को मजदूरी भुगतान किया जाना दर्शाया गया है।उपरोक्त निर्माण कार्य से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षा के दौरान जांच एवं पुष्टिहेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। यह भुगतान निर्माणदायी संस्था नमन ट्रेडर्सको किया जाना दर्शाया गया है।कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभातमोहन **एवं ग्राम प्रधान** वीरेंद्रकटियार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवियादव द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में संबंधित निर्माण कार्यों की निर्माण पत्रावली ऐसे निर्माण कार्य आदेश, कार्य योजना, संबंधित व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य के वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति आदेश एवं संख्या, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मापपुस्तिका, निर्माण कार्यों के त्रिस्तरीयफोटोग्राफ, निर्माण कार्य की गुणवत्तारिपोर्ट, कैशबुक, स्टोरपंजिका, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । सभी लेखा अभिलेखों के अभावमें क्रय य की गई निर्माण सामग्री की उपयोगिता एवं भुगतान की पुष्टि नहीं हो ती है।अतः व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारीश्री प्रभातमोहन एवं ग्राम प्रधान वीरेंद्र कटियार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवियादव संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 230667.00 की वसूलीश्री प्रभातमोहन एवं ग्राम प्रधान वीरेंद्र कटियार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 115333.50 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **मूल आपत्ति संख्या-0)5 (**

प्रस्तर सं0-(330)-वित्तीय वर्ष 2021-22 ऑनलाइन पोर्टल ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध सूचना के अनुसार 15 वें वित्त आयोग अंतर्गत ग्राम पंचायत का इस मद में प्रारंभिक अवशेष की धनराशि तथा वर्ष दौरान प्राप्त अनुदान, वर्ष दौरान उपभोग अनुदान एवं वर्ष के अंत में शेष अनुदान का विवरण निम्नवत रहा: (धनराशि रुपए में(

	प्रारंभिकअवशेष	वर्ष दौरान प्राप्ति	वर्ष दौरान उपभोग	वर्षांत शेष अनुदान की धनराशि
अनटाइड फंड	371214	1076498	1360310	87402
टाइड फंड	19495	1297748	199283	1293370

विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष दौरान 15 वें वित्त आयोग योजना अंतर्गत अनटाइड फंड से धनराशि रुपये 1360310 रुपए का व्यय दर्शाया गया है एवं टाइड फंड से मात्र धनराशि रुपये 199283.00 रुपए का व्यय दर्शाया गया ह अर्थात्: वर्ष दौरान विकास कार्य अथवा निर्माण कार्य पर नाम मात्र ही व्ययं किया गया है। जो की संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान की राजकीय कर्यों के प्रति शिथिलता एवं उदासीनता दर्शाता है। जब की15 वें वें वित्त आयोग योजना संबंधित शासनादेश संख्या1717/33-3-2021-33/2020 द्वारा 15 वें वित्त आयोग अंतर्गत आवंटित अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। जिसके अनुसार पेयजल पर व्यय 30 प्रतिशत , वर्षा जल संचयन एवं वाटर रीसाइक्लिंग पर व्यय 30 प्रतिशत तथा ओडीएफ पर व्यय 40 प्रतिशत किया जाना था। ऑनलाइन पोर्टल एक रामस्वराज पर उपलब्ध अप्रूव्ड एक्शन प्लान रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 22 में प्रयोग सिटी 22 ऐक्टिविटी डिटेल्स के अंतर्गत 15 वें वित्त योजना के मद से निम्नांकित कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराए जाने थे विवरण निम्नवत है-:

धनराशि रुपये	कार्य आईडी संख्या	कार्य का विवरण
577368.00	51052957	डंपिंग यार्ड सैनिटेशन अंतर्गत
577368.00	51053008	रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम
1154736.00	51053038	गौशाला निर्माण कार्य

उपरोक्त सभी का निर्माण कार्य अप्रैल 2021-22 में कराए जाने थे उपरोक्त शासनादेश एवं 15 वें वित्त के मार्गदर्शक सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा टाइड फंड अंतर्गत कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है। यह एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। संबंधित विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस अनियमितता की ओर आकर्षित किया जाता है । उत्तरदायी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री प्रभात मोहन एवं ग्राम प्रधान वीरेंद्र कटियार के विरुद्ध अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

((मूल आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर सं0-(331)-ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष की प्रारंभिक अवशेष की धनराशि रूपा9870629.17 दर्शाई जा रही थी जब की वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्रीय वित्त योजना के अंतर्गत धनराशि रुपये 1267996.00 ये प्राप्ति अनुदान के रूप में एवं पंचम राज्य वित्त आयोग अंतर्गत ऋण आत्मक धनराशि रू 6966527.00 दर्शाई जा रही है ।स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 मैं ग्राम पंचायत के पास पंचम राज्य वित्त आयोग अंतर्गत धनराशि अवशेष नहीं थे वित्तीय वर्ष 2020-21 के माह मार्च ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के अनुसार विवरण निम्नवत रहा-:

अकाउंट 6883 बैलेंस एस पर कैशबुक -9304510.17
बैलेंस बैंक अकाउंट -18173214.00
कैशबुक में क्रेडिट नहीं किया गया ब्याज -9304,510.17
कैश बुक एवं बैंक अकाउंट में अंतर की धनराशि -8868704.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है की ग्राम पंचायत के कैशबुक एवं बैंक अकाउंट में अंतर की स्थिति रही एवं बैंक द्वारा ग्राम पंचायत को प्राप्त ब्याज कैशबुक में क्रेडिट नहीं किया गया ।इसक संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।

मूल आपत्ति संख्या-0)1(

127-ग्राम पंचायत -खाड़ामऊ

प्रस्तर सं0-(332)-15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया है । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं ।

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया

53281983	31.01.2022	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी43	19980.00	आर. एस ट्रेडर्स
53282023	31.01.2022	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी42	19950.00	आर. एस ट्रेडर्स
			39930.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री समीर गुप्ता द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन , हैण्डपम्प मरम्मत कराए जाने वाले स्थान संबंधित विवरणप्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा।इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री जेनेन्द्र कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 39930.00 की वसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री जेनेन्द्रकुमार सेसंयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 19965.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

मूल आपत्ति संख्या-) 05 (

प्रस्तर सं0-(333)-ग्राम पंचायत में पंचम राज्य वित्त योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत में सफाई का कार्यकराया गया है ।जिसका विवरण ऑनलाइन पोर्टलभी ग्राम स्वराज पर निम्नवत दर्शाया गया है:-

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
44637631	19.08.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी14 से पी20 द्वारा	20400.00	श्रमिकोंको मजदूरी भुगतान
		योग	**20400.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री समीर गुप्ता द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन , हैण्डपम्प मरम्मत कराए जाने वाले स्थान संबंधित विवरणप्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री जेनेन्द्रकुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 20400.00 की वसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री जेनेन्द्रकुमार सेसंयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 10200.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

मूल आपत्ति संख्या-) 06 (

प्रस्तर सं0-(334)- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 928349.00 रुपये का अनुदान 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त हुआ। तथा 1668693.00 रुपये की धनराशि विभिन्न योजनाओं में खर्च की गई । सामान्य वित्तीय नि॰ 2005 के नियम 212(5) के अनुसार स्थानीय निकायों के द्वारा राज्यसरकारको उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना

अनिवार्य है । जबउनको केंद्रीय अनुदान राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त हो .इसके बाद ही अनुदान की किस्तें अवमुक्त की जानी थी. जो कि प्रस्तुत नहीं की गई । यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहाइस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री जेनेन्द्र कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं । अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।**मूल आपत्ति संख्या-0) 8 (**

प्रस्तर सं0-(335)-पंचम राज्य वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा

कार्य आईडी संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
53281943	कार्य विवरणअज्ञात	पंचम राज्य वित्त/2122/पी13/ 29.07.2021	48158.00	नमनट्रेडर्स
53281764	कार्य विवरणअज्ञात	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी9 29.07.2021	47284.00	नमनट्रेडर्स
50953883	कार्य विवरणअज्ञात	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी12 29.07.2021	46091.00	नमनट्रेडर्स
53281656	कार्य विवरणअज्ञात	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी11 27.07.2021	47750.00	नमनट्रेडर्स
53281943	कार्य विवरणअज्ञात	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी10 27.07.2021	48158.00	नमनट्रेडर्स
42622623	रिक्शाक्रय य	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी23 15.09..2021	24300.00	माँअम्बेट्रेडर्स
50897733	पंचायत सचिवालयमें पेंटिंग कार्य	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी41 18.02.2021	28560.00	विशालआर्ट्स
			290301.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री जेनेन्द्रकुमार द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा।इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री जेनेन्द्रकुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 290301.00 की वसूलीश्री समीर गुप्ता एवं ग्राम

प्रधान श्री जेनेन्द्रकुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 145150.50 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या-07)**

प्रस्तर सं0-(336)-15 वें वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा-

54910736	मेनरोड से पंचायत घर तक इंटरलॉकिंगरोड निर्माण कार्य का सामग्री	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी8 15.10.2021	137458.00	यश ट्रेडर्स
54910732	इंटरलॉकिंग कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी7 15.10.2021	159599.00	यश ट्रेडर्स
55259930	मोनू के घर से अंदरपुलिया से खेत तक नाली निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी10 16.11.2021	111761.00	एम0के0 ट्रेडर्स
55259264	जतिन के घर से लक्ष्मी के घर तक इंटरलॉकिंगरोडनिर्माणकार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी9 16.11.2021	158400.00	निर्मला ट्रेडर्स
61840569	राजकपूर के घर से चिंटू के घर तक इंटरलॉकिंगरोड निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी51 14.03.2022	139557.00	आर. एस ट्रेडर्स
61840803	रोचक के घर से कल्याण के घर तक नाली निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी52 14.03.2022	127798.00	आर. एस ट्रेडर्स
		योग	**834573.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री जेनेन्द्र कुमार द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वितीय स्वीकृति संख्या, मॉप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र , स्टोर पंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, प्रस्तुत नहीं किए गए। जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन

इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था। लेखा परीक्षा में लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभाव में किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अखिलेश कुमार एवं वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारी समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री जेनेन्द्र कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए 834573.00 की वसूली श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री जेनेन्द्र कुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 417286.50 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।**मूल आपत्ति संख्या-0) 3 (**

प्रस्तर सं0-(337)- ग्राम पंचायत की ऑनलाइन उपलब्ध सूचना एवं अभिलेख की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्य पहचान संख्या द्वारा पंचम पंचम वित्त आयोग /15वित्त आयोग अंतर्गत निम्न विवरण अनुसार स्वयं सहायता समूह संस्था को भुगतान किया जाना दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक एवं लेखा प्रपत्र लेखा परीक्षा के दौरान तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया । विवरण निम्नवत है

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचर विवरण	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया	भुगतान धनराशि (रुपए)
42622623	14.06.2021	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी3	माँ सरस्वती महिला स्वयं सहायता समूह	9000.00
	03.07.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी1	माँ सरस्वती महिला स्वयं सहायता समूह	45000.00

इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री जेनेन्द्रकुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 540000 की वसूलीश्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री जेनेन्द्रकुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 27000.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **मूल)(आपत्ति संख्या-02)**

प्रस्तर सं0-(338)-मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष **2021-22** में मनरेगा के अंतर्गत सृजित 3418 मानव दिवस रहे । जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या 29 रही जिसके सापेक्ष **पूर्ण कार्यों की संख्या 10** रही। जबकि एन.आर.एम व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत 77.74 रहा । वित्तीय वर्ष **2021-22** के पूर्ण हो ने के पश्चात भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा कार्यों पर **कुल व्यय रुपए 4.32लाख** रहा । जिसमें से रुपए 4.18 लाख का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए **0.15** लाख का व्यय सामग्री क्रय य पर किया गया है। सामग्री क्रय य पर व्यय का **प्रतिशत 3.4** रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपये 205.01 रही । जबकि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 463(अ), तारीख 26 फरवरी, 2013, में संशोधन करते हुए दिनांक 15 मार्च 2021 की अधिसूचना के अनुसार मनरेगा के वर्ष 2021-22 मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपए 204.00 निर्धारित की गई है। संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। ईएफएमएस के द्वारा व्यय का प्रतिशत 100 **र**हा । **15 दिवस** के अंतर्गत किये गए भुगतान का 85.24 रहा । मनरेगा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री जेनेन्द्रकुमार पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

((मूल आपत्ति संख्या-04)

128-ग्राम पंचायत -कुदौरा

प्रस्तर सं0-(339)- ग्राम पंचायत में पंचम राज्य वित्त योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत में गुप्ता के घर से सड़क तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य एवं नाले निर्माण का कार्यकराया गया है ।जिसका विवरण ऑनलाइन पोर्टलभी ग्राम स्वराज पर निम्नवत दर्शाया गया है:-

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
42409882	21.05.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी1 द्वारा	52733.00	निर्मल ट्रेडर्स
42409882	08.06.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी2 द्वारा	83544.00	निर्मल ट्रेडर्स
		योग	**136277.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवियादव एवं वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्य ,स्टोरपंजिका, डेडस्टॉकरजिस्टराप्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 15.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से रवियादव एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह को भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शिवपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान चेतना संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 136277.00 की वसूलीश्री रवियादव / श्री शिवपाल सिंह (यथास्थिति अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान चेतना से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 68138.50 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-07)

प्रस्तर सं0-(340)- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 7.84 लाखरुपये का अनुदान 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त हुआ । तथा 6.92 लाखरुपये की धनराशि विभिन्न योजनाओं में खर्च की गई । सामान्य वित्तीय नि० 2005 के नियम 212(5) के अनुसार स्थानीय निकायों के द्वारा राज्यसरकारको उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है । जबउनको केंद्रीय अनुदान राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त हो .इसके बाद ही अनुदान की किस्तें अवमुक्त की जानी थी. जो कि प्रस्तुत नहीं की गई । यहप्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहाइइस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रवियादव/ श्री शिवपाल सिंह (यथास्थिति अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान चेतना संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।

मूल आपत्ति संख्या-0)8 (

प्रस्तर सं0-(341)-पंचम राज्य वित्त आयोग14 वां एफएफसी,15वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद एवं मजदूरी भुगतान किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए । धनराशि रुपए 489375.00 का भुगतान माहजूनमें दिनांक 08.06.2021,09.06.2021,12.06.2021,14.06.2021,17.06.2021 विभिन्न प्रमाणक संख्या द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु निर्माणदायी संस्था को एवं मजदूरी हेतु श्रमिकों को भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी **रवियादव एवं ग्राम प्रधान** श्रीमती चेतना एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 15.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में संबंधित निर्माण कार्यों की निर्माण पत्रावली ऐसे निर्माण कार्य आदेश, कार्य योजना, संबंधित व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य के वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति आदेश एवं संख्या, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मापपुस्तिका, निर्माण कार्यों के त्रिस्तरीयफोटोग्राफ, निर्माण कार्य की गुणवत्तारिपोर्ट, कैशबुक, स्टोरपंजिका, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है ।

सभी लेखा अभिलेखों के अभावमें क्रय य की गई निर्माण सामग्री की उपयोगिता एवं भुगतान की पुष्टि नहीं हो ती है। अतः व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री **रवियादव एवं ग्राम प्रधान** श्रीमती चेतना एवं वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 489375.00 की वसूली श्री **रवियादव** / श्री शिवपाल सिंह (यथास्थिति अवधि अनुसार) **एवं ग्राम प्रधान** श्रीमती चेतना से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 244687.50 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

((मूल आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर सं0-(342)- मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष **2021-22** में मनरेगा के अंतर्गत सृजित 2377 मानव दिवस रहे । जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या 18 रही जिसके सापेक्ष **पूर्ण कार्यों की संख्या 06** रही। जबकि एन.आर.एम व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत 72.07 रहा । वित्तीय वर्ष **2021-22** के पूर्ण हो ने के पश्चात भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा कार्यों पर **कुल व्यय रुपए 3.90 लाख** रहा । जिसमें से रुपए3.86 लाख का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए **0.04** लाख का व्यय सामग्री क्रय पर किया गया है। सामग्री क्रय पर व्यय का **प्रतिशत 0.99** रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपये 188.42 रही । जबकि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 463(अ), तारीख 26 फरवरी, 2013, में संशोधन करते हुए दिनांक 15 मार्च 2021 की अधिसूचना के अनुसार मनरेगा के वर्ष 2021-22 मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपए 204.00 निर्धारित की गई है।वर्ष 2021-22 मैं व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित औसत मजदूरी रुपये 204.00 से कम का भुगतान श्रमिकों को किया जाना दर्शाया गया है जो की गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता हैंइसके संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित रहींसंबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। ईएफएमएस के द्वारा व्यय का प्रतिशत 100 **र**हा । **15 दिवस** के अंतर्गत किये गए भुगतान का 95.36 रहा । मनरेगा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवियादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती चेतना पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-0)5 (

प्रस्तर सं0-(343)- ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष के प्रारंभिक शेष की धनराशि रुपये 2302313.91 तथा वर्ष दौरान अनुदान प्राप्ति की धनराशि केंद्रीय वित्त आयोग एवं पंचम वित्त आयोग अंतर्गत कुलरुपये 686667.00 दर्शाई जा रही है तथा वर्ष दौरान विवाद विकास योजनाओं पर पंचम राज्य वित्त आयोग केंद्रीय वित्त आयोग एवं 14 वें वित्त आयोग अंतर्गत कुल धनराशि रुपये 2219269.00 यह किया जाना ऑनलाइन पोर्टल ई ग्राम स्वराज पर दर्शाया जा रहा है जब कि वर्षान्तशेष की धनराशि रुपये 1526421.91 ऑनलाइन पोर्टल पर दर्शित है। जब की लेखा परीक्षा गणनामें यहधनराशि रुपये 769711.91 प्राप्त हो रही है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित रही।

स्पष्ट है कि बर्ष दौरान शासन की अपेक्षा के अनुरूप विकास योजनाओं ऊपर अनुदान का व्यय नहीं किया गया है जिससे वर्षात शेष की इतनी अधिक धनराशि बची रही है जो की ग्राम प्रधान श्रीमती चेतना एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रवि यादव एवं श्री शिवपाल सिंह की राजकीय कार्यों के प्रति उदासीनता एवं शिथिलता को दर्शाता है। संबंधित उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-01)

प्रस्तर सं0-(344)- ग्राम पंचायत के लेखा परीक्षा में पाया गया कि पंचमराज्य वित्त आयोग अंतर्गत कार्य पहचान संख्या 44648596 अंतर्गत संजीत के घर से कच्ची सड़क तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य कराया गया , व्यय प्रमाणक संख्या पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी10 द्वारा धनराशि रुपे 81278.00 दिनांक 22/05/2021 एवं पंचम राज्य वित्त/2021-222/पी11 द्वारा धनराशि रुपये 54236.00 दिनांक 22.05.2021 को भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। उपरोक्त निर्माण कार्य से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान जांच एवं पुष्टि

हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। यह भुगतान निर्माणदायी संस्था निर्मला ट्रेडर्स को किया जाना दर्शाया गया है। कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी रवियादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती चेतना एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 15.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में संबंधित निर्माण कार्यों की निर्माण पत्रावली ऐसे निर्माण कार्य आदेश, कार्य योजना, संबंधित व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य के वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति आदेश एवं संख्या, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मापपुस्तिका, निर्माण कार्यों के त्रिस्तरीयफोटोग्राफ, निर्माण कार्य की गुणवत्तारिपोर्ट, कैशबुक, स्टोरपंजिका, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । सभी लेखा अभिलेखों के अभावमें क्रय य की गई निर्माण सामग्री की उपयोगिता एवं भुगतान की पुष्टि नहीं हो ती है। अतः व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवियादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती चेतना एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए 135514.00 कीवसूलीश्री रवियादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती चेतना से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 67757.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

मूल आपत्ति संख्या-0)6 (

प्रस्तर सं0-(345)- ग्राम पंचायत के लेखा परीक्षा में पाया गया कि 15 वित्त आयोग अंतर्गत कार्य पहचान संख्या 55506700 अंतर्गत निर्माण कार्य कराया गया , व्यय प्रमाणक संख्या पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी15 द्वारा धनराशि रुपे 145277.00 दिनांक 25/11/2021 एवं पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-222/पी16 द्वारा धनराशि रुपये 7000.00 दिनांक 25.11.2021 को भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। उपरोक्त निर्माण कार्य से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा के दौरान जांच एवं पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। यह भुगतान निर्माणदायी संस्था निर्मला ट्रेडर्स को किया जाना दर्शाया गया है। कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी रवियादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती चेतना एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 15.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में संबंधित निर्माण कार्यों की निर्माण पत्रावली ऐसे निर्माण कार्य आदेश, कार्य योजना, संबंधित व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य के वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति आदेश एवं संख्या, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मापपुस्तिका, निर्माण कार्यों के त्रिस्तरीयफोटोग्राफ, निर्माण कार्य की गुणवत्तारिपोर्ट, कैशबुक, स्टोरपंजिका, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । सभी लेखा अभिलेखों के अभावमें क्रय य की गई निर्माण सामग्री की उपयोगिता एवं भुगतान की पुष्टि नहीं हो ती है। अतः व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवियादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती चेतना एवं वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए 152277.00 कीवसूलीश्री रवियादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती चेतना से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 76138.50 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

मूल आपत्ति संख्या-) 03 (

129-ग्राम पंचायत -महादेवा

प्रस्तर सं0-(346)- पंचम राज्य वित्त के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया है । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं ।

क्रय म संख्या	कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया

1	**53368875**	29.07.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी2	19980.00	आर0 के0 ट्रेडर्स
2	**53368829**	29.07.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी3	19950.00	आर0 के0 ट्रेडर्स
3	**53368902**	29.07.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी4	19950.00	आर0 के0 ट्रेडर्स
4	**53368991**	29.07.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी5	19900.00	आर0 के0 ट्रेडर्स
5	**53368875**	12.08.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी6	19980.00	आर0 के0 ट्रेडर्स
6	**53368829**	12.08.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी7	19950.00	आर0 के0 ट्रेडर्स
7	**53368902**	12.08.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी8	19950.00	आर0 के0 ट्रेडर्स
8	**53368991**	12.08.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी9	19900.00	एम0 के0 ट्रेडर्स
9	537663867	30.11.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी23	19950.00	नमन ट्रेडर्स
10	53369015	01.12.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी25	19990.00	नमन ट्रेडर्स
11	53761897	02.09.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी11	19950.00	आर0 के0 ट्रेडर्स
12	53761873	02.09.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी12	19950.00	आर0 के0 ट्रेडर्स
				419400.00	

क्रम संख्या 1-8 पर दर्शाए जा रहे हैंडपंप मरम्मत कार्य का एक ही कार्य आईडी संख्या द्वारा अलग तिथियों में ,अलग अलग प्रमाणक संख्या द्वारा किया जाना दर्शाया गया है । यह एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। संबंधित विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस अनियमितता की ओर आकर्षित किया जाता है । उपरोक्त कार्य के सापेक्ष

में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री समीर गुप्ता द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन , हैण्डपम्प मरम्मत कराए जाने वाले स्थान संबंधित विवरणप्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है ।व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा।इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री संजय कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए **419400.00** की वसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री संजय कुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से **धनराशि रुपए 209700.00 ब्याज सहित वसूल** की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-07)

प्रस्तर सं0-(347)- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 653875.00 रुपये का अनुदान 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त हुआ । तथा 936269.00 रुपये की धनराशि विभिन्न योजनाओं में खर्च की गई । सामान्य वित्तीय नि० 2005 के नियम 212(5) के अनुसार स्थानीय निकायों के द्वारा राज्य सरकार को उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है । जबउनको केंद्रीय अनुदान राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त हो .इसके बाद ही अनुदान की किस्तें अवमुक्त की जानी थी. जो कि प्रस्तुत नहीं की गई । यहप्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहाइस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री संजय कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं । अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

((मूल आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर सं0-(348)-पंचम राज्य वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा-

कार्य आईडी संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
42749657	आंगनबाड़ीकेंद्र निर्माण कार्य	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी18 23.10.2021	106000.00	डी0पी0आ0रो0 को भुगतान
53760590	महादेव पंचायत भवनमें टाइल्स का कार्य	चतुर्थ राज्य वित्त/21-22/पी6 22.10.2021	79731.00	आर0 एस0 ट्रेडर्स
50820753	रिक्शाखरीद का कार्य	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी24 30.11.2021	24500.00	आर0 एस0 ट्रेडर्स
53760679	महादेवा पंचायत भवनमें सुंदरीकरण एवं इंटरलॉकिंग का कार्य	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी26 10.12.2021	211958.00 11000.00	आर0 एस0 ट्रेडर्स निर्मला ट्रेडर्स

		पंचम राज्य वित्त/21-22/पी28 10.12.2021		
50820753	पंचायत भवनमें एक्साइडसोलरपैनल एवं एक्साइडबैटरीखरीद का कार्य	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी26 13.01.2022	29221.00	एन0 बी0 इंटरप्राइजेज
			462410.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री संजयकुमार द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था ।लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है ।व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री संजय कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए **462410.00** की वसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री संजयकुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 231205.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

मूल आपत्ति संख्या-0)6 (

प्रस्तर सं0-(349)-15 वें वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा-

कार्य आईडी संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
42747517	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी1-6 27.08.2021 09.08.2021	157089.00	मजदूरी भुगतान एवं निर्मला ट्रेडर्स को निर्माण सामग्री भुगतान
55509700	सामुदायिक शौचालय से तालाब तक नाली निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी10 22.11.2021	179953.00	आर0 एस0 ट्रेडर्स

50820969	डंपिंगयार्ड निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी11 22.11.2021	147000.00	आर0 एस0 ट्रेडर्स
53760889	महादेव पंचायत भवनडामररोड से पंचायत भवनगेट तक इंटरलॉकिंगरोड निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी12 22.11.2021	76422.00	आर0 एस0 ट्रेडर्स
55509721	अक्षयकुमार के घर से हैंडपंप तक इंटरलॉकिंगरोड निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी13 22.11.2021	118754.00	आर0 एस0 ट्रेडर्स
53369108	जगमोहन के घर के दरवाजे पर हैंडपंप रिबोर कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी30 03.02.2022	46580.00	आर0 के0 ट्रेडर्स
53369043	पंचायत भवनमें हैंडपंप रीबोर कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी31 03.02.2022	40412.00	आर0 के0 ट्रेडर्स
53760679	महादेव पंचायत भवनमें सुंदरीकरण एवं इंटरलॉकिंगरोड निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी32 07.02.2022	38000.00	आर0 एस0 ट्रेडर्स
		योग	**804210.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान **श्री** संजयकुमार द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री संजय कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए **804210.00** की वसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री संजयकुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से **धनराशि रुपए 402105.00 ब्याज सहित वसूल** की जानी चाहिए।

मूल)आपत्ति संख्या0-3 (

प्रस्तर सं0-(350)-ग्राम पंचायत की ऑनलाइन उपलब्ध सूचना एवं अभिलेख की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्य पहचान संख्या द्वारा 15वित्त आयोग अंतर्गत निम्नविवरण अनुसार स्वयं सहायता समूह संस्था को भुगतान किया जाना दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भीव्ययप्रमाणक एवं लेखा प्रपत्र लेखा परीक्षा के दौरान तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया । विवरण निम्नवत है-

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया	भुगतान धनराशि (रुपए)
50820753	09.08.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी1	डॉक्टर अम्बेडकर स्वयं सहायता समूह	54000.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित शासकीय प्रपत्र संख्या 1758/33-3-2020-31/2019 के अनुसार सामुदायिक शौचालयों की नियमित सफाई एवं रखरखाव सुगमता के साथ हो सके इसके लिए 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाली धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि जो स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन के लिए आरक्षित है उससे की जाएगी ।कुल व्यय प्रति माह धनराशि रुपए 9000.00 होगी। इस कार्य पर हो ने वाले पूरेवर्ष का व्यय अधिकतम दो किस्तों में पहला प्रारंभिक माह में एवं दूसरी किस्त छः माह के बाद बराबर किश्तों में स्वयं सहायता समूह को ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। परन्तु उपरोक्त विवरण के अनुसार , स्वयं सहायता समूह को सामुदायिक शौचालय की रखरखाव एवं सफाई हेतु किया गया भुगतान की समस्त धनराशि एक ही किस्त में वर्ष के प्रारंभ में (अगस्त माह में) ही कर दी गई है। जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। धनराशि रुपये 54000.00 का भुगतान किस आधार पर एवं किस प्रकार किया गया हैं यहभी स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान संजय कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 54000.00 की वसूली श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री संजय कुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 27000.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-01)

प्रस्तर सं0-(351)-मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष **2021-22** में मनरेगा के अंतर्गत सृजित 3918 मानव दिवस रहे । जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या 34 रही जिसके सापेक्ष **पूर्ण कार्यों की संख्या 20** रही। जबकि एन.आर.एम व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत46.58 रहा । वित्तीय वर्ष **2021-22** के पूर्ण हो ने के पश्चात भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा कार्यों पर **कुल व्यय रुपए 9.42लाख** रहा । जिसमें से रुपए6.89लाख का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए **1.75** लाख का व्यय सामग्री क्रय पर किया गया है। सामग्री क्रय य पर व्यय का **प्रतिशत 20.23** रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपये 270.14 रही । जबकि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 463(अ), तारीख 26 फरवरी, 2013, में संशोधन करते हुए दिनांक 15 मार्च 2021 की अधिसूचना के अनुसार मनरेगा के वर्ष 2021-22 मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपए 204.00 निर्धारित की गई है। संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। ईएफएमएस के द्वारा व्यय का प्रतिशत 100 **र**हा । **15 दिवस** के अंतर्गत किये गए भुगतान का 96.26 रहा । मनरेगा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान संजय कुमार पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-)

05 (

130-ग्राम पंचायत - मेरुवा

पं प्रस्तर सं0-(352)- चम राज्य वित्त के अंतर्गतहैंडपंप मरम्मतका कार्य कराया गया है ।जिसकेसापेक्ष में कुल भुगतान धनराशि रुपए 39550.00 हैं । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं ।

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
53836783	05.02.2023	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी34	19950.00	आर0 एस0 ट्रेडर्स
43665224	03.07.2022	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी3	19800.00	पवन आयरन स्टोर
43665148	03.07.2022	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी4	19750.00	यश ट्रेडर्स
43665108	23.07.2022	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी5	19900.00	यश ट्रेडर्स
			79400.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारीश्री प्रभात मोहन द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत किया गया हैंडपंप मरम्मत हेतु प्रार्थना पत्र, ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों का विवरण जहाँ हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया, हैंडपंप मरम्मतमें हैंडपंप से निकाली गई खराब सामग्री की लिस्ट एवं उससे संबंधित डैड स्टॉक रजिस्टर जिसमे और सामग्री की प्रविष्टि की गई हो , कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्रर , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, हैंडपंप मरम्मतपूर्ण हो ने पर ग्रामीणों से लिया गया हैंडपंप के पूर्णरूप से मरम्मत हो ने का संतुष्टिप्रमाणपत्र ,प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था ।लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है ।व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारीश्री प्रभात मोहन एवं ग्राम प्रधान श्री सुधीरगौतम संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 79400.00 की वसूली श्री सिद्धांत कुमार / वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभातमोहन (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्री सुधीरगौतम से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 39700.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **-मूल आपत्ति संख्या)13 (**

प्रस्तर सं0-(353)-वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 422856.00 रुपये का अनुदान 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त हुआ । तथा 451524.00 रुपये की धनराशि विभिन्न योजनाओं में खर्च की गई । सामान्य वित्तीय नि॰ 2005 के नियम 212(5) के अनुसार स्थानीय निकायों के द्वारा राज्यसरकारको उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है । जबउनको केंद्रीय अनुदान राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त हो .इसके बाद ही अनुदान की किस्तें अवमुक्त की जानी थी. जो कि प्रस्तुत नहीं की गई । यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहा इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री सुधीर गौतम संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं । अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

-मूल आपत्ति संख्या)

16 (

प्रस्तर सं0-(354)-15 वें वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य राजाराम के घर से पप्पूसविता के घर तक नाली निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान एवं निर्माण सामग्री खरीद का भुगतान किया जाना कार्य संख्या

द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भीविवरण , लेखाअभिलेख, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा-

कार्य आईडी संख्या	वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
53835116	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी2 20.08.2022	75033.00	अमर ब्रिक फील्ड
53835116	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी3 20.08.2022	41858.00	गौरी ट्रेडर्स
53835116	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2122/ पी4 20.08.2022	28884.00	गौरी ट्रेडर्स
53835116	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/ पी5-9 20.08.2022	21000.00	मजदूरी भुगतान
53835116	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/ पी16 27.08.2022	44000.00	अमरब्रिकफील्ड
	योग	**210775.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभातमोहन एवं ग्राम प्रधान श्री सुधीर गौतम द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट संबंधित विवरणप्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था ।लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है ।व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभातमोहन एवं ग्राम प्रधान श्री सुधीरगौतम संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 210775.00 की वसूलीश्री सिद्धांत कुमार (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्री सुधीरगौतमसे संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए **105387.50** ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-07)

प्रस्तर सं0-(355)- ग्राम पंचायत की ऑनलाइन उपलब्ध सूचना एवं अभिलेख की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्य पहचान संख्या द्वारा 15वित्त आयोग अंतर्गत निम्न विवरण अनुसार स्वयं सहायता समूह संस्था को भुगतान किया जाना दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक एवं लेखा प्रपत्र लेखा परीक्षा के दौरान तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया । विवरण निम्नवत है-

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया	भुगतान धनराशि (रुपए)

43681948	03.07.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी1	राधेराधे स्वयं सहायता समूह	27000.00
				27000.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित शासकीय प्रपत्र संख्या 1758/33-3-2020-31/2019 के अनुसार सामुदायिक शौचालयों की नियमित सफाई एवं रखरखाव सुगमता के साथ हो सके इसके लिए 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाली धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि जो स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन के लिए आरक्षित है उससे की जाएगी । कुल व्यय प्रतिमाह धनराशि रुपए 9000.00 होगी। इस कार्य पर हो ने वाले पूरेवर्ष का व्यय अधिकतम दो किस्तों में पहला प्रारंभिक माह में एवं दूसरी किस्त छः माह के बाद बराबर किश्तों में स्वयं सहायता समूह को ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। परन्तु उपरोक्त विवरण के अनुसार , स्वयं सहायता समूह को सामुदायिक शौचालय की रखरखाव एवं सफाई हेतु किया गया भुगतान की समस्त धनराशि एक ही किस्त में वर्ष के प्रारंभ में (जुलाई माह में) ही कर दी गई है। जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। धनराशि रुपये 27000.00 का भुगतान किस आधार पर एवं किस प्रकार किया गया हैं यहभी स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। शासनादेश मैं वर्णित गाइड लाइंस के विपरीत किया गया भुगतान पूर्णतया अनियमित है। इस संबंध में स्पष्टीकरण अपेक्षित तथा अन्यथा की स्थितिमें समस्त धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान से की जानी चाहिए। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभातमोहन एवं ग्राम प्रधान श्री सुधीरगौतम संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 27000.00 की वसूलीश्री सिद्धांत कुमार (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्री सुधीर गौतम से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 13500.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-01)

प्रस्तर सं0-(356)- पंचम राज्य वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य हेतु सामग्री खरीद का भुगतान किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भीविवरण , लेखाअभिलेख, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा-

कार्य आईडी संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
55205465	धीरु के घर से शिवकुमार के घर तक इंटरलॉकिंगरोड निर्माण कार्य एवं नाली निर्माण कार्य्य	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी20 29.10.2022 पंचम राज्य वित्त/21-22/पी21 29.10.2022	35872.00 45371.00	निर्मला ट्रेडर्स यश ट्रेडर्स
53837210	फॉगिंग मशीन खरीद कार्य प्रशासनिक कार्य	पंचम राज्य वित्त/221-22/पी28 29.10.2022 पंचम राज्य वित्त/221-22/पी15-16 20.08.2022	43000.00 11400.00	मिठाई लाल ग्रुप मिठाई लाल ग्रुप
		योग	**135643.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभातमोहन एवं ग्राम प्रधान श्री सुधीरगौतम ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेटमूलप्रतिमें प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था ।लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है ।

व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा।इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभातमोहन एवं ग्राम प्रधान श्री सुधीरगौतम संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 135643.00 की वसूलीश्री सिद्धांत कुमार (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्री सुधीर गौतम से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए **67821.50** ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

-मूल आपत्ति संख्या)12 (

प्रस्तर सं0-(357)-15 वें वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में निम्नविवरण अनुसार विकास कार्य का भुगतान किया जाना कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भीविवरण , लेखाअभिलेख, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा-

कार्य आईडी संख्या		वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
54587517	**ग्राम पंचायत में सफाईका कार्य**	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी17-23 08.10.2022	29400.00	मजदूरी भुगतान
53837124	**हैंडपंप रिबोर कार्य**	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी24 08.10.2022	47504.00	यश ट्रेडर्स
53837210	फर्नीचर खरीद कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी29 03.02.2023	56600.00	मिठाईलालग्रुप
53837210	पेपर निविदा का कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी30 03.02.2023	11550.00	भारत कनेक्ट
5383712	प्राथमिक विद्यालय में हैंडवॉश एवं दिव्याँग शौचालय तथा समरटंकी का कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी25 09.10.2022 पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी26 09.10.2022	28876.00 10321.00	यश ट्रेडर्स यश ट्रेडर्स
		योग	**184251.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभातमोहन एवं ग्राम प्रधान श्री सुधीरगौतम ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेटमूलप्रतिमें प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था ।लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है ।

व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभातमोहन एवं ग्राम प्रधान श्री सुधीरगौतम संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए 184251.00 की वसूली श्री सिद्धांत कुमार (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्री सुधीर गौतम से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए **92125.50** ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

मूल आपत्ति)संख्या0-5 (

प्रस्तर सं0-(358)-मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष **2021-22** में मनरेगा के अंतर्गत सृजित 2407 मानव दिवस रहे । जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या 12 रही जिसके सापेक्ष **पूर्ण कार्यों की संख्या 02** रही। जबकि एन.आर.एम व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत 71.74 रहा । वित्तीय वर्ष **2021-22** के पूर्ण होने के पश्चात भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा कार्यों पर **कुल व्यय रुपए 4.92 लाख** रहा । जिसमें से रुपए 4.89 लाख का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए **0.03** लाख का व्यय सामग्री क्रय य पर किया गया है। सामग्री क्रय य पर व्यय का **प्रतिशत 0.59** रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपये 207.28 रही । जबकि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 463(अ), तारीख 26 फरवरी, 2013, में संशोधन करते हुए दिनांक 15 मार्च 2021 की अधिसूचना के अनुसार मनरेगा के वर्ष 2021-22 मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपए 204.00 निर्धारित की गई है। संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। ईएफएमएस के द्वारा व्यय का प्रतिशत 100 **र**हा । **15 दिवस** के अंतर्गत किये गए भुगतान का 100 रहा । मनरेगा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री सुधीर गौतम पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

-मूल आपत्ति संख्या)11 (

131- ग्राम पंचायत -निवादाशाह

प्रस्तर सं0-(359)-पंचम राज्य वित्त के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया है जिसकेसापेक्ष में कुल भुगतान धनराशि रुपए 59610.00 हैं । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं ।

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
51800758	26.05.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी1	19960.00	न्यू आरिफ हार्डवेयर एंड सेनेटरी स्टोर
51800761	26.05.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी2	19800.00	न्यू आरिफ हार्डवेयर एंड सेनेटरी स्टोर

51800764	26.05.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी3	19850.00	न्यू आरिफ हार्डवेयर एंड सेनेटरी स्टोर
			59610.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेंद्रवर्मा द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन , हैण्डपम्प मरम्मत कराए जाने वाले स्थान संबंधित विवरणप्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री नरेंद्रवर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र कुमार शुक्ल। संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए 59610.00 की वसूल श्री नरेंद्र वर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र कुमार शुक्ल। से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 29805.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **मूल आपत्ति संख्या-0)5 (**

प्रस्तर सं0-(360)-वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 502030.00 रुपये का अनुदान 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त हुआ । तथा 703507.00 रुपये की धनराशि विभिन्न योजनाओं में खर्च की गई। सामान्य वित्तीय नि० 2005 के नियम 212(5) के अनुसार स्थानीय निकायों के द्वारा राज्य सरकार को उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है । जब उनको केंद्रीय अनुदान राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त हो इसके बाद ही अनुदान की किस्तें अवमुक्त की जानी थी. जो कि प्रस्तुत नहीं की गई । यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहाइस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री नरेंद्रवर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र कुमार शुक्ल। संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं । अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-0)8 (

प्रस्तर सं0-(361)- वित्तीय वर्ष 2021-22 ऑनलाइन पोर्टल ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध सूचना के अनुसार 15 वें वित्त आयोग अंतर्गत ग्राम पंचायत का इसमदमें प्रारंभिकअवशेष की धनराशि तथा वर्ष दौरान प्राप्तअनुदान, वर्ष दौरान उपभोगअनुदान एवं वर्ष के अंतमें शेषअनुदान का विवरण निम्नवत रहा: (धनराशि लाख रुपए में)

	प्रारंभिकअवशेष	वर्ष दौरान प्राप्ति	वर्ष दौरान उपभोग	वर्षांत शेष अनुदान की धनराशि
अनटाइडफंड	175439	205704	367793	13350
टाइडफंड	193587	296326	335714	154199

विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष दौरान 15 वें वित्त आयोग योजना अंतर्गत टाइडफंड से धनराशि रुपये 335714.00 रुपए का व्यय दर्शाया गया है।अर्थात्:वर्ष दौरान टाइडफंडसे विकास कार्य अथवा निर्माण कार्य पर नाममात्र ही व्ययं किया गया है। जो की संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान की राजकीयकर्यों के प्रतिशिथिलता एवं उदासीनतादर्शाता है। जब की15 वें वें वित्त आयोग योजना संबंधित शासनादेश संख्या1717/33-3-2021-33/2020 द्वारा 15 वें वित्त आयोग अंतर्गत आवंटित अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। जिसके अनुसार पेयजल पर व्यय 30 % वर्षा जलसंचयन एवं वाटर रीसाइक्लिंग पर व्यय 30 प्रतिशत तथा ओडीएफ पर व्यय 40 प्रतिशत किया जाना था। ऑनलाइन पोर्टल ग्राम स्वराज पर उपलब्ध अप्रूव्ड एक्शन प्लान रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में प्रयोगसिटी ऐक्टिविटी डिटेल्स के अंतर्गत 15 वें वित्त योजना के मद से निम्नांकित कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराए जाने थे विवरण निम्नवत है:-

धनराशि रुपये	कार्य आईडी संख्या	कार्य का विवरण
20000.00	48820346	पेयजल पर व्यय
100000.00	48819850	गौशाला निर्माण पर

50000.00	48819978	प्रधान मंत्रीआवास योजना
20000.00	48820086	मुख्यमंत्रीआवास योजना
20000.00	48820258	कृषियंत्र
106000.00	48820500	आंगनबाड़ीकेंद्र निर्माण
40000.00	48820911	रेनवाटरहार्वेस्टिंग

उपरोक्त सभी का निर्माण कार्य अप्रैल 2021-22 में कराए जाने थे उपरोक्त शासनादेश एवं 15 वें वित्त के मार्गदर्शक सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा टाइड फंड अंतर्गत विकास कार्य नहीं कराया गया है।यह एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। संबंधित विभागीय उच्चाधिकारियों उसका ध्यान इस अनियमितता की ओर आकर्षित किया जाता है । इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सिद्धांत कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री विश्राम सिंह पाल संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं । उत्तरदायी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री नरेंद्र वर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र कुमार शुक्ल। के विरुद्ध अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए**।** अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-01)**

प्रस्तर सं0-(362)-15 वें वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद भुगतान किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा-

कार्य आईडी संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
54335277	प्राथमिक विद्यालय से निवादा में बाउंड्रीवॉल निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी10 11.09.2021	100650.00	बी के ट्रेडर्स
54806275	जूनियर विद्यालय निवादाशाह में बाउंड्रीवॉल निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी10 07.10.2021	197650.00	कृष्णाट्रेडर्सको एवं मजदूरी भुगतान
55999212	प्राथमिक विद्यालय नेवादा शाह में शौचालय एवं मेनगेट निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी16 17.12.2021	92064.00	बी के ट्रेडर्स
		योग	**390364.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेंद्रवर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र कुमार शुक्ल। द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में संबंधित निर्माण कार्यों की निर्माण पत्रावली ऐसे निर्माण कार्य आदेश, कार्य योजना, संबंधित व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य के वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति आदेश एवं संख्या, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मापपुस्तिका, निर्माण कार्यों के त्रिस्तरीयफोटोग्राफ, निर्माण कार्य की गुणवत्तारिपोर्ट, कैशबुक, स्टोरपंजिका, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । सभी लेखा अभिलेखों के अभावमें क्रय य की गई निर्माण सामग्री की उपयोगिता एवं भुगतान की पुष्टि नहीं हो ती है। अतः व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री

नरेंद्रवर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्रकुमारशुक्ल। संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 390364.00 की वसूलीश्री नरेंद्रवर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्रकुमारशुक्ल। से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 195182.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल)(आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर सं0-(363)-14 वां वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद भुगतान किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा

कार्य आईडी संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
44547445	प्राथमिक विद्यालय बुर्जुआ परिसर में इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य वर्ष 2020 -21 का अवशेष भुगतान	एफएफसी/2021-22/पी6 20.07.2021	100650.00	बी के ट्रेडर्स
54465854	पंचायत भवन के सामने इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य	एफएफसी/2021-22/पी12 31.10.2021	197650.00	कृष्णा ट्रेडर्स को एवं मजदूरी भुगतान
48824881	पंचायत भवन के लिएफर्नीचरखरीद	एफएफसी/2021-22/पी13 31.10.2021	92064.00	बी के ट्रेडर्स
42207182	ग्राम पंचायत में सफाई कार्य	एफएफसी/2021-22/पी1 25.06..2021	13000.00	श्रमिकों को मजदूरी भुगतान
		योग	**403364.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेंद्रवर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्रकुमारशुक्ल। द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में संबंधित निर्माण कार्यों की निर्माण पत्रावली ऐसे निर्माण कार्य आदेश, कार्य योजना, संबंधित व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य के वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति आदेश एवं संख्या, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मापपुस्तिका, निर्माण कार्यों के त्रिस्तरीयफोटोग्राफ, निर्माण कार्य की गुणवत्तारिपोर्ट, कैशबुक, स्टोरपंजिका, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । सभी लेखा अभिलेखों के अभावमें क्रय य की गई निर्माण सामग्री की उपयोगिता एवं भुगतान की पुष्टि नहीं हो ती है। अतः व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेंद्रवर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्रकुमारशुक्ल। संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 403364.00 की वसूली श्री नरेंद्रवर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्रकुमारशुक्ल। से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 201682.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

)(मूल आपत्ति संख्या-07)

प्रस्तर सं0-(364)- पंचम राज्य वित्त के अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद भुगतान किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं-

कार्य आईडी संख्या	कार्य	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
51800737	प्राथमिक विद्यालय बुजुवा मैं पीने का पानी एवं सुंदरीकरण कार्य	26.05.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी7	59641.00	न्यू खान इंटरप्राइजेज
51800741	प्राथमिक विद्यालय सेननिवादा में पीने का पानी एवं सुंदरीकरण कार्य	26.05.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी6	83301.00	न्यू खान इंटरप्राइजेज
51800753	प्राथमिक विद्यालय नेवादाशाह में पीने का पानी एवं सुंदरीकरण कार्य	26.05.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी5	62116.00	न्यू खान इंटरप्राइजेज
				205058.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेंद्रवर्मा द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है ।व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा।इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री नरेंद्रवर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र कुमार शुक्ल। संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 205058.00 की वसूल श्री नरेंद्रवर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्रकुमारशुक्ल। से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 102529.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।**मूल आपत्ति संख्या-0) 6 (**

प्रस्तर सं0-(365)-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद एवं श्रमिकोंको मजदूरी भुगतान किया जाना कार्य संख्या 45429652 द्वारा दर्शाया गया है ।

जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं -

दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
13..05.2021	आर0जी0एस0ए0 /2021-22/पी8	74392.00	कृष्णा ट्रेडर्स
13..05.2021	आर0जी0एस0ए0/2021-22/पी9	113051.00	कृष्णा ट्रेडर्स
18..05.2021	आर0जी0एस0ए0/2021-22/पी34	80185.00	कृष्णा ट्रेडर्स

13..05.2021	आर0जी0एस0ए0/2021-22/पी12 पी33	150300.00	श्रमिकोंको मजदूरी भुगतान
13..05.2021	आर0जी0एस0ए0/2021-22/पी11	81471.00	कृष्णा ट्रेडर्स
13..05.2021	आर0जी0एस0ए0/2021-22/पी10	157455.00	कृष्णा ट्रेडर्स
13..05.2021	आर0जी0एस0ए0/2021-22/पी35	42400.00	कृष्णा ट्रेडर्स
13..05.2021	आर0जी0एस0ए0/2021-22/पी37	28490.00	कृष्णा ट्रेडर्स
22.06..2021	आर0जी0एस0ए0/2021-22/पी36	23800.00	श्रमिकोंको मजदूरी भुगतान
27.06..2021	आर0जी0एस0ए0/2021-22/पी38	20300.00	श्रमिकोंको मजदूरी भुगतान
20.07..2021	आर0जी0एस0ए0/2021-22/पी36	16200.00	श्रमिकोंको मजदूरी भुगतान
20.07..2021	आर0जी0एस0ए0/2021-22/पी39	32373.00	कृष्णा ट्रेडर्स
09.09.2021	आर0जी0एस0ए0/2021-22/पी41	102600.00	कृष्णा ट्रेडर्स
09.09.2021	आर0जी0एस0ए0/2021-22/पी42	140960.00	कृष्णा ट्रेडर्स
		950926.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेंद्रवर्मा द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , भवन निर्माण संबंधित शासनादेश एवं गाइडलाइन्सपरिपत्र, स्वीकृतमानचित्र, कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, अनुमोदितएस्टीमेट, मस्टररोल, निर्माण कार्य की त्रिस्तरीयफोटोग्राफ, निर्माण कार्य की गुणवत्तासंबंधीरिपोर्ट, निरीक्षण पत्रावली इत्यादि प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है ।

व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री नरेंद्रवर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र कुमार शुक्ल। संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 950926.00 की वसूलश्री नरेंद्रवर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्रकुमारशुक्ल। से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 475463.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **मूल)**

आपत्ति संख्या-03 (

प्रस्तर सं0-(366)- मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष **2021-22** में मनरेगा के अंतर्गत सृजित 8786 मानव दिवस रहे । जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या

61 रही जिसके सापेक्ष **पूर्ण कार्यों की संख्या 17** रही। जबकि एन.आर.एम व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत 53.18 रहा । वित्तीय वर्ष **2021-22** के पूर्ण हो ने के पश्चात भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा कार्यों पर **कुल व्यय रुपए 13.28लाख** रहा । जिसमें से रुपए **13.20 लाख** का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए **0.08** लाख का व्यय सामग्री क्रय पर किया गया है। सामग्री क्रय पर व्यय का **प्रतिशत 0.59** रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपये 349.16 रही । जबकि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 463(अ), तारीख 26 फरवरी, 2013, में संशोधन करते हुए दिनांक 15 मार्च 2021 की अधिसूचना के अनुसार मनरेगा के वर्ष 2021-22 मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपए 204.00 निर्धारित की गई है। संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। ईएफएमएस के द्वारा व्यय का प्रतिशत 100 **र**हा । **15 दिवस** के अंतर्गत किये गए भुगतान का 94.44 रहा । मनरेगा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री नरेंद्र वर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र कुमार शुक्ल। पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

((मूल आपत्ति संख्या-04)

132-ग्राम पंचायत -पलियाबुजुर्ग

प्रस्तर सं0-(367)-मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष **2021-22** में मनरेगा के अंतर्गत सृजित 3163 मानव दिवस रहे । जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या 39रही जिसके सापेक्ष **पूर्ण कार्यों की संख्या 17** रही। जबकि एन.आर.एम व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत56.64 रहा । वित्तीय वर्ष **2021-22** के पूर्ण हो ने के पश्चात भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा कार्यों पर **कुल व्यय रुपए 7.24लाख** रहा । जिसमें से रुपए 6.45 लाख का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए0लाख का व्यय सामग्री क्रय य पर किया गया है। सामग्री क्रय पर व्यय का **प्रतिशत 0.00** रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपये 226.07 रही । जबकि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 463(अ), तारीख 26 फरवरी, 2013, में संशोधन करते हुए दिनांक 15 मार्च 2021 की अधिसूचना के अनुसार मनरेगा के वर्ष 2021-22 मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपए 204.00 निर्धारित की गई है। संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। ईएफएमएस के द्वारा व्यय का प्रतिशत 100 **र**हा । **15 दिवस** के अंतर्गत किये गए भुगतान का 99.03 रहा । मनरेगा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव श्री अखिलेश कुमार व अमिताभ पल एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अंकिता पाल रूप पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-0)1 (

133-ग्राम पंचायत -पिहानी मजबूतनगर

प्रस्तर सं0-(368)- पंचम राज्य वित्त के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया है । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं ।

क्रय म संख्या	कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
1	**53395869**	27.08.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी29	19800.00	आर0 एस0 ट्रेडर्स

2	**53395930**	27.08.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी30	19700.00	आर0 एस0 ट्रेडर्स
3	53395982	02.09.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी31	19800.00	आर0 एस0 ट्रेडर्स
4	53396085	02.09.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी32	19700.00	आर0 एस0 ट्रेडर्स
5	**53395869**	16.08.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी4	19800.00	आर0 एस0 ट्रेडर्स
6	**53395930**	16.08.2021	पंचम वित्त आयोग/2021-22/पी5	19850.00	आर0 एस0 ट्रेडर्स
				118650.00	

क्रय म संख्या 1-2 तथा क्रय म संख्या 5-6 पर दर्शाए जा रहे ही कार्य आईडी संख्या द्वारा अलग तिथियों में , अलग अलग प्रमाणक संख्या द्वारा किया जाना दर्शाया गया है । यह एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री समीर गुप्ता द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन , हैण्डपम्प मरम्मत कराए जाने वाले स्थान संबंधित विवरणप्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है ।

व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रामा देवी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए **118650.00** की वसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रामादेवी से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 59325.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **मूल)**

आपत्ति संख्या-06 (

प्रस्तर सं0-(369)- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 1207688.00 रुपये का अनुदान 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त हुआ । तथा 2179892.00 रुपये की धनराशि विभिन्न योजनाओं में खर्च की गई । सामान्य वित्तीय नि॰ 2005 के नियम 212(5) के अनुसार स्थानीय निकायों के द्वारा राज्य सरकार को उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है । जब उनको केंद्रीय अनुदान राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त हो .इसके बाद ही अनुदान की किस्तें अवमुक्त की जानी थी. जो कि प्रस्तुत नहीं की गई । यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहाइस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रामादेवी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं । अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-) 03 (

प्रस्तर सं0-(370)- पंचम राज्य वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा-

कार्य आईडी संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
53395050	प्राथमिक विद्यालय में बाउंड्री निर्माण कार्य	पंचम राज्य वित्त/2122/पी1/ 04.07.2021	116521.00 35000.00	माँ अम्बे इंटरप्राइजेज
53394963	प्राथमिक विद्यालय परिसर में इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी2 16.08.2021 पंचम राज्य वित्त/21-22/पी6 18.08.2021 पंचम राज्य वित्त/21-22/पी14 27..08.2021	202969.00 202969.00 11750.00 15000.00	अमर ब्रिक फील्ड निर्मला ट्रेडर्स श्रमिकों को मजदूरी भुगतान
53395098	प्राथमिक विद्यालय में रंगाई पुताई कार्य	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी3 16.08..2021 पंचम राज्य वित्त/21-22/पी10-13 16.08..2021 पंचम राज्य वित्त/21-22/पी314-20 27.08..2021	173848.00 15000.00 71250.00	माँ अम्बे इंटरप्राइजेज श्रमिकों को मजदूरी भुगतान श्रमिकों को मजदूरी भुगतान
55578342	रेहमान के घर से पवन के घर तक इंटरलॉकिंगरोड निर्माण कार्य	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी120 05.01.2022	120857.00	आर0 एस0 ट्रेडर्स
55578370	अशोक के घर से राजू के घर तक इंटरलॉकिंगरोड निर्माण कार्य	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी121 05.01.2022	91852.00	आर0 एस0 ट्रेडर्स
			1057016.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान **श्रीमती रामादेवी**द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा

चुका था । लेखा परीक्षा में लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रामा देवी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए **1057016.00** की वसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रामादेवी से संयुक्त रुप से प्रत्येक से **धनराशि रुपए 528508.00 ब्याज सहित वसूल** की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-07)

प्रस्तर सं0-(371)-15 वें वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा-

कार्य आईडी संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
55578737	प्राथमिक विद्यालय पिहानी में हैंडवॉश एवं प्लंबिंग का कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी5 25.11.2021	79827.00	यश ट्रेडर्स
53434697	प्राथमिक विद्यालय पीयानी पूर्व परिसरमें इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी6-7 01.12..2021 पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी8 01.12..2021 पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी9 01.12..2021	75404.00 138709.00 138709.00 45000.00	माँ अम्बे इंटरप्राइजेज
54921096	धनीराम के घर से पुलिया तक इंटरलॉकिंगरोड निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी10 16.11.2021	206235.00	यश ट्रेडर्स
54921033	बरातशाला से धनीराम के घर तक इंटरलॉकिंगरोड निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी11 02.12..2021	131216.00	निर्मला ट्रेडर्स
54922039	कुतुबुद्दीन के घर से जगतनारायण के घर तक इंटरलॉकिंगरोड निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी33-34 01.12.2021	68080.00 144488.00	आर0 एस0 ट्रेडर्स आर0 एस0 ट्रेडर्स

42747237	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य भुगतान	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी35-43 03.02.2022 05.02.2022	372985.00	आर0 एस0 ट्रेडर्स श्री तिवारी ट्रेडर्स
61786607	प्राथमिकविद्यालयमें दिवयांगशौचालय एवं कायाकल्प का कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी49 14.03.2022	211034.00	निर्मला ट्रेडर्स
61800339	नाले से स्कूलबाउंड्रीमंदिर के पास तक नाले निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2020-21/पी50 14.03.2022	128745.00	आर0 एस0 ट्रेडर्स
		योग	**1740432.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान **श्रीमती रामादेवी**द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र दिनांक 26.09.2022 को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रामादेवी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए **1740432.00** की वसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रामादेवीसे संयुक्त रुप से प्रत्येक से **धनराशि रुपए 870216.00 ब्याज सहित वसूल** की जानी चाहिए।

((मूल आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर सं0-(372)-ग्राम पंचायत की ऑनलाइन उपलब्ध सूचना एवं अभिलेख की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्य पहचान संख्या द्वारा 15वित्त आयोग अंतर्गत निम्नविवरण अनुसार स्वयं सहायता समूह संस्था को भुगतान किया जाना दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक एवं लेखा प्रपत्र लेखा परीक्षा के दौरान तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया । विवरण निम्नवत है-

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया	भुगतान धनराशि (रुपए)
50822266	04.07..2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी1	दमदार स्वयं सहायता समूह	27000.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित शासकीय प्रपत्र संख्या 1758/33-3-2020-31/2019 के अनुसार सामुदायिक शौचालयों की नियमित सफाई एवं रखरखाव सुगमता के साथ हो सके इसके लिए 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाली धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि जो स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन के लिए आरक्षित है उससे की जाएगी । कुल व्यय प्रतिमाह धनराशि रुपए 9000.00 होगी। इस कार्य पर हो ने वाले पूरेवर्ष का व्यय

अधिकतम दो किस्तों में पहला प्रारंभिक माह में एवं दूसरी किस्त छः माह के बाद बराबर किश्तों में स्वयं सहायता समूह को ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। परन्तु उपरोक्त विवरण के अनुसार , स्वयं सहायता समूह को सामुदायिक शौचालय की रखरखाव एवं सफाई हेतु किया गया भुगतान की समस्त धनराशि एक ही किस्त में वर्ष के प्रारंभ में (जुलाई माह में) ही कर दी गई है। जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। धनराशि रुपये 27000.00 का भुगतान किस आधार पर एवं किस प्रकार किया गया हैं यहभी स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। शासनादेश मैं वर्णित गाइड लाइंस के विपरीत किया गया भुगतान पूर्णतया अनियमित है। इस संबंध में स्पष्टीकरण अपेक्षित तथा अन्यथा की स्थितिमें समस्त धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान से की जानी चाहिए। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रामादेवी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं । अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए 27000.00 की वसूलीश्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रामादेवी से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 13500.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **मूल आपत्ति संख्या-0)1(**

प्रस्तर सं0-(373)- मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष **2021-22** में मनरेगा के अंतर्गत सृजित 511 मानव दिवस रहे । जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या 22 रही जिसके सापेक्ष **पूर्ण कार्यों की संख्या 01**रही। जबकि एन.आर.एम व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत 0.06 रहा । वित्तीय वर्ष **2021-22** के पूर्ण हो ने के पश्चात भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा कार्यों पर **कुल व्यय रुपए 2.15लाख** रहा । जिसमें से रुपए 1.37 लाख का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए **0.00** लाख का व्यय सामग्री क्रय पर किया गया है। सामग्री क्रय पर व्यय का **प्रतिशत 0.00** रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपये 368.91 रही । जबकि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 463(अ), तारीख 26 फरवरी, 2013, में संशोधन करते हुए दिनांक 15 मार्च 2021 की अधिसूचना के अनुसार मनरेगा के वर्ष 2021-22 मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपए 204.00 निर्धारित की गई है। संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। ईएफएमएस के द्वारा व्यय का प्रतिशत 100 **र**हा । **15 दिवस** के अंतर्गत किये गए भुगतान का 91.25 प्रतिशत रहा । मनरेगा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रामादेवी पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या-0)5 (

134-ग्राम पंचायत - रहीमपुर करीमपुर

प्रस्तर सं0-(374)-पंचम राज्य वित्त के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया है । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं ।

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
45082430	24.05.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी11	19980.00	पवन आयरन स्टोर
45082442	24.05.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी12	19630.00	पवन आयरन स्टोर
45082455	24.05.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी13	19710.00	पवन आयरन स्टोर
53102741	19.07.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी18	19990.00	पवन आयरन स्टोर

53102721	19.07.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी19	19980.00	पवन आयरन स्टोर
53102728	19.07.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी20	19950.00	पवन आयरन स्टोर
			119240.00	

वर्ष 2021 22 में हैंडपंप मरम्मतमें धनराशि रुपये 119240.00 अनियमितढंग से वे दर्शाया गया है जोनिम्नकारणों से आपत्तिजनकरहा:-

हैंडपंप मरम्मत से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए साथ ही डिलीवरी चालान, बिल ,कैशमेमो (सेल्स टैक्स कटौती का विवरण) मस्टररोल आदि प्रस्तुत नहीं रहा जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल 8 के खण्ड-7 एवं खंड 8क एवं 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली के 1947 के नियम संख्या 204 तथा 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा- 27 के अंतर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभात मोहन से रुपये 119240.00 की संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभात मोहन एवं वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवि यादव द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन , हैण्डपम्प मरम्मत कराए जाने वाले स्थान संबंधित विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है ।व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी प्रभात मोहन एवं ग्राम प्रधान श्री विनोदकुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए 119240.00 की वसूली श्री प्रभात मोहन/ श्री रवि यादव (यथास्थिति अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्री विनोदकुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 59620.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-01)

प्रस्तर सं0-(375)- पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद एवं मजदूरी भुगतान किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा-

कार्य आईडी संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
42610065	पूर्व माध्यमिक विद्यालय में शौचालय कार्य	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी2-पी7 23.05.2021	10200.00	मजदूरी भुगतान
		पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी10,पी14 24.05.2021	6400.00	मजदूरी भुगतान
45082489	हैंडपंप रिबोर कार्य	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी8 24.05.2021	35633.00	नमनट्रेडर्स
45082479	हैंडपंप रिबोर कार्य	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी9	35633.00	नमनट्रेडर्स

		24.05.2021		
51051146	आंगनबाड़ीअनुदान	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी21 23.10.2021	106000.00	क्षेत्र पंचायत बिल्हौर
51051146	कैमराखरीद कार्य	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी22 23.10..2021	12300.00	पवन आयरन स्टोर
51051146	समाचार पत्र में निविदा प्रकाशन समाचार पत्र में निविदा प्रकाशन समाचार पत्र में निविदा प्रकाशन	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी24 11.12.2021 पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी25 11.12.2021 पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी26 11.12.2021	6800.00 8100.00 9975.00	लोक भारती समाचार पत्र परिधी समाचार पत्र जन संदेश न्यूज़ प्राइवेट लिमिटेड
51814942	निर्माण सामग्री का भुगतान एवं मजदूरी भुगतान	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी32 25.02.2022 पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी33 25.02.2022 पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी34 25.02.2022	31011.00 29181.00 15500.00	निर्मलाट्रेडर्स निर्मलाट्रेडर्स मजदूरी भुगतान
56641549	निर्माण सामग्री का भुगतान एवं मजदूरी भुगतान	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी35 16.03.2024 पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी37 24.03.2022	79075.00 36000.00	नमनट्रेडर्स मजदूरी भुगतान
51051146	मजदूरी भुगतान	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी38 31.03.2022 पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी39 31.03.2022	36000.00 32577.00	मजदूरी भुगतान

		योग	490385.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभातमोहन द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में संबंधित निर्माण कार्यों की निर्माण पत्रावली ऐसे निर्माण कार्य आदेश, कार्य योजना, संबंधित व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य के वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति आदेश एवं संख्या, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मापपुस्तिका, निर्माण कार्यों के त्रिस्तरीयफोटोग्राफ, निर्माण कार्य की गुणवत्तारिपोर्ट, कैशबुक, स्टोरपंजिका, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । सभी लेखा अभिलेखों के अभावमें क्रय य की गई निर्माण सामग्री की उपयोगिता एवं भुगतान की पुष्टि नहीं हो ती है। मजदूरी भुगतान संबंधित मस्टररोलभीलेखा परीक्षा में अप्राप्तरहाजिससेमज़दूरोंको किएगए भुगतान की पुष्टि नहीं हो ती है। अतः व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा।

इस हेतु तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारीश्री प्रभातमोहन एवं ग्राम प्रधान श्री विनोदकुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 490385.00 की वसूली प्रभात मोहन एवं ग्राम प्रधान श्री विनोदकुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 245192.50 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

मूल आपत्ति संख्या-0)3 (

प्रस्तर सं0-(376)- ग्राम पंचायत की ऑनलाइन उपलब्ध सूचना एवं अभिलेख की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्य पहचान संख्या द्वारा पंचम राज्य वित्त /15 वें वित्त आयोग अंतर्गत निम्नविवरण अनुसार स्वयं सहायता समूह संस्था को भुगतान किया जाना दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक एवं लेखाप्रपत्रलेखा परीक्षा के दौरान तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धांत कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया । विवरण निम्नवत है-

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया	भुगतान धनराशि (रुपए)
55076700	16.01.2022	पंचम वित्त आयोग/21-22/पी30	खुशी स्वयं सहायता समूह	27000.00
51051146	04.07.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी1	खुशी स्वयं सहायता समूह	27000.00
				54000.00

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभातमोहन द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख यथा कैशबुक, संबंधित शासनादेश प्रपत्र, व्यय प्रमाणक, इत्यादि प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से श्री प्रभात मोहन को भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभात मोहन एवं वर्तमान में संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 54000.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभातमोहन एवं ग्राम प्रधान श्री विनोदकुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 27000.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **((मूल आपत्ति संख्या-04)**

प्रस्तर सं0-(377)-15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री खरीद एवं मजदूरी भुगतान किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा-

कार्य आईडी संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया

53873597	निर्माण सामग्री खरीद एवं मजदूरी भुगतान	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी3-पी4 02.01.2022	151532.00 51600.00	ए0 एम0 ट्रेडर्स मजदूरी भुगतान
53874027	निर्माण सामग्री खरीद एवं मजदूरी भुगतान	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी5-पी6 02.01.2022	209380.00 39000.00	नमन ट्रेडर्स मजदूरी भुगतान
51051146	निर्माण सामग्री खरीद	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी8 12.01.2022	48000.00	ओमर गिफ्ट हाउस
56641706	मजदूरी भुगतान	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी10 08.02.2022	30900.00	मजदूरी भुगतान
56641662	निर्माण सामग्री खरीद एवं मजदूरी भुगतान	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी11 08.02.2022 पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी12 08.02.2022	51869.00 18800.00	नमन ट्रेडर्स मजदूरी भुगतान
42612948	निर्माण सामग्री खरीद एवं मजदूरीी भुगतान	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी13 08.02.2022 पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी14 08.02.2022 पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी15 08.02.2022	246537.00 55500.00 52500.00	माँ अन्नपूर्णा ट्रेडर्स मजदूरी भुगतान मजदूरी भुगतान
56630215	निर्माण सामग्री खरीद एवं मजदूरी भुगतान ऑफिस फर्नीचर खरीद कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी16 16.02.2022 पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी17 16.02.2022 पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी19 24.03.2022	141127.00 28500.00 117700.00	ए0 एम0 ट्रेडर्स ए0 एम0 ट्रेडर्स श्री गणेश ट्रेडर्स

		योग	1242945.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभातमोहन द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र को ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में संबंधित निर्माण कार्यों की निर्माण पत्रावली ऐसे निर्माण कार्य आदेश, कार्य योजना, संबंधित व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य के वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति आदेश एवं संख्या, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मापपुस्तिका, निर्माण कार्यों के त्रिस्तरीयफोटोग्राफ, निर्माण कार्य की गुणवत्तारिपोर्ट, कैशबुक, स्टोरपंजिका, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । सभी लेखा अभिलेखों के अभावमें क्रय य की गई निर्माण सामग्री की उपयोगिता एवं भुगतान की पुष्टि नहीं हो ती है।मजदूरी भुगतान संबंधित मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा जिससे मज़दूरों को किए गए भुगतान की पुष्टि नहीं हो ती है। अतः व्यय प्रमाणको के अभाव में किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभातमोहन एवं ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए 1242945.00 की वसूली प्रभात मोहन एवं ग्राम प्रधान श्री विनोदकुमार से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 1621472.50 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

मूल आपत्ति संख्या-0)5 (

प्रस्तर सं0-(378)- मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष **2021-22** में मनरेगा के अंतर्गत सृजित 21524 मानव दिवस रहे । जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या 29 रही जिसके सापेक्ष **पूर्ण कार्यों की संख्या 05** रही। जबकि एन.आर.एम व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत 55.60 रहा । वित्तीय वर्ष **2021-22** के पूर्ण हो ने के पश्चात भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा कार्यों पर **कुल व्यय रुपए 3.46 लाख** रहा । जिसमें से रुपए 3.43 लाख का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए **0.03** लाख का व्यय सामग्री क्रय पर किया गया है। सामग्री क्रय पर व्यय का **प्रतिशत 0.84** रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपये 188.42 रही । जबकि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 463(अ), तारीख 26 फरवरी, 2013, में संशोधन करते हुए दिनांक 15 मार्च 2021 की अधिसूचना के अनुसार मनरेगा के वर्ष 2021-22 मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपए 204.00 निर्धारित की गई है।संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। ईएफएमएस के द्वारा व्यय का प्रतिशत 100 **र**हा । **15 दिवस** के अंतर्गत किये गए भुगतान का 67.14 रहा । मनरेगा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रभातमोहन एवं ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-06)

135-ग्राम पंचायत -सिधौली

प्रस्तर सं0-(379)-मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष **2021-22** में मनरेगा के अंतर्गत सृजित 6569 मानव दिवस रहे । जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या 51रही जिसके सापेक्ष **पूर्ण कार्यों की संख्या 07** रही। जबकि एन.आर.एम व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत 57.65 रहा । वित्तीय वर्ष **2021-22** के पूर्ण हो ने के पश्चात भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा कार्यों पर **कुल व्यय रुपए 14.29 लाख** रहा । जिसमें से रुपए 12.34 लाख का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए **1.17** लाख का व्यय सामग्री क्रय पर किया गया है। सामग्री

क्रय पर व्यय का **प्रतिशत 8.65** रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपये 240.55 रही । जबकि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 463(अ), तारीख 26 फरवरी, 2013, में संशोधन करते हुए दिनांक 15 मार्च 2021 की अधिसूचना के अनुसार मनरेगा के वर्ष 2021-22 मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपए 204.00 निर्धारित की गई है। संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। ईएफएमएस के द्वारा व्यय का प्रतिशत 100 **र**हा । **15 दिवस** के अंतर्गत किये गए भुगतान का 78.85 रहा । मनरेगा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव अखिलेश कुमार व अमिताभ पाल एवं ग्राम प्रधान श्री मोती लाल रूप पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-01)

प्रस्तर सं0-(380)-पंचम राज्य वित्त के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया है ।जिसकेसापेक्ष में कुल भुगतान धनराशि रुपए 119450.00 हैं । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं-

क्रम संख्या	कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया
1	**41985100**	19.05.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी10	19950.00	यश ट्रेडर्स
2	**41985146**	19.05.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी11	19950.00	यश ट्रेडर्स
3	**41985100**	10.07.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी30	19950.00	यश ट्रेडर्स
4	**41985146**	10.07.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी31	19950.00	यश ट्रेडर्स
5	**4904616**	21.09.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी75	19850.00	आर0 के0 ट्रेडर्स
6	**49046492**	21.09.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी76	19800.00	आर0 के0 ट्रेडर्स
				119450.00	

क्रमांक 1,2,3,4 पर दर्शाए जा रहे हैंडपंप मरम्मत के कार्य की पुनरावृत्ति एक ही कार्य आईडी संख्या द्वारा अलग अलग तिथियों में , अलग अलग वाउचर संख्या द्वारा किया जाना दर्शाया गया है। एक ही कार्य आईडी संख्या द्वारा अलग अलग तिथियों में अलग अलग हैण्डपम्प मरम्मत कार्य कराया गया है। जोकि पूर्णतःगलत है। समस्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक एवं अनियमित है। उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभ पाल द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत किया गया हैंडपंप मरम्मत हेतु प्रार्थना पत्र, ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों का विवरणजहाँ हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया, हैंडपंप मरम्मतमें हैंडपंप से निकाली गई खराब सामग्री की लिस्ट एवं उससे संबंधित डैड स्टॉक रजिस्टर जिसमे और सामग्री की प्रविष्टि की गई हो , कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदनपत्रावली , कार्यादेश, कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्रर , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, हैंडपंप मरम्मतपूर्ण हो ने पर ग्रामीणों से लिया गया हैंडपंप के पूर्णरूप से मरम्मत हो ने का संतुष्टिप्रमाणपत्रबट,प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका

था ।लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है ।व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपाल एवं ग्राम प्रधान श्री मोतीलाल संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए 119450.00 की वसूली श्री अखिलेश कुमार / वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभ पाल (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्री मोतीलाल से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 59725.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

मूल)(आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर सं0-(381)-वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 612976.00 रुपये का अनुदान 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त हुआ तथा रुपये 626144.00 की धनराशि विभिन्न योजनाओं में खर्च की गई । सामान्य वित्तीय नि० 2005 के नियम 212(5) के अनुसार स्थानीय निकायों के द्वारा राज्य सरकार को उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है । जबउनको केंद्रीय अनुदान राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त हो .इसके बाद ही अनुदान की किस्तें अवमुक्त की जानी थी, जो कि प्रस्तुत नहीं की गई । यहप्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहा इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अखिलेशकुमार एवं ग्राम प्रधान श्री मोतीलाल संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं । अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-0)3 (

प्रस्तर सं0-(382)-पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत में सफाईकार्य हेतुमजदूरी भुगतान किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भीविवरण , लेखाअभिलेख, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा-

कार्य आईडी संख्या	वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
49040864	पंचम वित्त आयोग/221-22/पी32-44 18.07.2022	27300.00	मजदूरी भुगतान
49047500	पंचम वित्त आयोग/221-22/पी45-54 18.07.2022	42000.00	मजदूरी भुगतान
49047618	पंचम वित्त आयोग/221-22/पी57-67 18.07.2022	45000.00	मजदूरी भुगतान
	योग	**111300.00**	

ध्यान देने योग्य तथ्य है की उपरोक्त सफाई कार्य में कई मजदूरो को सफाई कार्य हेतु मजदूरी भुगतान एक ही तिथि में अलग अलग वाउचर संख्या द्वारा कई बार भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि समस्त भुगतान अनियमित एवं मनगढ़ंत / काल्पनिक हे। कुछ उदाहरण निम्नविवरण अनुसार रहे:-

तिथि	मुजदूर का नाम	वाउचर संख्या	भुगतान के धनराशि
18.07.2021	छेदीलाल	पी42	2100.00
18.07.2021	छेदीलाल	पी55	3000.00
18.07.2021	छेदीलाल	पी67	3000.00
18.07.2021	प्रिंस	पी32	2100.00

18.07.2021	प्रिंस	पी45	4200.00
18.07.2021	प्रिंस	पी57	4200.00

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारीश्री अमिताभपाल द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट संबंधित विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभ पाल एवं ग्राम प्रधान श्री मोतीलाल संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 111300.00 की वसूलीश्री अखिलेश कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपाल एवं ग्राम प्रधान श्री मोतीलाल से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए **55650.00** ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

मूल)आपत्ति संख्या0-5 (

प्रस्तर सं0-(383)- ग्राम पंचायत की ऑनलाइन उपलब्ध सूचना एवं अभिलेख की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्य पहचान संख्या द्वारा 15वित्त आयोग अंतर्गतनिम्नविवरण अनुसार स्वयं सहायता समूह संस्था को भुगतान किया जाना दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक एवं लेखाप्रपत्रलेखा परीक्षा के दौरान तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया । विवरण निम्नवत है-

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया	भुगतान धनराशि (रुपए)
49044832	15.06.2021 02.07.2021 03.07.2021	पंचम राज्य वित्त/21-22/पी28 पंचम राज्य वित्त/21-22/पी29 पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी01	माँ अम्बे स्वयं सहायता समूह	9000.00 18000.00 27000.00
				54000.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित शासकीय प्रपत्र संख्या 1758/33-3-2020-31/2019 के अनुसार सामुदायिक शौचालयों की नियमित सफाई एवं रखरखाव सुगमता के साथ हो सके इसके लिए 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाली धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि जो स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन के लिए आरक्षित है उससे की जाएगी । कुल व्यय प्रतिमाह धनराशि रुपए 9000.00 होगी। इस कार्य पर हो ने वाले पूरेवर्ष का व्यय अधिकतम दो किस्तों में पहला प्रारंभिक माह में एवं दूसरी किस्त छः माह के बाद बराबर किश्तों में स्वयं सहायता समूह को ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। परन्तु उपरोक्त विवरण के अनुसार, स्वयं सहायता समूह को सामुदायिक शौचालय की रखरखाव एवं सफाई हेतु किया गया भुगतान की समस्त धनराशि एक ही किस्त में वर्ष के प्रारंभ में (जुलाई माह में) ही कर दी गई है। जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। धनराशि रुपये 27000.00 का भुगतान किस आधार पर एवं किस प्रकार किया गया हैं यहभी स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। शासनादेश मैं वर्णित गाइड लाइंस के विपरीत किया गया भुगतान पूर्णतया अनियमित है। इस संबंध में स्पष्टीकरण अपेक्षित तथा अन्यथा की स्थितिमें समस्त धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान से की जानी चाहिए। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम

पंचायत अधिकारी श्री अमिताभ पाल एवं ग्राम प्रधान श्री मोतीलाल संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 54000.00 की वसूलीश्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपाल एवं ग्राम प्रधान श्री मोतीलाल से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए **27000.00** ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या-06)**

प्रस्तर सं0-(384)- पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य हेतु भुगतान किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है । जिससे संबंधित कोई भीविवरण ,लेखाअभिलेख, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा-

कार्य आईडी संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
46093852	खुशीलाल के घर से पुलिया तक नाली निर्माण कार्य	पंचम वित्त आयोग/221-22/पी12 28.05.2021	96649.00	ए0 एम0 ट्रेडर्स
52193681	प्राथमिक एवं जूनियरविद्यालयसिधौलीमें हैंडवॉश एवं चबूतरा निर्माण कार्य	पंचम वित्त आयोग/221-22/पी13 14.06.2021 पंचम वित्त आयोग/221-22/पी14 14.06.2021	37961.00 37531.00	ए0 एम0 ट्रेडर्स
52193748	प्राथमिकविद्यालयमें किचन एवं सुंदरीकरण कार्य	पंचम वित्त आयोग/221-22/पी23 14.06.2021 पंचम वित्त आयोग/221-22/पी24 14.06.2021	22440.00 10304.00	ए0 एम0 ट्रेडर्स
55604109	फूलमती मंदिर चबूतरा निर्माण कार्य	पंचम वित्त आयोग/221-22/पी82 14.06.2021	36963.00	ए0 एम0 ट्रेडर्स
54366885	राधेश्याम के दरवाजे हैंडपंप रिबोर कार्य	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी79 24.09.2021	36105.00	आर0 के0 ट्रेडर्स
54366898	विनोद के दरवाजे हैंडपंप रिबोर कार्य	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी80 24.09.2021	34719.00	आर0 के0 ट्रेडर्स
		योग	**312672.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारीश्री अमिताभपाल द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट संबंधित विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम

से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारीश्री अमिताभपाल एवं ग्राम प्रधान श्री मोतीलाल संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि **रुपए 312672.00** की वसूलीश्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपाल एवं ग्राम प्रधान श्री मोतीलाल से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए **156336.00** ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-07)

प्रस्तर सं0-(385)-15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत में निम्नविवरण अनुसार विकास कार्य का भुगतान किया जाना कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भीविवरण , लेखाअभिलेख, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा-

कार्य आईडी संख्या	**विकास कार्य का विवरण**	**वाउचरविवरण/दिनांक**	**भुगतान धनराशि (रुपए)**	**संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया**
46093852	**स्वच्छता पर** व्यय	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी12 13.09.2021	15000.00	आर0 के0 ट्रेडर्स
46093852	**स्वच्छता पर** व्यय	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी13 13.09.2021	20000.00	यश ट्रेडर्स
54893003	रामनिवास के घर से रामअवतार के घर तक खड़ंजा एवं नाली निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी19 12.10.2021	46648.00	ए0 एम0 ट्रेडर्स
54630823	सोनू के घर से मुन्नी के घर तक खड़ंजा एवं नाली निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी20 12.10.2021	34564.00	ए0 एम0 ट्रेडर्स
54366762	ग्राम पंचायत में सफाई कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी21-26 13.10.2021	23400.00	मजदूरी भुगतान
49040611	फर्नीचर खरीद कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी43 21.02.2022 पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी48 28.03.2022	76565.00 76565.00	भारत इंटरप्राइजेज
		योग	**292742.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारीश्री अमिताभपाल द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट संबंधित विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था ।लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है ।व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा।इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारीश्री अमिताभपाल एवं ग्राम प्रधान श्री मोतीलाल संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 292742.00 की वसूलीश्री अखिलेशकुमार एवं

वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपाल एवं ग्राम प्रधान श्री मोतीलाल से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए **146371.00** ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

मूल आपत्ति संख्या-0)8 (

प्रस्तर सं0-(386)-15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत हैंडपंप रिबोर का कार्य कराया गया है ।जिसकेसापेक्ष में कुल भुगतान धनराशि रुपए 119450.00 हैं । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं-

कार्य विवरण	कार्य आईडी संख्या	वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया
रामभरोसे के दरवाजे हैंडपंप रिबोर कार्य	49046639	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी15 24.09.2021	36031.00	आर0 के0 ट्रेडर्स
रमाकांत के दरवाजे हैंडपंप रिबोर कार्य	49046579	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी16 24.09.2021	34718.00	आर0 के0 ट्रेडर्स
सुशील के दरवाजे हैंडपंप रिबोर कार्य	49046744	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी17 30.09.2021	34718.00	आर0 के0 ट्रेडर्स
बजरंगबलीमंदिर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	49046814	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी18 30.09.2021	35236.00	आर0 के0 ट्रेडर्स
			140703.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारीश्री अमिताभपालद्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया । हैंडपंप रिबोर से संबंधित सामग्री की लिस्ट एवं उससे संबंधित डैडस्टॉकरजिस्टरजिसमे सामग्री की प्रविष्टि की गई हो , कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली ,कार्यादेश, कार्य की तकनीक की एवं वितीय स्वीकृति संख्या, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्रर , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, हैंडपंप रिबोरपूर्ण हो ने पर ग्रामीणों से लिया गया संतुष्टिप्रमाणपत्र ,प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था ।लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है ।व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपाल एवं ग्राम प्रधान श्री मोतीलाल संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 140703.00 की वसूलीश्री अखिलेशकुमार / वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारीश्री अमिताभपाल (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान श्री मोतीलाल से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 70351.50 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।**मूल आपत्ति संख्या-0) 9 (**

136-ग्राम पंचायत -शेषपुरधर्मशाला

प्रस्तर सं0-(387)- पंचम वित्त आयोग के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया है । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं-

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
53174117	21.07.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी2	19850.00	यश ट्रेडर्स
53174053	21.07.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी3	19900.00	यश ट्रेडर्स
51013859	13.06.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी1	19870.00	यश ट्रेडर्स
54155665	02.09.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी8	19800.00	यश ट्रेडर्स
54155673	02.09.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी9	19800.00	यश ट्रेडर्स
			99220.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट, ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन , हैण्डपम्प मरम्मत कराए जाने वाले स्थान संबंधित विवरणप्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान शांतिदेवी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि **रुपए 99220.00** की वसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान शांतिदेवीसे संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि **रुपए 49610.00** ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **मूल आपत्ति संख्या-0)5 (**

प्रस्तर सं0-(388)- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 653875.00 रुपये का अनुदान 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त हुआ । तथा 936259.00 रुपये की धनराशि विभिन्न योजनाओं में खर्च की गई । सामान्य वित्तीय नि॰ 2005 के नियम 212(5) के अनुसार स्थानीय निकायों के द्वारा राज्यसरकारको उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है । जबउनको केंद्रीय अनुदान राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त हो .इसके बाद ही अनुदान की किस्तें अवमुक्त की जानी थी. जो कि प्रस्तुत नहीं की गई । यहप्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहा इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान शांति देवी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं । अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-07)

प्रस्तर सं0-(389)-15 वें वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में कार्य हेतु भुगतान किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा-

कार्य आईडी संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचरविवरण/ दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया

55190593	सतीश के घर से रामनंदिनी के घर तक इंटरलॉकिंगरोड निर्माण कार्य एवं नाली निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी6 29.10.2021	73068.00	यश ट्रेडर्स
55190789	बाबासूबेदार के घर से रवीशकपड़ेवाला के घर तक इंटरलॉकिंगरोड निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी7 29.10.2021	75565.00	यश ट्रेडर्स
55190720	भगवानदीन के घर से रवीशकपड़ेवाला के घर तक इंटरलॉकिंगरोड निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी8 29.10.2021	106117.00	यश ट्रेडर्स
55190659	बाबासूबेदार के घर से रवीशकपड़ेवाला के घर तक नाली निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी9 29.10.2021	128403.00	यश ट्रेडर्स
55509224	दिनेशसिंह के घर से मेनरोड तक इंटरलॉकिंगरोड एवं नाली निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी25 22.11.2021 पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी26-31 22.11.2021	201614.00 17250.00	आर0 एस0 ट्रेडर्स मजदूरी भुगतान
55509202	नाले से टेलीफोनलाइन तक इंटरलॉकिंगरोड एवं नाली निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी50 30.03.2021	94000.00 60000.00	आर0 एस0 ट्रेडर्स आर0 एस0 ट्रेडर्स
55190869	समाचार पत्र निविदाप्रकाशन कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी51 30.03.2021	13500.00	परिधी समाचार पत्र
			769517.00	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष मैं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट , प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत

विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान शांतिदेवी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि **रुपए 769517.00** की वसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान शांतिदेवीसे संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि **रुपए 384758.50** ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

मूल)(आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर सं0-(390)-पंचम राज्य वित्त आयोगके अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य हेत निर्माण सामग्री खरीद एवं मजदूरी भुगतान किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा:-

कार्य आईडी संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचर विवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
53174190	निर्माण सामग्री एवं लेबर का भुगतान	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी4 21.07.2021	48337.00	यशट्रेडर्स
53174335	निर्माण सामग्री एवं लेबर का भुगतान	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी5 21.07.2021	48142.00	यशट्रेडर्स
42393058	फर्नीचरखरीद का भुगतान	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी4 25.07.2021	27510.00 96488.00	जय माँ होम सेंटर
44535949	अरविन्द के दरवाजे हैंडपंप रिबोर	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी6 31.08.2021	47504.00	यशट्रेडर्स
42388542	नवीन के दरवाजे हैंडपंप रिबोर	पंचम राज्य वित्त/2020-21/पी7 31.08.2021	47504.00	यशट्रेडर्स

55476054	पंचायत भवनसुंदरीकरण कार्य	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी12 17.11.2021 पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी15-18 17.11.2021	195714.00 19750.00	विशाल आर्ट्स मजदूरी भुगतान
55476151	स्कखइंजारोड से प्राथमिकविद्यालय की बाउंड्री तक इंटरलॉकिंग कार्य	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी13 17.11.2021 पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी19 18.11.2021 पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी20 22.11.2021 पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी21 30.11.2021 पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी22 08.12.2021 पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी23 10.12.2021	112326.00 112326.00 112326.00 112326.00 112326.00 112326.00	एम के ट्रेडर यशट्रेडर्स आरएसट्रेडर्स निर्मलाट्रेडर्स निर्मलाट्रेडर्स निर्मलाट्रेडर्स
55476099	पंचायत भवनपरिसरमें इंटरलॉकिंग कार्य	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी14 17.11.2021	118225.00	एम के ट्रेडर
62342774	कप्तान के घर से राधेश्याम के घर तक इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी42 28.03.2022	164095.00	यशट्रेडर्स
		योग	**1486775.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या,

मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट , प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था ।लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान शांतिदेवी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि **रुपए 1486775.00** की वसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान शांतिदेवीसे संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि **रुपए 743387.50** ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-06)

- प्रस्तर सं0-(391) ग्राम पंचायत की ऑनलाइन उपलब्ध सूचना एवं अभिलेख की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्य पहचान संख्या द्वारा 15वित्त आयोग अंतर्गत निम्नविवरण अनुसार स्वयं सहायतासमूह संस्था को भुगतान किया जाना दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक एवं लेखा प्रपत्र लेखा परीक्षा के दौरान तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया । विवरण निम्नवत है-

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया	भुगतान धनराशि (रुपए)
42393058	03.07.2021 14.06.2021	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी3 पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी2	माँ सरस्वती स्वयं सहायता समूह	45000.00 9000.00
				54000.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित शासकीय प्रपत्र संख्या 1758/33-3-2020-31/2019 के अनुसार सामुदायिक शौचालयों की नियमित सफाई एवं रखरखाव सुगमता के साथ हो सके इसके लिए 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाली धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि जो स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन के लिए आरक्षित है उससे की जाएगी । कुल व्यय प्रतिमाह धनराशि रुपए 9000.00 होगी। इस कार्य पर हो ने वाले पूरेवर्ष का व्यय अधिकतम दो किस्तों में पहला प्रारंभिक माह में एवं दूसरी किस्त छः माह के बाद बराबर किश्तों में स्वयं सहायता समूह को ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। परन्तु उपरोक्त विवरण के अनुसार , स्वयं सहायता समूह को सामुदायिक शौचालय की रखरखाव एवं सफाई हेतु किया गया भुगतान की समस्त धनराशि एक ही किस्त में वर्ष के प्रारंभ में (जुलाई माह में) ही कर दी गई है। जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। धनराशि रुपये 54000.00 का भुगतान किस आधार पर एवं किस प्रकार किया गया हैं यहभी स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। शासनादेश मैं वर्णित गाइड लाइंस के विपरीत किया गया भुगतान पूर्णतया अनियमित है। इस संबंध में स्पष्टीकरण अपेक्षित तथा अन्यथा की स्थितिमें समस्त धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान से की जानी चाहिए। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान शांति देवी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए 54000.00 की वसूलीश्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान शांतिदेवीसे संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 27000.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **मूल आपत्ति संख्या-0)3 (**

प्रस्तर सं0-(392)- मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइटपर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष**2021-22** में मनरेगा के अंतर्गत सृजित 3148 मानव दिवस रहे । जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या 22 रही जिसके सापेक्ष **पूर्ण कार्यों कीसंख्या 03** रही। जबकिएनआर.एम. व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत 95.33 रहा । वित्तीय वर्ष**2021-22** के पूर्ण हो ने के पश्चात भीनिर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा कार्यों पर**कुल व्यय रुपए 7.20 लाख**रहा । जिसमें से रुपए 6.42 लाख का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए**0.00** लाख का व्यय सामग्री क्रय पर किया गया है। सामग्री क्रय

पर व्यय का**प्रतिशत 0** रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपये 207.28 रही । जबकि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 463(अ(, तारीख 26 फरवरी, 2013, में संशोधन करते हुए दिनांक 15 मार्च 2021 की अधिसूचना के अनुसार मनरेगा के वर्ष 2021-22 मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपए 228.84 निर्धारित की गई है। संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। ईएफएमएस के द्वारा व्यय का प्रतिशत 100 **र**हा । **15 दिवस**के अंतर्गत किये गए भुगतान का 91.98 रहा । मनरेगा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री समीर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान शांति देवी पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

((मूल आपत्ति संख्या-04)

137-ग्राम पंचायत -रौगांव

प्रस्तर सं0-(393)- मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष **2021-22** में मनरेगा के अंतर्गत सृजित 6760 मानव दिवस रहे । जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या 95रही जिसके सापेक्ष **पूर्ण कार्यों की संख्या 51** रही। जबकि एन.आर.एम व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत 24.09 रहा । वित्तीय वर्ष **2021-22** के पूर्ण हो ने के पश्चात भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा कार्यों पर **कुल व्यय रुपए 15.49 लाख** रहा । जिसमें से रुपए 14.52 लाख का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए **0.19** लाख का व्यय सामग्री क्रय पर किया गया है। सामग्री क्रय पर व्यय का **प्रतिशत 1.26** रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपये 208.44 रही । जबकि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 463(अ), तारीख 26 फरवरी, 2013, में संशोधन करते हुए दिनांक 15 मार्च 2021 की अधिसूचना के अनुसार मनरेगा के वर्ष 2021-22 मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपए 204.00 निर्धारित की गई है। संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। ईएफएमएस के द्वारा व्यय का प्रतिशत 100 **र**हा । **15 दिवस** के अंतर्गत किये गए भुगतान का 89.83 रहा । मनरेगा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव श्री अखिलेश कुमार व अमिताभ पाल एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी रूप पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-01)

प्रस्तर सं0-(394)-पंचम राज्य वित्त के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया है ।जिसकेसापेक्ष में कुल भुगतान धनराशि रुपए 218700.00 हैं । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं-

क्रय म संख्या	कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया
1	**44139542**	29.07.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी6	19750.00	आर0 के0 ट्रेडर्स
2	**44139580**	29.07.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी7	19950.00	आर0 के0 ट्रेडर्स
3	**51053619**	25.08.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी11	19900.00	पवन आयरन स्टोर

4	**53976520**	26.08.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी21	19800.00	पवन आयरन स्टोर
5	**51053653**	25.08.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी12	19850.00	पवन आयरन स्टोर
6	**53976471**	26.08.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी22	19950.00	पवन आयरन स्टोर
7	**53893483**	08.09.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी26	19950.00	यश ट्रेडर्स
8	**53982786**	01.09.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी25	19850.00	यश ट्रेडर्स
9	**53982869**	11.10.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी47	19950.00	कृष्णा ट्रेडर्स
10	**53976441**	12.10.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी48	19850.00	कृष्णा ट्रेडर्स
11	**53976441**	14.10.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी49	19800.00	कृष्णा ट्रेडर्स
12	**53976484**	14.10.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी50	19950.00	कृष्णा ट्रेडर्स
13	**53982869**	14.10.2021	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी51	19950.00	कृष्णा ट्रेडर्स
				218700.00	

क्रमांक 9,10,11,13 पर दर्शाए जा रहे हैंडपंप मरम्मत के कार्य की पुनरावृत्ति एक ही कार्य आईडी संख्या द्वारा अलग अलग तिथियों में , अलग अलग वाउचर संख्या द्वारा किया जाना दर्शाया गया है। एक ही कार्य आईडी संख्या द्वारा अलग अलग तिथियों में अलग अलग हैण्डपम्प मरम्मत कार्य कराया गया है। जोकि पूर्णतः गलत है। समस्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक एवं अनियमित है। उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारीश्री अमिताभपाल द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख, ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत किया गया हैंडपंप मरम्मत हेतु प्रार्थना पत्र, ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों का विवरणजहाँ हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया, हैंडपंप मरम्मतमें हैंडपंप से निकाली गई खराब सामग्री की लिस्ट एवं उससे संबंधित डैड स्टॉक रजिस्टर , स्टोरपंजिका, जिसमेक्रय य की गई सामग्री की प्रविष्टि की गई हो , संबंधित कैशबुक, संबंधित व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, संबंधित कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, संबंधितकार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , हैंडपंप मरम्मतपूर्ण हो ने पर ग्रामीणों से लिया गया हैंडपंप के पूर्णरूप से मरम्मत हो ने का संतुष्टिप्रमाणपत्र , लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए ।जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशनपत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था ।लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है ।व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपाल एवं ग्राम प्रधान मुन्नीदेवी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए **218700.00** की वसूलीश्री अखिलेशकुमार / वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारीश्री अमिताभपाल (यथास्थिति कार्य

अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान मुन्नीदेवी से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि **रुपए 109350.00** ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

मूल)(आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर सं0-(395)- वित्तीय वर्ष 2021-22 ऑनलाइन पोर्टल ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध सूचना के अनुसार 15 वें वित्त आयोग अंतर्गत ग्राम पंचायत का इसमदमें प्रारंभिकअवशेष की धनराशि तथा वर्ष दौरान प्राप्तअनुदान, वर्ष दौरान उपभोगअनुदान एवं वर्ष के अंतमें शेषअनुदान का विवरण निम्नवत रहा: (धनराशि रुपए में)

	प्रारंभिक अवशेष	वर्ष दौरान प्राप्ति	वर्ष दौरान उपभोग	वर्षांत शेष अनुदान की धनराशि
अनटाइडफंड	630275	769605	1208301	191579
टाइडफंड	688185	1101504	818671	971018

विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष दौरान 15 वें वित्त आयोग योजना अंतर्गत टाइडफंडसे धनराशि रुपये 818671.00 रुपए का व्यय दर्शाया गया हैंअर्थात्:वर्ष दौरान टाइडफंड से विकास कार्य अथवा निर्माण कार्य पर नाममात्र ही व्ययं किया गया है। जो की संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान की राजकीयकार्यों के प्रतिशिथिलता एवं उदासीनता दर्शाता है। **जब की15 वें वें वित्त आयोग योजना संबंधित शासनादेश संख्या1717/33-3-2021-33/2020 द्वारा 15 वें वित्त आयोग अंतर्गत आवंटित अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं । जिसके अनुसार पेयजल पर व्यय 30 प्रतिशत वर्षा जलसंचयन एवं वाटर रीसाइक्लिंग पर व्यय 30 प्रतिशत तथा ओडीएफ पर व्यय 40 प्रतिशत किया जाना था।** शासनादेश एवं 15 वें वित्त के मार्गदर्शक सिद्धांतों की अवहेलना करतेहुए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा टाइडफंड अंतर्गत विकास कार्य संपूर्ण अनुदान के धनराशि का उपभोग नहीं किया गया है। यह एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। संबंधित विभागीय उच्चाधिकारियों उसका ध्यान इस अनियमितता की ओर आकर्षित किया जाता है । इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अखिलेशकुमार एवं ग्राम प्रधान मुन्नीदेवी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।उत्तरदायी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अखिलेशकुमार एवं ग्राम प्रधान मुन्नीदेवी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं । इनके विरुद्ध अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

((मूल आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर सं0-(396)-पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत में सफाई कार्य हेतुमजदूरी भुगतान किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भीविवरण , लेखाअभिलेख, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा

कार्य आईडी संख्या	वाउचर विवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
53998190	पंचम वित्त आयोग/221-22/पी13-20 26.08.2021	36000.00	मजदूरी भुगतान
53998190	पंचम वित्त आयोग/221-22/पी24 27.08.2021	10500.00	मजदूरी भुगतान
53998190	पंचम वित्त आयोग/221-22/पी28-36 14.09.2021	46500.00	मजदूरी भुगतान
	योग	**93000.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारीश्री अमिताभपाल द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय

प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट संबंधित विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था ।लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है ।व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारीश्री अमिताभपाल एवं ग्राम प्रधान मुन्नीदेवी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 93000.00 की वसूलीश्री अखिलेश कुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपाल एवं ग्राम प्रधान मुन्नीदेवी से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए **46500.00** ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

मूल आपत्ति संख्या-0)5 (

प्रस्तर सं0-(397)- ग्राम पंचायत की ऑनलाइन उपलब्ध सूचना एवं अभिलेख की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्य पहचान संख्या द्वारा 15वित्त आयोग अंतर्गत निम्नविवरण अनुसार स्वयं सहायता समूह संस्था को भुगतान किया जाना दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक एवं लेखाप्रपत्रलेखा परीक्षा के दौरान तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया । विवरण निम्नवत है-

कार्य आईडी संख्या	दिनांक	वाउचरविवरण	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया	भुगतान धनराशि (रुपए)
53998129	27.08.2021 13.01.2022	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/21-22/पी2 पंचम वित्त आयोग/21-22/पी72	माँ अंगारमति स्वयं सहायता समूह	27000.00 18000.00
				45000.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित शासकीय प्रपत्र संख्या 1758/33-3-2020-31/2019 के अनुसार सामुदायिक शौचालयों की नियमित सफाई एवं रखरखाव सुगमता के साथ हो सके इसके लिए 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाली धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि जो स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन के लिए आरक्षित है उससे की जाएगी । कुल व्यय प्रतिमाह धनराशि रुपए 9000.00 होगी। इस कार्य पर हो ने वाले पूरेवर्ष का व्यय अधिकतम दो किस्तों में पहला प्रारंभिक माह में एवं दूसरी किस्त छः माह के बाद बराबर किश्तों में स्वयं सहायता समूह को ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। परन्तु उपरोक्त विवरण के अनुसार , स्वयं सहायता समूह को सामुदायिक शौचालय की रखरखाव एवं सफाई हेतु किया गया भुगतान की समस्त धनराशि एक ही किस्त में वर्ष के प्रारंभ में (जुलाई माह में) ही कर दी गई है। जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है। धनराशि रुपये 45000.00 का भुगतान किस आधार पर एवं किस प्रकार किया गया हैं यहभी स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। शासनादेश मैं वर्णित गाइड लाइंस के विपरीत किया गया भुगतान पूर्णतया अनियमित है। इस संबंध में स्पष्टीकरण अपेक्षित तथा अन्यथा की स्थितिमें समस्त धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान से की जानी चाहिए। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारीश्री अमिताभपाल एवं ग्राम प्रधान मुन्नीदेवी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि **रुपए 45000.00** की वसूलीश्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपाल एवं ग्राम प्रधान मुन्नीदेवी से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए **22500.00** ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। **)मूल आपत्ति संख्या-06)**

प्रस्तर सं0-(398)- पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य / विकास कार्यहेतु भुगतान किया जाना विभिन्न कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है । जिससे संबंधित कोई भीविवरण , लेखाअभिलेख, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा

कार्य आईडी संख्या	**निर्माण कार्य का विवरण**	**वाउचरविवरण/दिनांक**	**भुगतान धनराशि (रुपए)**	**संस्था का नाम**

				जिसे भुगतान किया गया
45522791	प्राथमिकविद्यालयसूखापुरवा में दिव्यांग शौचालय एवं भोजनालय कायाकल्प कार्य	पंचम वित्त आयोग/221-22/पी2 29.07.2021	77703.00	आर0 के0 ट्रेडर्स नमन ट्रेडर्स मजदूरी भुगतान
45522627	प्राथमिक विद्यालय खरीच में दिव्याँग शौचालय एवं सबमर्सिबल निर्माण कार्य	पंचम वित्त आयोग/221-22/पी3 29.07.2021	129061.00	आर0 के0 ट्रेडर्स एस0 आर0 ब्रिक फील्ड नमन ट्रेडर्स प्रत्यंकर ट्रेडिग कंपनी
45521634	रौगांव विद्यालय में दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य	पंचम वित्त आयोग/221-22/पी4 29.07.2021	92272.00	आर0 के0 ट्रेडर्स एस0 आर0 ब्रिक फील्ड नमन ट्रेडर्स मजदूरी भुगतान प्रत्यंकर ट्रेडिग कंपनी
54306120	वीरेंद्र के घर से रामू के घर तक इंटरलॉकिंगरोड निर्माण कार्य एवं नाली निर्माण कार्य	पंचम वित्त आयोग/221-22/पी38 17.09.2021	108856.00	नमन ट्रेडर्स
55225347	आगंनबाड़ीकेंद्रमें इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी52 29.10.2021 पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी53-56 29.10.2021	97571.00 21000.00	नमन ट्रेडर्स मजदूरी भुगतान
51053772	प्रशासनिक व्यय	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी23 27.08.2021	25000.00	पवन आयरन स्टोर
51053772	**समाचार पत्र में निविदाप्रकाशन**	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी73 31.01.2022	25550.00	भारत कनेक्ट
55225546	प्राथमिक विद्यालय खरीचा में बाउंड्रीवॉल निर्माण कार्य मेविद्यालय खरीजा में बाउंड्रीवॉल निर्माण कार्य	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी74 04.02.2022	296023.00	आर0एस0 इंटरप्राईजेज
51053772	प्रशासनिक व्यय	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी75	48000.00	पवन आयरन स्टोर

		13.02.2022		
55966092	खरीचा स्कूल में इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी77 25.03.2022	277864.00	ए0 आर0 ट्रेडर्स
55225603	प्राथमिक विद्यालय खरीचा में शौचालय मरम्मत कार्य	पंचम राज्य वित्त/2021-22/पी78	47817.00	ए0 आर0 ट्रेडर्स
		योग	**1246717.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारीश्री अमिताभपाल द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट संबंधित विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है । व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारीश्री अमिताभपाल एवं ग्राम प्रधान मुन्नीदेवी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि **रुपए 1246717.00** की वसूलीश्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपाल एवं ग्राम प्रधान मुन्नीदेवी से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए **623358.50** ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-07)

प्रस्तर सं0-(399)-15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत में निम्नविवरण अनुसार विकास कार्य का भुगतान किया जाना कार्य संख्या द्वारा दर्शाया गया है जिससे संबंधित कोई भीविवरण , लेखाअभिलेख, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।विवरण निम्नवत रहा-

कार्य आईडी संख्या	**विकास कार्य का विवरण**	**वाउचरविवरण/दिनांक**	**भुगतान धनराशि (रुपए)**	**संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया**
53998129	प्रशासनिक व्यय	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी3 01.09.2021	30000.00	यश ट्रेडर्स
53998129	प्रशासनिक व्यय	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी9 30.09.2021	30000.00	यश ट्रेडर्स
53998129	**समाचार पत्र में निविदाप्रकाशन**	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी8 22.09.2021	22680.00	भारत कनेक्ट

55225293	मिलनकेंद्रमें इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी14 30.10.2021	173907.00	यश ट्रेडर्स
54398191	तालाब से रामप्रसाद के घर तक नाला निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी29 14.11.2021	115674.00	यश ट्रेडर्स
54398397	रामचन्द्र के घर से नाले तक नाला निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी32 14.11.2021	108184.00	यश ट्रेडर्स
54398465	आत्माराम के घर से छोटेलाल के घर तक इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी33 18.11.2021	138931.00	यश ट्रेडर्स
55224314	रामपाल के घर से राजेंद्र के घर तक इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी55 02.12.2021	162568.00	यश ट्रेडर्स
55224405	रवींद्र के घर से सुरेंद्र के घर तक इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी56 03.12.2021	122786.00	यश ट्रेडर्स
55224489	रामविलास के घर से रामबाबू के घर तक इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी57 07.12.2021	178854.00	यश ट्रेडर्स
55932031	कश्ममीरा के घर से रामसहाय के घर तक इंटरलॉकिंग एवं	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी90 10.02.2022	163390.00	आर0 एस0 ट्रेडर्स

	नाली निर्माण कार्यय			
55225662	प्राथमिकविद्यालय करेजामें दिव्यांगशौचालय एवं प्लंबिंग का कार्य	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/221-22/पी100 26.03.2022	132386.00	ए0 आर0 ट्रेडर्स
		योग	**1379360.00**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारीश्री अमिताभपाल द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली , कार्यादेश, निर्माण कार्य की तकनीक की एवं वितीय स्वीकृति संख्या, मॉपपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, एस्टीमेट संबंधित विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वितीय अनियमितताको दर्शाता है ।व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारीश्री अमिताभपाल एवं ग्राम प्रधान मुन्नीदेवी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि **रुपए 1379360.00** की वसूलीश्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपाल एवं ग्राम प्रधान मुन्नीदेवी से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए **689680.00** ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

मूल आपत्ति संख्या-0)8 (

प्रस्तर सं0-(400)- 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत हैंडपंप रिबोर का कार्य कराया गया है ।जिसकेसापेक्ष में कुल भुगतान धनराशि रुपए 119450.00 हैं । उपरोक्त कार्य की सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं ।

कार्य विवरण	कार्य आईडी संख्या	वाउचरविवरण/दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया
श्री भगवान केदरवाजे हैंडपंप रिबोर कार्य	**53982956**	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी10 21.10.2021	37437.00	आर0 के0 ट्रेडर्स
मुन्नूलालके दरवाजे हैंडपंप रिबोर कार्य	**53998272**	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी11 21.10.2021	35485.00	आर0 के0 ट्रेडर्स
मुन्नूलाल के दरवाजे हैंडपंप रिबोर कार्य	**53998272**	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी12 22.10.2021	35485.00	आर0 के0 ट्रेडर्स

श्री भगवान**के हैंडपंप रिबोर कार्य**	**53982956**	पंद्रवा केन्द्रीय वित्त/2021-22/पी13 22.10.2021	37437.00	आर0 के0 ट्रेडर्स
			145844.00	

ध्यान देने योग्य की एक आईडी संख्या द्वारा अलग अलग तिथियों में अलग अलग वाउचर संख्या द्वारा एक ही व्यक्ति के दरवाजे पर हैंडपंप रिबोर कार्यकराया गया है जो कि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। एक ही व्यक्ति के दरवाजे पर 2 बार हैंडपंप रिवोर कराना दर्शाया गया है जो कि स्पष्ट रूप से अनियमित रहा। उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपाल द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया । हैंडपंप रिबोर से संबंधित सामग्री की लिस्ट एवं उससे संबंधित डैडस्टॉकरजिस्टरजिसमे सामग्री की प्रविष्टि की गई हो , कैशबुक, व्यय प्रमाणक, अनुमोदन पत्रावली ,कार्यादेश, कार्य की तकनीक की एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्रर , स्टोरपंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर, हैंडपंप रिबोर पूर्ण हो ने पर ग्रामीणों से लिया गया संतुष्टिप्रमाणपत्र ,प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन इंटीमेशन एवं ऑनलाइन रिक्विजिशन पत्र ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भेजा जा चुका था । लेखा परीक्षा में लेखाअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितताको दर्शाता है ।व्यय प्रमाणको के अभावमें किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अखिलेशकुमार एवं वर्तमानमें ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमिताभपाल एवं ग्राम प्रधान मुन्नीदेवी संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं ।अतः व्यय की गई समस्तधनराशि रुपए 145844.00 की वसूलीश्री अखिलेशकुमार / वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारीश्री अमिताभपाल (यथास्थिति कार्य अवधि अनुसार) एवं ग्राम प्रधान मुन्नीदेवी से संयुक्त रुप से प्रत्येक से धनराशि रुपए 72922.00 ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए। (**मूल आपत्ति संख्या0-9 (**

138-<u>ग्राम पंचायत मदाराराय गुमान</u>

प्रस्तर सं0-(401)-मानरेगा की अनलाइन वेबसाईट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 मे मानरेगा के अंतर्गत कुल निर्मित मानव दिवस 137350 रहे। कुल लिए गए कार्य टोटल वर्क 104.00 जिसके सापेक्ष पूर्ण कार्यों की संख्या 07.00 रही | जबकि अपूर्ण कार्यों की संख्या 97.00 रही|वर्ष 2021-22 मे मानरेगा कार्यों पर कुल व्यय रुपये 21.21 लाख रहे जिसमे मजदूरी पर 20.67 लाख व सामग्री पर कुल 0.54 लाख का भुगतान किया गया है | मानरेगा की समस्त आहरित धनराशि 21.21 लाख के सापेक्ष कोई भी व्यय संबंधी प्रमाणक पत्रावलि व अन्य अनिवार्य अभिलेख जैसे मस्टर रोल, एस्टीमट , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेख परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए जो की लेख परीक्षा के दृष्टिको ण से उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 पंचायती राज उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेख प्रबंधक लेख मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अध्याय 4 के संबंधित प्राविधानों नियम अधिनियम शासनादेशों, दिशा निर्देशों का गंभीर उल्लंघन है जिसके लिए तत्कालीन <u>ग्राम प्रधान श्रीमती सुलेखा एवं तत्कालीन सचिव श्री नरेंद्र वर्मा (ग्राम विकास अधिकारी)</u> दोनों संयुक्त रूप से उत्तरदायी है | अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल)(आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर सं0-(402)- ग्राम पंचायत मदाराराय गुमान द्वारा आलोच्य अवधि 01.04.2021 से 31.03.2022 तक मे (ई ग्राम स्वराज की प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के पंचम राज्य वित्त अनुदान मद से 2687343.00 एवं केन्द्रीय राज्य वित्त 15 वें वित्त आयोग अनुदान वित्त से 2670469.00 का व्यय दर्शित किया गया है | उक्त

दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति, मूल पत्रवलियाँ व अन्य अनिवार्य अभिलेख जैसे वार्षिक कार्ययोजना, कार्यवाही रजिस्टर , बैंक पासबुक, प्राक्कलन, तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रवाली, कार्य की मॅप पुस्तिका, फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत मदाराराय गुमान द्वारा कुल रुपये 5357812.00 के दर्शित व्यय के नियमानुसार हो ने की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त स्तिथि के अधीन ग्राम पंचायत मदाराराय गुमान द्वारा दर्शित व्यय की लेख परीक्षा के दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा मैनुअल " के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह की " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व हो गा की वे लेखा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए " के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 "क " यह की दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 5357812.00 मे से 50 प्रतिशत रुपये 2678906.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुलेखा या व जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा हो तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि रुपये 2678906.00 सचिव श्री नरेंद्र वर्मा या व जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा हो से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त हो ने की दशा मे नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-0)2(

139-ग्राम पंचायत सेबसू

प्रस्तर सं0-(403)- ग्राम पंचायत सेबसू द्वारा आलोच्य अवधि 01.04.2021 से 31.03.2022 तक मे (ई ग्राम स्वराज की प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के पंचम राज्य वित्त अनुदान मद से 124204.00 एवं केन्द्रीय राज्य वित्त 15 वें वित्त आयोग अनुदान वित्त से 132900.00 का व्यय दर्शित किया गया है | उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति, मूल पत्रवलियाँ व अन्य अनिवार्य अभिलेख जैसे वार्षिक कार्ययोजना, कार्यवाही रजिस्टर , बैंक पासबुक, प्राक्कलन, तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रवाली, कार्य की माप पुस्तिका, फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत सेबसू द्वारा कुल रुपये 257104.00 के दर्शित व्यय के नियमानुसार हो ने की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त स्तिथि के अधीन ग्राम पंचायत सेबसू द्वारा दर्शित व्यय की लेख परीक्षा के दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा मैनुअल " के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह की " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व हो गा की वे लेखा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए " के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 "क " यह की दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 257104.00 मे से 50 प्रतिशत रुपये 128552.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विमलेश कुमार या व जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा हो तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि रुपये 128552 .00 सचिव श्री संदीप ज्ञानवीर या व जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा हो से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त हो ने की दशा मे नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-0)2 व 03
(

140- ग्राम पंचायत सुजावलपुर

ग्रा प्रस्तर सं0-(404)- म पंचायत सुजावलपुर द्वारा आलोच्य वर्ष मे दिनांक 01.08.2021 से 31.03.2022तक मे (ई ग्राम स्वराज की प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के पंचम राज्य वित्त अनुदान मद से 744367.00 एवं केन्द्रीय राज्य वित्त 15 वें वित्त आयोग अनुदान वित्त से 546654.00 का व्यय दर्शित किया गया है | उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति, मूल पत्रवलियाँ व अन्य अनिवार्य अभिलेख जैसे वार्षिक कार्ययोजना, कार्यवाही रजिस्टर , बैंक पासबुक, प्राक्कलन, तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रवाली, कार्य की माप पुस्तिका, फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत सुजावलपुर द्वारा कुल रुपये 1291021.00 के दर्शित व्यय के नियमानुसार हो ने की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त स्तिथि के अधीन ग्राम पंचायत सुजावलपुर द्वारा दर्शित व्यय की लेख परीक्षा के दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा मैनुअल " के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह की " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व हो गा की वे लेखा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए " के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 "क " यह की दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1291021.00 मे से 50 प्रतिशत रुपये 645510.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी या व जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा हो तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि रुपये 645510.50 सचिव श्री नरेंद्र वर्माया व जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा हो से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त हो ने की दशा मे नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या-0)1 व 02**

(

141-ग्राम पंचायत बैरी अलीपुर

प्रस्तर सं0-(405)-ग्राम पंचायत बैरी अलीपुरके आलोच्य वर्ष मे (ई ग्राम स्वराज की प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के पंचम राज्य वित्त अनुदान मद से 180000.00 एवं केन्द्रीय राज्य वित्त 15 वें वित्त आयोग अनुदान वित्त से 110600.00 का व्यय दर्शित किया गया है | उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति, मूल पत्रवलियाँ व अन्य अनिवार्य अभिलेख जैसे वार्षिक कार्ययोजना, कार्यवाही रजिस्टर , बैंक पासबुक, प्राक्कलन, तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रवाली, कार्य की माप पुस्तिका, फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत बैरी अलीपुर द्वारा कुल रुपये 290600.00 के दर्शित व्यय के नियमानुसार हो ने की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त स्तिथि के अधीन ग्राम पंचायत बैरी अलीपुर द्वारा दर्शित व्यय की लेख परीक्षा के दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा मैनुअल " के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह की " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व हो गा की वे लेखा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए " के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 "क " यह की दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 290600.00 मे से 50 प्रतिशत रुपये 145300.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनीताया व जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा हो तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि मे से सचिव श्री नरेंद्र वर्माके कार्यकाल के रुपये 111800.00 वसचिव श्री राजकमल

कटियार के कार्यकाल के रुपये 33500.00 संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त हो ने की दशा मे नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर वसूली व विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-0)1,02,03,04 (

142-ग्राम पंचायत सुभानपुर मुरादपुर

प्रस्तर सं0-(406)- ग्राम पंचायत सुभानपुर मुरादपुर द्वारा आलोच्य वर्ष मे माह सितंबर 2021 मे व्यय किए गए कुल रुपये 220934.00 के आहरण के सापेक्ष कोई भी व्यय संबंधी निर्माण कार्य पत्रवाली, प्राक्कलन, तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रवाली, कार्य की माप पुस्तिका, फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, व्यय एसटीमेट आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए जो की लेखा परीक्षा के दृष्टिको ण से उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 पंचायती राज उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेख प्रबंधक लेख मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अध्याय 4 के संबंधित प्राविधानों नियम अधिनियम शासनादेशों, दिशा निर्देशों का गंभीर उल्लंघन है एवं उक्त धनराशि को गबन मानते हुए जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री श्यामबिहारी व ग्राम विकास अधिकारी श्री हेतराम संयुक्त रूप से उत्तरदायी है जिनसे तातारीख ब्याज सहित आधी - आधी धनराशि की वसूली की जानी आवश्यक है। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर वसूली व विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-01)**

143-ग्राम पंचायत खासपुर

प्रस्तर सं0-(407)-ग्राम पंचायत खासपुर द्वारा आलोच्य वर्ष मे दिनांक 01.04.2021 से 31.07.2021तक मे व्यय किए गए कुल रुपये 966968.00 के आहरण के सापेक्ष कोई भी व्यय संबंधी निर्माण कार्य पत्रवाली, प्राक्कलन, तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रवाली, कार्य की माप पुस्तिका, फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, व्यय एसटीमेट आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए जो की लेखा परीक्षा के दृष्टिको ण से उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 पंचायती राज उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेख प्रबंधक लेख मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अध्याय 4 के संबंधित प्राविधानों नियम अधिनियम शासनादेशों, दिशा निर्देशों का गंभीर उल्लंघन है एवं उक्त धनराशि को गबन मानते हुए जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री मुकेश कुमार व ग्राम विकास अधिकारी श्री के बी सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है जिनसे तातारीख ब्याज सहित आधी - आधी धनराशि की वसूली की जानी आवश्यक है। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर वसूली व विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या-0)1,02)**

144-ग्राम पंचायत महिगवां

प्रस्तर सं0-(408)-मनरेगा की अनलाइन वेबसाईट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 मे मानरेगा के अंतर्गत कुल निर्मित मानव दिवस 3138 रहे| कुल लिए गए कार्य टोटल वर्क 16 .00 जिसके सापेक्ष पूर्ण कार्यों की संख्या 00 रही | जबकि अपूर्ण कार्यों की संख्या 16.00 रही|वर्ष 2021-22 मे मनरेगा कार्यों पर कुल व्यय रुपये 6.35 लाख रहे। मनरेगा की समस्त आहरित धनराशि 06.35 लाख के सापेक्ष कोई भी व्यय संबंधी प्रमाणक पत्रवाली व अन्य अनिवार्य अभिलेख जैसे मस्टर रोल, एस्टीमट , माप पुस्तिका , स्टॉक रजिस्टर , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेख परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए जो की लेख परीक्षा के दृष्टिको ण से उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 पंचायती राज उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेख प्रबंधक लेख मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अध्याय 4

के संबंधित प्राविधानों नियम अधिनियम शासनादेशों, दिशा निर्देशों का गंभीर उल्लंघन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अजीत सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्री के बी सिंह (ग्राम विकास अधिकारी) दोनों संयुक्त रूप से उत्तरदायी है | अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर वसूली व विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-01)

प्रस्तर सं0-(409)- ग्राम पंचायत महिगवां द्वारा आलोच्य वर्ष मे व्यय किए गए कुल रुपये 1664782.00 के आहरण के सापेक्ष कोई भी व्यय संबंधी निर्माण कार्य पत्रवाली, प्राक्कलन, तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रवाली, कार्य की माप पुस्तिका, फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, व्यय एसटीमेट आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए जो की लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 पंचायती राज उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेख प्रबंधक लेख मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अध्याय 4 के संबंधित प्राविधानों नियम अधिनियम शासनादेशों, दिशा निर्देशों का गंभीर उल्लंघन है एवं उक्त धनराशि को गबन माना जाता है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री अजीत सिंह व ग्राम विकास अधिकारी श्री बाबू सिंह यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है जिनसे तातारीख ब्याज सहित आधी - आधी धनराशि की वसूली की जानी आवश्यक है। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर वसूली व विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-0)2,03,04,05 (

145-ग्राम पंचायत ददिखा

प्रस्तर सं0-(410)-मनरेगा की अनलाइन वेबसाईट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 मे मानरेगा के अंतर्गत कुल निर्मित मानव दिवस 6464 रहे| कुल लिए गए कार्य टोटल वर्क 21.00 जिसके सापेक्ष पूर्ण कार्यों की संख्या 09 रही | जबकि अपूर्ण कार्यों की संख्या 12.00 रही| वर्ष 2021-22 मे मनरेगा कार्यों पर कुल व्यय रुपये 12.83 लाख रहे। मनरेगा की समस्त आहरित धनराशि 12.83 लाख के सापेक्ष कोई भी व्यय संबंधी प्रमाणक पत्रवाली व अन्य अनिवार्य अभिलेख जैसे मस्टर रोल, एस्टीमट , माप पुस्तिका , स्टॉक रजिस्टर , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेख परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए जो की लेख परीक्षा के दृष्टिको ण से उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 पंचायती राज उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधक लेख मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अध्याय 4 के संबंधित प्राविधानों नियम अधिनियम शासनादेशों, दिशा निर्देशों का गंभीर उल्लंघन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सर्वेश एवं तत्कालीन सचिव श्री के बी सिंह (ग्राम विकास अधिकारी) दोनों संयुक्त रूप से उत्तरदायी है | अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर वसूली व विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-01)**

प्रस्तर सं0-(411)-ग्राम पंचायत ददिखा द्वारा आलोच्य वर्ष मे व्यय किए गए कुल रुपये 1737623.00 के आहरण के सापेक्ष कोई भी व्यय संबंधी निर्माण कार्य पत्रवाली, प्राक्कलन, तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रवाली, कार्य की माप पुस्तिका, फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, व्यय एसटीमेट आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए जो की लेखा परीक्षा के दृष्टिको ण से उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 पंचायती राज उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेख प्रबंधक लेख मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अध्याय 4 के संबंधित प्राविधानों नियम अधिनियम शासनादेशों, दिशा निर्देशों का गंभीर उल्लंघन है एवं उक्त धनराशि को गबन माना जाता है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री सवेश व ग्राम विकास अधिकारी श्री के बी सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है जिनसे तातारीख ब्याज सहित आधी - आधी धनराशि की वसूली की जानी आवश्यक है। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता

हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर वसूली व विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-0)2,03,04,05,06,07 (

146-ग्राम पंचायत नेवादा उधो

प्रस्तर सं0-(412)- मनरेगा की अनलाइन वेबसाईट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 मे मानरेगा के अंतर्गत कुल निर्मित मानव दिवस 4831 रहे| कुल लिए गए कार्य टोटल वर्क 54.00 जिसके सापेक्ष पूर्ण कार्यों की संख्या 07 रही | जबकि अपूर्ण कार्यों की संख्या 47.00 रही| वर्ष 2021-22 मे मनरेगा कार्यों पर कुल व्यय रुपये 10.80 लाख रहे। मनरेगा की समस्त आहरित धनराशि 10.80 लाख के सापेक्ष कोई भी व्यय संबंधी प्रमाणक पत्रवाली व अन्य अनिवार्य अभिलेख जैसे मस्टर रोल, एस्टीमट , माप पुस्तिका , स्टॉक रजिस्टर , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेख परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए जो की लेख परीक्षा के दृष्टिको ण से उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 पंचायती राज उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधक लेख मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अध्याय 4 के संबंधित प्राविधानों नियम अधिनियम शासनादेशों, दिशा निर्देशों का गंभीर उल्लंघन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं तत्कालीन सचिव श्री नरेंद्र वर्मा (ग्राम विकास अधिकारी)दोनों संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर वसूली व विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-01)

प्रस्तर सं0-(413)-ग्राम पंचायत नेवादा उधो के आलोच्य वर्ष (01.04.2021 से 31.03.2022 तक) मे (ई ग्राम स्वराज की प्रविष्टियों के अनुसार) कुल व्यय रुपये 804349.00 दर्शित किया गया है | उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति, मूल पत्रवलियाँ व अन्य अनिवार्य अभिलेख जैसे वार्षिक कार्ययोजना, कार्यवाही रजिस्टर , बैंक पासबुक, प्राक्कलन, तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रवाली, कार्य की माप पुस्तिका, फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत नेवादा उधो द्वारा कुल रुपये 804349.00 के दर्शित व्यय के नियमानुसार हो ने की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त स्तिथि के अधीन ग्राम पंचायत नेवादा उधो द्वारा दर्शित व्यय की लेख परीक्षा के दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा मैनुअल " के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह की " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व हो गा की वे लेखा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए " के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 "क " यह की दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 804349.00 मे से 50 प्रतिशत रुपये 402174.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी या व जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा हो तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि रुपये 402174.50 सचिव श्री नरेंद्र वर्मा से या व जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा हो से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त हो ने की दशा मे नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है। उक्त के अतिरिक्त सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकृष्ट किया जाता है की बैंक पासबूक तथा मूल कैश्बुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि से किया गया वास्तविक आहरण ज्ञात न किया जा सका। अतः ग्राम पंचायत नेवादा उधो की ग्राम निधि से किया गया कुल आहरण यदि ई ग्राम स्वराज पोर्टल मे दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किया जाना चाहिए। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं तत्कालीन सचिव श्री नरेंद्र वर्मा (ग्राम विकास अधिकारी)दोनों संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर वसूली व विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर वसूली व विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल)(आपत्ति संख्या-02)

147-ग्राम पंचायत शाहमपुर कोट

प्रस्तर सं0-(414)-ग्राम पंचायत शाहमपुर कोट द्वारा आलोच्य वर्ष मे दिनांक 01.04.2021 से 20.08.2021 तक मे (ई ग्राम स्वराज की प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के पंचम राज्य वित्त अनुदान मद से 226513.00 एवं केन्द्रीय राज्य वित्त 15 वें वित्त आयोग अनुदान वित्त से 53610.00 का व्यय दर्शित किया गया है | उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति, मूल पत्रवलियाँ व अन्य अनिवार्य अभिलेख जैसे वार्षिक कार्ययोजना, कार्यवाही रजिस्टर , बैंक पासबुक, प्राक्कलन, तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रवाली, कार्य की माप पुस्तिका, फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत शाहमपुर को ट द्वारा कुल रुपये 280123.00 के दर्शित व्यय के नियमानुसार हो ने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रुपये280123.00 मे से 50 प्रतिशत रुपये 140061.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उमा कटियार या व जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा हो तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि रुपये 140061.50 सचिव श्री संदीप ज्ञानवीर या व जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा हो से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त हो ने की दशा मे नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर वसूली व विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-0)1,02 (

148-ग्राम पंचायत बिलहौर देहात

ग्रा प्रस्तर सं0-(415)- म पंचायत बिलहौर देहात द्वारा आलोच्य वर्ष मे पंचम राज्य वित्त द्वारा कुल धनराशि रुपये 27900.00 व पंद्रवा केन्द्रीय वित्त द्वारा कुल धनराशि रुपये 48270.00 कुल रुपये 76170.00 व्यय किए गए के आहरण के सापेक्ष कोई भी व्यय संबंधी निर्माण कार्य पत्रवाली, प्राक्कलन, तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रवाली, कार्य की माप पुस्तिका, फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, व्यय एसटीमेट आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए जो की लेखा परीक्षा के दृष्टिको ण से उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 पंचायती राज उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेख प्रबंधक लेख मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अध्याय 4 के संबंधित प्राविधानों नियम अधिनियम शासनादेशों, दिशा निर्देशों का गंभीर उल्लंघन है एवं उक्त धनराशि को गबन मानते हुए जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री वीरेंद्र कटियार व ग्राम विकास अधिकारी श्री संदीप ज्ञानवीर संयुक्त रूप से उत्तरदायी है जिनसे तातारीख ब्याज सहित आधी - आधी धनराशि की वसूली की जानी आवश्यक है। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान रूप पर वसूली व विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-0)1,02 (

149-ग्राम पंचायत दरियापुर बिलहौर

प्रस्तर सं0-(416)-ग्राम पंचायत दरियापुर बिलहौरके आलोच्य वर्ष मे दिनांक 01.06.2021 से 31.07.2021 तक मे (ई ग्राम स्वराज की प्रविष्टियों के अनुसार)पंचम राज्य वित्त अनुदान मद से रुपये 262955.00 व पंद्रवे केन्द्रीय वित्त अनुदान मद से रुपये 772050.00 कुल व्यय रुपये 1035005.00 दर्शित किया गया है | उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति, मूल पत्रवलियाँ व अन्य अनिवार्य अभिलेख जैसे वार्षिक कार्ययोजना, कार्यवाही रजिस्टर , बैंक पासबुक, प्राक्कलन, तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रवाली, कार्य की माप पुस्तिका, फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत दरियापुर बिलहौर द्वारा कुल रुपये 1035005.00 के दर्शित व्यय के नियमानुसार हो ने की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त स्तिथि के अधीन ग्राम पंचायत दरियापुर बिलहौर द्वारा दर्शित व्यय की लेख परीक्षा के दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम

पंचायतों मे वित्त एवं लेखा मैनुअल " के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह की " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व हो गा की वे लेखा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए " के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 "क " यह की दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1035005.00 मे से 50 प्रतिशत रुपये 517502.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सौरभ सिंह या व जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा हो तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि रुपये 517502.50 सचिव श्री प्रशांत बाजपई से या व जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा हो से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त हो ने की दशा मे नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है। अतः समस्त धनराशि की गंभीर अनियमितता हेतु सचिव एवं ग्राम प्रधान श्री सौरभ सिंह पर वसूली व विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या-0)1,02 (**